वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2010-2011

देना बैंक
DENA BANK
(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
विश्वस्त पारिवारिक बैंक
Trusted Family Bank

देना है तो भरोसा है! *DENA hai to bharosa hai.*

सपनों को साकार करना | Turning dreams into reality

₹ एक लाख करोड़ कारोबार संमिश्र का कीर्तिमान पार किया | Surpassed Milestone of ₹ One Lakh Crore Business Mix

स्मरणीय पल

MEMORABLE MOMENTS

श्री. डी. एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देना बैंक, वर्ष 2009-10 के लाभांश हेतु ₹ 29.36 करोड़ का लाभांश वारण्ट, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी को प्रदान करते हुए. चित्र में दृष्टव्य (दायें से बायें): श्री. ए. के. दत्त, कार्यपालक निदेशक, श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री. प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री, श्री. आर. गोपालन, सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग एवं श्री. एम. के. शर्मा, महाप्रबंधक, देना बैंक.

Shri D. L. Rawal, CMD, Dena Bank, handing over a Dividend Warrant of ₹ 29.36 crores for the year 2009-10, to the Hon'ble Union Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee. Seen alongside (R-L) Shri A. K. Dutt, ED, Shri D. L. Rawal, CMD, Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble FM, Shri R. Gopalan, Secretary Dept. of Financial Services & Shri M. K. Sharma, GM, Dena Bank.

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 को मुंबई में आयोजित की गई. चित्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी.एल.रावल समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करते हुए दृष्टव्य हैं. साथ मे श्री ए.के. दत्त कार्यपालक निदेशक एवं बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक गण.

A meeting of Parliamentary Standing Committee on Industry was held in Mumbai on 05.06.2010. seen in the picture Shri D.L. Rawal, CMD, Dena Bank, discussing with the committee members. Also seen alsongside is Shri A.K. Dutt, Executive Director, Dena Bank and Senior Executives of the Bank.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के खडना गांव में आयोजित "आउटरीच" कार्यक्रम में श्री डी. सुब्बाराव, गर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ दृष्टव्य हैं श्री ए. के. दत्त, कार्यपालक निदेशक, देना बैंक, चित्र में श्री मुकेश कुमार जैन, महा प्रबंधक, देना बैंक भी दृश्यमान हैं.

Shri A.K. Dutt, Executive Director, Dena Bank, seen alongwith Dr. D. Subbarao, RBI Governor at the RBI's Outreach program at Khadna Village, district Dhamtari in Chhattisgarh. Also seen in the Photograph Shri M.K. Jain, General Manager, Dena Bank.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने बैंक को ₹ 539 करोड़ की पूंजी इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के द्वारा प्रदान की है. बैंक के विद्यमान शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 21.03.2011 को असाधारण सामान्य सभा आयोजित हुई. मंच पर दृष्टव्य हैं श्री डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री. ए. के. दत्त, कार्यपालक निदेशक एवं निदेशक मण्डल के अन्य सदस्य.

Government of India, Ministry of Finance, infused capital of ₹ 539 crores in the Bank by way of preferential allotment of Equity. Extra Ordinary General Meeting was held on 21.03.2011 to seek approval of the existing shareholders of the Bank before issuance of the Equity Shares to the Government of India, Seen on the dias, Shri D.L. Rawal, CMD Dena Bank and Shri A.K. Dutt, ED, Dena Bank along with other Directors of the Board.

निदेशक मण्डल

BOARD OF DIRECTORS

श्री डी. एल. रावल
Shri D. L. Rawal

श्री ए. के. दत्त
Shri A. K. Dutt

डॉ. तरसेम चंद
Dr. Tarsem Chand

श्री बी. पी. विजयेन्द्र
Shri B. P. Vijayendra

श्री आई. एम. अल्मेडा
Shri I. M. Almeida

डॉ. प्रीतम सिंह
Dr. Pritam Singh

डॉ. सुनील गुप्ता
Dr. Sunil Gupta

श्री रोहित खन्ना
Shri Rohit Khanna

वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित निदेशक भी बैंक के निदेशक मण्डल में शामिल रहे :
During the year 2010-11 the following Directors also served on the Board of Directors of the Bank

श्री. चंद्र किशोर
Shri Chandra Kishore
(Up to 29.07.2010)

श्री. कमलेश कुमार गोयल
Shri. Kamlesh Kumar Goel
(Up to 03.02.2011)

शीर्ष प्रबंधन वर्ग

TOP MANAGEMENT TEAM

महाप्रबंधकगण GENERAL MANAGERS

श्री टी. आर. चावला
Shri T. R. Chawla

श्री आर. श्रीधरन
Shri R. Sridharan

श्री मुकेश कुमार जैन
Shri Mukesh Kumar Jain

श्री सुधीर कुमार जैन
Shri Sudhir Kumar Jain

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

श्री एस. आर. बंसल
Shri S. R. Bansal

श्री एम. के. शर्मा
Shri M. K. Sharma

श्री रमेश सिंह बोरा
Shri Ramesh Singh Bora

श्री आर. पी. आचरेकर
Shri R. P. Acharekar

श्री एस. एन. पटेल
Shri S. N. Patel

श्री एस. कुमार
Shri S. Kumar

श्री एस. के. तिवारी
Shri S. K. Tiwari

श्री बी. एम. नंदा
Shri B. M. Nanda

श्री जे. के. सिंह खर्ब
Shri J. K. Singh Kharab

वर्ष 2010-11 के दौरान निम्नलिखित महाप्रबंधक भी बैंक की सेवा में थे :
During the year 2010-11 the following General Managers also served with the Bank

श्री आनंदी लाल
Shri Anandi Lal
(Up to 31.01.2011)

श्री अनिल कामत
Shri Anil Kamat
(Up to 28.02.2011)

श्री जे. पी. कुरियास
Shri J. P. Kurias
(Up to 31.03.2011)

विषय सूची CONTENTS

पृष्ठ Page

वर्षवार तुलनात्मक कार्यनिष्पादन
Year wise Comparative Performance 04

सूचना
Notice 07

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
Chairman & Managing Director's Statement 10

वर्ष 2010-11 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 2010-11 15

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण
Management Discussion And Analysis 20

कार्पोरेट अभिशासन
Corporate Governance 50

निदेशको के विवरण
Particulars of Directors 66

बासेल-II प्रकटीकरण
Basel-II Disclosers 75

तुलन पत्र
Balance Sheet 88

लाभ एवं हानि लेखे
Profit & Loss Account 89

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Report of the Auditors 120

नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement 122

मुख्तारी फार्म (संलग्न)
Proxy Form (Enclosed) 125

उपस्थिति सह-प्रवेश-पर्ची (संलग्न)
Attendance-cum-Entry Slip (Enclosed) 127

डिपॉजिटरी सेवायें
Depository Services 129

लेखा परीक्षकगण Auditors

मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार	**मे. बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**मे. अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**मे. एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार
M/s. Gokhale & Sathe Chartered Accountants	**M/s. B. K Khare & Co.** Chartered Accountants	**M/s. Gandhi Minocha & Co.** Chartered Accountants	**M/s. P K Chopra & Co.** Chartered Accountants	**M/s. Avanish K Rastogi & Associates** Chartered Accountants	**M/s. S. C. Bapna & Associates** Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

निवेशक संपर्क केन्द्र: देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Investor Relations Centre: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. यूनिट : देना बैंक, सम्हिता काम्प्लेक्स, दुकान सं. 52 से 56, बिल्डिंग सं. - 13-ए-बी, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई - 400 072.
Registrars & Share Transfer Agents: Sharepro Services (India) Private Limited Unit: Dena Bank, Samhita Complex, Gala No.-52 to 56, Bldg. No. 13 A-B, Near Sakinaka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072.

वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

कार्य - निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कारोबार माध्यम एवं संसाधन	***Delivery Channels & Resources***					
शाखाओं की संख्या	No. of Brances	1135	1160	1184	1223	**1291**
उनमें से कंप्यूटरीकृत शाखाएं	Of Which Computerised Branches	1135	1160	1184	1223	**1291**
उनमें से कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली शाखाएँ	Out of Which, Brs. with Core Banking Solution (CBS)	13	108	606	1223	**1291**
एटीएम की संख्या	No. of ATMs	269	316	387	396	**496**
कर्मचारियों की संख्या	No. of Employees	10120	9957	9883	10525	**9953**
पूंजी	***Capital***					
पूंजी	Capital	286.82	286.82	286.82	286.82	**333.39**
आरक्षितियां(पुनर्मूल्यांकन) आरक्षितियों को छोडकर	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	953	1280	1662	2106	**3126**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	Capital Adequacy Ratio (%)	11.52	11.09	12.07	12.77	**13.41**
कारोबार मानदंड	***Business Parameters***					
कारोबार संमिश्र	Business Mix	46373	57324	72235	87066	**109373**
% वृद्धि	Increase in %	20.85	23.61	26.01	20.53	**25.62**
कुल जमाराशियां	Total Deposits	27689	33943	43051	51345	**64210**
% वृद्धि	Increase in %	17.22	22.58	26.83	19.26	**25.06**
कुल अग्रिम (सकल)	Total Advances (Gross)	18683	23381	29185	35721	**45163**
% वृद्धि	Increase in %	26.68	25.15	24.82	22.40	**26.43**
ऋण एवं अग्रिम (निवल)	Loan & Advances (Net)	18303	23024	28878	35462	**44828**
% वृद्धि	Increase in %	28.61	25.79	25.42	22.80	**26.42**
विनिधान (निवल)	Investment (Net)	9325	10335	12473	15694	**18769**
% वृद्धि	Increase in %	8.80	10.83	21.29	25.82	**19.59**
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	Advances to Priority Sector	7629	8096	9715	11718	**15150**
% के रुप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	Priority Sector Advances in % terms	42.03	43.32	41.55	40.15	**42.41**
कृषि	Agriculture	3344	2794	3851	4826	**6389**
% वृद्धि	Increase in %	41.51	-16.45	37.83	25.32	**32.39**
रिटेल	Retail	3419	4294	4424	5380	**6136**
% वृद्धि	Increase in %	52.02	25.59	3.03	21.61	**14.05**

वर्षवार तुलनात्मक कार्य-निष्पादन YEAR WISE COMPARATIVE PERFORMANCE

कार्य - निष्पादन मानदंड	Performance Parameters	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई)	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	3158	3885	4775	5647	**6784**
% वृद्धि	Increase in %	139	23.02	22.90	18.26	**20.13**
वित्तीय स्थिति	***Financials :***					
परिचालनगत लाभ	Operating Profit	635.37	656.44	726.36	840.58	**1223.79**
निवल लाभ	Net Profit	201.56	359.79	422.66	511.25	**611.63**
ब्याज आय	Interest Income	2088	2676	3447	4010	**5034**
ब्याज व्यय	Interest Expenses	1263	1817	2383	2910	**3270**
ब्याजेतर आय	Non Interest Income	422	478	430	589	**534**
कुल आय	Total Income	2510	3154	3878	4599	**5567**
कुल व्यय	Total Expenses	1875	2468	3151	3758	**4344**
निवल ब्याज मार्जिन	Net Interest Margin	3.00	2.67	2.91	2.61	**3.17**
जमाराशि लागत	Cost of Deposit	4.89	5.90	6.36	6.21	**5.76**
निधि लागत	Cost of Fund	5.19	5.95	6.47	6.31	**5.87**
अग्रिमों पर आय	Yield on Advances	8.66	10.11	10.71	10.32	**10.24**
निधियों पर आय	Yield on Funds	7.84	8.22	8.76	8.52	**8.62**
आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	0.71	1.06	1.02	1.01	**1.00**
ईक्विटी पर प्रतिफल	Return on Equity	20.83	27.12	24.05	23.55	**26.71**
प्रति शेयर अर्जन	Earning per share	7.03	12.54	14.74	17.83	**21.26**
आस्ति गुणवत्ता अनुपात	***Asset Quality Ratios :***					
सकल एन.पी.ए	Gross NPA	744.48	572.60	620.77	641.99	**842.24**
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात %	GrossNPA to Gross Advances Ratio %	3.98	2.45	2.13	1.80	**1.86**
निवल एन.पी.ए	Net NPA	364.8	215.43	313.38	427.53	**548.95**
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियों का अनुपात	Net NPA to Net Advances Ratio%	1.99	0.94	1.09	1.21	**1.22**
एन.पी.ए प्रावधान कवरेज	NPA Provision Coverage	50.05	60.70	48.27	78.61	**74.62**
उत्पादकता अनुपात	**Productivity Ratios :**					
प्रति कर्मचारी कारोबार	Per Employees Business	4.58	5.76	7.31	8.27	**10.99**
प्रति शाखा कारोबार	Per Branch Business	44.76	54.03	66.45	71.21	**91.60**

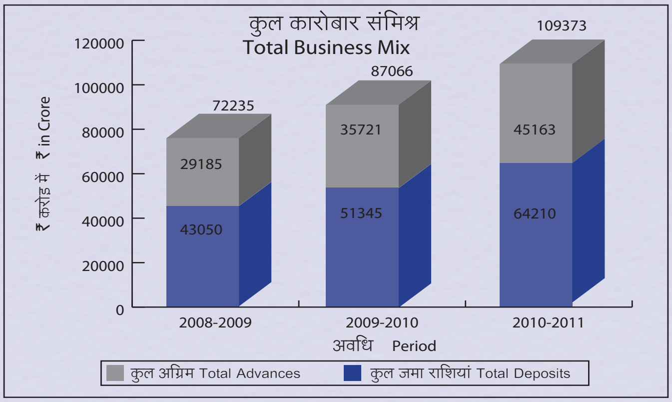
कुल कारोबार संमिश्र
Total Business Mix
₹ करोड़ में ₹ in Crore
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
72235
29185
43050
87066
35721
51345
109373
45163
64210
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period
कुल अग्रिम Total Advances
कुल जमा राशियां Total Deposits

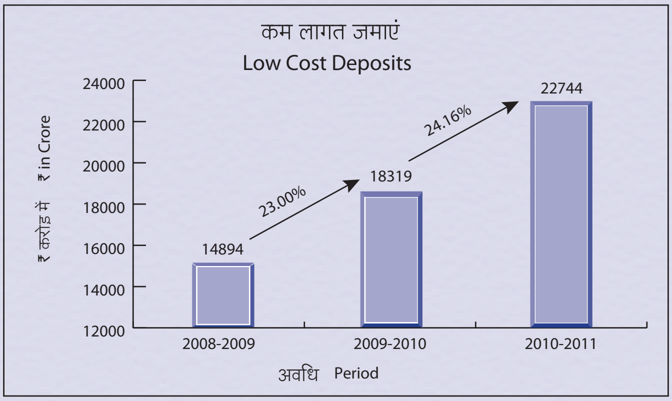
कम लागत जमाएं
Low Cost Deposits
₹ करोड़ में ₹ in Crore
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
14894
23.00%
18319
24.16%
22744
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period

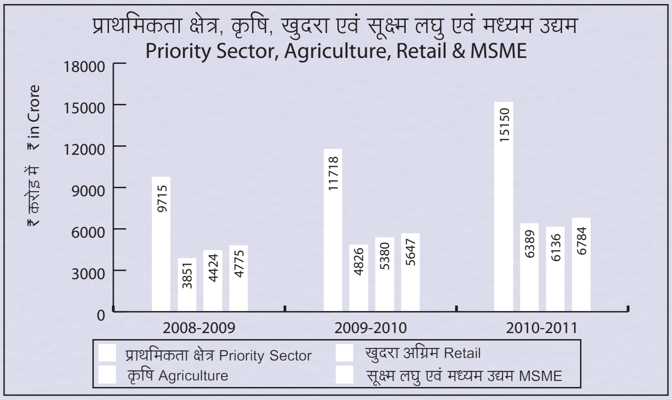
प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, खुदरा एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
Priority Sector, Agriculture, Retail & MSME
₹ करोड़ में ₹ in Crore
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0
9715
3851
4424
4775
11718
4826
5380
5647
15150
6389
6136
6784
2008-2009
2009-2010
2010-2011
प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector
कृषि Agriculture
खुदरा अग्रिम Retail
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME

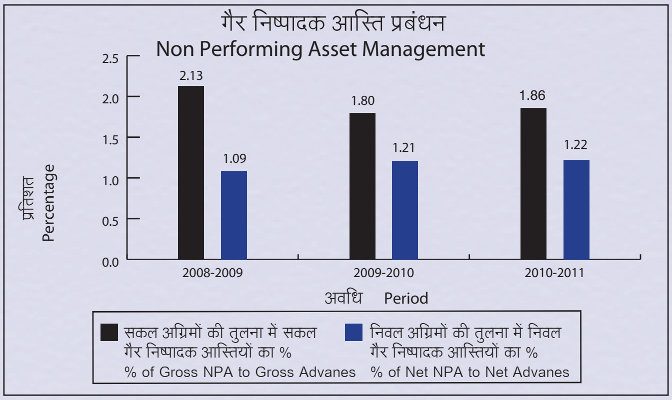
गैर निष्पादक आस्ति प्रबंधन
Non Performing Asset Management
प्रतिशत Percentage
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2.13
1.09
1.80
1.21
1.86
1.22
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल गैर निष्पादक आस्तियों का %
% of Gross NPA to Gross Advanes
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियों का %
% of Net NPA to Net Advanes

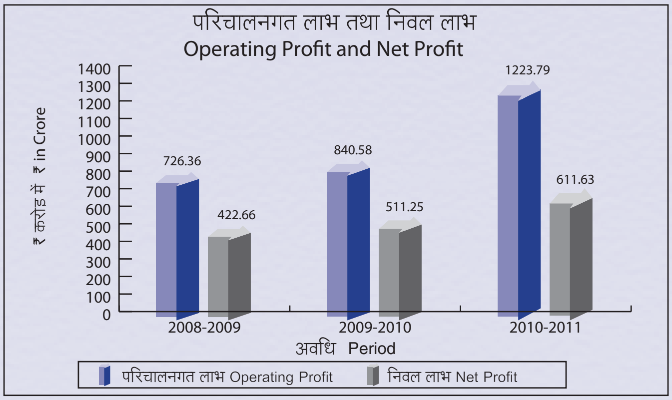
परिचालनगत लाभ तथा निवल लाभ
Operating Profit and Net Profit
₹ करोड़ में ₹ in Crore
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
726.36
422.66
840.58
511.25
1223.79
611.63
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period
परिचालनगत लाभ Operating Profit
निवल लाभ Net Profit

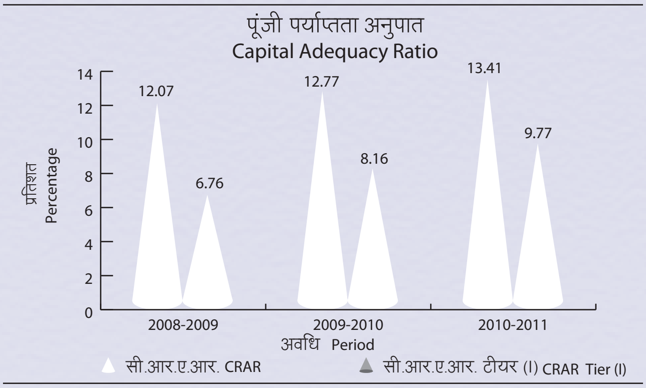
पूंजी पर्याप्तता अनुपात
Capital Adequacy Ratio
प्रतिशत Percentage
14
12
10
8
6
4
2
0
12.07
6.76
12.77
8.16
13.41
9.77
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period
सी.आर.ए.आर. CRAR
सी.आर.ए.आर. टीयर (I) CRAR Tier (I)

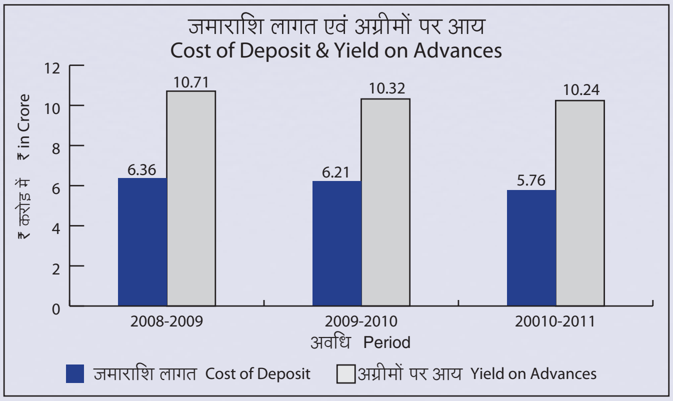
जमाराशि लागत एवं अग्रीमों पर आय
Cost of Deposit & Yield on Advances
₹ करोड़ में ₹ in Crore
12
10
8
6
4
2
0
6.36
10.71
6.21
10.32
5.76
10.24
2008-2009
2009-2010
20010-2011
अवधि Period
जमाराशि लागत Cost of Deposit
अग्रीमों पर आय Yield on Advances

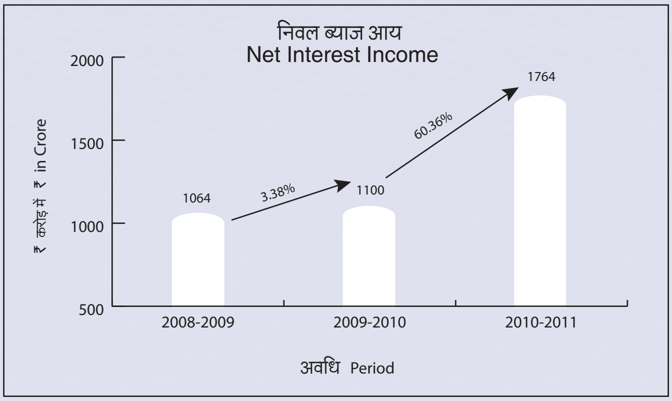
निवल ब्याज आय
Net Interest Income
₹ करोड़ में ₹ in Crore
2000
1500
1000
500
1064
3.38%
1100
60.36%
1764
2008-2009
2009-2010
2010-2011
अवधि Period

सूचना NOTICE

देना बैंक DENA BANK

प्रधान कार्यालय : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि देना बैंक के शेयर धारकों की पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा सोमवार, 18 जुलाई, 2011 को अपराहन 3.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. स्कीम, विले पार्ले (पश्चिम) मुंबई - 400 056 में निम्नांकित कार्यों को संपादित करने हेतु आयोजित होगी ।

मद सं. 1

"31 मार्च 2011 के तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों, बैंक के कामकाज एवं गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन एवं अंगीकार करना."

मद सं. 2

"वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए ईक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना."

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 08.06.2011

(डी.एल.रावल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ :

1. मुख्तारी की नियुक्ति

सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने का / के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर सभा में किसी अन्य को उपस्थित रहने तथा मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होगा / होगी. प्रतिनिधत्व प्रभावी हो, इस दृष्टि से प्रतिनिधि नियुक्त करने के पात्र अर्थात मुख्तारी फार्म में सूचना पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बुधवार 13 जुलाई, 2011 को काम-काज का समय समाप्त होने के समय या उससे पूर्व बैंक को विनिर्दिष्ट स्थल पर अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

ऐसी कोई कम्पनी निगमित निकाय, जो बैंक की शेयरधारक हो, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति सभा में उपस्थित रहने या मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति विषयक संकल्प, जिस सभा में वह पारित हुआ था, उसके सभापति द्वारा सत्यापित किया हुआ, की प्रतिलिपि पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात बुधवार 13 जुलाई, 2011 को कामकाज का समय समाप्त होने से पूर्व कम्पनी सचिव, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कार्पोरेट सेंटर, तीसरी मंजिल, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400 051. के पास जमा न करा दी जाए.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Dena Bank will be held on Monday, 18th July, 2011 at 3.00 p.m. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai-400 056 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2011 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

Item No.2

"To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2010-2011."

By Order of the Board of Directors

Place : Mumbai

Date : 08.06.2011

(D. L. Rawal)

Chairman & Managing Director

NOTES :

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF. The proxy, in order to be effective must be received by the Bank at the place specified in the proxy form, not later than FOUR DAYS before the date of the Fifteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Wednesday, 13th July, 2011.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited with the Company Secretary, Dena Bank, Investor Relation Centre, Dena Corporate Centre, 3rd Floor, C-10, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 not later than FOUR days before the date of the Fifteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on Wednesday, 13th July, 2011.

सूचना NOTICE

3. उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/मुख्तारनामा धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसे सभा स्थल पर प्रस्तुत करें । शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/मुख्तारी उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची में मुख्तारी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो ,का उल्लेख करें ।

4. बही बन्द रखना

बैंक का शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण रजिस्टर वार्षिक सामान्य सभा और लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार, 09 जुलाई, 2011 से सोमवार, 18 जुलाई, 2011 (दोनों दिन शामिल) तक बन्द रहेंगे ।

5. लाभांश का भुगतान

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके पास शेयर कागजी रूप में मौजूद हैं और जिनका नाम 18 जुलाई, 2011 को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज है, तथा ऐसे शेयरधारक जिनके पास शेयर बेकागजीकृत रूप में हैं उन्हें लाभांश का भुगतान, डिपॉजिटरी द्वारा 8 जुलाई, 2011 को समाप्त कामकाज के समय उपलब्ध लाभार्थ स्वामित्व के विवरणों यथा बैंक खाते एवं पते के विवरण के आधार पर किया जाएगा तथा लाभांश वारंट वार्षिक साधारण सभा की तारीख के 30 दिनों के भीतर प्रेषित/जमा कर दिए जाएंगे. लाभांश भुगतान की तारीख 28 जुलाई, 2011 होगी

6. अंतरण

कागजी रूप में धारित शेयर प्रमाण पत्रों को अंतरण विलेख सहित बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेन्ट को भेजा जाना चाहिए.

7. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस) या लाभांश भुगतान के लिए बैंक का अधिदेश

क) भा.रि.बैंक की अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्तूबर, 2009 से ईसीएस के माध्यम से धनप्रेषण को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एन.ई.सी.एस) ने प्रतिस्थापित किया है तथा बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से एन.ई.सी.एस. प्लेटफार्म का उपयोग करें. एन.ई.सी.एस. अनिवार्य रुप में कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस) कार्यान्वयन के बाद बैंकों द्वारा आबंटित नए एवं पृथक बैंक खाता संख्या पर कार्य करता है. बैंक भौतिक रुप में एवं इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों को लाभांश भुगतान हेतु एन.ई.सी.एस. सुविधा प्रदान कर रहा है. भौतिक रुप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक 09.07.2011 से पहले फोलियो संख्या देते हुए नीचे दिए गए पते पर पंजीकार एवं अंतरण एजेंटों को संबंधित खाते से संबंधित चेक की फोटो प्रतिलिपि के साथ उनके बैंक द्वारा प्रदान की गई खाता संख्या सूचित कर सकते हैं. इलेक्ट्रानिक रुप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक 09 जुलाई 2011 से पहले संबंधित चेक की फोटो प्रतिलिपि के साथ नई बैंक खाता संख्या उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को सूचित करें जहां उनका डीमेट खाता है. जिन शेयरधारकों ने एन.ई.सी.एस. के लिए उक्त विवरण आर.टी.ए/डी.पी. को पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं, उनको विवरण दुबारा प्रस्तुत करने की जरुरत नहीं है

ख) ऐसे शेयरधारक जिनके बैंक खाते गैर - सीबीएस बैंक शाखाओं में हैं, वे एन.ई.सी.एस. के अंतर्गत नहीं आएंगे तथा उनको लाभांश वारंटों के माध्यम से लाभांश का भुगतान किया जाएगा. इन शेयरधारकों को अपनी बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम सूचित करना होगा जहां वे नकदीकरण हेतु

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry-Pass is annexed to this report. Shareholders / Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of the shareholder should state on the Attendance slip-cum-entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

4. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, July 09, 2011 to Monday, July 18, 2011 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 18thJuly, 2011 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details and address, Bank Account etc. as per details to be furnished by the depositories as at the end of business on 8th July, 2011 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting. The dividend payment date will be 28th July, 2011.

6. TRANSFERS

Share Certificates in case of physical holding along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar & Transfer Agent of the Bank.

7. NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS) and Bank Mandate for Dividend payment

a) As per RBI notification, with effect from October 1, 2009, the remittance of money through ECS is replaced by National Electronic Clearing Service (NECS) and banks have been instructed to move to the NECS platform with immediate effect. NECS essentially operates on the new and unique bank account number allotted by banks post implementation of Core Banking Solutions (CBS). The Bank is offering the facility of NECS for payment of Dividend to the shareholders holding shares in physical form as well as electronic form. Shareholders holding the shares in Physical form can furnish the unique account no. provided by their Bank along with a photo copy of a cheque pertaining to the concerned account, to the Registrar & Transfer Agents at the address mentioned below, quoting the folio number before 09.07.2011. The shareholders holding shares in electronic form are requested to furnish the new Bank Account Number, along with a photo copy of a cheque pertaining to the concerned account, to their Depository Participant (DP) where they are holding Demat Account well before 9th July, 2011. The shareholders who have already furnished the said detail for NECS to RTA / DP need not to furnish the same again.

b) The shareholders having Bank Accounts in non CBS Bank Branches will not be covered under NECS and will be paid Dividend by way of Dividend warrants. These shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for

सूचना NOTICE

लाभांश वारंट जमा करना चाहते हैं. लाभांश वारंट के चेक भाग पर शेयरधारकों के नाम के अलावा ये विवरण मुद्रित रहेंगे ताकि वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण से बच सकें. उपर्युक्त विवरण प्रथम / एकल शेयरधारक द्वारा निम्नलिखित पते पर 09.07.2011 से पहले फोलियो संख्या सूचित करते हुए पंजीकार एवं अंतरण एजेंट को प्रस्तुत करना चाहिए.

8. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो तो

ऐसे शेयरधारकों जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 हेतु लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट से संपर्क करें.

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार, यदि अदत्त लाभांश खाते में अंतरण के सात वर्षों तक लाभांश की राशि अदत्त रहती है या उसके लिए कोई दावा नहीं किया जाता तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा फंड (आई ई पी एफ) में अंतरित कर दिया जाएगा, और उसके संबंध में बैंक या आई ई पी एफ के समक्ष किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

9. पते में परिवर्तन

ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते में, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसकी सूचना अपने डिपाजिटरी को दें न कि रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को और ऐसे शेयर धारक, जिनकी शेयर धारिता भौतिक रूप में है, उनसे अनुरोध है कि वे उनके पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेण्टों को दें.

शेयरप्रो सर्विसेज (इंडिया) प्रा. लि.
यूनिट : देना बैंक
13 ए/बी सम्हिता कॉम्प्लेक्स, गाला सं. 52 से 56
साकीनाका टेलिफोन एक्स्चेंज
अंधेरी कुर्ला रोड, साकी नाका
मुंबई - 400 072.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(डी.एल.रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08.06.2011

encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above-mentioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the Registrar & Transfer Agent, quoting the folio number before 09.07.2011 at the address mentioned below.

8. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the financial year 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2006-07, 2007-08, 2008-09 and 2009-10 are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant.

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

9. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders whose holding are in Electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address to their Depository and not to the Registrar & Share Transfer Agents and Shareholders who are holding the shares in Physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Sharepro Services (India) Private Limited
Unit: Dena Bank,
13 A/B Samhita Complex, Gala no.-52 to 56,
Near Saki Naka Telephone Exchange,
Andheri Kurla Road, Saki Naka,
Mumbai 400 072

By Order of the Board of Directors

(D. L. Rawal)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Date : 08.06.2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

प्रिय शेयरधारको,

मुझे 31 मार्च 2011 का तुलन पत्र तथा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखों के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है. आरंभ में मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी होती है कि आपके निरंतर सहयोग से बैंक वर्ष के दौरान ₹ **1 लाख करोड़** का कारोबार संमिश्र पार करने में सफल रहा.

पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2010-11 विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती / विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा आरंभिक अनुमानों को पीछे छोड़कर विकास की विभिन्न गतियों के साथ वृद्धि का वर्ष रहा. यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष के दौरान सुधार दर्शाया है, तेल की कीमतों में हुई वृद्धि तथा महत्त्वपूर्ण संप्रभुता चूक का जोखिम निरंतर विकास दर के लिए खतरा बना हुआ है. तेल की कीमतों में हुई वृद्धि से वस्तुओं, ईंधन और अन्य औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से वैश्विक मुद्रा स्फीति बढ़ने की चिंता है. विश्वभर में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने मजबूत वृद्धि दर्शायी है जोकि मुख्यत: व्यापक घरेलू मांग, अच्छे निर्यात तथा उच्च विदेशी निवेश के कारण हुई. तथापि, तेल की कीमतों में हुई वद्धि से यह अर्थव्यवस्थाएं मुद्रा स्फीति के दबाव में हैं.

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने 8.6% की संतुलित वृद्धि दर्ज की है जोकि मुख्यत: कृषि में वृद्धि, निर्यात में पुन: वृद्धि तथा विशाल घरेलू उपभोग के कारण हुई. तथापि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में वृद्धि कम रही, यह विशेषत: दूसरी छमाही के दौरान उच्च आधार दर के प्रभाव तथा निवेश की मांग कम होने के कारण हुई. भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति में मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने पर बल दिया गया है जिससे वृद्धि के लिए तरलता सुनिश्चित होगी, अल्पावधि में जी.डी.पी. वृद्धि संतुलित बने रहने का अनुमान है.

बैंकिंग क्षेत्र

वर्ष दर वर्ष आधार पर गैर - खाद्य साख में 20% से अधिक की वृद्धि हुई जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमानित स्तर था. मार्च 2011 को साख में 21.38% की वृद्धि हुई जबकि जमा राशियों में वृद्धि 15.84% हुई. इसके फलस्वरूप साख वृद्धि और जमा वृद्धि में व्यापक अंतराल हो गया. जमा राशियों में वृद्धि और साख में वृद्धि के बीच ढ़ांचागत असंतुलन को पहचानते हुए तथा मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने वाली मौद्रिक नीति के संकेतों को ध्यान में रखते हुए बैंकों ने जमाओं का संग्रहण बढाने के लिए जमा राशियों की दरों में वृद्धि की और साथ ही ऋण की दरें भी बढ़ाई, जिससे भविष्य में मध्यम मांग रहने की संभावना है.

बैंक का निष्पादन

मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूंगा जिनमें 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने अच्छा निष्पादन दर्शाया है.

बैंक का कुल कारोबार मार्च 2010 के ₹.87,066.36 करोड़ के स्तर से बढ़कर, 25.62% की वृद्धि दर्ज करते हुए, मार्च 2011 को ₹109372.99 करोड़ की नयी ऊंचाई तक पहुंच गया. वर्ष के दौरान बैंक ने ₹1.00 लाख करोड़ कारोबार संमिश्र का कीर्तिमान पार कर लिया है.

मार्च 2011 को कुल जमा राशियां बढ़कर ₹ 64,209.62 करोड़ तक पहुंच गयीं जबकि मार्च 2010 में वह ₹ 51,344.28 करोड़ थीं जोकि 25.05% की वृद्धि दर्शाती हैं.

मार्च 2011 को बैंक के कुल अग्रिम ₹ 45,163.37 करोड़ तक पहुंच गए जबकि मार्च 2010 को वह ₹ 35,721.41 करोड़ थे जोकि 26.42% की वृद्धि दर्शाते हैं. वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान कासा में 24.15% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष में यह वृद्धि 23.01% थी. समग्र रूप में कासा में ₹ 4424 करोड़ की वृद्धि हुई.

Dear Shareholders,

I have great pleasure in presenting to you the Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet as at 31st March 2011 and Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2011. At the outset, I am pleased to inform you that with your unstinted support, the Bank was able to cross the Business Mix of ₹1 Lac Crore during the year.

The Backdrop:

The Financial Year 2010-11 had been a year of multi speed recovery with the growth in the advanced economy as well as the emerging / developing economies outpacing the initial expectations. Although the Global Economies have shown improvement during the year, the increase in oil prices and significant sovereign default risks continue to threaten growth sustenance. The increase in oil prices have raised concerns on escalation of global inflation due to increase in commodity, fuel and other industrial input prices. The emerging market economies world over have shown strong growth, mainly on account of huge domestic demand, good exports and higher foreign investments. However, these economies are also under inflationary pressure due to the increase in oil prices.

The Indian economy has registered a moderate growth rate of 8.6% during 2011 mainly on account of growth in Agriculture, resurgence in Exports and huge domestic consumption. However the growth in the industrial and service sector has decelerated particularly in the second half mainly on account of high base effect and moderation in investment demand. With Reserve Bank of India monetary stance, concentrating on containing the inflation albeit ensuring liquidity available for growth, the GDP growth is estimated to moderate in the short term.

Banking Sector:

Year on Year, the non food credit growth has been above 20%, the projected level of Reserve Bank of India. As on March, 2011 credit growth was 21.38% whereas the deposit growth was 15.84%. This resulted in wide gap between credit growth and deposit growth. Recognizing the structural imbalance between deposit growth and credit growth as well as the underlying signals of the anti-inflationary monetary policy stance, banks raised their deposit rates to improve deposit mobilization while raising the lending rates, which could be expected to moderate the aggregate demand, going forward.

Performance of the Bank:

I would like to touch upon some areas where your Bank has performed well during 2010-11.

Business Mix of the Bank has increased from ₹87,066.36 crore as of March 2010, to a new height of ₹1,09,372.99 crore as of March 2011, registering a growth of 25.62%.The Bank has crossed the landmark business mix of ₹ 1 Lac crore during the year.

Total Deposits have grown to the level of ₹64,209.62 crore as of March 2011 as compared to ₹51,344.28 crore as of March 2010, registering a growth of 25.05%.

Total Advances of the Bank stood at ₹ 45,163.37 crore as of March 2011 as compared to ₹ 35,721.41 Crore as of March 2010, registering a growth of 26.42%.

CASA increased by 24.15% during the Financial year 2010-11 as compared to 23.01% in the previous year. In absolute terms CASA increased by ₹ 4424 Crore.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

ऋण विस्तार के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, जोखिम विभाजन पर जोर देते हुए, एम.एस.एम.ई., रिटेल और कृषि क्षेत्र रहे. रिटेल ऋण ₹ 6136 करोड़ रहे जोकि पिछले वर्ष से 14.05% अधिक हैं, एम.एस.एम.ई. ऋण ₹ 6784 करोड़ रहे जिसमें 20.12% की वृद्धि हुई जबकि कृषि क्षेत्र के ऋण ₹ 6389 करोड़ रहे और उसमें मार्च 2011 को 32.38% की वृद्धि दर्ज हुई.

वर्ष के लिए कुल आय में ₹ 968.38 करोड़ (21.06%) की वृद्धि हुई तथा वह ₹ 5567.37 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान अर्जित आय ₹ 4598.99 करोड़ थी.

बैंक की ब्याज आय में 25.51% की वृद्धि हुई और वह ₹ 5033.53 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई.

जबकि बैंक की निवल ब्याज आय (एन.आई.आई.) में 60.30% की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई और वह ₹1763.37 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹1100.03 करोड़ थी.

शुल्क आधारित आय मार्च 2010 के ₹ 309.58 करोड़ के स्तर में ₹ 65.67 करोड़ (21.21%) वृद्धि के साथ मार्च 2011 को ₹ 375.25 करोड़ तक पहुंच गई.

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है कि उपर्युक्त के परिणाम स्वरूप तथा बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए कठोर प्रयासों से बैंक का निवल लाभ ₹ 511.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 611.63 करोड़ तक पहुंच गया. यह लाभ द्वितीय पेंशन विकल्प देने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्ण पेंशन देयता तथा द्वितीय पेंशन विकल्प देने वाले विद्यमान कर्मचारियों के लिए देयता के 1/5th के लिए प्रावधान तथा अंतिम तिमाही के दौरान ग्रेच्युटी सीमा में ₹.206.42 करोड़ की वृद्धि के बाद है. यह वर्ष के दौरान 19.63% की वृद्धि दर्शाता है.

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी होती है कि बैंक के निदेशक मंडल ने पिछले वर्ष के लिए 20% लाभांश के समक्ष, राशि बढ़ाकर 22% के लाभांश की सिफारिश की है.

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान भी, बैंकिंग उद्योग में सामान्य रूप में अभूतपूर्व स्लीपेज होने के बावजूद, आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने और एन.पी.ए. प्रबंधन में प्रशंसनीय निष्पादन दोहराया है. एन.पी.ए. प्रबंधन में बैंक का यह निष्पादन हाल ही में स्लीपेज हुए एन.पी.ए. के उन्नयन, समझौता निपटानों के द्वारा वसूली, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई आदि के लिए कर्मठ प्रयासों के कारण संभव हुआ. इसके फलस्वरूप नकद वसूली और खातों के उन्नयन में काफी सुधार हुआ. एन.पी.ए. घटाने के लिए बैंक द्वारा किए गए पूर्व उपायों से एन.पी.ए. का स्तर न्यूनतम बनाए रखना संभव हो सका.

समग्र रूप में बैंक के कुल एन.पी.ए. में ₹.200.25 करोड़ की वृद्धि हुई, यह 31 मार्च 2010 को ₹ 641.99 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 842.24 करोड़ हो गया. बैंक का कुल एन.पी.ए. अनुपात 31.03.2011 को मामूली वृद्धि के साथ 1.86% हो गया जोकि 31.03.2010 को 1.80% था.

बैंक का निवल एन.पी.ए. अनुपात 31.03.2011 को 1.22% रहा जबकि 31.03.2010 को यह 1.21% था. समग्र रूप में निवल एन.पी.ए. में ₹121.42 करोड़ की वृद्धि हुई. वह 31.03.2010 को ₹ 427.53 करोड़ से बढ़कर 31.03.2011 को ₹ 548.95 करोड़ हो गया.

प्रावधान कवरेज अनुपात (विवेकपूर्ण बट्टे खाते सहित) 74.62% रहा अर्थात यह 70% की नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है.

वर्ष के दौरान समझौता निपटानों के द्वारा वसूली प्रयासों को बढ़ाने के लिए सभी प्रमुख केंद्रों में नामित वसूली अधिकारियों के माध्यम से एन.पी.ए. में वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया. बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान जारी रहे. क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रमुख केंद्रों में वसूली शिविरों तथा लोक अदालतों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया गया.

The thrust areas for credit expansion, with emphasis on risk dispersal continued to be on MSME, Retail and Agriculture sectors. Retail loans stood at ₹ 6,136 crore, up by 14.05%, MSME loans stood at ₹ 6,784 crore showing an increase of 20.12% while loans to agriculture sector stood at ₹ 6,389 crore, registering a growth of 32.38% as of March 2011.

Total income of the Bank for the year has increased by ₹968.38 Crore. (21.06%) and stood at ₹ 5567.37 Crore. as compared to an Income of ₹4598.99 Crore earned during the previous year.

Interest income of the Bank has increased by 25.51% and reached a level of ₹ 5033.53 Crore.

Whereas, the Bank's net interest income (NII) has increased substantially by 60.30% and stood at ₹ 1763.37 Crore as compared to ₹1100.03 Crore posted during the previous year.

Fee based Income has increased by ₹ 65.67 crore (21.21%) from ₹ 309.58 crore as of March 2010 to ₹ 375.25 crore as of March 2011.

I am privileged to announce that as a result of the above and the strenuous efforts by all the employees of the Bank, the Net Profit of the Bank has increased from ₹ 511.25 crore to ₹ 611.63 crore during the year 2010-11, after providing for the full pension liability for the retired employees who opted for second pension option and 1/5 th of liability for existing employees who opted for second pension option and enhancement of gratuity limit aggregating to ₹ 206.42 crore during the last quarter. This represents an increase of 19.63% during the year.

I am happy to announce that the Board of Directors of the Bank have recommended an enhanced dividend of 22% as against 20% for the previous year.

Asset Quality:

The Bank repeated its commendable performance in maintaining asset quality and NPA management during the year 2010-11 also, irrespective of the unprecedented slippages experienced by the banking industry in general. The Bank's performance in NPA management is directly attributed to the concerted efforts made for upgradation of recently slipped NPAs, recovery through compromise settlements, action under SARFAESI Act etc which resulted in improving cash recovery and upgradation to a considerable extent. The proactive steps taken by the Bank in NPA reduction ensured that level of NPAs is restricted to the minimum possible.

The Gross NPA, in absolute terms, increased by ₹ 200.25 Crore from ₹ 641.99 Crore as on 31st March 2010 to ₹ 842.24 Crore as on 31st March 2011. Gross NPA ratio of the Bank increased marginally to 1.86% as on 31.03.2011 from 1.80% as on 31.03.2010.

The Net NPA ratio of the Bank stood at 1.22% as on 31.03.2011 as against 1.21% as on 31.03.2010. Net NPAs, in absolute terms increased by ₹121.42 Crore from ₹ 427.53 Crore as on 31st March 2010 to ₹ 548.95 Crore as on 31st March 2011.

Provision Coverage Ratio (including prudential write off) stood at 74.62% i.e. well above the regulatory requirement of 70%.

Special attention was given to recovery in NPAs during the year by designating recovery facilitators at all major centres to augment recovery efforts through negotiated settlements. Special recovery drives were continued for recovery in written off accounts. Recovery Camps and Lok Adalats were organized at Regional Offices and major centres on regular intervals.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की नकद वसूली ₹.191.05 करोड़ रही और खातों का उन्नयन ₹171.12 करोड़ था. वर्ष के दौरान बैंक ने अब तक की सर्वाधिक नकद वसूली ₹134.58 करोड़ दर्ज की जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹125.54 करोड़ थी.

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में 1526 वसूली शिविरों का आयोजन किया जिनमें 21340 उधारकर्ताओं ने भाग लिया. वर्ष के दौरान इन वसूली शिविरों के माध्यम से ₹19.52 करोड़ के कुल 2032 खातों का निपटान किया गया और ₹ 34.11 करोड़ के 1242 खातों को अपग्रेड किया गया.

नए पूंजी पर्याप्तता मानदंड

वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹10/- अंकित मूल्य के कुल ₹ 539 करोड़ के 4.65 करोड़ इक्वीटी शेयर ₹115.75 (₹105.75 के प्रिमीयम सहित) के मूल्य पर आबंटित किए. उपर्युक्त आबंटन के बाद बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 51.19% से बढ़कर 58.01% हो गई है.

मार्च 2011 को पूंजी से जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सी.आर.ए.आर.), 9% आवश्यकता के समक्ष, 13.41% रहा, जबकि मार्च 2010 को यह 12.77% था.

31.03.2011 को बैंक की निवल संपत्ति बढ़कर ₹ 3,366.43 करोड़ हो गई जबकि 31.03.2010 को वह ₹ 2,201.64 करोड़ थी, इसमें ₹ 1,164.79 करोड़ (52.91%) की वृद्धि हुई.

नेटवर्क और सुपुर्दगी चेनल

2010-11 के दौरान सुपुर्दगी चेनलों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रहा और बैंक ने इस दौरान 68 नई शाखाएं खोली हैं. मार्च 2011 तक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1291 हो गई. बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. के अंतर्गत कार्य कर रही हैं.

बैंक ने समझदारी से ऐसे केंद्र शामिल किए हैं जिनमें बैंक की उपस्थिति अब तक नगण्य थी या वे बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे. यह केंद्र मुख्यत: झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओड़िसा और उत्तराखंड में हैं. बैंक ने शाखाएं खोलने के लिए ऐसे क्षेत्रों / केंद्रों की भी पहचान की है जोकि बैंकिंग सेवा से वंचित सेवा की श्रेणी में हैं तथा अल्पसंख्यक बहुल समुदाय वाले जिलों में हैं.

31.03.2011 को ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक के 496 ए.टी.एम. थे जिनमें 391 ए.टी.एम. ऑन साइट थे और 105 ए.टी.एम. ऑफसाइट थे. 2 ए.टी.एम. अंगूठे के निशान से परिचालित किए जा सकते हैं जोकि छोटे ग्राहकों (वित्तीय समावेशन के अंतर्गत) तथा अल्प शिक्षित व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक हैं.

मानव संसाधन प्रबंधन

बैंक की जनशक्ति ही ग्राहकों के संपर्क में आती है और काउंटर पर कुशल ग्राहक सेवा ही उद्योग में कठिन प्रतियोगिता के समक्ष सफलता की कुंजी है. बैंक ने बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों तथा प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के द्वारा सभी स्तरों के कर्मचारियों की क्षमताओं के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित रखा.

वर्ष के दौरान बैंक ने 6343 कर्मचारियों को साख, ग्रामीण बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, खजाना, विपणन, सूचना तकनीक, प्रबंधन विकास, ग्राहक अभिमुखीकरण, आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया. वर्ष के दौरान 10 कार्यपालकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा गया.

बैंक ने कारोबार के बढ़ते स्तर तथा नई शाखाएं खोलने के लिए, कर्मचारियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न वेतनमानों और श्रेणियों में 564 अधिकारियों (100 परिवीक्षाधीन अधिकारियों सहित) तथा 250 लिपिकों की भर्ती के लिए कार्रवाई आरंभ की है. 564 में से विदेशी मुद्रा, साख एवं कृषि

The cash recovery during the year 2010-11 was ₹ 191.05 Crore and upgradation in the accounts was ₹ 171.12 Crore. The Bank recorded an all time high recovery in written off accounts during the year at ₹134.58 Crore as against ₹ 125.54 Crore recorded during the previous year.

The Bank has conducted 1526 recovery camps in various Regions during the year, which were attended by 21340 borrowers. A total of 2032 accounts were settled for ₹ 19.52 Crore and 1242 accounts were upgraded for ₹ 34.11 Crore during the year through such recovery camps.

New Capital Adequacy Norms:

During the year, the Bank allotted 4.65 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- at a price of ₹ 115.75 (including premium of ₹105.75) aggregating ₹ 539 crore, to the Government of India on preferential basis. With the above allotment, Government of India's holding in the Bank stands enhanced to 58.01% from 51.19%.

The Capital to Risk (Weighted) Asset Ratio (CRAR) stood at 13.41% as of March 2011, compared to 12.77% as of March 2010, against the requirement of 9%.

The Net Worth of the Bank improved to ₹ 3,366.43 crore as on 31.03.2011 from ₹ 2,201.64 crore as on 31.03.2010, registering a growth of ₹ 1,164.79 Crore (52.91%).

Network and Delivery Channels:

There was focus on increasing the number of delivery channels and the Bank has opened 68 new branches during 2010-11. The total number of branches of the Bank stood at 1291 as of March 2011. All the branches of the Bank are covered under CBS.

The Bank has consciously included centres where Bank's presence was negligible or hither to uncovered area. These centres are mainly in Jharkhand, Bihar, West Bengal, Sikkim, Himachal Pradesh,Tamil Nadu, Orissa and Uttarakhand. The Bank has also identified areas / centres, mostly falling in the category of under banked areas as well as under Minority dominated districts for opening branches.

As at 31st March 2011, the Bank had an installation base of 496 ATMs comprising of 391 on-site ATMs and 105 Off-site ATMs for the convenience of customers. Two of the ATMs can be operated by thumb impression which is convenient for small customers (under financial inclusion) and semi-literate persons.

Human Resource Development:

Human resources forms your Bank's interface with its customers and efficient customer service across the counters is the key to success against tough competition in the industry. The Bank continued to focus on skill upgradation of employees at all levels through training programmes, workshops, seminars etc, both through the Bank's training set up and reputed external training set-ups.

During the year, the Bank had provided training to 6343 employees in thrust areas of Credit, Rural Banking, Retail Banking, Risk Management, Treasury, Marketing, Information Technology, Management Development, Customer Orientation, etc. During the year, 10 executives were sent abroad for attending training.

The Bank, to meet its requirements of personnel for increasing business levels and opening of new branches, has initiated recruitment of 564 officers (incl. 100 POs) under various scales and disciplines and 250 clerks during the year. Out of 564, 112

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

के क्षेत्र में 112 विशेषज्ञ अधिकारी कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती किए जा रहे हैं.

टेक्नोलॉजी के माध्यम से रूपांतरण

मार्च 2011 को बैंक की सभी 1291 शाखाएं और समस्त कारोबार सी.बी.एस. के अंतर्गत लाया गया है.

बैंक ने सभी शाखाओं के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा **`देना आई कनेक्ट'** आरंभ की है. इससे ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अपने खातों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए उनको अन्यथा शाखा में जाना पड़ता है. देना आई- कनेक्ट के अंतर्गत बैंक के ग्राहक शाखा में गए बिना इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का भुगतान कर सकते हैं.

बैंक ने एस.एम.एस. अलर्ट सुविधा आरंभ की है जिसके माध्यम से ग्राहक सुपुर्दगी चेनलों के माध्यम से या वित्तीय लेन-देन होने पर चेतावनी प्राप्त करता है. ग्राहक सावधि जमाओं की परिपक्वता तिथि के बारे में तथा ऋण की किस्त की तारीख के बारे में चेतावनी प्राप्त करता है.

वित्तीय समावेशन योजना

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 299 गांवों के लक्ष्य के समक्ष वित्तीय समावेशन की योजना के अंतर्गत 310 गांवों को शामिल किया है.

वित्तीय समावेशन योजना में बैंकिंग शाखा उपलब्ध कराने के अलावा, सादे खाते, अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ सादे खाते, उद्यमी ऋण, प्रेषण सुविधाएं तथा सूक्ष्म बीमा उत्पाद भी शामिल हैं.

घरों को शामिल करना

वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत पहचान किए गए गांवों में 137479 घरों के लक्ष्य के समक्ष बैंक ने 136548 घर शामिल किए हैं.

शेष घर पलायन या खाता खोलने के लिए सहमत न होने के कारण शामिल नहीं किए जा सके.

सादे खाते

मार्च 2011 तक वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत कुल 1,53,193 सादे खाते खोले गए जबकि 2010-11 के लिए वार्षिक लक्ष्य 90,000 खातों का था. तथापि, मार्च 2011 को बैंक में सादे खातों की कुल संख्या 9,01,140 थी.

सादे खाते में अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा

बैंक ने 92046 सादे खातों में ओ.डी. सुविधा प्रदान की है जबकि 2010-11 के दौरान यह सुविधा 81,000 सादे खातों में प्रदान करनी थी. मार्च 2011 तक कुल 2,37,622 सादे खातों में अंतर्निहित ओ.डी. सुविधा प्रदान की गई.

देना किसान क्रेडिट कार्ड

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत मार्च 2011 तक ₹.1540.20 करोड़ के 1.87 लाख कार्ड जारी करने का लक्ष्य था, इसके समक्ष बैंक ने ₹.2107.56 करोड़ के 1.87 लाख देना किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए.

देना जनरल क्रेडिट कार्ड

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत मार्च 2011 तक बैंक ने ₹ 23.05 करोड़ के 13,000 देना जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किए.

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी)

बैंक ने ग्रामीण विकास में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ₹.150.00 लाख की पूँजी के साथ देना ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान (डी.आर.डी.एफ.) के नाम से एक सोसायटी की स्थापना की है. डी.आर.डी.एफ. ने आगे अपने अग्रणी जिलों में 11 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) स्थापित किए हैं जिन में से 6 आरसेटी गुजरात राज्य में और 5 आरसेटी छत्तीसगढ़ राज्य में हैं. वर्ष 2010-11 के दौरान इन आरसेटी ने 358 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 11727 युवकों को प्रशिक्षण दिया गया.

specialist officers in the areas of Forex, Credit & Agriculture are being recruited through Campus interview.

Transformation through Technology:

As of March 2011, all the 1291 branches of the bank and the entire business have been brought under CBS.

The Bank has launched **"Dena I Connect"** – the internet Banking Service for the customers of all branches. This enables the customers to access their account information through internet which under normal circumstances would have required them to visit the branch. Under Dena I Connect, the customer of the Bank can make payment of Direct Taxes and Indirect Taxes through internet without visiting the branch.

The Bank has started SMS Alert facility through which customers get alerts on occurrence of any financial transactions or through delivery channels. Customers also receive alerts for due dates of Term Deposits as well as Loan installments due date.

Financial Inclusion Plan:

During the year 2010-11, the Bank has covered 310 villages under Financial Inclusion Plan against the set target of 299 villages.

The Financial Inclusion plan apart from providing banking outlets, also includes extension of facilities like No Frills Accounts, Inbuilt Overdraft facility in the No Frills Accounts, Entrepreneurship Credit, Remittance facilities and Micro-Insurance products.

Coverage of Households

During the year 2010-11, the Bank has covered 136548 households against the set target of 137479 households, in the villages identified under the Financial Inclusion Plan. Remaining households could not be covered mainly on account of migration or unwillingness to open the accounts.

No Frills Accounts:

Total 1,53,193 No Frills Accounts have been opened in the FIP Villages by March 2011 against the annual target of 90,000 accounts during 2010-11. However, the total number of No Frill Accounts in the Bank stood at 9,01,140 as of March, 2011.

Inbuilt OD facility in the No Frills Accounts:

OD facility has been extended by the Bank in case of 92,046 No Frills Accounts against the target of 81,000 No Frills Accounts during 2010-11. The total number of inbuilt OD facility extended in the No Frills Accounts is 2,37,622 as of March 2011.

Dena Kisan Credit Cards:

Under Financial Inclusion Plan. against projected target of issuing 1.87 lac cards for ₹ 1540.20 crore for March 2011, the Bank has achieved issuance of 1.87 lac Dena Kisan Credit Cards amounting to ₹ 2,107.56 crore.

Dena General Credit Cards:

As of March 2011, the Bank has issued 13,000 Dena General Credit Cards amounting to ₹ 23.05 Crore, under Financial Inclusion Plan.

Corporate Social Responsibilities

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) :

The Bank has set up a Society known as Dena Rural Development Foundation (DRDF) with a corpus of ₹ 150.00 lacs to take up various initiatives in Rural Development. DRDF in turn has established 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in its lead districts, 6 RSETIs in the State of Gujarat and 5 RSETIs in the state of Chhattisgarh. These RSETIs have organised 358 training programmes and have imparted training to 11727 youth for various activities during the year 2010-11.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

बालिकाओं की शिक्षा का प्रायोजन:

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के भाग के रूप में बैंक ने अपने सेवा क्षेत्र वाले गांवों में स्थित स्कूलों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रायोजन के लिए देना लक्ष्मी शिक्षा प्रोत्साहन योजना जारी रखी. इस योजना के अंतर्गत बैंक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की गई बालिकाओं को ₹ 2000/- तथा ₹1500/- प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान करता है. इन बालिकाओं का चयन बैंक के कमान एरिया के अंतर्गत गांवों के प्रत्येक स्कूल में 7वीं कक्षा में प्रथम तथा द्वितीय रैंक के आधार पर किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत बैंक ने अब तक 2104 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है.

भावी योजनाएं:

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, मध्यम अवधि में वृद्धि प्रक्रिया सामान्य रहने की संभावना है. इसलिए 2011-12 के दौरान विकास दर लगभग 8% रहने की संभावना है. आर्थिक विकास में वृद्धि का यह अनुमान यह मानकर लगाया गया है कि वर्ष के दौरान मानसून सामान्य रहेगा और खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहेंगी.

मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति में कठोर प्रयास किए जाने से दुर्लभ तरलता स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बैंक को साख सुपुर्दगी और निगरानी प्रणाली में विवेकशील और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पुनर्गठित अग्रिमों और कुछ श्रेणियों के अनर्जक अग्रिमों पर बढ़े हुए प्रावधान के नियामक उपायों का बैंक के निष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा.

बैंक नए क्षेत्रों में शाखाएं खोलकर अपनी उपस्थिति का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित रखेगा तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जैसे एम.एस.एम.ई., रिटेल तथा कृषि पर ध्यान देगा. जमाओं की लागत को कम करने के लिए बैंक कासा जमा राशियों को बढ़ाने, बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली तथा गैर ब्याज / शुल्क आधारित आय बढ़ाने पर ध्यान जारी रखेगा.

वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार बैंक टीयर V और टीयर VI केंद्रों में 25% नई शाखाएं खोलने का प्रयास करेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा सकें.

आभार:

मैं बैंक के सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों तथा शुभचिंतकों को बैंक की प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूं तथा भविष्य में भी उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करता हूं.

मैं भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त समयोचित सलाह, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं.

बैंक भारत सरकार के प्रति ₹ 539 करोड़ की पूँजी प्रदान करने के लिए विशेष धन्यवाद व्यक्त करता है जिससे बैंक 31.03.2011 को निर्धारित बेंच मार्क से अधिक टीयर I सी.आर.ए.आर. बनाए रख सका.

मैं वित्तीय संस्थानों / बैंकों और प्रतिनिधियों के प्रति भी बैंक को उनके द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं.

स्टाफ सदस्यों के सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग के बिना बैंक द्वारा की गई प्रगति संभव नहीं होती. मैं बैंक के त्वरित कारोबार विकास तथा प्रगति में आपसे निरंतर सहयोग की आशा रखता हूं.

डी.एल.रावल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Sponsoring Education of Girl Child:

As a part of Corporate Social Responsibility, the Bank has continued with the Nobel scheme viz. Dena Laxmi Shiksha Protsahan Yojana, to sponsor education of Girl students in the villages served by the Bank. Under the scheme the Bank has been providing scholarships of ₹ 2000/- and ₹1500/- per annum to identified girl student belonging to Below Poverty Line (BPL) family. Such students are selected from each of the schools based on first and second rank secured in 7th Standard from the villages under the command area of the Bank. The Bank has so far provided scholarships to 2104 girl students under the scheme.

The Road Ahead:

With the policy stance of Reserve Bank of India concentrating on containing inflation, the growth process is likely to moderate in the medium term and hence, the GDP growth outlook for 2011-12 is expected to be around 8%. The expectation on maintaining the momentum in economic growth is based on the assumptions of a normal monsoon and stabilization of the food prices during the year.

In view of the tight liquidity conditions resulting from the hardening of the Monetary Policy stance of the Reserve Bank of India with the intention of reigning in the run away inflation, the Bank will be required to have a prudent and balanced approach in credit delivery and monitoring system. The regulatory measures of enhanced provisioning requirements on certain categories of non performing advances and restructured advances will have impact on the Bank's performance.

The Bank will continue with its strategy to remain focused on expanding its outreach by opening branches in new areas, concentrate on thrust areas such as MSME, Retail and Agriculture. To bring down the cost of deposit, the Bank will continue to pay focused attention for increasing CASA Deposits, sustained efforts in recovery in written off accounts and increasing non interest / fee based income.

In line with the Government of India initiatives on Financial Inclusion, the Bank will endeavor to open 25 per cent of new branches in areas which are located in Tier V and Tier VI centers so as to provide Banking access to more and more people.

Acknowledgements:

I express my sincere thanks to the Bank's valued customers, shareholders and well wishers for their valuable contribution to the progress of the Bank and seek their continued support and co-operation in future.

I acknowledge with gratitude, the timely advice, valuable guidance and support received from Government of India and Reserve Bank of India.

The Bank express special thanks to Government of India for infusing capital ₹ 539 crore and thus enabling the bank to maintain a Tier I CRAR, as on 31st March, 2011, above the prescribed benchmark.

I am also thankful to the Financial Institutions / Banks and Correspondents for their cooperation and support to the Bank.

I wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution of the staff, at all levels, without which the progress achieved, would have been unattainable. I look forward to your continued cooperation in faster business development and progress of the Bank.

D. L. Rawal
Chairman & Managing Director

वर्ष 2010-2011 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2010-2011

सभी सदस्यगण,

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के लेखा -परीक्षित वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

2. वित्तीय निष्पादन की विशिष्टताएं

2.1 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक का कुल मिश्रित कारोबार (जमाएं + अग्रिम) ₹1,00,000 करोड़ का लक्ष्यस्तंभ पार कर गया है. बैंक के कुल मिश्रित कारोबार में ₹ 22,306.30 करोड़ की वृद्धि हुई जिससे वह 31 मार्च 2010 के ₹ 87066.69 करोड के स्तर में 25.62% वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2011 को बढ़कर ₹1,09,372.99 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया,

2.2 कुल जमाराशियों में ₹12,865.34 करोड़ की वृध्दि हुई जो कि 31 मार्च, 2010 के ₹51,344.28 करोड़ की राशि से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹ 64,209.62 करोड़ तक पहुंच गई जोकि 25.05% वृद्धि दर्शाती है.

2.3 बैंक के अग्रिमों में ₹ 9,441.96 करोड़ की वृध्दि हुई, जिससे बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च, 2010 को ₹35,721.41 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹ 45,163.37 करोड़ तक पहुंच गये, जो कि 26.42% की वृध्दि दर्शाते हैं.

2.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) साख में ₹1,136.32 करोड की वृद्धि हुई जोकि दिनांक 31 मार्च, 2010 की ₹. 5,647.37 करोड से बढकर 31 मार्च 2011 को ₹.6,783.69 करोड तक पहुंच गई जोकि 20.12% वृद्धि दर्शाती है.

2.5 रिटेल साख में ₹.755.68 करोड की वृद्धि हुई जोकि दिनांक 31 मार्च 2010 की ₹ 5,379.91 करोड से बढकर 31 मार्च 2011 को ₹.6,135.59 करोड तक पहुंच गई जोकि 14.05% वृद्धि दर्शाती है.

2.6 बैंक के एन.पी.ए खातों में वसूली प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं. वर्ष 2010 - 11 के दौरान नकद वसूली ₹ 191.05 करोड थी और खातों में उन्नयन ₹171.12 करोड था. बैंक ने बट्टे खाते डाले गए खातों में अब तक की सर्वाधिक वसूली ₹134.58 करोड की जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹.125.54 करोड वसूली हुई थी.

To, **The Members**

1. The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report along with the Audited Financial Statement of Accounts and the Cash Flow statement of the Bank for the year ended March 31, 2011.

2. Performance Highlights

2.1 Aggregate Business Mix (Deposits + Advances) of the Bank crossed the Milestone Mark of ₹1,00,000 Crore during the financial year ended 31st March, 2011. The total Business Mix of the Bank increased by ₹ 22,306.30 Crore to ₹ 1,09,372.99 Crore as on 31 March, 2011 from ₹ 87,066.69 Crore as on 31st March 2010, registering a growth of 25.62% .

2.2 Total Deposit of the Bank increased by ₹ 12,865.34 Crore from ₹ 51,344.28 Crore as on 31st March, 2010 to ₹ 64,209.62 Crore as on 31st March, 2011, registering a growth of 25.05%.

2.3 Advances of the Bank increased by ₹ 9,441.96 Crore from ₹ 35,721.41 Crore as on 31st March, 2010 to ₹ 45,163.37 Crore as on 31st March, 2011, registering a growth of 26.42%.

2.4 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Credit posted a growth of ₹ 1,136.32 Crore from ₹ 5,647.37 Crore as on 31st March, 2010 to ₹ 6,783.69 Crore as on 31st March, 2011, registering a growth of 20.12%.

2.5 Retail Credit posted a growth of ₹ 755.68 from ₹ 5,379.91 Crore as on 31st March, 2010 to ₹ 6,135.59 Crore as on 31st March, 2011, registering a growth of 14.05%.

2.6 Recovery efforts in NPA Accounts of the Bank yielded good results. Cash recovery during the year 2010-11 stood at ₹191.05 Crore and upgradation to the tune of ₹ 171.12 Crore. The Bank recorded an all time high recovery in written off accounts during the year at ₹ 134.58 Crore as against ₹ 125.54 Crore recorded during the previous year.

(₹ करोड में) (Amt in ₹ Crore)

विवरण Particulars	मार्च, 2010 की स्थिति As of March 2010	मार्च, 2011 की स्थिति As of March 2011
जमाएं Deposits	51,344.28	64,209.62
अग्रिम Advances	35,721.41	45,163.37
निवेश Investments	15,760.14	18,860.22
प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	11,718.00	15,150.00
कृषि Agriculture	4,826.22	6,389.38
रिटेल Retail	5,379.91	6,135.59
एम.एस.एम.ई. MSME	5,647.36	6,783.69
कुल एन पी ए Gross NPA	641.99	842.24
निवल एन पी ए Net NPA	427.53	548.95
कुल अग्रिमों में कुल एन पी ए का % % of Gross NPA to Gross Advances	1.80	1.86
निवल अग्रिमों में निवल एन पी ए का % % of Net NPA to Net Advances	1.21	1.22
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio	12.77	13.41

वर्ष 2010-2011 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2010-2011

3. आय का विश्लेषण

3.1 बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के ₹840.58 करोड में ₹383.21 करोड़ (45.59%) की वृद्धि दर्ज करते हुए, वर्ष के लिए ₹1223.79 करोड़ तक पहुंच गया.

3.2 वर्ष के लिए निवल लाभ ₹611.63 करोड़ तक पहुंच गया, जोकि पिछले वर्ष के निवल लाभ ₹ 511.25 करोड़ में ₹100.38 करोड़ (19.63%) की वृद्धि दर्शाता है.

वर्ष 2010-2011 के लिए बैंक के वित्तीय निष्पादन का सारांश निम्न प्रकार है:

3. Income Analysis

3.1 The Operating Profit of the Bank increased to ₹1223.79 Crore for the year from ₹ 840.58 Crore in the previous year registering an increase of ₹ 383.21 Crore (45.59%).

3.2 The Net Profit increased to ₹ 611.63 Crore for the year from ₹ 511.25 Crore in the previous year recording an increase of ₹ 100.38 Crore (19.63%).

The financial performance of the Bank for the year 2010-2011 is summarized below

(₹.करोड में)(Amt in ₹ Crore)

विवरण Particulars	मार्च, 2010 की स्थिति As of March 2010	मार्च, 2011 की स्थिति As of March 2011
परिचालन लाभ Operating Profit	840.58	1223.79
ब्याज आय Interest Income	4,010.36	5,033.53
ब्याज व्यय Interest Expenditure	2,910.33	3,270.16
निवल ब्याज आय Net Interest Income	1,100.03	1,763.37
गैर ब्याज आय Non Interest Income	588.63	533.84
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions and contingencies	329.32	325.20
कर पूर्व लाभ Profit before Tax	686.79	898.59
करों के लिए प्रावधान Provision for Taxes	175.54	286.96
निवल लाभ Net Profit	511.25	611.63

4. प्रमुख वित्तीय सूचक

कुछ प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिए हैं

4. Key Financial Indicators

Some of the Key Financial ratios are presented below:

(₹.करोड में)(Amt in ₹ Crore)

विवरण Particulars	मार्च, 2010 की स्थिति As on March 2010	मार्च, 2011 की स्थिति As on March 2011
निवल ब्याज मार्जिन Net Interest Margin	2.61	3.17
आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets	1.01	1.00
लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio	50.22	46.73
बेसल II के अंतर्गत सी.आर.ए.आर. CRAR under Basel II	12.77	13.41
एन पी ए कवरेज अनुपात(अनं.) भारतीय रिजर्व बैंक के नये दिशानिदेशों के अनुसार NPA Coverage Ratio (Prov) As per new RBI guidelines	78.61	74.62
जमाराशियों की लागत Cost of Deposit	6.21	5.76
निधियों की लागत Cost of Funds	6.31	5.87
अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advance	10.32	10.24
निधियों पर प्रतिफल Yield on Fund	8.47	8.62
इक्विटी पर प्रतिफल Return on Equity	23.55	26.71
प्रतिशेयर अर्जन Earning Per Share	17.83	21.26
बही मूल्य Book Value	84.04	123.85

वर्ष 2010-2011 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2010-2011

5. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने 68 नई शाखाएं खोली और बैंक की कुल शाखाओं की संख्या 1291 तक बढ गयी हैं . बैंक की सभी शाखाएं सी बी एस के अंतर्गत कार्यरत हैं.

6. बैंक के कुल ए टी एम की संख्या बढ़कर 496 हो गई, जिनमें 105 ऑफसाईट ए टी एम भी शामिल हैं .बैंक के ग्राहक शेयर्ड नेटवर्क में 70,000 ए टी एमो, भारत में 4.70 लाख से अधिक व्यापार संस्थाओं (एम.ई) तथा विदेश में 1 मिलियन से अधिक ए.टी.एमों और 26 मिलियन एम.ई. का उपयोग कर सकते हैं.

7. लाभांश

निदेशक मंडल को वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 2.20 प्रति शेयर अर्थात 22% अंतिम लाभांश की सिफारिश करते हुए प्रसन्नता हो रही है. लाभांश कर का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा. लाभांश के कारण कुल भुगतान की जाने वाली राशि, (लाभांश कर सहित) ₹ 85.53 करोड होगी.

8. निवल संपत्ति एवं सी आर ए आर

8.1 बैंक की निवल संपत्ति 31.3.2010 के ₹ 2,201.64 करोड़ के स्तर से बढ़कर दिनांक 31.3.2011 को ₹ 3,366.43 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई, जो कि ₹1,164.79 करोड़ (52.91%) की वृध्दि दर्शाती है.

8.2 मार्च 2011 को पूंजी का जोखिम (भारित) आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 13.41% है, जबकि मार्च 2010 में यह 12.77% था.

8.3 वर्ष के दौरान, बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹ 115.75 (₹ 105.75 के प्रीमियम सहित) के मूल्य पर ₹ 10/- अंकित मूल्य के कुल ₹ 539 करोड के 4.65 करोड ईक्विटी शयरों का आबंटन किया है. उपरोक्त आबंटन के कारण बैंक में भारत सरकार की धारिता 51.19% से बढकर 58.01% हुई है.

8.4 बेसल II के अंतर्गत बैंक की टीयर I पूंजी बढकर 9.77 % हो गई जोकि मार्च, 2010 में 8.16 % थी.

5. During the year 2010-11, the Bank opened 68 new Branches and Branch network of the Bank increased to 1291. All the branches of the Bank are covered under CBS.

6. The ATM Network of the Bank increased to 496, it includes 105 offsite ATMs. Bank's customers have access to 70,000 ATMs in the shared network, 4.70 Lacs plus Merchant Establishments (MEs) in India. World wide, our customers have access to more than 1 million ATMs and 26 million MEs.

7. Dividend

The Board of Directors are pleased to recommend dividend of ₹ 2.20 per share i.e., 22 % for 2010-11. The tax on dividend will be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend will be ₹ 85.53 Crore (including dividend tax).

8. Net Worth and CRAR

8.1 Net Worth of the Bank improved to ₹ 3,366.43 crore as on 31.03.2011 from ₹2,201.64 crore as on 31.03.2010, registering a growth of ₹ 1,164.79 Crore (52.91%).

8.2 Capital to Risk (Weighted) Asset Ratio (CRAR) as of March 2011 works out to 13.41% as compared to 12.77% as of March 2010.

8.3 During the year, the Bank allotted 4.65 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- at a price of ₹115.75 (including premium of ₹105.75) aggregating ₹539 crore to the Government of India on preferential basis. With the above allotment, Government of India holding in the Bank stands enhanced to 58.01% from 51.19%.

8.4 The Tier I capital of the Bank under Basel II is improved to 9.77% as against 8.16% as of March 2010.

	बेसल Basel I		बेसल Basel II	
	मार्च March 2010	मार्च March 2011	मार्च March 2010	मार्च March 2011
टीयर I पूंजी Tier- I Capital	6.80	8.04	8.16	9.77
टीयर II पूंजी Tier -II Capital	3.85	3.00	4.61	3.64
कुल Total	**10.65**	**11.04**	**12.77**	**13.41**

9. निदेशक मंडल में परिवर्तन

9.1 31 मार्च, 2011 को निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक, दोनों पूर्ण कालिक निदेशक तथा निम्न अनुसार छह अन्य निदेशक शामिल थे:-

- एक भारत सरकार का नामिती निदेशक
- एक भारतीय रिजर्व बैंक का नामिती निदेशक
- एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक
- तीन शेयर धारकों द्वारा चुने गये निदेशक

9.2 श्री चंद्र किशोर, भारतीय रिजर्व बैंक नामिती निदेशक, जो बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) द्वारा संशोधित, की धारा 9 की उप धारा

9. Changes in Board of Directors

9.1 The Board of Directors of the Bank, as on 31st March 2011, comprised of Chairman & Managing Director and Executive Director, both being whole-time Directors and six other directors as under:

- One Government of India Nominee Director
- One Reserve Bank of India Nominee Director
- One Officer Employee Director and
- Three Shareholders' elected Directors

9.2 Shri Chandra Kishore, Reserve Bank of India Nominee Director, appointed under Clause (c) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer

वर्ष 2010-2011 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2010-2011

(3) के खंड (सी) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 की उपधारा(1) के साथ पठित वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दिनांक 27 फरवरी,2007 से नियुक्त किए गए थे. दिनांक 29 जुलाई, 2010 से बैंक के निदेशक नहीं रहे. निदेशक मंडल श्री चंद्र किशोर द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

9.3 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से प्राप्त अधिसूचना सं.एफ.नं.9/2/2007-बी.ओ.आई.दिनांक 30 जुलाई, 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार, **श्री बी.पी.विजयेंद्र** को श्री चंद्र किशोर के स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 के खंड 3 की उपधारा(1) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप धारा (3), खंड (सी) के अधीन बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में नामित किया गया है.

9.4 डॉ. कमलेश कुमार गोयल, निदेशक जो कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (एच) के अधीन 04 फरवरी, 2009 से नियुक्त किए गये थे, उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर 03 फरवरी, 2011 से बैंक के निदेशक नहीं रहे. निदेशक मंडल डॉ. कमलेश कुमार गोयल द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रुप में उनके कार्यकाल के दौरान दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी सराहना करता है.

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं :

i) वार्षिक लेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानकों का पालन किया गया है.

ii) उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया एवं उनको निरंतर लागू किया तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक बैंक की सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत कर सकें एवं अवधि के लिए बैंक की लाभ या हानि की स्थिति दे सके.

iii) उन्होंने धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने हेतु भारत में बैंकों पर लागू विधि के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए समुचित एवं पर्याप्त देखरेख की है.

iv) उन्होंने वार्षिक लेखा, निरंतर कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया था.

11. आभार

11.1 निदेशक मंडल बैंक के अपने सम्मानित ग्राहकों, शेयरधारकों तथा शुभचिंतकों को बैंक की प्रगति में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करता है तथा भविष्य में उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करता है.

11.2 भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त समयोचित सलाह, महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए भी निदेशक मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है.

of Undertakings) Act, 1970/1980 (as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 read with Sub-clause (1) of Clause 3 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970/1980 w.e.f. February 27, 2007, ceased to be a Director of the Bank w.e.f. July 29, 2010. The Board of Directors place on record their appreciation for valuable guidance provided by Shri Chandra Kishore, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

9.3 In terms of Notification No. F.No.9/2/2007-B.O.I. dated 30th July, 2010 received from Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, **Shri B. P. Vijayendra** has been nominated as Director on the Board of the Bank under Clause (c), Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, in place of Shri Chandra Kishore.

9.4 Dr. Kamlesh Kumar Goel, Director, appointed under Clause (h) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 w.e.f. February 4, 2009, ceased to be a Director of the Bank from February 3, 2011 on completion of his tenure. The Board of Directors place on record their appreciation for valuable guidance provided by Dr. Goel, during his tenure as Director on the Board of the Bank.

10. Directors' Responsibility Statement

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2011, confirm the following:

i) That in the preparation of the annual accounts, the applicable standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

ii) That they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank during the period.

iii) That they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for preventing and detecting frauds and other irregularities.

iv) That they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

11. Acknowledgments

11.1 The Board of Directors expresses its patronage and sincere thanks to the Bank's valued customers, shareholders and well wishers for their valuable contribution towards the progress of the Bank and seek their continued support and co-operation in future.

11.2 The Board of Directors acknowledges with gratitude, the timely advice, valuable guidance and support received from Government of India and Reserve Bank of India.

वर्ष 2010-201 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT 2010-2011

11.3 निदेशक मंडल भारत सरकार को ₹ 539 करोड पूंजी प्रदान करने के विशेष धन्यवाद प्रकट करता है, जिससे बैंक 31 मार्च, 2011 को निर्धारित बेंचमार्क से अधिक टीयर - I सी.आर.ए.आर. बनाए रख सका.

11.4 निदेशक मंडल उन वित्तीय संस्थाओं तथा सहयोगी बैंकों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता है, जिन्होंने बैंक को सहयोग एवं समर्थन दिया है.

11.5 बैंक के कारोबार में प्राप्त प्रगति के लिए स्टाफ सदस्यों के सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के प्रति भी निदेशक मंडल हार्दिक आभार व्यक्त करता है, निदेशकगण त्वरित कारोबार विकास तथा बैंक की प्रगति में उनसे सतत् सहयोग की आशा रखते हैं.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 01.06.2011

(डी.एल.रावल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

11.3 The Board of Directors express special thanks to Government of India for infusing capital ₹ 539 crore and thus enabling bank to maintain a Tier I CRAR, as on 31st March, 2011, above the prescribed benchmark.

11.4 The Board of Directors are also thankful to the Financial Institutions / Banks and Correspondents for their cooperation and support to the Bank.

11.5 The Board of Directors wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution made by the staff, at all levels, for the progress achieved in Bank's business. The Directors look forward to their continued cooperation in faster business development and progress of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 01.06.2011

(D. L. Rawal)
Chairman & Managing Director

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. स्थूल आर्थिक परिदृश्य

2008-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी की छाया में विकसित आर्थिक व्यवस्थाओं में वर्ष 2009-10 को आर्थिक समुत्थान के रूप में देखा गया. यद्यपि, यह स्थिति वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रही, लेकिन यह नियमित नहीं रही क्योंकि यह 2010 की दूसरी तिमाही में कमजोर पड गयी और तीसरी तिमाही में इसने पुन: गति पकडी. मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में अशांति के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में भारी वृद्धि से खाद्य एवं अन्य पण्यों के मूल्यों में हुई बढोतरी के कारण मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ी. इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर को कायम रखने में भी खतरा बना रहा. यद्यपि अमरीका में कार्पोरेट पूंजी व्यय एवं रिटेल बिक्री में सुधार हुआ, यूरो क्षेत्र एवं जापान में अनिश्चितता बनी रही. जापान में प्राकृतिक विपदा के कारण हुए स्थूल आर्थिक परिणामों का अनुमान लगाना शेष है. एक बार स्थिति सामान्य हो जाने पर, पुनर्निर्माण पर होनेवाले व्यय से अर्थव्यवस्था में सुधार होने का अनुमान है. यदि जापान न्यूक्लियर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेता है तो पेट्रोलियम कीमतों पर दबाव आने का अनुमान है. बढ़ी हुई घरेलू मांग के कारण विश्व की उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने व्यापक वृद्धि दर्ज की है. तथापि, इन अर्थव्यवस्थाओं पर मुद्रास्फीति का दबाव बना हुआ है , क्योंकि उत्पादन का अंतर घट गया है जिससे खाद्य, ऊर्जा एवं वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि हुई.

भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसने संकट पूर्व अवधि में लगभग 9% की विकास दर दर्ज की थी, 2010-11 के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के पूर्व अनुमान के अनुसार उसमें 8.6% दर पर वृद्धि की संभावना है. सामान्य मानसून के कारण कृषि ने विकास दर में योगदान दिया , उद्योग और सेवा क्षेत्र में सीमांत गिरावट रिकार्ड की गई. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.) में अस्थिरता बने रहने के बावजूद कार्पोरेट बिक्री, ऋण वितरण एवं कर वसूली में सुधार दर्ज किया गया. ईंधन एवं पण्यों के उच्च मूल्य के कारण निजी उपभोग एवं बाहरी मांग में उछाल ने वृद्धि दर जारी रखी.

आर्थिक व्यवस्था के समग्र कार्यनिष्पादन में कृषि क्षेत्र में वृद्धि एक मुख्य कारक के रूप में जारी रही. पिछले वर्ष में सूखे के बाद, संतोषजनक वर्षा एवं बांधों में पानी रहने के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई. पूर्व अनुमान के अनुसार, वर्ष 2010-11 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 10.4 प्रतिशत बढोतरी होगी. रबी फसल के संबंध में बुआई के अंतर्गत अधिक क्षेत्र एवं बांधों की सुधरी स्थिति के कारण गेंहू, रबी, दालें एवं तिलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में बढोतरी होने का अनुमान है. यद्यपि कृषि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि सुदृढ़ हुई और मानसून भी लगभग सामान्य रहा, जनसंख्या की तुलना में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता से खाद्यान्न पर मुद्रास्फीति का दबाव कम नहीं हुआ.

प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन ने 10.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जोकि अप्रैल-फरवरी 2011 के दौरान समग्र रूप में 7.8 रही. यह मुख्यत: विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में हुए बेहतर निष्पादन से संभव हुआ. अस्थिर वृद्धि दर वित्त वर्ष के प्रारंभ में 16.6% रही और नवंबर 2010 तक 2.7% तक गिर गई. अप्रैल - फरवरी 2010-11 के दौरान वर्ष 2009-10 की इसी अवधि की तुलना में खनन, विनिर्माण तथा बिजली क्षेत्रों में वृद्धि दर क्रमश: 6.5%, 8.1% तथा 5.4% रहीं. मध्य पूर्व एवं उत्तर अफ्रीका में अनिश्चितता ने अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर दबाव डाला जोकि एक अधोमुखी जोखिम है क्योंकि इससे कई उद्योगों की निर्माण लागत में वृद्धि हुई. तथापि, विनिर्माण पी.एम.आई, कर वसूली, कार्पोरेट बिक्री, ऋण वितरण तथा निर्यात आदि सूचकांक यह दर्शाते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप सुदृढ़ थे.

सेवा क्षेत्र, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख भाग है, ने व्यापार, होटल,

1) Macro-economic Scenario

In the aftermath of the Global Economic slump of 2008-2009, the recovery momentum witnessed in 2009-2010 in the advanced economies, though sustained during 2010-11, was not consistent as it weakened in the second quarter of 2010 before bouncing back in the third quarter. The sharp increase in oil prices consequent to the turmoil in the Middle East and North Africa fueled the inflation concerns with elevated food and other commodity prices, continue to threaten the maintenance of growth rate in global economy. While the corporate capital spending and retail sales has improved in US, uncertainty persists in EURO zone and Japan. The macroeconomic consequences resulting from the natural disaster in Japan are yet to be estimated. The expenditure on reconstruction is expected to boost the economy once normalcy is restored. The petroleum prices are likely to be under pressure if Japan decides to replace nuclear energy with thermal energy. The Emerging Market Economies world over have registered strong growth, mainly driven by huge domestic demand. However, these economies continue to remain under inflationary pressures as the output gaps have narrowed resulting in sharp increases in food, energy and commodity prices.

Indian economy which had registered a GDP growth of near 9 % in the pre crisis period is, as per advance estimates of Central Statistical Organization for 2010-2011, expected to grow at the rate of 8.6%. Agriculture, benefited from the normal monsoon, contributed to the growth, Industry and Services recorded marginal deceleration. In spite of volatility in the Index of Industrial Production (IIP), improved corporate sales, credit off take and tax collections were reported. The buoyancy in private consumption and external demands had balancing effect due to high fuel and commodity prices.

Growth of Agriculture sector continues to be a critical factor in the overall performance of the economy. After the draught in the preceding year, the Agriculture production rebounded during 2010-11 with satisfactory monsoon and reservoir positions. As per the Advance Estimates, total kharif food grain production during 2010-11 is estimated to be 10.4 per cent higher than the previous year. With regard to the rabi crop, greater area under sowing and improved reservoir positions, production of wheat, rabi pulses and oilseeds is expected to be higher than the previous year. Although the year on year growth in agriculture has been strong and monsoon also has been near normal, the stagnation in per capita availability of food grains, vis a vis population, has not eased the pressure on food inflation.

The industrial production registered a growth of 10.4 per cent during the first half year which was moderated to an overall 7.8 per cent during April-February 2010-11. This has been mainly on account of the performance of the manufacturing and mining sectors. The volatile growth rate witnessed ranging between 16.6 percent at the beginning of the fiscal to 2.7 per cent in November 2010. Growth during April- February, 2010-11 over the corresponding period of 2009-10 in mining, manufacturing and electricity sectors have been 6.5%, 8.1% and 5.4% respectively. Uncertainties in Middle East and North Africa exert pressure in international oil prices, which is a downside risk as it push-up the input cost of many industries. Nevertheless, the indicators such as manufacturing PMI, tax collections, corporate sales, credit off-take and exports indicate that economic activity was strong.

Services sector, which has the dominant share in GDP, has

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

रेस्टॉरेंट, परिवहन, भंडारण एवं संचार तथा वित्तीयन, बीमा, रियल एस्टेट एवं कारोबारी सेवाओं द्वारा गति बनाये रखी. वर्ष 2010-11 के दौरान सेवा क्षेत्र में हुई वृद्धि क्रमिक रूप में पूरे वर्ष जारी रही . विभिन्न प्रमुख सूचकांकों जिनमें वाणिज्यिक वाहन उत्पादन, सेल फोन कनेक्शन, एयर कार्गो तथा वर्ष के दौरान घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों पर यात्रियों की संख्या ने वृद्धि में निरंतरता दर्शाई.

वर्ष 2010-11 के दौरान मुद्रास्फीति चिंता का प्रमुख कारण बनी रही जोकि खाद्यान्न कीमतों में वृद्धि तथा वर्ष के अंत तक ईंधन की कीमत में वृद्धि के कारण थी. 1 जुलाई, 2010 से बैंकों द्वारा वाणिज्यिक ऋणों पर ब्याज दरें आधार दर से संबद्ध की गई ताकि नीति विषयक दरें अधिक पारदर्शी हैं.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक का नीति वक्तव्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर 2009 में संकटग्रस्त विस्तारित मौद्रिक नीति से बाहर आना शुरू किया था. तब से उसने संचित आधार पर सी आर आर को 100 आधार बिंदुओं से तथा तरलता समायोजन नीति के अंतर्गत रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों को क्रमश: 200 एवं 250 आधार बिंदुओं से बढाया है. इसके परिणामस्वरूप, प्रणाली में समग्र तरलता स्थिति अधिकता से कमी की ओर बदली है. मौद्रिक नीति में यह उपाय वैश्विक अनिश्चितता के संदर्भ में भारत विशिष्ट वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए किया गया .

भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर यह सूचित करती है कि नीति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने पर बल दिया जाना चाहिए . इस वातावरण में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति वक्तव्य का उद्देश्य है क:

- ब्याज दर का ऐसा परिदृश्य रखा जाए जो मुद्रास्फीति को संतुलित करे और मुद्रास्फीति अनुमानों को स्थिर बनाये रखे.

- मूल्य स्थिरता का ऐसा माहौल विकसित करे जो वित्तीय स्थिरता के साथ मध्य अवधि में मुद्रास्फीति अनुमानों को स्थिर रख सके.

- तरलता का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि वह व्यापक रूप में न तो अधिक मुद्रा प्रसार करे और न ही निधि प्रवाह में बाधा डाले .

2.5 ब्याज दरों की प्रवृत्ति

भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को निरंतर सामान्य बनाने के प्रयास में सफल रहा जोकि सकल घरेलू उत्पाद में हुई संतुलित वृद्धि में प्रतिबिंबित होता है. तथापि, तरलता स्थिति तंग रही जो भारतीय रिजर्व बैंक को तरलता उदार उपाय करने को बाध्य करती है. वर्ष के दौरान मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण हुआ, तरलता में कमी के कारण बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे जमा एवं उधार की दरों में वृद्धि हुई. रिजर्व बैंक ने रेपो एवं खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से बडी मात्रा में प्राथमिक तरलता प्रदान की. यह अर्थव्यवस्था में तरलता कम होने के जोखिम को बचाने के लिए आवश्यक था, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता था.

भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति उपाय एवं रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों में वृद्धि के प्रत्युत्तर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) ने मार्च 2010-जनवरी 2011 के दौरान विभिन्न परिपक्वताओं में 25-250 आधार बिंदुओं के दायरे में जमा दरों में वृद्धि की है. जुलाई 1, 2010 से बेंच मार्क मूल उधार दर प्रणाली के स्थान पर आधार दर प्रणाली आरंभ की गई है. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अपने आधार दरों की समीक्षा की और उसमें जुलाई 2010 एवं जनवरी 2011 के बीच 25 -100 आधार बिंदु तक वृद्धि की.

maintained its momentum led by trade, hotel, restaurant, transport, storage and communication and financing, insurance, real estate and business services. The service sector growth during 2010-11 has shown gradual acceleration through out the year. The strong growth of various lead indicators, include commercial vehicles production, cell phone connections, air cargo and passengers handled at domestic and international terminals during the year have shown continuation in the growth.

Inflation continued to remain the major concern throughout the year 2010-11, largely driven by food items, fuel generalized as the year progressed. Interest rates on commercial credit by Banks were linked to Base Rate with effect from July 1, 2010 so as to reflect greater transmission of policy rates.

2. Reserve Bank of India Policy Stance

Reserve Bank of India initiated to exit from the crisis driven expansionary monetary policy as early as October 2009. Since then, it has cumulatively raised the CRR by 100 bps, and the repo and reverse repo rates under the Liquidity Adjustment facility by 200 and 250 bps, respectively. As a result the overall liquidity in the system has transited from a surplus to a deficit mode. This monetary policy response was keeping in view India specific growth-inflation dynamics in the broader context of global uncertainty.

The Indian Economy growth inflation dynamics indicate that the policy has to concentrate on containing the escalation in inflation. In this scenario, the Reserve Bank of India stance of the monetary policy is intended to :

Maintain an interest rate environment that moderates inflation and anchors inflation expectations.

Foster an environment of price stability that is conducive to sustaining growth in the medium term coupled with financial stability.

Manage liquidity to ensure that it remains broadly in balance with neither a large surplus diluting monetary transmission nor a large deficit choking off fund flows.

2.5 Movement of Interest Rates

Reserve Bank of India in its intent of maintaining non disruptive normalization of the monetary policy has been successful as it is reflected in the return of the robust growth in the GDP. However, the liquidity conditions remained tight warranting liquidity easing measures by the Reserve Bank. The normalization of monetary policy during the year, the tightness in liquidity prompted competition among banks, leading to higher deposit and lending rates. The Reserve Bank injected large primary liquidity through repo and open market operations. This was necessary to avoid the risk of liquidity stress adversely impacting the real economy.

In response to the monetary policy measures of Reserve Bank of India and increase in repo and reverse repo rates, scheduled commercial Banks (SCBs) raised deposit rates in the range of 25-250 basis points during March 2010 – January 2011 across various maturities. With effect from July 1, 2010 the Benchmark Prime Lending Rate system was replaced by the Base Rate system. The schedule commercial Banks reviewed and increased their Base Rates by 25 -100 basis points between July 2010 and January 2011.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

3. बैंकिंग उद्योग की प्रवृत्तियाँ

वर्ष दर वर्ष आधार पर खाद्येतर साख में 20% की वृद्धि हुई जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानित स्तर से अधिक है. मार्च 2011 को साख में वृद्धि 21.38% रही जबकि जमाओं में वृद्धि 15.84% रही. इसके फलस्वरूप साख वृद्धि एवं जमा वृद्धि में भारी अंतर आया. जमा वृद्धि एवं साख वृद्धि के बीच ढांचागत असंतुलन एवं मुद्रास्फीति निरोधक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अंदरूनी संकेतों को पहचानते हुए बैंकों ने उधार दरों को बढाते हुए जमा संग्रहण में सुधार लाने हेतु अपनी जमा दरों को भी बढाया है जिससे भविष्य में सकल मांग नियंत्रण में रहने की संभावना है.

4. बैंक का कारोबारी निष्पादन

4.1 पिछले दो वर्षों का बैंक का कुल कारोबार संमिश्र निम्नप्रकार है :-

3. Banking Industry Trends

Year on Year, the non food credit growth has been 20%, which is above the projected level of Reserve Bank of India. As on March 2011 credit growth was 21.38% whereas the deposit growth was 15.84%. This resulted in wide gap between Credit Growth and Deposit growth. Recognizing the structural imbalance between deposit growth and credit growth as well as the underlying signals of the anti-inflationary monetary policy stance, banks raised their deposit rates to improve deposit mobilization while raising the lending rates, which could be expected to moderate the aggregate demand, going forward.

4. Business Performance of the Bank

4.1 The composition of Total Business Mix of the Bank for the last two years is as under:

(करोड़ में) (Amt in Crs.)

विवरण Particulars	31 मार्च 2010 की स्थिति As at March 31, 2010	31 मार्च 2011 की स्थिति As at March 31, 2011
कुल जमा राशियां Total Deposits	51,344.28	64,209.62
कुल अग्रिम Total Advances	35,721.41	45,163.37
कुल कारोबार संमिश्र Total Business Mix	87,066.69	1,09,372.99

4.2 बैंक का संमिश्र कारोबार मार्च 2010 में ₹87,066.36 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 में ₹1,09,372.99 करोड़ की नई ऊंचाई तक पहुँच गया जो कि 25.62% की वृद्धि दर्शाता है. बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 1 लाख करोड के कारोबार का कीर्तिमान पार कर लिया है.

4.3 कुल जमा राशियां 2010-11 के अंत में ₹ 64,209.62 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई जो कि पिछले वर्ष के स्तर ₹ 51,344.28 करोड़ में 25.05% की वृद्धि दर्शाती हैं.

4.4 बैंक के कुल अग्रिम मार्च 2011 के अंत में ₹ 45,163.37 करोड़ तक पहुँच गए जो कि पिछले वर्ष के ₹ 35,721.41 करोड़ के स्तर में 26.42% की वृद्धि दर्शाते हैं.

5. जमा संग्रहण

5.1 वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न वर्गों की जमा राशियों में ₹.12,864.17 करोड़ की वृद्धि हुई. वित्त वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लिए जमा राशियों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :

4.2 Business Mix of the Bank has increased from ₹ 87,066.36 crore as of March 2010, to a new Height of ₹1,09,372.99 crore as of March 2011, registering a growth of 25.62%. Bank has crossed the landmark business of ₹ 1 Lac crore during the year.

4.3 Total Deposits have grown to the level of ₹64,209.62 crore as of March 2011 as compared to ₹ 51,344.28 crore as of March 2010, registering a growth of 25.05%.

4.4 Total Advances of the Bank stood at ₹ 45,163.37 crore as of March 2011 as compared to ₹ 35,721.41 Crore as of March 2010, registering a growth of 26.42%.

5. Deposits Mobilisation

5.1 The incremental growth in different segments of Deposit was to the extent of ₹12,864.17 Crore during the FY 2010-11. A comparative position of Deposits for the FY 2009-10 and 2010-11 is as under:

(₹ करोड़ में) (Amt ₹ in Crs)

मापदंड PARAMETERS	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2010 March 2011
चालू Current	4507 (9.07%)	5419 (8.74%)
बचत Savings	13813 (27.82%)	17325 (27.94%)
सावधि Term	31337 (63.11%)	39241 (63.31%)
कुल जमा राशियां Aggregate Deposits	49657	61985
अंतर बैंक जमा राशियां Inter Bank Deposits	1687	2225
कुल जमा राशियां Total Deposits	51344	64210
कुल जमाओं में चा.खा./ब.खा. (%) CASA to Total Deposits	35.68%	35.42%

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े कुल जमा राशि में प्रतिशत जमा राशि का संकेत करते हैं)

(Figures in bracket indicate percentage deposits to aggregate deposits)

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

5.2 वर्ष 2010-11 के दौरान कुल जमा राशियों में चालू खाता बचत खाता जमाओं का अंश पिछले वर्ष के 35.68% के स्तर से थोडा घटकर 35.42% हो गया. पिछले वर्ष के 23.01% की तुलना में वर्ष के दौरान चालू खाता बचत खाता जमाओं में 24.15% की वृद्धि हुई.

6. साख अभिनियोजन एवं सुपुर्दगी.

पश्चिमी देशों में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार के अनुसार वर्ष 2010-11 ने संघटीकरण देखा है. अर्थव्यवस्था में हुए सुदृढ पुनरुत्थान से विभिन्न क्षेत्रों से ऋण की मांग बढी है जिनमें शामिल हैं कृषि, रिटेल, एम.एस.एम.ई., मूलभूत सुविधाएं आदि. निवेश की मांग सुदृढ रहने के कारण, बैंकिंग प्रणाली से निधियों की मांग को बढावा मिला और वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से साख में 21.38% की वृद्धि हुई.

बैंक ने विवेकपूर्ण साख प्रबंधन पर अपनी नीति के अनुसार अपने गुणात्मक आस्ति आधार का विस्तार किया है. बैंक के अग्रिमों में मार्च 2010 के ₹35,721.41 करोड के स्तर में ₹ 9,441.59 करोड की वृद्धि हुई जिससे वे बढकर मार्च 2011 को ₹45,163.37 करोड के स्तर तक पहुँच गये जोकि 26.43% वृद्धि दर दर्शाते हैं. वर्ष के दौरान जोखिम विविधीकरण की रणनीति के अनुसार मूलभूत सुविधाओं , एम.एस.एम.ई., कृषि एवं रिटेल क्षेत्र के अंतर्गत अधिक ऋण देने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

Share of CASA Deposits to Total Deposits during 2010-11 marginally declined to 35.42% from 35.68% in the previous year. During the year, CASA increased by 24.15 % as compared to 23.01 % in the previous year.

6. Credit Deployment and Delivery

2010-11 witnessed a year of consolidation in line with recovery of economy in western countries. Robust economic revival has translated in to surging credit demand from various segments viz. Agriculture, Retail, MSME, Infrastructure etc. With investment demand remaining strong, demand for funds from the banking system has received a fillip and credit growth from banking sector surged to 21.38 % during 2010-11.

The Bank expanded its quality asset base in line with its policy on prudent credit management. The advances of the bank increased by ₹9441.59 crore from ₹ 35721.41 crore as on 31.03.10 to ₹ 45163.37 crore as on 31.03.11, registering a growth of 26.43%. During the year, focused attention was given for accelerated lending under Infrastructure, MSME, Agriculture and Retail sectors, strategically with policy of risk diversification.

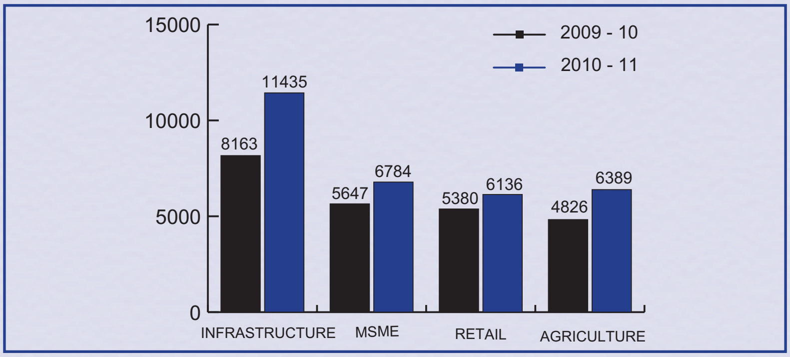

बैंक ऋण के क्षेत्रवार वितरण के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, एम.एस.एम.ई. कृषि आदि को प्रमुखता देते हुए पिछले वर्ष के 28.41% की तुलना में उद्योग को दिये गये ऋणों में 31.15% वृद्धि हुई. मूलभूत सुविधाओं , एम.एस.एम.ई., रिटेल और कृषि ऋणों में क्रमश: 40.09%, 20.12%, 14.05% तथा 32.39% की वृद्धि हुई. रिटेल एवं कार्पोरेट संविभाग के अंतर्गत बैंक के विभिन्न ऋण उत्पादों के गहन विपणन के माध्यम से साख में वृद्धि हुई. वर्ष के दौरान बडे मूल्य के थोक संविभाग में व्यापक अवसरों को प्राप्त करने हेतु कार्पोरेट कार्यालय में `ऋण समूहन कक्ष' स्थापित किया गया है. इस कक्ष का उद्देश्य यह है कि बडे एवं प्रमुख कार्पोरेट हाउसों के बडे मूल्य की गुणात्मक परियोजनाओं का समूहन, मूल्यांकन तथा सहभागिता के साथ समूहन किया जाए. समूहन कक्ष में विशिष्ट निपुणता के साथ सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं.

बैंक ने शीघ्र निपटान के साथ एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न विशिष्ट ऋण वितरण शाखाएं खोली है जैसे प्रमुख केंद्रों यथा, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, कोलकाता एवं अहमदाबाद में कार्पोरेट कारोबार शाखाएं (सी बी बी) तथा औद्योगिक वित्त शाखाएं (आई एफ बी), एम.एस.एम.ई.अग्रिमों के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र, रिटेल उत्पादों के लिए रिटेल आस्ति शाखाएं खोली हैं.

As per sectoral deployment of the Bank, lending to industry grew by 31.15% compared to 28.41% in the previous year, led by infrastructure, MSME, agriculture etc. The growth in Infrastructure, MSME, Retail and Agriculture advance has been 40.09%, 20.12%, 14.05% and 32.39% respectively. The growth in credit was achieved through intense marketing of various loan products of the bank both under retail and corporate segments. During the year, bank established ‘Debt Syndication Cell” at Corporate Office to leverage vast opportunity in large value wholesale segment. The aim of the cell is to syndicate high value quality projects of large and reputed corporate houses, appraisal and syndication with participation. The syndication cell has been equipped with all required infrastructure facilities with specialized skills.

In order to provide single window facility with speedy disposal, the bank opened various specialized credit outlets viz. Corporate Business Branches (CBBs) & Industrial Finance Branches (IFBs) at major centers viz. New Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata & Ahmedabad, centralized processing centre for MSME advances, Retail Asset Branches for retail products.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

मूलभूत सुविधाओं के लिए ऋण

2010-11 के केंद्रीय बजट में भौतिक मूलभूत सुविधाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है. 2011-12 में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए ₹.2,140 बिलियन का आबंटन किया गया है जोकि 2010-11 से 23.3% अधिक है.

राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ बैंक ने मूलभूत सुविधाओं के वित्तीयन में सक्रियता से भाग लिया है. 2010-11 के दौरान बैंक ने मूलभूत संरचना क्षेत्र को 34.65% का वृद्धिशील ऋण प्रदान किया है. मूलभूत सुविधा क्षेत्र को बैंक के ऋण 31.3.2010 के ₹ 8,162.73 करोड से बढकर 31.03.11 को ₹. 11,434.89 करोड हो गये और इस प्रकार वर्ष दर वर्ष की वृद्धि 40.09% रही. मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत क्षेत्रवार वितरण निम्नप्रकार रहा:

Infrastructure Lending

In Union Budget 2011-12, physical infrastructure has been accorded prime importance. An allocation of ₹ 2140 billion has been made for infrastructural development in 2011-12, which is 23.3% higher than in 2010-11.

With it's commitment towards nation building, the bank has been actively participating in infrastructure financing. During 2010-11, bank deployed 34.65% of the incremental credit to infrastructure sector. The bank's exposure to infrastructure sector increased from ₹8162.73 crore as on 31.03.10 to ₹11434.89 crore as on 31.03.11, thereby showing a YoY growth of 40.09%. The sectoral deployment under infrastructure credit has been as under:

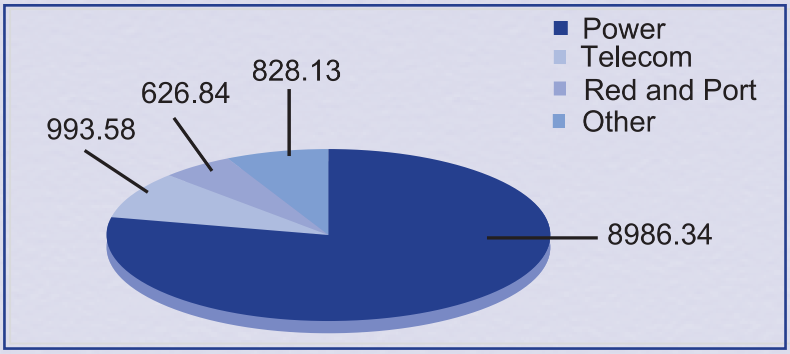

ऋण निगरानी एवं आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने आस्तियों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ निगरानी प्रणाली स्थापित की है.

7. प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

7.1 प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण प्रदान के साथ बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निरंतर निर्वहन कर रहा है. बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान बहु उन्मुखी योजनाएं अपनायी. मार्च 2010 के ₹11718 करोड़ की तुलना में बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम मार्च 2011 में बढ़कर ₹15150 करोड़ तक पहुँच गए, जो कि पिछले वर्ष के बाद 29.29% की वृद्धि दर्ज करते हैं. मार्च 2011 में समायोजित निवल बैंक साख में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का अनुपात नियामक दिशानिदेशों के 40% की तुलना में 42.41% रहा.

7.2 कृषि उधार

सरकार के कृषि उधार पैकेज के अनुसरण में बैंक कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए लगातार आवश्यक उपाय कर रहा है.

वर्ष के दौरान कृषि उधार मार्च 2010 के ₹4,826 करोड़ (भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिदेशों के अनुसार) के स्तर से बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 6,389 करोड़ हो गए, जो 32% की वृद्धि दर्शाता है. बैंक के समायोजित निवल उधार में कृषि बकाया उधार का अनुपात 16.20% था.

7.3 विशेष कृषि साख योजना के अंतर्गत प्रगति

बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1750 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में विशेष ऋण योजना के अंतर्गत 116.31% लक्ष्य प्राप्ति दर्ज करते हुए ₹ 2035.41करोड़ वितरित किए. कृषि को ऋण प्रवाह ₹.1625.74 करोड़ बनता है, जो 46545 नए किसानों को लाभ पहुंचाते हुए प्रत्यक्ष कृषि के अंतर्गत प्रदान किया गया.

Credit Monitoring & Asset Quality

The Bank has put in place robust monitoring system for ensuring good quality of assets.

7. Advances to Priority Sector:

7.1 The Bank has been consistently fulfilling its social obligations in respect of priority sector lending. The Bank has adopted multi pronged strategies during the year, to augment credit flow to this sector. Priority Sector Advances of the Bank have thus increased from the level of ₹11,718 Crore as of March, 2010 to ₹15,150 Crore as of March, 2011, registering a growth of 29.29%. The ratio of priority sector advances to Adjusted Net Bank Credit stood at 42.41% as of March, 2011 against the regulatory guidelines of 40%.

7.2 Lending to Agriculture

In line with the Government's Farm Credit Package, the Bank has been continuously taking necessary measures to step up the flow of credit to agriculture.

During the year, the outstanding under agriculture credit increased from the level of ₹ 4,826 Crore as of March, 2010 (as per revised guidelines of RBI) to ₹ 6,389 Crore as of March 2011, registering a growth of 32%. The outstanding exposure under agriculture credit represented 16.20% of the Adjusted Net Bank Credit.

7.3 Progress under Special Agricultural Credit Plan

The Bank has disbursed ₹2035.41 crore during the year 2010-11 under Special Agriculture Credit Plan as against the target of ₹1750.00 Crore thus registering 116.31% achievement. The flow of credit to agriculture amounting to ₹1625.74 Crore was channelised under direct agriculture benefiting 46545 new farmers.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7.4 . देना किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 363.17 करोड़ के 39942 नए किसान क्रेडिट कार्ड (के सी सी) जारी किए हैं, जिससे वर्ष के अंत में बैंक द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या 187165 तथा ऋण विस्तार ₹ 2107.54 करोड़ हो गया है.

7.5 सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (एम आई एस) के अंतर्गत प्रगति

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए बैंक ने मेसर्स गुजरात ग्रीन रिवोल्युशन कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के संस्थापन के लिए 2941 किसानों को कुल ₹43.91 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं.

7.6 भारत सरकार की 2% ब्याज अनुदान योजना के तहत किसानों को राहत

बैंक ने भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत फसल ऋण के लिए 2009-10 के दौरान 2% ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹20.85 करोड एवं 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹ 4.40 करोड़ की कुल ब्याज राहत स्वीकृत की है.

इसी प्रकार बैंक ने 2010-11 के दौरान वितरित फसल ऋण के लिए 1.5% ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹ 14.06 करोड एवं 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान के अंतर्गत ₹ 4.37 करोड़ जमा किये हैं.

7.7 किसान क्लबों की स्थापना

बैंक ने वर्ष के दौरान 117 नए किसान क्लबों की स्थापना में सहायता प्रदान की है जिससे वर्ष के अंत में इनकी कुल संख्या 1640 हो गई है. यह उल्लेख करना उचित होगा कि गुजरात राज्य में खेडा जिले की हमारी महुधा शाखा द्वारा प्रोन्नत देना सिंघाली किसान क्लब ने गुजरात राज्य में उत्तम निष्पादक किसान क्लब के रूप में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है.

7.8 स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) को वित्तीयन

मार्च 2011 तक बैंक द्वारा साख संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़कर 22364 तक पहुँच गई जिनमें ₹ 89.05 करोड़ की रकम शामिल है. मार्च 2010 को साख संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संख्या 19461 थी जिनमें ₹ 73.95 करोड की रकम शामिल है. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 4796 नये स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोडा गया है.

7.9 महिलाओं को ऋण प्रवाह

मार्च 2010 के ₹1,579.35 करोड़ के स्तर की तुलना में महिलाओं को ऋण प्रवाह का स्तर मार्च 2011 में बढ़कर ₹ 2,042.65 करोड़ हो गया है, जिससे इसमें 29.34% की वृद्धि दर्ज हुई है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित 5% लक्ष्य की तुलना में महिलाओं को बकाया ऋण प्रवाह समायोजित निवल बैंक ऋण का 5.72% है. महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता लाने के लिए बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए.

7.10 कमजोर वर्गों को अग्रिम

प्राथमिकता क्षेत्र में हो रहे विकास के साथ-साथ कमजोर वर्गों के अग्रिमों में भी वृद्धि हुई है. मार्च, 2010 में इन अग्रिमों का स्तर ₹ 2,049.54 करोड़ था, जो मार्च 2011 में बढ़कर ₹ 2,689.85 करोड़ हो गया, जो कि 31.24% की वृद्धि दर्शाता है. कमजोर वर्गों को बैंक का अग्रिम समायोजित निवल बैंक साख का 7.53% रहा.

7.4 Dena Kisan Credit Cards

The Bank has issued 39942 fresh Kisan Credit Cards (KCCs) involving credit assistance of ₹363.17 Crore during the year, taking the total number of KCCs to 187165 involving an outstanding credit of ₹2107.54 Crore, as at the end of the year.

7.5 Progress under Micro Irrigation Systems (MIS):

In order to promote Micro irrigation system, the Bank has financed 2941 farmers aggregating to ₹43.91 Crore for installation of Micro Irrigation System in collaboration with M/s Gujarat Green Revolution Company Ltd.

7.6 Relief to Farmers under Govt. of India's 2% interest Subvention Scheme:

Under the Interest subvention Scheme of GOI, the Bank has provided ₹20.85 Crore under 2% interest subvention and ₹4.40 Crore under 1 % additional interest subvention for the crop loans disbursed during 2009-10.

Similarly, Bank has credited ₹14.06 Crore under 1.5 % interest subvention and ₹4.37 Crore under 2% additional interest subvention for the crop loans disbursed during 2010-11.

7.7 Formation of Farmers' Clubs :

The Bank facilitated formation of 117 new farmers clubs during the year, taking the total number of farmers clubs to 1640 at the end of the year. It is noteworthy to mention that Dena Singhali Farmers Club promoted by our Mahuda branch of Kheda district in the state of Gujarat has received the National Award at the Hands of Hon'ble Union Finance Minister as the best performing Farmers Clubs in the state of Gujarat.

7.8 Financing to Self Help Groups (SHGs) :

The cumulative number of SHGs credit linked by the bank increased to 22364 involving ₹89.05 Crore as of March 2011 against 19461 SHGs involving ₹73.95 Crore as of March, 2010. During the year 4796 new SHGs have been credit linked by the Bank.

7.9 Credit Flow to Women :

The aggregate credit flow to women has increased from a level of ₹1,579.35 Crore as of March 2010 to a level of ₹ 2,042.65 Crore as of March, 2011, registering a growth of 29.34%. The outstanding credit flow to women constituted 5.72% of the Adjusted Net Bank Credit as against a target of 5% set by the Govt. of India. With a view to create awareness on women empowerment, the Bank organized a number of events on the International Women's Day.

7.10 Advances to weaker section

Consistent with the growth in priority sector advances, the advances to the weaker section increased from a level of ₹2,049.54 Crore as of March 2010 to ₹2,689.85 Crore as of March 2011, registering a growth of 31.24 %. The Bank advances to Weaker Section stood at 7.53% of the Adjusted Net Bank Credit.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7.11 अनुसूचित जाति / जनजाति को अग्रिम

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिमों का कुल स्तर मार्च, 2010 में ₹ 615.88 करोड़ था जो मार्च, 2011 में बढ़कर ₹ 753.15 करोड़ हो गया, जो 22.29% की वृद्धि दर्शाता है. अजा / अजजा को अग्रिमों का हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों का 4.97% है.

7.12 सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजना के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा :

लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए बैंक लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए साख गारंटी निधि न्यास (सी.जी.टी.एम.एस.ई) की गारंटी योजना के अंतर्गत सहभागिता कर रहा है. उद्यमियों का भार कम करने के लिए बैंक गारंटी शुल्क का 50% भी वहन कर रहा है. वर्षांत में ₹ 235.66 करोड़ के 4550 मामलों को इस योजना के तहत गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई है.

7.13 स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जी.जे.आर.एच.एफ.एस)

ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी इकाइयों को वित्तपोषण करने के उद्देश्य से बैंक स्व.ज.ग्रा.आ.वि. योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने 1766 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 50.46% तक लक्ष्य प्राप्ति की.

7.14 देना सूर्य ऊर्जा योजना

बैंक गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आई आर ई डी ए) के साथ गठबंधन के तहत घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक सेक्टर को ब्याज की कम दरों पर वित्त प्रदान कर रहा है. योजना के अंतर्गत 504 लाभार्थियों को ₹1.95 करोड का वित्त प्रदान किया गया.

7.15 अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूची कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक के अग्रिम 50.11% वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2010 के ₹.932.89 करोड से बढकर मार्च 2011 को ₹1400.37 करोड़ हो गये हैं जो कि प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 9.24% है.

7.16 सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

भारत सरकार ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार अवसर सृजित करने के लिए दिनांक 01.04.2008 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) को मिलाकर प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) नाम से नयी योजना की शुरूआत की है.

बैंक गरीबी उन्मूलन तथा स्वरोजगार सृजन की सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रहा है. बैंक ने पी.एम.ई.जी.पी. के अंतर्गत 458 लाभार्थियों को ₹ 17.84 करोड़, तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3835 लाभार्थियों को ₹ 21.85 करोड़ एवं स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) के तहत 1152 लाभार्थियों को ₹ 6.62 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं.

7.17 देना सामान्य क्रेडिट कार्ड (डी जी सी सी) योजना

बैंक ग्रामीण तथा उपनगरीय क्षेत्रों में अल्प साधनों वाले उधारकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत ₹ 25000/- तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान कर रहा है. मार्च 2011 तक बैंक ने 12568 डी जी सी कार्ड जारी किये हैं.

7.11 Advances to SC / ST Communities

The aggregate level of advances to SC/ST Communities, within the priority sector increased from a level of ₹615.88 Crore as of March, 2010 to ₹ 753.15 Crore as of March, 2011, registering a growth of 22.29%. The share of advances to SC/ST is 4.97% of the priority sector credit.

7.12 Coverage under CGTMSE scheme:

The Bank has been participating under the guarantee scheme of the Credit Guarantee Fund Trust for Small and Micro Enterprises (CGTMSE) to provide collateral free loans to small and micro-enterprises. In order to mitigate the burden on entrepreneurs, the Bank is also bearing 50% of the Guarantee fees. The total number of cases covered under the scheme stood at 4550 with a guarantee cover of ₹ 235.66 Crore, as at the end of the year.

7.13 Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme (GJRHFS):

In order to promote financing of dwelling units in rural areas, the Bank has been implementing GJRHFS. Bank has granted loan to 1766 beneficiaries during the year and achieved the target to the extent of 50.46 % under the scheme.

7.14 Dena Surya Urja Scheme:

The Bank is financing installation of solar water heating systems for domestic, industrial and commercial sectors at soft rates of interest under tie up arrangement with Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA) under the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) Resources. Under the scheme, an aggregate loan amount of ₹1.95 crore has been extended to 504 beneficiaries.

7.15 Prime Minister's 15 point Programme for the welfare of Minorities:

The credit flow to minority communities has increased from the level of ₹932.89 crore as of March 2010 to ₹1400.37 crore as of March 2011, registering a growth of 50.11% which constitutes 9.24% of Priority Sector Advances.

7.16 Government Sponsored Schemes

The Govt. of India has introduced Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) by merging Rural Employment Generation Programme (REGP) and Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY) for generation of employment opportunities through establishment of micro enterprises in rural as well as in urban areas effective from 01.04.2008.

The Bank is actively implementing government sponsored schemes aimed at eradication of poverty and for generating self employment. The Bank has sanctioned loans to 458 beneficiaries under PMEGP amounting to ₹17.84 Crore and 3835 beneficiaries under Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana amounting to ₹21.85 Crore and also granted loans to 1152 beneficiaries under Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) to the tune of ₹6.62 Crore.

7.17 Dena General Credit Card (DGCC) Scheme:

The Bank is providing overdraft facility upto ₹25,000/- under this scheme to borrowers of small means under rural and semi-urban areas. The Bank has issued 12568 DGC Cards as of March 2011.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7.18 देना भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड

बैंक ने पट्टेदार किसानों, मौखिक पट्टाधारकों, बंटायी में खेती करनेवाले किसानों, भूमिहीन मजदूरों, आदि के लिए एक विशेष योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत विभिन्न कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों, जिसमें उपभोग भी शामिल है, के लिए ₹ 25,000/- तक ऋण सुविधा प्रदान की जाती है. योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान 2560 भूमिहीन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.

7.19 वित्तीय साक्षरता / साख परामर्श केंद्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को संबंधित अग्रणी जिलों में साख परामर्श केंद्र खोलने के निदेश दिए हैं ताकि दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जानकारी दी जा सके और बैंकों की शाखाओं के बीच समन्वय के साथ जिले में वित्तीय सेवाओं से वंचित जनता को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जा सकें और 100% वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया जा सके. तद्नुसार साख परामर्श केंद्र स्थापित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसरण में बैंक ने गांधीनगर क्षेत्र के अंतर्गत हिम्मतनगर (जिला साबरकांठा) में दिनांक 08.08.2007 को अपना प्रथम साख परामर्श केंद्र स्थापित किया. बैंक ने गुजरात राज्य में पालनपुर, मेहसाणा, भुज, हिम्मतनगर, गांधीनगर तथा दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में सिलवासा में साख परामर्श केंद्र खोले हैं. उक्त केंद्रों का नाम देना मित्र रखा गया है.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

7.20 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

देना बैंक ने ग्रामीण विकास में विभिन्न कार्यों के लिए ₹1.50 करोड की आरंभिक पूंजी के साथ एक सोसायटी "देना ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान"(डीआरडीएफ) की स्थापना की है. डीआरडीएफ ने बैंक के अग्रणी जिलों में, जिनमें बैंक अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी निभा रहा है, में 11 स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं इनमें शामिल हैं गुजरात राज्य में (1) अहमदाबाद, (2) कच्छ, (3) मेहसाणा, (4) बनासकांठा, (5) साबरकांठा, (6) पाटण तथा छत्तीसगढ़ राज्य में (7) दुर्ग, (8) धमतरी, (9) महासमुंद, (10) रायपुर, (11) राजनंदगांव, जहां बैंक अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व निभा रहा है. इन आर.एस.ई.टी. ने वर्ष 2010-11 के दौरान 358 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए 11727 युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है.

7.21 बालिकाओं की शिक्षा को प्रायोजित करना

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में, बैंक ने अपने सेवा क्षेत्र के गांवों की बालिकाओं की शिक्षा के प्रायोजन के लिए "देना लक्ष्मी शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के नाम से एक योजना आरंभ की है. इस योजना के अंतर्गत बैंक अपनी शाखाओं के कमान क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी पी एल) की, प्रत्येक स्कूल से सातवीं कक्षा में प्रथम एवं द्वितीय रैंक प्राप्त करने वाली छात्राओं की पहचान करेगा और उन्हें क्रमश:₹2000/- और ₹1500/- की छात्रवृत्ति प्रदान करेगा. इस योजना के अंतर्गत बैंक ने अभी तक 2104 छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की है.

7.22 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) उत्तरदायित्व

बैंक गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली में यू टी एल बी सी के संयोजक संबंधी उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने गुजरात राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र और विकासशील योजनाओं की निरंतर निगरानी के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बैंक भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों, ऑटो, आवास क्षेत्रों को ऋण प्रवाह की भी निगरानी कर रहा है.

7.18 Dena Bhoomiheen Kisan Credit Card:

The Bank has introduced a special scheme for tenant farmers, oral lessees, share croppers, landless labourers etc. wherein credit facility up to ₹25,000/- is granted for various agricultural and allied purposes with a provision of consumption also. Under the scheme, 2560 Bhoomiheen Kisan Credit Cards have been issued during the year.

7.19 Credit Counseling Centers/Financial Literacy:

RBI has directed the Banks to open Credit Counseling centers in the respective Lead districts in order to increase the outreach to the remote places and ensure banking services to the uncovered population in the district with the coordination among Bank's branches to ensure 100% financial inclusion. Accordingly, in pursuance with the guidelines of RBI to set up credit counselling centres, Bank rolled out its 1st Credit Counselling centre at Himatnagar (Dist. Sabarkantha) in Gandhinagar Region on 08.08.2007. Bank has opened Credit Counselling centres at Palanpur, Mehsana, Bhuj, Himmatnagar and Gandhinagar in the state of Gujarat and Silvassa in the UT of Dadra & Nagar Haveli. The said centers are christened as Dena Mitras.

Corporate Social Responsibility:

7.20 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) :

Dena Bank has set up a Society known as Dena Rural Development Foundation (DRDF) with a corpus of ₹1.50 crore to take up various initiatives in Rural Development. DRDF in turn has established 11 Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) in its lead districts viz. (i) Ahmedabad, (ii) Kutch , (iii) Mehsana, (iv) Banaskantha (v) Sabarkantha (vi) Patan in the state of Gujarat and (vii) Durg, (viii) Dhamtari (ix) Mahasamund (x) Raipur (xi) Rajnandgaon in the state of Chhattisgarh, where bank is shouldering the responsibility of lead bank. These RSETIs have organised 358 training programmes and have imparted training to 11727 youth for various activities during the year 2010-11.

7.21 Sponsoring Education of Girl Child :

As a part of Corporate Social Responsibility, the Bank had introduced a Nobel scheme viz. Dena Laxmi Shiksha Protsahan Yojana to sponsor education of Girl students in the villages served by the Bank. The scheme aims at providing a scholarship of ₹2000/- and ₹1500/- per annum to identified girl student belonging to Below Poverty Line (BPL) family, to be selected from each of the schools based on first and second rank respectively secured in 7th Standard, from the villages under the command area of the Bank. The Bank has so far provided scholarships to 2104 girl students under the scheme.

7.22 State Level Bankers' Committee (SLBC) Responsibilities

The Bank has been successfully discharging its responsibilities as a Convener of SLBC for the State of Gujarat and also as Convener of UTLBC for the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli. The SLBC has played catalytic role for the development of banking in the State of Gujarat and Dadra & Nagar Haveli through constant monitoring of various Priority Sector and developmental schemes. The Bank has also been monitoring the credit flow to MSME, auto, housing sectors under the stimulus package announced by Government of India.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7.23 अग्रणी बैंक योजना

बैंक देश के 13 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है जिनमें से 7 जिले गुजरात में, 5 जिले छत्तीसगढ़ में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली शामिल है.

7.24 देना बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

देना बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं जिनमें एक गुजरात राज्य में "देना गुजरात ग्रामीण बैंक" के नाम से तथा दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य में "दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक" के नाम से कार्यरत हैं. देना बैंक द्वारा प्रायोजित दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल मिलाकर 257 शाखाएं हैं जो गुजरात तथा छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में फैली हुई हैं. मार्च 2011 में इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल मिश्रित कारोबार ₹4051.51 करोड़ था. 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुल ₹ 21.75 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया (गैर लेखापरीक्षित).

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कोर बैंकिंग समाधान

भा.रि.बैं. / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपने दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) यथा, देना गुजरात ग्रामीण बैंक (डी.जी.जी.बी.) एवं दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक (डी.आर.जी.बी.) में सी.बी.एस. कार्यान्वयन की प्रक्रिया का आरंभ किया है. 31 मार्च 2011 को दोनों आर.आर.बी. की 64 शाखाओं को सफलतापूर्वक सी.बी.एस. के अंतर्गत लाया गया है और शेष शाखाओं को अगले तीन महीने के दौरान सीबीएस के अंतर्गत लाया जाएगा.

7.25 वित्तीय समावेशन

बैंक ने एक वित्तीय समावेशन योजना तैयार की है, जिसमें अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा बैंक को आबंटित 770 गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग केंद्र खोलने का प्रावधान है.

वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंक ने 2010-11 के दौरान 299 गांवों के लक्ष्य की तुलना में 310 गांवों को शामिल किया है.

इस योजना में बैंकिंग केंद्र के प्रावधान के अलावा, " सादे खाते ", सादे खातों में अंतर्निर्मित ओवरड्राफ्ट सुविधा, उद्यमवृत्ति साख, प्रेषण सुविधाएं तथा सूक्ष्म बीमा उत्पाद आदि सुविधाओं का विस्तार शामिल है.

7.25.1 गांवों को शामिल करने में प्रगति:

शाखा / एस ओ मॉडल: शाखा / एस ओ मॉडल द्वारा शामिल किये जानेवाले 4 गांवों के लक्ष्य की तुलना में बैंक ने शाखाओं / अनुषंगी कार्यालय खोलकर 7 गांवों को शामिल किया है.

बी.सी.मॉडल द्वारा शामिल किये जानेवाले 295 गांवों के लक्ष्य की तुलना में बैंक ने 303 गांवों में सी.एस.पी. को नियुक्त किया है. वर्ष 2010-11 के दौरान लक्ष्य बनाये गये सभी वित्तीय समावेशन गांवों में हस्त चालित उपकरणों (एच एच डी) की आपूर्ति की गई है.

7.25.2 घरों को शामिल करना: वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत निर्धारित गांवों में 137479 घरों के लक्ष्य की तुलना में 136548 घरों को शामिल किया है. शेष घरों को इसलिए शामिल नहीं किया जा सका कि या तो वे घर पर उपस्थित नहीं थे या खाता नहीं खोलना चाहते हैं.

7.25.3 सादे खाते: 2010-11 के दौरान 90,000 खातों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में मार्च 2011 तक वित्तीय समावेशनवाले गांवों में कुल 1,53,193 सादे

7.23 Lead Bank Scheme

The Bank is successfully discharging its lead bank responsibility in 13 districts; of which 7 districts are located in Gujarat, 5 districts in Chhattisgarh and one in Union Territory of Dadra & Nagar Haveli.

7.24 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

The Bank has sponsored two RRBs namely Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) in the State of Gujarat and Durg Rajnandgaon Gramin Bank (DRGB) in the State of Chhattisgarh. Both the RRBs sponsored by Dena Bank have a network of 257 branches spread over 10 districts of Gujarat and Chhattisgargh. The total business mix of these RRBs stood at ₹4051.51 Crore as of March 2011. During the financial year ended 31st March, 2011, both the RRBs together have earned net profit of ₹21.75 Crore (unaudited).

Core Banking Solution at Regional Rural Banks

In terms of the RBI / Government of India directives, Bank has initiated the process of implementation of CBS in Bank's both Regional Rural Banks (RRBs) i.e. Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) and Durg Rajnandgaon Gramin Bank (DRGB). As on 31st March, 2011, 64 branches of both the RRBs have been successfully brought under CBS platform and the remaining branches will be migrated during the next three months.

7.25 Financial Inclusion Plan

The Bank has prepared a Financial Inclusion Plan (FIP) which envisages road map for provision of banking services through banking outlet in 770 villages allocated to the Bank by various SLBCs under Lead Bank Scheme.

Under FIP, the Bank has covered 310 villages against target of 299 villages during 2010-11.

The plan apart, from provision of banking outlets, also includes extension of facilities like “No Frills Accounts”, Inbuilt Overdraft facility in the No Frills Accounts, Entrepreneurship Credit, Remittance facilities and Micro-Insurance products.

7.25.1 Progress in coverage of villages:

Against the target of 4 villages to be covered by Branch / Satellite Office model (SO), the Bank has covered 7 villages by opening of Branches / Satellite offices.

Against the target of 295 villages to be covered by Business Correspondent (BC) model, the Bank has engaged CSPs in 303 villages. Hand Held Devices (HHDs) have been supplied in all the FI villages targeted during the year 2010-11.

7.25.2 Coverage of Households: During the F/Y 2010-11, Bank has covered 136548 households against the set target of 137479 households, in the villages identified under the Financial Inclusion Plan. Remaining households could not be covered as mainly on account of non availability or unwillingness to open the accounts.

7.25.3 No Frills Accounts: Total 1,53,193 No Frills accounts have been opened in the FI Villages by March 2011 against the annual

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

खाते खोले गये हैं. तथापि, समग्र रूप में बैंक में मार्च 2011 तक 9,01,140 सादे खाते खोले गये हैं.

7.25.4 सादे खातों में अंतर्निहित ओ.डी.सुविधा: 2010-11 के दौरान 81000 सादे खातों के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 92,046 सादे खातों में ओ.डी. सुविधा प्रदान की गई. मार्च 2011 तक समग्र रूप में 2,37,622 सादे खातों को अंतर्निहित ओ.डी.सुविधा प्रदान की गई.

7.25.5 देना किसान क्रेडिट कार्ड: मार्च 2011 तक वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत बैंक ने ₹.1540.20 लाख के लिए 1.87 लाख देना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लक्ष्य के समक्ष ₹.2107.56 करोड राशि के 1.87 लाख देना किसान कार्ड जारी किये हैं.

7.25.6 देना जनरल क्रेडिट कार्ड: मार्च 2011 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत ₹.23.05 करोड राशि के 13,000 देना जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं.

7.25.7 ग्राहक सेवा केंद्रों (सी.एस.पी.) को प्रशिक्षण: सभी सी.एस.पी. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. तथापि, बैंक प्रशिक्षण हेतु पहचान किए गए अधिकारियों के माध्यम से निरंतर आधार पर सी.एस.पी. को प्रशिक्षण प्रदान करेगा. बैंक 2-3 दिन का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने की योजना बना रहा है.

7.25.8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के लिए एफ.आई.पी:

देना बैंक ने गुजरात राज्य में देना गुजरात ग्रामीण बैंक (डी जी जी बी) तथा छत्तीसगढ राज्य में दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक (डी आर जी बी) नामक दो आर.आर.बी. का प्रायोजन किया है.

डी.जी.जी.बी. को 245 गांव तथा डी.आर.जी.बी. को 26 गांव आबंटित किये गये हैं. कुल मिलाकर, दोनों आर.आर.बी. को 2000 से अधिक जनसंख्या के 271 गांव आबंटित किये गये हैं.

यह प्रयास किया गया था कि मार्च 2011 तक डी.जी.जी.बी. द्वारा 13 गांव एवं डी.आर.जी.बी. द्वारा 10 गांव शामिल किये जाएंगे और दोनों बैंकों के शेष 245 गांव मार्च 2012 तक शामिल किये जाने हैं.

आर.आर.बी. की शाखाओं ने वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गांवों में सभी घरों के खाते खोल दिये हैं. डी.जी.जी.बी. ने मार्च 2011 तक 13 वित्तीय समावेशन गांवों में 6807 खाते खोले हैं और डी.आर.जी.बी. ने मोबाइल वेन साधन के माध्यम से 10 वित्तीय समावेशन योजना गांवों में 4197 खाते खोले हैं.

7.25.9. गुजरात राज्य के लिए वित्तीय समावेशन योजना:

बैंकों को 2000 से अधिक जनसंख्या के कुल 3502 गांव आबंटित किये गये हैं. यह प्रयास किया गया था कि 2010-11 के दौरान 1007 गांवों को शामिल किया जाए.

बैंकों ने गुजरात राज्य में 1312 गांवों को शामिल किया है जिनमें से 918 बी. सी.मॉडल के माध्यम से शामिल किये गये हैं. देना बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय समावेशन योजना में 188 गांव शामिल करने के लक्ष्य के समक्ष 214 गांव शामिल किये हैं. बैंकों ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 3.51 लाख खाते खोले हैं. (देना बैंक ने 0.85 लाख खाते खोले हैं)

target of 90000 accounts during 2010-11. However, the Bank as a whole, the number of No Frills accounts is 9,01,140 as of March 2011.

7.25.4 Inbuilt OD facility in the No Frills Accounts: OD facility has been extended by the Bank in case of 92,046 No Frills Accounts against the target of 81,000 accounts during 2010-11. The total number of inbuilt OD facility extended in the No Frills Accounts is 2,37,622 as of March, 2011.

7.25.5 Dena Kisan Credit Cards: As of March 2011, Bank has achieved the target of issuing 1.87 lacs Dena Kisan Credit Cards amounting to ₹2,107.56 crore, against projection of issuing 1.87 cards for ₹1540.20 crore under Financial Inclusion Plan.

7.25.6 Dena General Credit Cards: As of March 2011, Bank has issued 13,000 Dena General Credit Cards amounting to ₹23.05 Crore, under Financial Inclusion Plan.

7.25.7 Training to Customer Service Points (CSPs): Training has been provided to all CSPs. However, Bank shall provide training to CSPs on continuous basis through pool of officers identified for training. Bank also plans to organize 2-3 days intensive training program.

7.25.8 FIP for Regional Rural Banks (RRBs): Dena Bank has sponsored two RRBs namely Dena Gujarat Gramin Bank (DGGB) in the State of Gujarat and Durg Rajnandgaon Gramin Bank (DRGB) in the State of Chhattisgarh.

DGGB has been allocated 245 villages and DRGB has been allocated 26 villages. In all, both the RRBs have been allocated 271 villages having population above 2000.

It was envisaged to cover 13 villages by DGGB and 10 villages by DRGB by March 2011 and remaining 245 villages of both the Banks to be covered by March 2012.

RRBs Branches have opened accounts of all households in the villages proposed under FIP. The DGGB has opened 6807 accounts in 13 Financial Inclusion villages upto March 2011 and DRGB has opened 4197 accounts in 10 FIP villages through mobile van module.

7.25.9 FIP for the State of Gujarat:

A total of 3502 villages having population above 2000 were allotted to Banks. It was envisaged to cover 1007 villages during 2010-11.

The Banks covered 1312 villages in Gujarat State out of which 918 were covered through BC model. Dena Bank has covered 214 villages against target of covering 188 villages in FIP for the year 2010-11. Banks have opened 3.51 lac accounts under Financial Inclusion. (Dena Bank has opened 0.85 lac accounts).

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

7.25.10 दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र के लिए वित्तीय समावेशन योजना:

बैंकों को 2000 से अधिक जनसंख्या के 30 गांव आबंटित किये गये थे. 2010-11 के दौरान कुल 18 गांव शामिल किये जाने का प्रस्ताव है.

बैंकों ने मार्च 2011 तक 13 गांव शामिल किये हैं जिनमें से बी.सी मॉडल के माध्यम से 10 शामिल किये गये हैं. देना बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना में किये गये प्रस्ताव के अनुसार सभी 8 गांव शामिल किये है. बैंकों ने दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र में 0.18 लाख खाते खोले हैं.

8. लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अग्रिम

बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खातों के विपणन करने तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं स्वीकृति के लिए अग्रेषित प्रस्तावों के संबंध में सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु 7 क्षेत्रों यथा, कोच्ची, रायपुर, नई दिल्ली, गुडगांव, फरीदाबाद, कोलकाता, जमशेदपुर, पुणे एवं भोपाल में 10 केंद्रों पर एम.एस.एम.ई.शिविरों का आयोजन किया. विभिन्न शिविरों में भाग लेनेवाले कुल 211 ग्राहकों में से 151 ग्राहकों को 233 करोड (निधि आधारित) एवं 36 करोड गैर निधि आधारित ऋण आवश्यकता के प्रस्तावों पर सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है जिन पर अंतिम निर्णय मूल्यांकन एवं सामान्य औपचारिकताओं की पूर्ति के अनुसार होगा.

एम.एस.एम.ई.क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये.

वर्ष के दौरान, एम.एस.एम.ई. के लिए नामित शाखाओं की संख्या 68 से बढकर 95 हो गयी.

ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए 17 केंद्रों में केंद्रीकृत कार्रवाई केंद्र (सी.पी.सी.) स्थापित किये गये हैं.

एस.एम.ई.वित्त में गहन ज्ञान प्राप्त करने हेतु बैंक के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए " बैंकरों के लिए एस.एम.ई.वित्त " पर आई.आई.बी.एफ. द्वारा संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जिसमें आई आई बी एफ को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त परीक्षा शुल्क एवं पुस्तकों के मूल्य स्वरूप ₹.1700 की एक बार की प्रतिपूर्ति के अलावा ₹5000 की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान भी है.

एम.एस.एम.ई. वित्तीयन को बढाने हेतु रणनीतिया:

एम.एस.एम.ई.शिविर निरंतर आयोजित करना

समूह दृष्टिकोण के आधार पर और अधिक एम.एस.एम.ई. नामित शाखाओं की पहचान करना

सूक्ष्म एवं लघु सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत लघु सडक परिवहन चालकों को वित्त प्रदान करने हेतु प्रमुख वाहन विनिर्माण कंपनियों यथा, टाटा मोटर्स, टी.वी.एस.मोटर्स आदि के साथ गठबंधन व्यवस्था करना

एम.एस.एम.ई.क्षेत्र को आगे वित्त करने हेतु प्रमुख एन.बी.एफ.सी. को वित्तीयन प्रदान करना

कार्रवाई समय को कम करने एवं शीघ्र निर्णय लेने हेतु ऋण प्रस्तावों की वेब आधारित प्रोसेसिंग शुरू करना

सूक्ष्म उद्यमों के लिए 1% तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 0.5% ब्याज दर रियायत को जारी रखने का निर्णय किया गया है.

7.25.10 FIP for the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli:

30 villages having population above 2000 were allotted to Banks. A total of 18 villages were proposed to be covered during 2010-11.

Banks have covered 13 villages upto March 2011 out of which 10 are through BC Model. Dena Bank has covered all the 8 villages as proposed in FIP. Banks have opened 0.18 lac accounts in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

8. Advances to MSME Sector

Bank organised MSME camps at 10 centers in 7 regions namely Kochi, Raipur, New Delhi, Gurgaon, Faridabad, Kolkata, Jamshedpur, Pune and Bhopal in order to market MSME advances and giving necessary support to the Regions and branches in decision making process and arriving at ‘ in principal concurrence’ in taking the proposals forward for sanction. Out of total 211 customers participated in various camps, 151 customers with credit requirement of ₹233 Crore for fund based limit and ₹ 36 Crore for Non Fund based limit were given in-principle approval subject to final assessment and completion of usual formalities.

Regular training programmes were conducted for improving skills in MSME sector.

During the year, the numbers of MSME designated branches were increased from 68 to 95.

The Centralized Processing Centers (CPCs) setup at 17 centers for speedy disposal of Proposals.

The incentive scheme for passing the certificate course run by IIBF on “SME finance for Bankers” has been introduced where incentive of ₹5000 in addition to one time reimbursement of ₹1700 towards examination fees and cost of books incurred by the officials paid to the IIBF is available to encourage the Bank staff to acquire sound knowledge in SME finance.

Strategies for boosting MSME finance:

Holding of MSME camps on on-going basis.

Identification of more MSME designated branches based on cluster approach.

Entering in to tie-up arrangement with reputed vehicle manufacturing companies viz. Tata motors, TVS Motors etc to extend finance to Small Road Transport Operators categorized under Micro and Small services sector.

Financing to reputed NBFCs for on lending to MSME sector.

Introduction of web based processing of proposal to cut down the processing time & speed up the decision making.

Interest rate concession of 1% for Micro and 0.5% for Small & Medium Enterprises are proposed to continue.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

इन उपायों के परिणामस्वरूप एम.एस.एम.ई.ऋणो में 25.44% की वृद्धि हुई. समग्र रूप में लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम मार्च 2010 में ₹ 4,938 करोड से बढ़कर वर्ष 2011 के अंत में ₹ 6194 करोड तक पहुंच गए.

सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिमों में 20.63% वृद्धि हुई जबकि लघु उद्यमों के अग्रिमों में 31.03% वृद्धि हुई. समग्र रूप में सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम मार्च 2010 में ₹ 2,656 करोड से बढकर वर्ष 2011 के अंत में ₹.3,204 करोड तक पहुँच गए. इसी प्रकार, लघु उद्यमों को अग्रिम मार्च 2010 में ₹.2,282 करोड से बढकर वर्ष 2011 के अंत में ₹.2990 करोड तक पहुंच गए.

9. ऋणों का पुनर्गठन

ऋणों का पुनर्गठन ऐसे उधारकर्ताओं के मामलों में किया जाता है, जो बाजार की स्थितियों और अन्य उपयुक्त कारणों से बैंक की राशियों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं. वर्ष के दौरान 221 खातों का पुनर्गठन किया गया जिनमें ₹ 83.40 करोड़ की कुल राशि बकाया थी.

ऐसे बडे उधारकर्ताओं जो संघ व्यवस्था / बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत ₹10 करोड एवं उससे अधिक राशि की ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं उनकी ऋण सीमाओं का पुनर्गठन सी डी आर तंत्र के अंतर्गत किया जाता है.

31.03.2011 को पुनर्गठन के अंतर्गत कुल बकाया राशियां 5162 खातों में ₹1213.14 करोड़ थी.

10. रिटेल साख

10.1 बैंक के साख संविभाग में वृद्धि के लिए रिटेल ऋणों की एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में पहचान की गई है. बैंक की 10 रिटेल बैंकिंग योजनाएं हैं जो कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं. योजनाओं में बाजार परिदृश्य, ग्राहकों की आवश्यकताओं तथा शाखा स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार समय - समय पर संशोधन किया जाता है. रिटेल बैंकिंग योजनाओं का प्रचार करने के लिए गहन प्रयास किए गए.

आवास ऋणों को बढाये जाने पर जोर देते हुए बैंक ने 404 आवासीय परियोजनाएं / बिल्डरों का अनुमोदन किया है. वह आवास ऋण के अंतर्गत आस्तियों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगा.

वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष रिटेल ऋणों की बकाया राशियों में 15.77% की वृद्धि हुई और इसके फलस्वरूप रिटेल ऋण ₹.611.63 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹.4488.88 करोड़ तक पहुँच गए. कुल रिटेल ऋण मार्च 2010 को ₹ 5,379.91 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 6,135.59 करोड़ तक पहुँच गए जो कि ₹ 755.68 करोड़ (14.05%) की वृद्धि दर्शाते हैं.

10.2 रिटेल आस्ति शाखाएं.

बैंक के रिटेल ऋण संविभाग को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने तथा बेहतर गुणवत्ता, समानता एवं मूल्यांकन और स्वीकृति की गति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नै, लखनऊ, पुणे, सूरत, भोपाल और भांडुप (मुंबई), जे.वी.पी.डी. मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता तथा नई दिल्ली में 12 रिटेल आस्ति शाखाएं कार्यरत हैं. रिटेल आस्ति शाखाएं रिटेल अग्रिमों से संबंधित सभी कार्य करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी की रिटेल कारोबार में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि हो और शाखाओं के कार्यों और प्रयासों में बहुलता न हो. इसके अलावा, आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर.ए.बी. केंद्र में, उनको जो भी उचित लगे, चयनित शाखाओं को उस केंद्र के आर.ए.बी. के साथ लिंक कर सकते हैं. इस प्रकार लिंक की गई शाखा आर.ए.बी.से प्रथम वितरण

All these measures resulted in growth of MSME Credit by 25.44 %. In absolute terms, the SME advances increased from ₹4,938 Crore as of March 2010 to ₹6,194 Crore as March 2011.

Credit to Micro Enterprises grew by 20.63% whereas credit to Small Enterprises grew by 31.03%. In absolute terms, the Micro Enterprises advances increased from ₹2,656 Crore as of March 2010 to ₹3,204 Crore as of March 2011. Similarly, Small Enterprises advances increased from ₹2,282 Crore as of March 2010 to ₹2,990 Crore as of March 2011.

9. Restructuring of Debts

Restructuring of debts is undertaken in case of the borrowers who are not in a position to repay the dues of the Bank because of market conditions, problems faced by them or because of any other genuine purpose. During the year 221 accounts were restructured having aggregate outstanding of ₹83.40 Crore.

In case of large borrowers who are enjoying limits ₹10crore and above under consortium / multiple banking arrangements the limits can be restructured under Corporate Debt Restructuring (CDR) Mechanism.

As on 31.03.2011, the total amount outstanding were to the tune of ₹1213.14 Crore in 5162 accounts restructured.

10. Retail Credit

10.1 Retail Credit has been identified as one of the growth engines for increasing credit portfolio of the Bank. The Bank has 10 Retail Banking Schemes catering to various needs of a customer. The schemes are modified from time to time keeping in view the market scenario, customer requirements and feed-back from field functionaries. Concerted efforts were made to popularise the retail banking schemes through wide publicity.

Giving emphasis on increasing housing loan, the Bank has approved 404 housing projects / builders. It will also ensure quality of assets under housing loan.

During the financial year, the outstanding amount under direct retail credit registered a growth of 15.77% showing an increase of ₹611.63 Crore to reach the level of ₹4,488.88 Crore. The total retail credit has increased from ₹5,379.91 Crore as of March 2010 to ₹6,135.59 Crore as of March 2011 registering growth of ₹755.68 Crore (14.05%)

10.2 Retail Asset Branches:

In order to take advantage of the potential available for enlarging Bank's retail lending portfolio and also to ensure better quality, uniformity and speed in appraisal and sanctions, 12 Retail Asset Branches (RABs) viz. at Hyderabad, Bangalore, Chennai, Lucknow, Pune, Surat, Bhopal, Bhandup (Mumbai), Juhu Vile Parle (Mumbai), Kolkata, Ahmedabad and New Delhi are operationalised. The Retail Asset Branches carry out all the functions relating to retail advances and expected to ensure quantitative and qualitative growth of retail business and also cut down multiplicity of functions and efforts at branches. Besides, in order to maintain asset quality, Regional Managers have been empowered to link the selected branches at RAB centre, as they may deem fit, with the RAB at that centre. Such linked branch will generate lead and all the functions

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

किये जाने तक, आगे रहकर सभी कार्य करेगी और उसके बाद वह शाखा ही बाद के सभी कार्य करेगी.

10.3 योजना का परिष्करण

बैंक ने अपनी विभिन्न रिटेल योजनाओं अर्थात देना निवास आवास वित्त, देना व्यापार वित्त , देना बंधक, देना आटो वित्त योजनाओं में और परिष्करण किया है जिससे वे ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार हो सकें.

10.4 नई योजनाएं आरंभ किया जाना:

क्षेत्र में कार्य करनेवाले अधिकारियों को अधिक रिटेल उत्पाद प्रदान करने तथा उपलब्ध कारोबार की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए विशेषत: चिकित्सा व्यवसाइयों के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद, क्लिनिक/एक्स रे लेब / पेथोलाजिकल लेब की स्थापना, विद्यमान क्लिनिकों के विस्तार / नवीकरण / आधुनिकीकरण आदि के लिए देना डाक्टर + के नाम से एक नया रिटेल उत्पाद आरंभ किया गया है और यह योजना लागू हो गई है.

10.5 आवास वित्त

आवास ऋण के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹.595.35 करोड़ के नए वितरण किए गए जिससे बकाया ऋण मार्च 2010 में ₹.3594.13 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2011 को ₹.4015.98 करोड़ तक पहुंच गए जो कि 11.74% की वृद्धि दर्शाते हैं.

10.6 बंधक ऋण:

बंधक योजना के अंतर्गत, बकाया राशि ₹.376.35 करोड से बढकर वर्षांत तक

₹ 493.18 करोड हो गई अर्थात् ₹.116.83 करोड (31.04%) की वृद्धि हुई.

10.7 शैक्षणिक ऋण

शैक्षणिक ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹.34.75 करोड़ के नए वितरण किए गए. इससे ऋण बकाया राशि ₹.289.38 करोड से बढ़कर वर्ष के अंत तक ₹ 316.03 करोड़ तक पहुंच गई जोकि ₹26.65 करोड़ (9.21%) की वृद्धि दर्शाते हैं.

10.8 व्यापार वित्त

व्यापार वित्त के अंतर्गत बकाया राशि ₹.246.59 करोड से बढकर वर्ष के अंत तक ₹.461.46 करोड तक पहुंच गई जोकि ₹.214.86 करोड (87.13%) की वृद्धि दर्शाते हैं.

11. निवेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले एक वर्ष में रिवर्स रेपो रेट को बढाकर 5.75 प्रतिशत तथा रेपो रेट को 6.75 प्रतिशत कर दिया है. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सी आर आर) बढाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में तरलता को घटाया है. अत: बैंक ने रेपो मार्ग से भा.रि.बैं. से लिये गये उधार में वृद्धि की. घटी हुई तरलता स्थिति एवं उच्च मुद्रास्फीति स्थिति के कारण वर्ष भर अर्जन अधिक रहा. बेंचमार्क अर्जन 7.40 प्रतिशत से 8.20 प्रतिशत के दायरे में रहा.

बैंक के कुल सकल घरेलू निवेश में 19.67% की वृद्धि हुई जिससे वह 31.3.2010 को ₹.15,760.14 करोड के स्तर से बढकर 31.3.2011 को ₹.18860.22 करोड के स्तर तक पहुंच गया.

सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियां ₹.13,371.18 करोड से बढकर ₹.15,304.91 करोड तक पहुंच गईं अर्थात् डी.टी.एल. में वृद्धि के समान

till first disbursement shall be carried out by RAB and thereafter by the lead generating branch.

10.3 Refinement of Schemes :

The Bank further refined its various retail schemes like Dena Niwas Housing Finance, Dena Trade Finance, Dena Mortgage, Dena Auto Finance schemes so as to make these schemes more customer friendly.

10.4 Introduction of new schemes:

To enable our field functionaries to get one more retail product and encash the available business potential, a new retail product namely "Dena Doctor +" specially for medical practitioners for purchase of medical equipments, set-up clinic / X-Ray Lab / pathological lab, expansion / renovation / modernisation of existing clinic etc. was introduced and operationalised.

10.5 Housing Finance:

Fresh disbursements to the tune of ₹595.35 Crore were made during the year towards housing loan, enabling net increase in outstanding credit from ₹3594.13 crore as of March 2010 to ₹4015.98 Crore as of March 2011, registering a growth of 11.74%.

10.6 Mortgage Loan:

The outstanding under Mortgage Loan Scheme, increased from ₹376.35 Crore. to ₹493.18 Crore as at the end of the year i.e. an increase of ₹116.83 Crore (31.04%).

10.7 Education Loan:

Fresh disbursements to the tune of ₹34.75 Crore were made during the year towards education loan. There is net increase in outstanding credit from ₹289.38 Crore to ₹316.03 Crore as at the end of the year i.e. an increase of ₹26.65 Crore (9.21%).

10.8 Trade Finance Scheme:

Outstanding under the Trade Finance Scheme, increased from ₹246.59 Crore to ₹461.46 Crore as at the end of the year i.e. an increase of ₹214.86 Crore (87.13%).

11. Investment

The Reserve Bank of India has over the past one year increased the reverse repo to 5.75 and the repo rate 6.75 per cent. The Cash Reserve Ratio (CRR) has been raised to 6.0 per cent. RBI has consciously tightened liquidity in the market. Hence, bank's borrowing from RBI have increased at the repo window. Due to tight liquidity conditions and high inflationary pressure, the yields remained on the higher side through out the year. The benchmark yields were in the range of 7.40 percent to 8.20 percent.

Aggregate gross domestic investments of the Bank grew by 19.67% to reach ₹18,860.22 Crore as on 31.03.2011 from the level of ₹15,760.14 Crore as on 31.03.2010.

The SLR securities have increased from ₹13,371.18 Crore to ₹15,304.91 Crore i.e. an increase of 14.46% in line with the

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

14.46% की वृद्धि हुई. डी.टी.एल. ₹.50,626 करोड से बढकर ₹ 62,897 करोड हो गये.

गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियां ₹ 2,388.96 करोड से बढकर ₹. 3555.31 करोड तक पहुंच गये अर्थात् 48.81% की वृद्धि हुई. मार्च 2011 में ₹.335 करोड के आर.आई.डी.एफ / आर.एच.डी.एफ / एम.एस.एम.ई / एम.एस.आर.ई में निवेश तथा जमा प्रमाणपत्र में ₹.1,110 करोड के निवेश के कारण गैर एस.एल.आर. प्रतिभूतियों में वृद्धि के कारक बने हैं. आर.आई.डी.एफ निवेश प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए अनिवार्य है एवं बाजार भाव के अनुसार नहीं होगा.

बैंक सरकारी प्रतिभतियों की निलामी में सक्रिय भागीदार बना रहा. बैंक ने अपनी राजकोष आय में वृद्धि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, केंद्रीय सरकार के उपक्रमों और कॉर्पोरेट बाँड़ों में निवेश पर विशेष ध्यान दिया.

राजकोष परिचालन से आय 31 मार्च 2010 के ₹ 1,140 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2010-11 के लिए ₹.1,246 करोड़ हो गये जो कि वर्ष दर वर्ष आधार पर 9.30% की वृद्धि दर्शाती है. बैंक की निवेश नीतियों तथा संभावित जोखिमों के अनुसार निवेश विभिन्न परिपक्वताओं में रखे गए है. अल्पावधि परिपक्वताओं की प्रतिभूतियों में निवेश के परिणामस्वरूप ए.एफ.एस. / एच.एफ.टी. संविभाग की संशोधित अवधि 4.71% से घटकर 2.42% हो गई.

वर्ष के दौरान उच्च कूपन वाले निवेश के कारण निवेश पर प्रतिफल 31 मार्च 2010 के 6.87% से बढकर 31.03.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान 7.06% हो गया है.

12. अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

12.1 विश्व आर्थिक स्थिति:

2010-11 के अंतिम तिमाही ने आकस्मिक वैश्विक परिवर्तन देखा है. उभरते यूरोपियन ऋण संकट से पुर्तगाल, आयरलैंड तथा ग्रीस को ऋण संकट से मुक्त करने के लिए कई बिलियन यूरो प्रदान किये गये. ट्युनिसिया में छुट-पुट विरोध प्रदर्शनों के कारण पूरे अरब में विभिन्न स्तर के विरोध प्रकट हुए और जिससे मिश्र में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ और मध्य पूर्व में अशांति फैली.

इसके अतिरिक्त असाधारण प्रकृति के भूकंप और उसके बाद हुई सुनामी के कारण जापान के अनुमान अनिश्चित हो गये . ये दोनों घटनाएं अपने आकार और मात्रा में महत्वपूर्ण हैं और इनका असर विश्व अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक रहेगा.

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि ने पहले ही दीर्घावधि तेल की कमी के बारे में चेतावनी दी थी जिससे लगातार कीमतों में वृद्धि जारी रहेगी. यू.एस.डॉलर 126 प्रति बेरल की दर पर तेल की कीमतें विश्व आर्थिक वृद्धि को हिलाने के लिए पर्याप्त है और इसमें और बढोतरी होने की संभावना है. आगामी कुछ महीनों में मूल्य यू एस डॉलर 150 से अधिक होने पर वैश्वक आर्थिक वृद्धि को बडा धक्का लग सकता है.

12.2 राष्ट्रीय परिदृश्य:

पिछले कुछ महीनों में भारत के विदेशी व्यापार में अच्छा खासा सुधार हुआ है. अप्रैल 2010- फरवरी 2011 के दौरान निर्यात में आयात से अधिक वृद्धि हुई तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यापार घाटा काफी कम हो गया. आगे, उक्त अवधि के दौरान तेल से अन्य सामानों के आयात ने भारत के आयात को बढाया है जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वस्त्र तथा आटो ने निर्यात को बढाया है.

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान निर्यात का संचयी मूल्य पिछले वर्ष के यू एस डॉलर 158,497 मिलियन (₹ 7,53,384 करोड) के समक्ष यू एस डॉलर

increase in DTL. The DTL has increased from ₹50,626 Crore to ₹62,897 Crore.

NON SLR Securities have increased from ₹2,388.96 Crore to ₹3555.31 Crore i.e. an increase of 48.81%. The increase in Non SLR Securities is mainly due to increase in investment in RIDF / RHDF / MSME / MSRE amounting to ₹ 335 Crore and Certificates of Deposits amounting to ₹1,110 Crore invested in March 2011. The RIDF investment is mandatory investment to bridge the shortfall in Priority Sector Lending and is not subject to mark to market.

Bank continued to be an active participant in Government Securities auction. Bank concentrated in investment in Govt. Securities, PSU and Corporate Bonds to augment its income from Treasury.

The income from Treasury operations increased from ₹1,140 Crore for the year ended 31st March 2010 to ₹1,246 Crore for the year ended 31st March 2011 i.e. increase of 9.30% on YoY basis. The investments have been maintained in various maturity mixes consistent with risk perceptions and investment policies of the bank. The Modified duration of the AFS/ HFT portfolio declined from 4.71% to 2.42% by investment in securities of short duration.

The yield on investments increased from 6.87% for 31st March 2010 to 7.06 % during the year ended 31.03.2011 due to investment in high coupon bearing securities.

12. International Operations

12.1 World Economy:

The last quarter of 2010-11 saw the world change dramatically. The evolving European debt crisis saw Portugal joining Ireland and Greece in receiving major bail out plans worth billions of EUR. Seemingly isolated Tunisian protests grew to varying levels of upheaval throughout the Arab world resulting in changes in political regime in Egypt and unrest across Middle East.

Further, an earthquake of unprecedented nature and subsequent tsunami have left Japan's outlook under a cloud of uncertainty. Each of these situations is significant in its scope and magnitude, and will have a long lasting impact on the world economy.

The International Monetary Fund earlier warned of long-term oil scarcity that could lead to persistently higher prices. At USD126 per barrel, oil prices are high enough to threaten world economic growth, and expected to move higher. Prices over USD150 over the next few months could lead to major set backs in global economic growth.

12.2 National scene:

India's foreign trade saw considerable improvement in the last few months. Exports growth exceeded imports growth during April 2010 - February 2011 and trade deficit narrowed substantially during the above period. Further, during the said period non-oil commodities swelled India's imports, while commodities including petroleum products, textiles and autos had accelerated exports.

Cumulative value of exports during the financial year 2010 - 2011 were valued at $245,900 million (₹11,06,550 Crore) as

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

245,900 मिलियन (₹ 11,06,550 करोड) था जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डॉलर में 37.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. यह पहली बार है जबकि निर्यातों ने 200 बिलियन मार्क पार कर लिया.

इसी अवधि के लिए आयात पिछले वर्ष के यू एस डॉलर 258,746 मिलियन (₹.12,28,944 करोड) के समक्ष यू.एस डॉलर 350,300 मिलियन (₹.15,93,865 करोड) रहे जोकि डॉलर में 35.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात में वृद्धि के लिए वैश्विक मांग और विनिमय दर की दो महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पहचान की है. फरवरी 2011 तक 13.30 प्रतिशत वृद्धि के साथ भारत के व्यापार क्षेत्र का अनुमान उज्ज्वल है. इसमें मध्य पूर्व में राजनैतिक अशांति एवं विभिन्न अन्य प्राकृतिक विपदाओं के कारण विश्व व्यापार में हाल ही में हुए गतिविधियों के कारण इस में कुछ कमी करना होगी.

12.3 बैंक का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार:

बैंक का व्यापारी विदेशी विनिमय व्यापार आवर्त पिछले वर्ष की तुलना में ₹.7500 करोड (47.82%) की वृद्धि दर्ज करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान ₹. 23,000 करोड पार कर लिया है. प्रधान कार्यालय की राजकोष शाखा अंतर बैंक विदेशी विनिमय और बैंक के मुद्रा बाजार परिचालनों को संभालती है. बैंक में इस क्षेत्र में हमारे ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने हेतु अखिल भारत के स्तर पर 38 प्राधिकृत विक्रेता शाखाएं कार्यरत हैं. बैंक अंतर बैंक बाजार में भी बहुत सक्रिय है.

बैंक चालू खाता लेनदेन करने के लिए प्रत्येक ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यापार वित्त उत्पाद प्रदान करता है. ग्राहकों को उनके विदेशी विनिमय लेनदेनों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें प्रदान की जाती हैं. निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर रुपये और विदेशी मुद्रा में भी निर्यात ऋण प्रदान किया जाता है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा ले सकें. बैंक पात्र निर्यातकों को उदार शर्तों पर गोल्ड कार्ड योजना भी प्रदान करता है.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यात वित्त के लिए घोषित ब्याज दर सहायता वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान सभी पात्र निर्यातकों को प्रदान की गई है तथा यह लाभ उनको सीधे ही दिया गया है.

बैंक अनिवासी सेवाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और अनिवासी एवं भारतीय मूल के व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनी हुई शाखाओं में अनिवासी कक्ष खोले हैं.

देना इंडिया रेमिट, वेस्टर्न यूनियन मनी टान्स्फर और यू ए ई एक्सचेंज सेंटर, अबुधाबी के साथ रुपया आहरण व्यवस्था आदि डेलिवरी माध्यमों से अनिवासियों को झंझट मुक्त प्रेषण सुविधाएं दी जा रही हैं.

13.आस्ति गुणवत्ता और वसूली प्रबंधन :

बैंक ने सामान्य रूप से बैंकिंग उद्योग द्वारा अनुभव किये गये अभूतपूर्व स्लिपेज के बावजूद वर्ष 2010-11 के दौरान आस्ति गुणवत्ता तथा एन.पी.ए.प्रबंधन में प्रशंसनीय निष्पादन किया. एन.पी.ए.प्रबंधन में बैंक का निष्पादन, हाल ही में एन पी ए हुए खातों के उन्नयन के लिए प्रभावी प्रयास, समझौता प्रस्तावों के माध्यम से वसूली, सरफेसी अधिनियम आदि के अंतर्गत कार्रवाई के माध्यम से नकद वसूली में सुधार हुआ और काफी मात्रा में खातों का उन्नयन हुआ. एन पी ए को कम करने के लिए बैंक द्वारा उठाये गये सक्रिय उपायों से यह सुनिश्चित किया गया है कि एन.पी.ए.का स्तर यथासंभव न्यूनतम रहे.

समग्र रुप में, सकल एनपीए 31 मार्च, 2010 के ₹ 641.99 करोड़ से ₹ 200.25 करोड बढकर 31 मार्च 2011 को ₹ 842.24 करोड़ हो गया. बैंक का सकल एन

against $158,497 million (₹7,53,384 Crore), registering a growth of 37.50 per cent in Dollar terms over the same period last year. It is the first time that exports have crossed the $200 Billion mark.

Imports for the same period stood at $350,300 million (₹15,93,865 Crore) as against $258,746 million (₹12,28,944 Crore), registering a growth of 35.38 per cent in Dollar terms.

RBI had identified global demand and the exchange rate as the two most important drivers of export growth. The outlook for India's trade sector looks bright with a growth of 13.30 per cent as of February 2011. This needs to be moderated on account of the recent developments in world trade in the wake of political unrest in the Middle East and various other natural calamities.

12.3 International Banking Business of the Bank:

Merchant Foreign Exchange Business Turnover of the Bank crossed ₹23,000.00 Crore during the current financial year registering a growth of ₹7,500.00 Crore (47.82%) over the previous year. Treasury Branch at Head Office handles Inter bank foreign exchange and money market operations of the Bank. The Bank is having 38 Authorised Dealer branches spread across India for delivery of services under this segment to our customers. The Bank is also very active in the inter bank markets.

The Bank offers a wide variety of Trade Finance products to suit every customer's requirement for carrying out current account transactions. Customers are also provided competitive exchange rates for their foreign exchange transactions. Export credit is extended to exporters in Rupee as well as in foreign currency, at competitive rates so that they can compete in the international markets. The Bank also extends Gold Card Scheme to eligible exporters on liberal terms.

The Interest Rate Subvention for export finance announced by RBI was extended to all eligible exporters during FY 2010-11 and the benefit was passed on to them upfront.

The Bank is also giving its focused attention to NRI services and has opened NRI Cells at select branches to cater to the requirements of NRIs and Persons of Indian Origin.

Hassle free remittance facilities are offered to NRIs through delivery channels such as Dena IndiaRemit, Western Union Money Transfer and through a Rupee Drawing Arrangement with UAE Exchange Centre, Abu Dhabi.

13. Asset Quality & Recovery Management

The Bank repeated its commendable performance in maintaining asset quality and NPA management during the year 2010-11 also, irrespective of the unprecedented slippages experienced by the banking industry in general. The Bank's performance in NPA management is directly attributed to the concerted efforts made for upgradation of recently slipped NPAs, recovery through compromise settlements, action under SARFAESI Act etc which resulted in improving cash recovery and upgradations to a considerable extent. The proactive steps taken by the Bank in NPA reduction ensured that level of NPAs is restricted to the minimum possible.

The Gross NPA, in absolute terms, increased by ₹200.25 Crore from ₹641.99 Crore as on 31st March 2010 to ₹842.24 Crore as on

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

पी ए अनुपात 31.03.2010 के 1.80% में थोडा बढकर 31.3.2011 को 1.86% हो गया है. बैंक का निवल एनपीए 31 3 2011 को 1.22% था जब कि 31 3 2010 को वह 1.21% था. समग्र रूप में निवल एन पी ए ₹ 121.42 करोड़ बढकर 31 मार्च, 2010 के ₹ 427.53 करोड़ के स्तर से 31 मार्च 2011 को ₹ 548.95 करोड़ हो गया . प्रावधान कवरेज अनुपात (विवेकपूर्ण बट्टे खाता डालना) 74.62% रहा अर्थात् 70% की विनियामक आवश्यकता से अधिक है.

31st March 2011. Gross NPA ratio of the Bank increased marginally to 1.86% as on 31.03.2011 from 1.80% as on 31.03.2010. The Net NPA ratio of the Bank stood at 1.22% as on 31.03.2011 as against 1.21% as on 31.03.2010. Net NPAs, in absolute terms increased by ₹121.42 Crore from ₹427.53 Crore as on 31st March 2010 to ₹548.95 Crore as on 31st March 2011. Provision Coverage Ratio (including prudential write off) stood at 74.62% i.e. well above the regulatory requirement of 70%.

(₹ करोडों में in crores)

	मार्च March 2010	मार्च March 2011
सकल अग्रिम Gross Advances	35721.41	45163.37
सकल एनपीए Gross NPAs	641.99	842.24
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए % Gross NPA to Gross Advance %	1.80 %	1.86 %
निवल अग्रिम Net Advances	35462.44	44833.21
निवल एनपीए Net NPAs	427.53	548.95
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances	1.21 %	1.22%
प्रावधान कवरेज अनुपात (विवेकपूर्ण बट्टेखाते भी शामिल) Provision Coverage ratio (including Prudential write off)	78.61 %	74.62

नकद वसूली 2010 - 11 में ₹191.05 करोड रही और खातों में उन्नयन भी ₹.171.12 करोड हुए. बैंक ने बट्टे खाते लिखे गये खातों में पिछले वर्ष के दौरान की गई वसूली ₹.125.54 करोड की तुलना में इस वर्ष के दौरान ₹134.58 करोड की वसूली की जोकि अब तक की सबसे अधिक वसूली है.

The cash recovery during the year 2010-11 was at ₹ 191.05 Crore and upgradation in the accounts was ₹171.12 Crore. The Bank recorded an all time high recovery in written off accounts during the year at ₹ 134.58 Crore as against ₹ 125.54 Crore recorded during the previous year.

(₹ करोडों में in crores) (₹ in Crore)

	मार्च March 2010	मार्च March 2011
नए स्लिपेज Fresh Slippages	629.93	758.69
नकद वसूली Cash Recovery	195.43	191.05
उन्नयन Upgradation	228.42	171.12
बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली Recovery in Write Off	125.54	134.58

19.2 आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल

वर्ष के दौरान, समझौता निपटारा द्वारा वसूली प्रयासों को बढाने के लिए सभी प्रमुख केंद्रों में अधिकारियों को नामित करके एन पी ए की वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया. बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान चलाये गए. क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रमुख केंद्रों में वसूली कैंप और लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की गयीं. उच्च एन पी ए वाली शाखाओं में वसूली प्रबंधन की कार्रवाई करने के लिए पहचान किये गये अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित आधार पर आयोजित किये गये. क्षेत्रीय कार्यालयों के एन.पी.ए. वसूली कक्ष द्वारा निरंतर आधार पर एनपीए को कम करने में हुई प्रगति की समीक्षा की गई. छोटे एनपीए उधारकर्ताओं पर भी ध्यान दिया गया तथा बैंक ने (₹ 2.00 लाख तक के बकाया वाले) छोटे उधारकर्ताओं के लिए विशेष एकबारगी समझौता निपटान योजना को एक वर्ष और बढ़ाकर उसे दिनांक 31.3.2011 तक जारी रखा गया .

बैंक ने वर्ष की अंतिम तिमाही में ₹.25.00 लाख तक के छोटे बट्टे खाते लिखे गये खातों में वसूली के लिए गहन वसूली अभियान चलाये गये. जिसके फलस्वरुप, बैंक ने अभियान अवधि के दौरान 9979 खातों में ₹ 37.98 करोड की वसूली की.

19.2 Initiatives on Improvement in Asset Quality

Special attention was given to recovery in NPAs during the year by designating recovery facilitator's at all major centres to augment recovery efforts through negotiated settlements. Special recovery drives were introduced for recovery in written off accounts. Recovery Camps and Lok Adalats were organized at Regional Offices and major centres on regular intervals. Training programmes were conducted for identified officers for handling recovery management at high NPA branches on a regular basis. The progress made in reduction of NPAs was reviewed on a regular basis by NPA Recovery Cells at Regional Offices. Attention was also paid to the small NPA borrowers and the Bank had extended Special One Time Settlement scheme for Small Borrowers (outstanding up to ₹ 2 lacs) by another year i.e. up to 31st March 2011.

Bank also launched an intensive recovery campaign for recoveries in small NPA a/cs with outstanding upto ₹25.00 lacs in the last quarter of the year. As a result Bank was able to recover ₹ 37.98 Crore covering 9979 accounts during the campaign period.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न केद्रों मे 1526 वसूली शिविरों का आयोजन किया जिनमें 21340 उधारकर्ताओं ने भाग लिया. वर्ष के दौरान इन वसूली शिविरों के माध्यम से ₹ 19.52 करोड के 2032 एनपीए खातों का निपटारा किया गया एवं ₹. 34.11 करोड़ के 1242 खातों का उन्नयन किया गया.

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक की एक बारगी समझौता निपटान योजना के अंतर्गत एकबारगी समझौता निपटान के लिए ₹.93.13 करोड की समझौता राशि के कुल 4145 खातों पर विचार किया गया, जिनमें ₹109.88 करोड़ की नकद वसूली हुई जिनमें पूर्व वर्षों में अनुमोदित एक बारगी समझौता प्रस्ताव भी शामिल हैं, जबकि मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान 4246 खातों पर विचार किया गया था जिनमें समझौता राशि ₹.91.41 करोड की थी और उनमें नकद वसूली ₹.83.31 करोड की हुई थी.

14. विधिक सेवाएं / सूचना अधिकार अधिनियम

14.1 बैंकों / वित्तीय संस्थाओं और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए का विक्रय

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 23.04.2003 तथा 13.07.2005 को जारी किए गए दिशानिदेशों के अनुसरण में, बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान 6 एन पी ए खाते नकदी आधार पर ₹.28.70 करोड के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे हैं.

14.2 सरफाइसी अधिनियम, 2002 के अधीन वसूली :

वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन, 2002 (सरफायसी) अधिनियम के अंतर्गत एन पी ए खातों में वसूली के लिए बैंक ने ₹ 357.89 करोड़ की राशि वाले पात्र खातों में 1160 नोटिस जारी किये. वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक 2244 खातों (इनमें वे खाते भी शामिल हैं, जिनमें नोटिस पिछले वर्ष जारी किये गये थे) में ₹ 181.99 करोड़ की राशि वसूल करने में सफल रहा.

14.3 लोक अदालत के माध्यम से वसूली :

विधिक सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत गठित लोक अदालत के माध्यम से विवादों के शीघ्र समाधान और अपने चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए बैंक अधिकतम लोक अदालतों की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करता है जिसमें मुकद्मा पूर्व एवं मुकद्मा के बाद अर्थात् वाद दायर एवं गैर वाद दायर खातों को निपटान हेतु रखा जा सके. वर्ष 2010 -11 के दौरान बैंक ने (पिछले वर्षों में निपटाए गए मामले भी शामिल) 3847 खातों में ₹ 4.36 करोड वसूल किए.

14.4 ऋण वसूली अधिकरण / सिविल न्यायालय में दायर वादों के माध्यम से वसूली :

31.03.2011 को हमारे बैंक में ₹.1385.39 करोड की राशि के 2393 दावा दायर खाते विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों/ सिविल न्यायालयों में लंबित हैं तथा ₹.869.99 करोड राशि के 1819 डिक्रीकृत खाते विभिन्न ऋण वसूली अधिकरणों/ सिविल न्यायालयों में लंबित हैं. बैंक ने उपर्युक्त दावा दायर एवं डिक्रीकृत खातों में वर्ष के दौरान रु.65.78 करोड़ की राशि वसूल की.

14.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मामले (बीआईएफआर):

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वसूली नीति के अनुसार, बीआईएफआर मामलों का समन्वय करने के लिए नई दिल्ली कार्यालय में एक नोडल अधिकारी की पहचान की गई है. वर्ष के दौरान, समझौते, बीआईएफआर द्वारा संदर्भ किए जाने/ ए आर सी को संपत्ति बेचे जाने के कारण 7 मामलों को हटा दिया गया

Bank conducted 1526 recovery camps in various Regions during the year, which were attended by 21340 borrowers. A total of 2032 accounts were settled for ₹ 19.52 Crore and 1242 accounts were upgraded for ₹34.11 Crore during the year through such recovery camps.

A total of 4145 accounts were considered under compromise settlement for an amount of ₹ 93.13 Crore under bank's OTS scheme during the year ended March 2011 against which a cash recovery of ₹ 109.88 Crore including OTS approved in previous year/s was effected as against 4246 accounts with compromise amount of ₹91.41 Crore with cash recovery of ₹83.31 Crore effected during the year ended March 2010.

14. Legal Services/ RTI Act

14.1 Sale of NPA amongst Banks / FIs and ARC:

In Terms of the RBI Guidelines issued on 23.04.2003 and 13.07.2005, the Bank has during 2010-11, sold 6 NPA accounts to ARC for ₹28.70 Crore on cash basis.

14.2 Recovery under SARFAESI Act, 2002:

For expediting recovery in NPA accounts under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) during the year 1160 Notices were issued in the eligible accounts involving an amount of ₹357.89 Crore. The Bank was successful in recovering an amount of ₹181.99 Crore in 2244 accounts (including those where notices were issued during previous years) during the year 2010-2011.

14.3 Recovery through Lok Adalats:

For an early resolution of disputes and recoveries from its defaulters through Lok Adalats constituted under Legal Services Authorities Act. The Bank endeavors to arrange maximum Lok Adalats wherein both pre and post litigation i.e. suit filed and non suit filed accounts can be placed for settlement. The Bank has recovered ₹4.36 Crore during 2010-11 (inclusive of recovery made in the cases settled during previous years), in 3847 accounts.

14.4 Recovery through Suits in the Debt Recovery Tribunal / Civil Court:

As of March 2011, the Bank is having 2393 Suit Filed accounts in various DRT / Civil Courts involving an amount of ₹1385.39 Crore and 1819 Decreed accounts in various DRTs / Civil courts involving an amount ₹869.99 Crore. During the year, the Bank has recovered of ₹65.78 Crore in the above suit filed and Decreed accounts.

14.5 BIFR Cases:

In terms of Recovery Policy approved by the Board, a Nodal Officer stationed at New Delhi, has been identified for co-coordinating the BIFR Cases. During the year, 7 cases were removed on account of closure of accounts due to compromised, rejection / abatement of reference by BIFR/ asset sold to ARCs. The Bank has recovered

है. बैंक ने ₹ 30.27 करोड़ की रकम वसूल की. वर्ष के दौरान ₹.4.25 करोड की राशि का 1 नया मामला / संदर्भ जोडा गया. वर्ष के अंत में बीआईएफआर / एएआईएफआर के समक्ष ₹ 21.91 करोड़ के 24 मामले लंबित हैं.

14.6 सूचना के अधिकार का अधिनियम :

सूचना के अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत भारत के नागरिकों से प्राप्त निवेदनों पर विचार करने हेतु बैंक ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को नामित किया है. बैंक ने राज्य लोक सूचना अधिकारी / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के खिलाफ अपीलों के निपटान के लिए कार्यपालक निदेशक को अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है. दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक ने पारदर्शिता अधिकारी को भी नियुक्त किया है.

वर्ष के दौरान बैंक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 788 आवेदन प्राप्त हुए तथा मानदंडों के अनुसार 794 आवेदनों (पिछले वर्ष के 29 आवेदन भी शामिल) का निपटान किया गया. वर्ष के दौरान अपील प्राधिकारी को 198 अपील प्राप्त हुई जिनमें से मानदंडों के अनुसार 180 अपीलों (पिछले वर्ष के 07 अपील भी शामिल) का निपटान किया गया.

15. सरकारी कारोबार

सरकार से संबंधित लेनदेनों को करने हेतु 2006 से प्रधान कार्यालय में सरकारी कारोबार विभाग कार्यरत है. इसमें प्रत्यक्ष कर , केंद्र सरकार के लिए उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर की वसूली, ई भुगतान एवं भौतिक मोड के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों 1के लिए वाणिज्यिक कर की वसूली, केंद्र एवं राज्य सरकार पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान, उन मंत्रालयों के खातों का रखरखाव जिनके लिए हमारा बैंक नामित है, गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ राज्यों में केंद्र एवं राज्य सरकारों के राजकोष कारोबार संभालना, केंद्र सरकार की ओर से पी.पी.एफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं, आर.बी.आई बाण्डों / बचत बाण्ड कारोबार संभालना, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकारों के लिए बैंकिंग कारोबार करना आदि सभी प्रकार के सरकारी कारोबार क्रियाकलाप शामिल हैं. हम उन राज्यों में विभिन्न सरकारी कारोबार क्रियाकलापों के लिए प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं जिनसे हमें आज तक प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ है.

वर्ष के दौरान बैंक ने महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर एवं मूल्य वर्धित कर के ई भुगतान की सुविधा का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है.

बैंक, नये प्रयास के रूप में अखिल भारत स्तर पर सभी शाखाओं में पी.पी.एफ, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और भा.रि.बैं / बचत बाण्ड योजना के केंद्रीकरण पर कार्य कर रहा है.

बैंक ने गुजरात में साइबर राजकोष एवं महाराष्ट्र में वर्चुअल राजकोष के लिए प्राधिकर प्राप्त किया है जिसमें गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार की ओर से 13 प्रकार की राजस्व वसूली शामिल हैं. बैंक द्वारा अब तक यह कारोबार नहीं किया गया है. गुजरात राज्य के लिए साइबर माड्यूल का विधिवत् विकास, परीक्षण किया गया है और वह कार्यान्वयन के लिए तैयार है.

बैंक ने दादरा एवं नगर हवेली, संघ शासित क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से वाणिज्य करों की वसूली के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है. अब तक हमारा बैंक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किसी प्रकार के राजस्व तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ शासित क्षेत्र के लिए वाणिज्य करों की वसूली करने के लिए प्राधिकृत नहीं है.

बैंक ने आई.जी.आर, पुणे से महाराष्ट्र के लिए ई-बैंकिंग के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है तथा अब उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है.

sum of ₹30.27 Crore. 1 new case / reference was added during the year involving an amount of ₹4.25 Crore. At the end of the year, 24 cases involving ₹21.91 Crore are pending before BIFR/AAIFR.

14.6 Right to Information Act:

Bank has designated State Public Information Officers & Central Public Information Officers for dealing with requests received from Citizen’s of India under RTI Act, 2005. Bank has also designated the Executive Director as Appellate Authority to dispose the appeals received against the decision of SPIO/CPIO. In compliance of the Guidelines Bank has also appointed Transparency Officer.

During the Year the Bank has received 788 requests under RTI Act, and disposed off 794 requests (inclusive 29 requests carried forward from previous year) as per the norms. The Appellate Authority has received 198 Appeals and disposed off 180 Appeals (inclusive 7 Appeals carried forward from previous year) as per norms during the year.

15. Government Business

The Government Business Department is functional at Head Office since 2006 and is dealing exclusively in Government related Transactions. All types of Government business activities such as collection of Direct taxes, Central Excise & Service Taxes for the Central Government, collection of commercial taxes for various state Governments through e-payment as well as physical mode, doing Pension payment of Central and State Government pensioners, maintaining accounts of those ministries for which our Bank is accredited, handling Treasury Business of Central and State Governments in the states of Gujarat, Maharastra and Chhatisgarh, handling PPF, Senior Citizen Savings Schemes, RBI Bonds / Savings Bond on behalf of Central Government, as well as doing Franking business for Rajasthan, Gujarat & Maharastra Government. We are trying to get authorization of various Government Business activities in those states too where we are not accredited to do the same as on date.

During the year, Bank has implemented the facility of E-payment of Maharastra Sales Tax, CST and VAT in Maharastra successfully.

As a new endeavor Bank is working on centralization of PPF, Senior Citizen Savings Scheme and RBI / Savings Bonds scheme in all the branches through out the country.

Bank has received authorization for the Cyber Treasury in Gujarat and Virtual Treasury in Maharastra which includes collection of 13 types of Revenue collection on behalf of Gujarat and Maharastra Government, most of them have remained untouched hitherto by our Bank. Cyber Treasury Module for the state of Gujarat is duly developed, tested and ready for implementation.

Bank has also obtained approval for collection of commercial taxes from DADRA & NAGAR HAVELI, the Union territory & UP Government. Hitherto, our Bank was not authorized to collect any type of revenue for UP Government and commercial taxes for the UT of Dadra & Nagar Haveli.

Bank has received approval for e-franking from IGR, Pune for Maharastra and now is in process of implementing the same.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

उपर्युक्त सभी प्रयास न केवल बैंक के ग्राहकों को विभिन्न कर भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं, बल्कि बैंक की आय भी बढाते हैं.

विभाग, रेल्वे एवं दूर संचार प्राधिकारियों से एकल पटल प्रणाली (एस डब्ल्यु एस) पर कार्य कर रहा है. इस प्रणाली से वर्तमान में 63 केंद्रों में किये जानेवाले कार्य के बजाय इसका सुचारु रूप से परिचालन पेंशन एवं टी.ओ.सी के रूप में वितरित राशि की शीघ्र प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करेगा.

बैंक की वेब साइट एवं इंट्रानेट पर पेंशन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

पेंशनभोगियों या अन्य किसी प्राधिकारी से प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटान किया गया है.

वर्ष के दौरान सरकारी कारोबार से आय ₹ 6.53 करोड से ₹ 9.04 करोड तक बढ गयी है जोकि वर्ष के दौरान 38% वृद्धि दर्शाती है. गुजरात में साइबर राजकोष, महाराष्ट्र में वर्चुअल राजकोष, उत्तर प्रदेश एवं नगर हवेली में वाणिज्य कर की वसूली के प्राधिकार प्राप्त होने से इसके कार्यान्वयन पर हमारी आय और अधिक बढेगी.

16. बैंक बीमा

अन्य पक्ष उत्पादों की बिक्री

बैंक मूल्य वर्धन के रूप में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करने एवं ब्याजेतर आय को बढाने के उद्देश्य से अन्य पक्ष उत्पादों यथा, बीमा एवं म्युचुअल निधियों के वितरण के क्रियाकलाप कर रहा है.

म्युचुअल फंड उत्पादों का वितरण

बैंक ने अपनी शाखाओं के माध्यम से म्युचुअल फंडों के वितरण के लिए 14 प्रमुख म्युचुअल फंडों की आस्ति प्रबंधन कंपनियों (ए एम सी) से योजनाबद्ध विपणन गठजोड़ किया है.

बीमा उत्पादों का वितरण

बैंक ने सभी शाखाओं में ग्राहकों को सभी बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ उनके जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए कारोबारी गठजोड़ व्यवस्था की है.

बैंक की शाखाओं में ही निर्यातकों को विभिन्न निर्यात बीमा पॉलिसियां उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने निर्यात साख गारंटी निगम (ईसीजीसी) के साथ गठबंधन किया है.

बैंक के निदेशक मंडल ने ग्राहकों को सामान्य बीमा उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु युनाइटेड इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ गठजोड व्यवस्था करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है. इस गठजोड व्यवस्था के अंतर्गत परिचालन वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम तिमाही में आरंभ हो जाएगा.

17. डिपाजिटरी सहभागिता सेवाएं

बैंक वर्ष 1998 से अपने ग्राहकों को पूंजी बाजार शाखा से डिपाजिटरी सेवाएं प्रदान कर रहा है. इस संबंध में एक प्रमुख शुरूआत के रूप में बैंक ने नया बैंक ऑफिस सॉफ्टवेयर खरीदा है. बैंक अब इस सॉफ्टवेयर की सहायता से 90 शाखाओं से सेवाएं प्रदान कर रहा है. कर्मचारियों में इस संबंध में जागरूकता लाने हेतु पूरे भारत में बैंक के 160 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और अब वे विधिवत् प्रमाणित डिपाजिटरी सेवा अधिकारी हैं.

All the above endeavors will not only facilitate the Banks' customers to pay various revenues but also add to the income of the Bank.

Department is Working on 'Single Window System' [SWS] with Railway and Tele- Communication authorities. This system will ensure smooth functioning and quick reimbursement of the amount disbursed as pension & TOC on it instead of 63 centers at present.

Pension Portal was made available at the Bank's web site and Intranet.

Complaints received from the pensioners or any other authority are taken on priority and resolved at the earliest.

Income from Government Business is increased from ₹6.53 Cr. to ₹9.04 Cr. and registered a growth of 38% during the year. The authorization of Cyber Treasure, in Gujarat, Virtual Treasury in Maharastra, Collection of Commercial Taxes in U.P and Dadra and Nagar Haveli will further increase our income after implementation of the same.

16. Bancassurance

Sale of Third Party Products

The Bank has taken up the activity of distribution of third party products viz. Insurance and Mutual Funds, with a view to provide a wide range of financial services to its customers as a value addition, as also to augment its non-interest income.

Distribution of Mutual Fund products

The Bank has strategic marketing alliance with Asset Management companies of 14 major Mutual Funds for distribution of their mutual fund products through the Bank's branches.

Distribution of insurance products

The Bank has an existing Bancassurance tie up with the Life Insurance Corporation of India for distribution of their life insurance products, which enables our customers to avail of their entire range of life insurance products at all branches.

The Bank has also tied up with the Export Credit Guarantee Corporation [ECGC] as a result of which our exporter clients can avail of their export insurance policies at the Bank's branches itself.

The Bank's Board has given approval for tie up with the United India Insurance Co. Ltd. which would enable the Bank to offer general insurance products also to the customers. The tie up would be operationalized in the first quarter of the financial year 2011-12.

17. Depository Participant Services

Bank has been extending Depository Services to its customers since 1998 from Capital Market Branch. As a major initiative in this regard Bank has purchased a new Back Office software. With the Back office software in place Bank has now extended the services from 90 Branches. In order to create awareness among the staff more than 160 officers of the Bank all over India have been trained and are duly certified Depository Services officers.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

बैंक ग्राहकों के लिए ऑन लाइन ट्रेडिंग कार्यान्वयन और ए एस बी ए सुविधाएं देने की प्रक्रिया में है और इससे बैंक के लिए ब्याजेतर आय कमाने का अवसर प्राप्त होगा.

18. आय और व्यय

18.1 आय

वर्ष के लिए बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के ₹ 4598.99 करोड़ के स्तर में ₹ 968.38 करोड (21.06%) बढ़कर ₹ 5567.37 करोड़ हो गई.

बैंक की ब्याजगत आय 25.51% की वृद्धि के साथ ₹ 5033.53 करोड रही

बैंक की आय की वृद्धि में अग्रिमों से प्राप्त ब्याज में 26.95% वृद्धि मुख्य कारक रहा. बैंक द्वारा उच्च आय वाले ऋणों तथा लघु तथा मध्यम उद्यम एवं रिटेल तथा कृषि आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति अपनाए जाने के कारण और बडे कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्मूल्यांकन के कारण यह संभव हो सका. निवेशों से प्राप्त ब्याज आय में 24.26 % की वृद्धि हुई.

शुल्क आधारित आय में वृद्धि ₹ 65.67 करोड (21.21%) रही जिससे वह मार्च 2010 के ₹ 309.58 करोड से बढ़कर मार्च 2011 में रु.375.25 करोड़ हो गई.

18.2 व्यय

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कुल व्यय में 15.57% की वृद्धि हुई. इसका मुख्य कारण दूसरा पेंशन विकल्प का कार्यान्वयन तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि के कारण कर्मचारियों के व्यय में 34.52 % की वृद्धि थी.

18.3 लाभप्रदता विश्लेषण

गत वर्ष के दौरान बैंक की निवल ब्याजगत आय पिछले वर्ष की ₹ 1100.03 करोड की तुलना में इस वर्ष ₹ 1763.37 करोड हो गई अर्थात् इसमें 60.30% की वृद्धि हुई.

वर्ष के दौरान बैंक ने बट्टे खाते लिखे गए अग्रिमों में वसूलियों पर जोर देना जारी रखा जिसके फलस्वरूप इसमें ₹.134.58 करोड की वसूली हुई. पिछले वर्ष के दौरान इन अग्रिमों में वसूली ₹.125.54. करोड थी.

18.4 परिचालनगत लाभ

पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए ₹ 840.58 करोड की तुलना में बैंक के इस वर्ष का परिचालनगत लाभ 45.59% बढकर ₹ 1223.79. करोड हो गया. लाभ में यह वृद्धि दूसरा पेंशन विकल्प दिये जाने एवं ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि के लिए प्रावधान किये जाने के बाद हुआ है.

18.5 निवल लाभ

ब्याज लागत को कम करने पर बैंक का ध्यान केंद्रित होने के साथ, बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली पर अत्यधिक बल तथा उच्च प्रतिफल वाले अग्रिमों के अवसरों पर ध्यान देने के कारण बैंक वर्ष के दौरान निवल लाभ में 19.63% की वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा. बैंक का निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹ 511.25 करोड की तुलना में ₹.611.63 करोड हुआ.

आय, व्यय तथा प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं की पिछले वर्ष से तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:

Bank is in the process of implementing of On-line trading and ASBA facilities for the customers of the Bank and is expected to generate Non interest income for the Bank.

18. Income and Expenses

18.1 Income

Total income of the Bank for the year has increased by ₹968.38 Crore. (21.06%) and stood at ₹5567.37 Crs. as compared to an Income of ₹4598.99 Crore earned during the previous year.

Interest income of the Bank has increased by 25.51% to record a level of ₹5033.53 Crore.

Growth in interest income of the Bank was achieved mainly due to an increase in the interest income from advances i.e. by 26.95%. The achievement could be attributed to the strategies adopted by the Bank by concentrating on high yielding credit viz. SME, Retail & Agriculture, etc. and re-pricing of bulk corporate loans. Interest income from investments showed an increase of 24.26%.

Fee based Income has increased by ₹65.67 crore (21.21%) from ₹309.58 crore as of March 2010 to ₹375.25 crore as of March 2011.

18.2 Expenses

Total expenses has registered an increase of 15.57% over the previous year. This was mainly on account of increase in Staff Expenses 34.52% due to implementation of second pension of option and increase in Gratuity limits.

18.3 Profitability Analysis

Bank's net interest income (NII) has increased substantially by 60.30% and stood at ₹1763.37 Crore as compared to ₹1100.03 Crore posted during the previous year.

The Bank has continued to give thrust on recoveries in written off advances during the year, which resulted in recovery of ₹134.58 Crore under this segment. During the previous year, the recovery under this segment was ₹125.54 Crore.

18.4 Operating Profit

Operating profit of the Bank has registered an increase of 45.59% and stood at ₹1223.79 Crore as compared to ₹840.58 Crore posted during the previous year. This growth is after providing for second pension option and increase in gratuity limits.

18.5 Net Profit

With the Bank's focus on containing interest costs, looking for opportunities of high yielding advances and a major thrust on recovery in written off accounts, the Bank has successful in posting 19.63% rise in Net Profit during the year. The Net Profit of the Bank stood at ₹611.63 Crore as against ₹511.25 Crore posted during the previous year.

A comparison of income, expenses and provisions & contingencies with the previous year is given hereunder:

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

(₹ करोड में ₹ in crore) (₹ in crore)

विवरण Particulars	वि.व.FY 09-10	वि.व.FY10-11
ब्याज आय Interest Income	4010.36	**5033.53**
गैर ब्याज आय Non Interest Income	588.63	**533.84**
कुल आय Total Income	4598.99	**5567.37**
ब्याज व्यय Interest Expenses	2910.33	**3270.16**
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	848.08	**1073.42**
कुल व्यय Total Expenses	3758.41	**4343.58**
परिचालनगत लाभ Operating Profit	840.58	**1223.79**
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	329.33	**612.15**
निवल लाभ Net Profit	511.25	**611.63**

19. विपणन पहल:

वर्ष 2010 -11 के दौरान प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार किया गया.

बैंक की कार्पोरेट छवि निर्माण के लिए वर्ष के दौरान बैंक के नये उत्पादों, कीर्तिमान उपलब्धियों के बारे में प्रमुख समाचार पत्रों में अखिल भारतीय विज्ञापन और अन्य विज्ञापन जारी किये गये. अंतिम तिमाही में नये टीवी कमर्शियल तैयार किये गये और वे प्रमुख टेलिविजन चैनलों के माध्यम से जारी किये गये, इनमें लोकप्रिय मनोरंजन, समाचार, सिनेमा तथा क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल शामिल थे.

टीयर I शहरों में विज्ञापन स्तर को कायम रखने के अलावा, टीयर II एवं टीयर III शहरों में होर्डिंग एवं ग्लोसाइन पर विज्ञापन के माध्यम से बैंक का प्रचार किया गया.

बैंक ने अन्य नवोन्मेष माध्यमें जैसे कि मुंबई में पश्चिम एवं सेन्ट्रल लाइनों पर स्थानीय ट्रेनों पर पूरी ट्रेन ब्रेंडिंग, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उ.प्र. एवं कर्नाटक आदि में शताब्दी एवं ई.एम.यू रेल गाडियों पर प्रदर्शन पैनल लगवाना आदि.

महाराष्ट्र एवं गुजरात क्षेत्रों में बिजली के बिलों के पूरे बैंकिंग द्वारा एक बडा बैंकिंग कार्य किया गया. बैंक के विज्ञापन मुख पृष्ठ और पिछले पृष्ठ पर विज्ञापन पैनल में प्रदर्शित किये गये.

नयी शाखाएं खुलने के बारे में भी समाचारपत्र विज्ञापन, होर्डिंग तथा पर्ची वितरण के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया.

20. जोखिम प्रबंधन

20.1 बैंक ने संरचनाबद्ध जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रभावी ढांचा स्थापित किया है, जिस पर समेकित जोखिम प्रबंधन की निदेशक समिति द्वारा निगरानी रखी जाती है. आस्ति देयता (आल्को), साख जोखिम प्रबंधन (सीआरएमसी) एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएमसी) पर प्रबंधन स्तरीय समितियां केंद्रीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के मुख्य अंग हैं. बैंक ने परिचालनगत जोखिम घटकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी नियंत्रक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों में जोखिम प्रबंधकों की भी पहचान की है और उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है.

20.2 बैंक ने बासेल-II मानदंडों के अनुरूप एवं ऋण और बाजार जोखिमों को प्रभावकारी तरीके से व्यवस्थित करने की दृष्टि से जोखिम संबंधित अपनी नीतियों को निरंतरता के आधार पर संशोधित और अद्यतन बना रहा है. बैंक की सभी संकटकालीन प्रक्रियाओं हेतु कारोबारी निरंतरता योजनाएं बनाई गई

19. Marketing Initiatives

During the year 2010-11, a wide publicity was given to different products & schemes of our Bank through press, electronic and Outdoor media.

Pan India Advertisements were released in Major Newspapers on launch of new Products, Landmark achievements of the Bank during the year and other Advertisements to build the Corporate Image of the Bank. In the last quarter New TV Commercials were made and released on major Television Channels taking a mix of popular Entertainment, News and Movie & regional language channels.

Bank's visibility was increased in Tier II & Tier III cities through advertising on Hoardings and Glow signs in these cities besides maintaining the level in Tier I Cities.

The Bank has also utlised other innovative mediums such as Full Train Branding, of the Local Train on the Western & Central lines in Mumbai, Display Panels on Shatabdi & EMU trains in Delhi, Punjab, Haryana, UP & Karnataka etc.

A major branding exercise was done by complete Branding of the Electricity Bills in Maharashtra & Gujarat Regions. Advertisement of the Bank appeared on the Front & Back Advertising Panels.

Wide publicity was also given to the opening of new branches, through News Paper Ads, Hoardings, and Leaflet distribution.

20. Risk Management

20.1 The Bank has put in place structured risk management systems & architecture that is overseen by a Committee of Directors on Integrated Risk Management. Management level Committees on Asset Liability (ALCO), Credit Risk Management (CRMC) and Operational Risk Management (ORMC) constitute the core level of focused risk management architecture. The Bank has also identified Risk Managers at all controlling offices and at Head office departments to focus on operational risk factors and arranged for their training.

20.2 The Bank is continuously revising and updating its risk related Policies in line with the Basel II norms, changes in operating environment and with a view to manage credit and market risks in an effective manner. Business Continuity Plans have been

हैं. बैंक ने अपने कोर बैंकिंग परिचालनों के लिए परिचालनगत आपदा प्रबंधन केंद्र (डी.आर.सी.) भी स्थापित किया है और वर्ष के दौरान उसकी व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए डी.आर.सी. की शृंखला का उपयोग भी किया गया है.

20.3 बैंक के मिड ऑफिस को मजबूत किया गया है और बाजार जोखिम की प्रभावी निगरानी करने के लिए इसके क्रियाकलाप अधिक व्यापक आधार पर बनाए गए हैं. आगे, प्रभावी निगरानी के लिए बैंक के मिड आफिस में एक सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन किया गया है. उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन की जांच के लिए एक प्रणाली आरंभ की गई और आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु ऋण निगरानी प्रणाली को और अधिक सरल व कारगर बनाया गया है.

20.4 बैंक ने दस आंतरिक साख रेटिंग मॉडलों को शुरू किया एवं कार्यान्वित किया है जिसमें रिटेल अग्रिमों के लिए 4 आंतरिक साख रेटिंग मॉडल शामिल हैं. ऋण की मात्रा के अनुसार लागू मॉडल I, II, एवं III सामान्य मॉडल हैं. मूलभूत संरचना एवं ₹100 करोड से अधिक राशि की परियोजना के लिए विशिष्ट मॉडल लागू है. बैंक ने नियामक के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंक की समेकित जोखिम रूपरेखा तैयार करने की प्रणाली को जारी रखा है जिससे समन्वित जोखिम प्रबंधन करने में सुविधा होगी.

21. मानव संसाधन प्रबंधन

21.1 बैंक यह विश्वास करता है कि आंतरिक लोंगों की क्षमता का बैंक की क्षमता शक्ति से सीधा संबंध है. संस्था के अंदरूनी व्यक्ति संस्था की सफलता एवं मूल्य सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यदि बैंक के कर्मचारी क्षमता रखते हैं तो बैंक सफल होता है - उनकी क्षमता है जो दूरदृष्टि एवं रणनीति को कार्य रूप में परिवर्तित करता है, अधिक संतुष्ट ग्राहकों को लाता है और वित्तीय कार्यनिष्पादन के उच्च स्तर प्राप्त करता है. आगे, गतिशील बैंकिंग परिदृश्य में आवश्यक प्रशिक्षण एवं पुनःप्रशिक्षण देते हुए कार्य निष्पादन के दक्षता मानकों को सुधारने हेतु कर्मचारियों के ज्ञान एवं निपुणता को अद्यतन बनाना बहुत जरूरी है. इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने निरंतर शिक्षा का अवसर देते हुए अपने कर्मचारियों के कौशल में वृद्धि व निखार लाने पर ध्यान केंद्रित किया.

वर्ष के दौरान, बैंक ने साख, ग्रामीण बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, खजाना, रिटेल बैंकिंग, सूचना तकनीकी, विपणन, प्रबंधन विकास, ग्राहक अभिमुखीकरण आदि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में 6343 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है. बैंक ने पदोन्नति परीक्षाएं तथा परिवीक्षा अधिकारी परीक्षा तथा लिपिकीय भर्ती परीक्षाओं में बैठनेवाले अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान किया. अजा / अजजा उम्मीदवारों को 10 दिन का एवं सामान्य उम्मीदवारों के लिए 4 दिन का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया. चयनित बैच अधिकारियों को गहन साख प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पहल शुरू की गई है.

बैंक अपने कार्यपालकों एवं अधिकारियों को निपुणता विकास के नये क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने एवं कार्यपालकों एवं अधिकारियों को विशाल कार्य दायरा प्रदान करने की दृष्टि से भारत और विदेशों में सुस्थापित प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बाहरी प्रशिक्षण संसाधनों की विशेषज्ञता का भी उपयोग करता है. वर्ष के दौरान 10 कार्यपालकों / अधिकारियों को प्रशिक्षण/ सम्मेलन में भाग लेने हेतु विदेश भेजा गया.

सामान्य कारणों अर्थात् सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि के कारण बैंक की स्टाफ की संख्या 31 मार्च 2010 की 10,525 से घटकर वित्त वर्ष 2010 -11 के अंत तक 9953 हो गयी. इस कुल संख्या में 3,979 अधिकारी, 3921 लिपिक और 2,053 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें 2,051 महिला कर्मचारी शामिल हैं. बैंक

formulated for all critical processes of the Bank. The Bank has also set up Disaster Recovery Centre (DRC) for its Core Banking Operations. For ensuring professional efficiency, series of DRC were made use during the year.

20.3 Mid-Office of the Bank was strengthened and its functions were made broad based further for an effective monitoring of market risk. Further, at Mid-office, a software has been implemented for operational efficiency. A system of verification of the credit rating of borrowers was also introduced and credit monitoring system was further streamlined for focused attention on improvement in asset quality.

20.4 The Bank has introduced and implemented ten internal Credit Rating models including 4 internal Credit Rating models for retail advances. Model I, II and III are general models applicable as per size of exposure. Specific Model is applicable for infrastructure and project size over ₹100 Crore. The Bank continued with the system of comprehensive risk profiling of the Bank in line with regulatory guidelines that will facilitate integrated risk management.

21 Human Resource Management

21.1 Bank believes that internal people capability is directly related to competitive strength of the Bank. People within the organisation hold the key to the organisation's success and value creation. Bank succeeds if people within are capable - it is their capabilities that translate the vision and strategy into execution, bring about more satisfied customers and higher levels of financial performance. Further, in the vibrant banking scenario, it is very much necessary to update knowledge and skill of employees to improve the efficiency standards of performance by imparting necessary training and retraining. Keeping this in view, Bank had focused on enhancement and sharpening of the skills of its staff by providing continuous learning opportunities.

During the year, the Bank had provided training to 6343 employees in thrust areas of Credit, Rural Banking, Retail Banking, Risk Management, Treasury, Marketing, Information Technology, Management Development, Customer Orientation, etc. The Bank had also conducted pre-examination training for SC/ST candidates appearing for Promotion Tests & Bank's Probationary Officers' examinations as well as clerical recruitment. Pre-promotion training to SC/ST candidates for 10 days and to General candidates for 4 days were also given. Initiatives for imparting/grooming selective batch officers for intensive credit training have been started.

The Bank also utilizes external training resources from reputed management institutes and training institutions in India and abroad, with a view to providing specialized training in newer areas of skill development as also to provide wider exposure to executives and officers. During the year, 10 executives / officers were sent abroad for attending training/conference.

The staff strength of the Bank declined from 10,525 as of 31st Mar, 2010 to 9,953 at the end of the FY 2010-11 due to natural wastages viz. retirement, death etc. The total strength comprises of 3,979 Officers, 3,921 Clerks and 2,053 Subordinate staff, including 2,051

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित स्तर के अनुरूप थी.

बैंक ने अपने कारोबार स्तर बढाने एवं नयी शाखाएं खोलने के लिए कर्मियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्ष के दौरान विभिन्न वेतनमान एवं श्रेणियों में 564 अधिकारियों (जिसमें 100 परिवीक्षा अधिकारी शामिल हैं) एवं 250 लिपिकों की भर्ती का कार्य आरंभ किया है. 564 अधिकारियों में से विदेशीमुद्रा, साख एवं कृषि क्षेत्रों में केंपस साक्षात्कार के माध्यम से 112 विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं.

21.2 अजा / अजजा / अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों के लिए शिकायत निवारण पद्धति

बैंक ने अजा/अजजा तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महाप्रबंधक के संवर्ग के कार्यपालक को नामित किया है. समस्याओं / शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय में नियमित अंतरालों पर अखिल भारतीय देना बैंक अजा / अजजा / अ.पि.व. कर्मचारी महासंघ के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की गई हैं.

21.3 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान वृद्धि एवं विकास के लिए औद्योगिक संबंध अनुकूल रहे. औद्योगिक संबंध पहल के भाग के रूप में व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने हेतु बैंक में शिकायत निवारण पद्धति उपलब्ध है.

22 सूचना तकनीकी पहल

22.1 कोर बैंकिंग समाधान (सी बी एस) - "देना गरिमा"

ग्राहक संतुष्टि और कारोबार वृद्धि को बढाने की दृष्टि से बैंक ने तकनीक के माध्यम से रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू की. बैंक के कोर बैंकिंग परिचालन के लिए, बैंक ने आद्योपांत समाधान हेतु सूचना तकनीक समर्थित सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी सेवा प्रदाता मे. विप्रो की सेवाएं ली हैं. इसे मेसर्स इन्फोसिस प्रौद्योगिकी लि. से फिनैकल सॉफ्टवेयर का सहयोग प्राप्त है. कोर बैंकिंग प्रणाली में समेकित खजाना प्रणाली के सॉफ्टवेयर के अलावा, ग्राहकोनुकूल सेवाओं का पुलिन्दा है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाईल बैंकिंग और नकदी प्रबंधन सेवाएं आदि उपलब्ध हैं. मुख्यत: विनियामक सरोकारों की ओर उन्मुख रहने की दृष्टि से कोर बैंकिंग के साथ अनेक संख्या में तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर समाधान समेकित किए जा रहे हैं.

इस परियोजना का शुभारंभ मुंबई में दिनांक 12 मार्च, 2007 को माहिम शाखा में विद्यमान परिचालन का रूपांतरण करके किया गया.

मार्च 2011 तक सभी 1291 शाखाएं और बैंक का पूरा कारोबार सीबीएस के अंतर्गत लाया गया है. इसमें 829 केंद्र और 28 राज्य/संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं.

अन्य सूचना तकनीकी पहल

22.2 नेटवर्किंग

तकनीकी के माध्यम से परिवर्तन की ओर बैंक की पहल में संचार बुनियादी सुविधाओं के महत्व को पहचानते हुए बैंक ने देना नेट - विभिन्न कनेक्टिविटी मीडिया का प्रयोग करते हुए, उससे विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से अपनी सभी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों को जोडा है. 99% से अधिक अप टाइम सुनिश्चित करने हेतु 24X7 के आधार पर देना नेट की निरंतर निगरानी

women employees. The representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes employees in the Bank was in conformity with the prescribed level.

The Bank, to meet its requirements of personnel for increasing business levels and opening of new branches, has initiated recruitment of 564 officers (incl. 100 POs) under various scales and disciplines and 250 clerks during the year. Out of 564, 112 specialist officers in the areas of Forex, Credit & Agriculture are being recruited through Campus interview.

21.2 Grievances Redressal Mechanism for SC / ST / OBC Employees : -

The Bank has nominated a Top Executive in the rank of General Manager to function as Chief Liaison Officer to oversee implementation of Reservation Policy for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and OBCs. The quarterly meetings with All India Dena Bank SC/ST/OBC Employees' Federation were held at periodic intervals at Head Office to redress problems / grievances.

21.3 Industrial Relations: -

The Industrial Relations during the year remained congenial for growth and development. As a part of the Industrial Relations initiative, a grievance redressal mechanism is in place in the Bank to address the grievances of individual employees.

22. IT Initiatives

22.1 Core Banking Solution (CBS)-'DENA GARIMA'

The Bank had embarked upon a process of transformation through technology with a view to enhance customer satisfaction and to leverage business growth. The Bank has engaged the services of M/s Wipro, a leading service provider in IT enabled services, for providing an end-to-end solution for Core Banking Operations of the Bank. It is backed by 'Finacle' software support from M/s Infosys Technologies Ltd. The Core Banking system bundles a host of customer friendly services like Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking and Cash Management Services etc. besides software system for Integrated Treasury operations. A number of third party software solutions are also being integrated mainly with a view to address Regulatory concerns.

The Project was kicked off with migration of existing operations at bank's Mahim Branch in Mumbai on 12th March 07.

As of March 2011, all the 1291 branches of the bank and the entire business has been brought under CBS. This covers 829 centres and 28 states/union territories.

Other IT Initiatives

22.2 Networking:

Recognizing the significance of communication infrastructures in the Bank's drive towards transformation through technology, the bank has connected all its branches and administrative offices through DENANET – its Wide Area Network using various connectivity media. "DENANET" is continuously being monitored

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

रखी जा रही है.

एटीएम संस्थापन

दिनांक 31 मार्च 2011 तक देश भर में कुल 496 एटीएम संस्थापित किये गये हैं. इनमें से 391 एटीएम शाखा स्थल पर हैं जबकि 105 एटीएम शाखा से अलग स्थानों पर स्थित हैं. इसमें 260 केंद्र शामिल हैं. इनमें से 2 एटीएम बायोमेट्रिक हैं जो छोटे ग्राहकों (वित्तीय समावेशन के अंतर्गत) एवं अनपढ किसान ग्राहकों को उनके अंगूठे के निशान की सहायता से एटीएम का परिचालन करने की सुविधा देते हैं.

बैंक ने कैश ट्री, वीसा, कैशनेट एवं एनएफएस के साथ एटीएमों की भागीदारी व्यवस्था की है. यह गठजोड बैंक के ग्राहकों को भारत में 70000 से अधिक एटीएमा, एक्सेस केंद्रों और 4.70 लाख से अधिक व्यापार संस्थानों (एम ई) तथा विदेशों में 1 मिलियन से अधिक एटीएमों और 26 मिलियन एमई पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करती हैं. मार्च 2011 तक डेबिट/एटीएम कार्ड आधार लगभग 12.51 लाख हैं. बैंक एच.एन.आई. ग्राहकों को वीसा गठजोड युक्त देना अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड डेबिट कार्ड भी प्रदान करता है.

बैंक में एटीएमों के माध्यम से कई मूल्य वर्धित सेवाएं अर्थात् मोबाइल प्रीपेड टॉपअप तथा पोस्ट पेड बिल भुगतान आदि उपलब्ध कराता है. डेबिट कार्ड ग्राहक भी इंटरनेट पर डेबिट कार्ड के प्रयोग से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं.

नेटवर्क आधारित सेवाएं तथा प्रयोजनीयता

ग्राहक संतुष्टि हेतु इस मूलभूत सुविधा को कई चैनलों का रूप देने एवं उनके सृजन से ब्याज दरों का दायरा बढाने की दृष्टि से बैंक ने निम्नलिखित नेटवर्क आधारित उत्पाद व सेवाएं आरंभ की है:

सीबीएस प्रयोजनीयता, अन्य प्रयोजनीयताएं जैसे आस्ति देयता प्रबंधन / बेनामी लेन-देन की रोकथाम, ऑनलाइन तुलनपत्र आदि,

एटीएम / डेबिट कार्ड, डाटा अंतरण एवं दूरवर्ती सहायता, भा.रि.बैं. भुगतान प्रणालियों जैसे कि आरटीजीएस एवं एनईएफटी आदि, कार्पोरेट ई मेल, इंट्रानेट, आई पी टेलीफोनी, वीडियो कांफरेंसिंग, इंटरनेट बैंकिंग.

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं के ग्राहकों के लिए `देना आई कनेक्ट' - इंटरनेट बैंकिंग सेवा शुरू की है. इससे ग्राहक देना आई कनेक्ट के माध्यम से अपनी खाता सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि (क) खाते में शेष रकम की जानकारी, (ख) छोटी विवरणी (अंतिम 9 लेनदेन), (ग) खातों के विस्तृत विवरण, (घ) चेक बुक के बारे में पूछताछ, (ड.) निधि अंतरण (बैंक के अंदर / अंतर बैंक) (च) जावक चेक के बारे में पूछताछ (छ) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का ई- भुगतान, (ज) महाराष्ट्र बिक्री कर (मूल्य वर्धित कर) का ऑनलाइन भुगतान आदि.

बैंक ने चेतावनी सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से कुछ घटनाएं घटने पर ग्राहकों को एसएमएस मिलता है.

शाखा एवं वितरण माध्यम - ए टी एम, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किये गये वित्तीय लेनदेनों के लिए चेतावनी.

आर टी जी एस आवक / जावक लेनदेनों के लिए चेतावनी तथा अन्य बैंक में लाभार्थी के खाते में एन ई एफ टी जमा के बाद प्रेषक (ग्राहक) को भी चेतावनी.

मीयादी जमाओं (परिपक्वता से 7 दिन पहले) की देय तिथि , देय ऋण ई.एम. आई के लिए चेतावनी ग्राहकों को सूचनापरक संदेश.

on 24X7 basis for ensuring more than 99% up time.

ATM Installations:

A total of 496 ATMs have been installed as on 31st March 2011 all over the country. Out of these ATMs, 391 are Onsite and 105 are Offsite covering more than 260 centers. Two of the ATMs can be operated by thumb impression which is convenient for small customers (under financial inclusion) and semi-literate farmers.

The Bank has ATM sharing arrangement with CASHTREE, VISA, CASHNET & NFS tie ups, enabling more than 70,000 ATM access points & more than 4.70 lacs Merchant Establishments (MEs) in India and more than 1 million ATMs and 26 Million MEs abroad, to Bank's customers. As of March 2011, Debit / ATM Card base is around 12.51 lacs. The Bank also provides Dena International Gold Debit Card with Visa affiliation to HNI customers.

The Bank provides number of value added services through the ATMs viz. Mobile Pre-paid Top-ups and Post Paid Bill Payment etc. Debit Card customers can also make online payment for purchases of goods and services using Debit cards on Internet.

Network based Services & Applications:

With a view to channelise this infrastructure for customer satisfaction and maximize the ROI made in creation thereof, Bank has introduced the following network based products and services:

CBS application, Other applications viz ALM / AML, Online Balance sheet etc.

ATM / Debit Cards, Data Transfer & Remote Support, RBI Payment systems like RTGS & NEFT etc, Corporate E-MAIL, Intranet, IP Telephony, Video Conferencing, Internet Banking.

The Bank has launched " Dena i Connect" – the internet Banking Service for the customers of all branches. This enables the customers to access their account information through Internet in the form of a) Balance Inquiry b) Mini Statement (Last 9 transactions) c) Detailed Statement of Account d) Cheque Book inquiry e) Fund Transfer (Intra Bank / Inter Bank), f) Outward cheque status inquiry g) E-payment of Direct Taxes and Indirect Taxes h) Online payment of Maharashtra Sales Tax (VAT) etc. through Dena i Connect.

Bank has started Alert facility through which customers get SMS on occurrence of certain events.

Alerts for financial transactions done through Branch & Delivery Channels - ATM, Internet Banking.

Alerts for RTGS Inward / Outward Transactions and also alert to sender (customer) after NEFT credit to the account of the beneficiary in other Bank.

Alerts for Due date of Term Deposits (7 days before maturity), Loan EMI due Informative messages to customers.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

बैंक की वेबसाइट बैंक की अपनी वेबसाइट है जिसमें नेटीजन के अनुकूल विशेषताएं मौजूद हैं जैसे कि शाखा संकेतक, कैलकुलेटर, दोहरी क्लिक नेवीगेशन प्रणाली इत्यादि. वेबमास्टर निरंतर आधार पर तथा विनियमन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु वेबसाइट को अद्यतन एवं गतिशील बनाए रखता है.

कार्ड प्रबंधन

बैंक की ग्राहक सेवा के लिए वीसा गठबंधन के साथ डेबिट सह एटीएम कार्ड जारी करना एक प्रमुख वितरण चैनल है. बैंक की सभी शाखाएं गोल्ड कार्ड एवं इन्स्टा डेबिट कार्ड (काउंटर के सामने) जारी कर सकती है, लेकिन एटीएम शाखाओं पर इसे जारी करने का अधिक दबाव है. इन दोनों कार्डों के लिए इंटरनेट पर रक्षित उपयोग के लिए " वीसा द्वारा सत्यापित " सेवा उपलब्ध है और भारत और विदेश में बिक्री टर्मिनल (पी ओ एस) जहां वीसा का लोगो प्रदर्शित है के अलावा, भारत में लगभग सभी एटीएम और पूरे विश्व में 18 लाख से अधिक एटीएम से अपना खाता देखने हेतु ग्राहकों को सुविधा प्रदान के लिए नेशनल फाइनेंसियल स्विच (एन एफ एस), यूरोनेट एवं केश ट्री के साथ गठजोड व्यवस्था की है. डेबिट कार्ड 55000 से अधिक प्रतिदिन लेनदेनों की वर्तमान औसत संख्या के साथ एक महत्वपूर्ण ग्राहकोन्मुख उत्पाद साबित हुआ है. कार्ड आधार वर्ष दर वर्ष 34% वृद्धि दर्शाते हुए 12.51 लाख तक पहुंच गया है. पी.ओ.एस.टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड का उपयोग बढता जा रहा है तथा पी ओ एस टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड के प्रयोग के माध्यम से अंतर परिवर्तन कमीशन के रूप में समीक्षाधीन वर्ष में ₹ 88.80 लाख की आय भी कमाई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 95% वृद्धि दर्शाती है. बैंक डेबिट कार्ड आधार को बढाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है.

बैंक का क्रेडिट कार्ड 31.12.2008 से बंद कर दिया गया है और उसके बाद कम संख्या (1344 कार्ड) में भा.स्टे.बैं. कार्ड के साथ को-ब्राण्डेड क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं लेकिन वह भी अब सुरक्षित कार्ड के रूप में सीमित रूप में जारी किया जा रहा है. बडी चूक संख्या एवं क्रेडिट कार्ड कारोबार में लाभ-अलाभ स्थिति तक पहुंचने के लिए बडे पैमाने पर आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक ने स्वयं का क्रेडिट कार्ड जारी करने के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है.

23. ग्राहक सेवा

ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने के लिए बैंक ने ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु सार्थक प्रयास किए. वर्ष के दौरान, बैंक ने ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए विभिन्न प्रयास जारी रखे.

23.1 शाखाओं को आई एस ओ 9001:2000 प्रमाणन

31.03.2011 तक हमारे बैंक की 362 शाखाएं आई एस ओ प्रमाणीकृत हैं. वर्ष 2011-12 के दौरान 100 अतिरिक्त शाखाएं आई एस ओ प्रमाणन के अंतर्गत लाई जाएंगी.

23.2 ग्राहकों की शिकायतों का निवारण

ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने को बैंक उच्च प्राथमिकता देता है. बैंक के ग्राहक सीधे पत्र, ई मेल अथवा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं तथा अपने प्रश्न/पूछताछ/शिकायत यदि कोई हो, तो कर सकते हैं. बैंक की टॉलमुक्त संख्या 1800-225740 के माध्यम से शिकायतों / सुझावों का पंजीकरण किया जा सकता है.

23.3 ग्राहक सेवा की कार्यविधि एवं कार्य निष्पादनलेखा परीक्षा के संबंध में स्थायी समिति

ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसके प्रमुख

Bank's Web sites - Bank has its website with netizen friendly features like Branch Locators, Calculators, Two-click navigation system etc. The webmaster arranges to keep the website updated and dynamic on an ongoing basis and also comply with the regulatory guidelines.

Card Management:

Issuance of Debit cum ATM cards with VISA Affiliation is one of the prime delivery channel for customer Service of the Bank. All the branches of the Bank can issue Gold cards & instant Debit Cards (across the counter) with major thrust of issuance being at ATM branches. Both these cards are backed by "Verified by Visa" service for secured use on Internet and also has the tie up arrangements with National Financial Switch (NFS), Euronet and Cashtree thereby facilitating the customer to access his/her account from almost all ATMs in India and more than 18 lac ATMs all over the world, apart from the Point of Sales (POS) terminals in India and abroad where the logo VISA is displayed. The Debit Card has proved to be an important customer friendly product with current average number of transactions exceeding 55,000 per day. The card base has shown Y-on-Y increase of 34% reaching a mark of 12.51 lacs. The use of Debit Card on POS terminal is picking up and the Bank has also earned an income of ₹ 88.80 lacs in the year under review as Interchange commission through the use of the Debit cards on POS terminals which has shown an increase of 95% over the previous year. The Bank is taking efforts on continuous basis to improve the Debit card base.

Bank's Credit card was discontinued from 31.12.2008, thereafter co-branded Credit card with SBI Cards were issued in small number (1344 cards) but the same is also now restricted to issuance as secured card only. Looking to the high default rates and requirements of high volumes for reaching break-even in the Credit Card business, the Bank has consciously not entered the segment of issuing Credit Cards on it's own.

23. Customer Service

The Bank has concentrated on internalizing customer expectations and aspirations more intensely. During the year, the Bank has continued the various measures to improve customer satisfaction.

23.1 ISO 9001:2000 Certification of Branches

Our Bank has 362 ISO certified Branches as of March 2011. During the year 2011-12, 100 additional branches will be covered for ISO Certification.

23.2 Redressal of Customer Grievances

The Bank is according top priority to resolve customers' complaints / grievances expeditiously. The customers of the Bank can correspond directly, through letters, e-mails or through the web-site of the Bank and post their queries / grievances / suggestions, if any. The complaints / suggestions can be registered through Toll Free Number 1800-225740 of the Bank.

23.3 Standing Committee on Procedures & Performance Audit of Customer Service

Standing Committee on Customer Service is headed by the

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं, उनके अलावा कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधक (संसाधन, आयोजना एवं प्रशासन, नोडल अधिकारी), महा प्रबंधक (सू.त. एवं स.जो.प्र.), महा प्रबंधक (विदेशी मुद्रा एवं खजाना), महा प्रबंधक (साख) समिति के सदस्य हैं, समिति में दो ग्राहक स्थायी सदस्य हैं एवं तिमाही बैठकों के लिए दो से तीन ग्राहकों को विशेष रूप में आमंत्रित किया जाता है, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान इस प्रकार की चार बैठकें आयोजित हुई.

23.4 इसके अतिरिक्त बैंक ने उच्च स्तर पर भी निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है, जो ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढाने एवं ग्राहक संतुष्टि के स्तर में सुधार के उपाय के संबंध में सलाह देती है, प्रत्येक शाखा मूल स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए महीने में ग्राहक बैठक का आयोजन करती है. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय / शाखा क्रमश: तिमाही / माह में एक बार ग्राहक मिलन आयोजित करते हैं.

ग्राहकों हेतु बैंक की प्रतिबद्धता की आचार संहिता

सर्वोत्तम व्यवहार (कूट और मानक) को प्रतिबिंबित करने के न्यूनतम मानदंड के समक्ष बैंकों के कार्यनिष्पादन को आंकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड की स्थापना की है. बैंक ने " ग्राहकों के लिए बैंकों की प्रतिबद्धताओं का कोड " अपनाया है तथा वह इसके अनुपालन हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है.

हमारा बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड का सदस्य है एवं बैंक की ओर से महाप्रबंधक के स्तर का एक शीर्ष कार्यपालक बैंक की ओर से कोड अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है.

24.शाखा नेटवर्क एवं विस्तार

24.1 शाखा नेटवर्क

वर्ष के दौरान हमारे निदेशक मण्डल ने 100 नये केद्रों में शाखा विस्तार हेतु अनुमोदन प्रदान किया है. जिनमें टीयर 3 से 6 के अंतर्गत (केंद्र जहां जनसंख्या 50000 तक है) 29 केद्र भी शामिल हैं.

वर्ष 2010-11 के दौरान, बैंक ने 68 नयी शाखाएं खोली हैं, जिससे विभिन्न केद्रों में कुल शाखाओं की संख्या 1291 हो गई है, उनमें लिहोडा में 1 अनुषंगी कार्यालय एवं वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के अंतर्गत भेताशी (तालपड) एवं किलवानी में 2 पूर्ण शाखाएं शामिल हैं,

बैंक ने समझबूझकर ऐसे केंद्रों को शामिल किया है जहां बैंक की उपस्थिति नगण्य थी और अब वहां बैंक शाखा नहीं थी. ये केद्र मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उडीसा एवं उत्तराखंड में स्थित हैं. बैंक ने ऐसे क्षेत्रों / केद्रों की भी पहचान की है जोकि अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे तथा अल्पसंख्यक वर्गों की आबादीवाले जिले हैं.

31 मार्च 2011 को बैंक की शाखाओं का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है:

Chairman and Managing Director. Besides Executive Director, General Manager (Resource , Planning, Nodal Officer), General Manager (IT & IRM), General Manager (Forex & Treasury), General Manager (Credit) are the members of the Committee. The committee also has two customers as permanent members and two / three customers are invited for the quarterly meetings. Four such meetings were organized during the Financial year 2010-11.

23.4 In addition to above, the Bank has formed Customer Service Committee of the Board at the apex level to advise measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of customer satisfaction. Every Branch holds a customer meet in a month for redressal of customer complaint at the grass root level. Each Regional Office / Branch hold a customer meets once in a quarter / month respectively.

Code of Bank's Commitments to the Customers

RBI has constituted Banking Codes and Standards Board of India for measuring the performance of banks against a bench mark reflecting the Best Practices (Codes & Standards). The Bank has adopted “Code of Bank's Commitments to the Customers” and is fully committed to its adherence.

The Bank is a member of BCSBI and a top executive in the rank of General Manager is appointed as the “Code Compliance Officer” on behalf of the Bank.

24. Branch Network and Expansion

24.1 Branch Network

During the year, our Board of Directors have approved Branch Expansion Plan for 100 new centres including 29 centres under Tier 3 to 6 (Centres having Population upto 50000)

During the year 2010-11, Bank has opened 68 new branches taking the tally to 1291 in various Regions including 1 Satellite Office at Lihoda and 2 Full fledged Branches at Bhetashi (Talpad) and Kilvani in the State of Gujarat under Financial Inclusion Plan.

Bank has consciously included centres where Bank's presence was negligible or hither to uncovered area. These centres are mainly in Jharkhand, Bihar, West Bengal, Sikkim, Himachal Pradesh,Tamil Nadu, Orissa and Uttarakhand. Bank has also identified areas / centres, mostly falling in the category of under Banked areas as well as under Minority dominated districts.

The sector-wise breakup of the branch network of the Bank as on 31st March 2011 is as under:

क्षेत्र Sector	शाखाओं की संख्या No of Branches	कुल का प्रतिशत Percent to Total
ग्रामीण Rural	457*	35
अर्धशहरी Semi Urban	255	20
शहरी Urban	255	20
महानगरीय Metro	324	25
कुल Total	**1291**	**100**

* अनुषंगी शाखाएं भी शामिल हैं.

* including Satellite Branches

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

25. निरीक्षण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

देश भर में फैली हुई बैंक की विविध शाखाओं के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखने हेतु बैंक में आंतरिक प्रणाली पहले से ही मौजूद है. शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की लेखापरीक्षा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों का अनुपालन करने हेतु निरीक्षण विभाग समय समय पर आंतरिक निरीक्षकों तथा बाहरी सनदी लेखाकारों की फर्मों तथा सी.आई.एस.ए. / डी.आई.एस.ए. अर्हता प्राप्त सूचना प्रबंधन लेखापरीक्षकों आदि के द्वारा विविध प्रकार की लेखापरीक्षाएं संचालित करता है जिससे निर्धारित कार्यप्रणाली एवं कार्यविधियों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित हो और त्रुटियां, यदि कोई हों, को समय पर ठीक किया जा सके. आकस्मिक लेखा परीक्षा के अलावा, जब भी जरूरत हो, जोखिम आधारित आंतरिक निरीक्षण, समवर्ती लेखा परीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, औचित्य लेखापरीक्षा की गई. इन क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और यह मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किए जाते है.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरूप और बासेल-II के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक ने निरीक्षण के लिए दिनांक 01.04.2007 से निरीक्षण के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा(आरबीआईए) को अपनाया है. शाखाओं का निरीक्षण करनेवाले अधिकारियों को जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने आंतरिक स्तर पर प्रशिक्षित निरीक्षकों के साथ-साथ अनुभवी सूचीबद्ध बाह्य लेखा परीक्षकों के माध्यम से 566 शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की.

प्रणाली एवं नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए बैंक ने निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया है. विभिन्न शाखाओं में समवर्ती लेखा परीक्षा के माध्यम से प्रधान कार्यालय के निरीक्षण विभाग द्वारा निगरानी की जाती है. कार्य तथा कार्यविधियों का सख्ती से अनुपालन किए जाने पर विशेष ध्यान देने सहित अनुकूल दृष्टिकोण से बडी संख्या में शाखाओं की निरीक्षण रेटिंग में सुधार हुआ है. बैंक की परिचालनगत दक्षता एवं विनियामक मूल्य निर्धारण को सुधारने / मदद करने हेतु निरीक्षण रिपोर्टों में बताई गई अनियमितताओं में निरंतर सामयिक सुधार करते रहने के आधार पर प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं.

निरीक्षकों के ज्ञान / लेखापरीक्षा निपुणता में उन्नयन हेतु आंतरिक निरीक्षकों एवं समवर्ती लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये गये. इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समवर्ती लेखापरीक्षकों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकों की व्यवस्था की गई.

बैंक में कोर बैंकिंग प्रणाली के आगमन एवं सभी शाखाओं को इस प्रणाली के अंदर लिये जाने पर, बैंक ने शाखाओं के कारोबार क्रियाकलापों की निगरानी करने हेतु परोक्ष निगरानी प्रणाली शुरू की है.

26. सतर्कता

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में प्रभावी सतर्कता व्यवस्था है जिसके प्रमुख महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं. महा प्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी को वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारियों के समूह से सहायता मिलती है. विभाग की भूमिका एवं कार्य हैं - नियंत्रण, निगरानी एवं सतर्कता कार्यों का पर्यवेक्षण जो निवारक एवं दंडनीय प्रकृति के हैं. विभाग के कार्यों में धोखाधडियों की रिपोर्टिंग एवं निगरानी शामिल हैं.

25. Inspection and Internal Audit

The Bank has an in-built system of effective control and supervision of the functioning of its various branches scattered all over the country. In compliance with guidelines of RBI on audit of Branches, Regional Offices and Departments at Head Office, the Inspection & Internal Audit Department is conducting various types of audits through internal inspectors, external Chartered Accountants firms and CISA / DISA qualified IS Auditors from time to time and ensures strict adherence to the Bank's laid down systems and procedures and timely plugging of loopholes, if any. Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Management Audit, Information Systems Audit, Revenue Audit and Propriety Audit apart from Snap Audit as and when required are conducted. These activities are well documented and guided by the policies approved by Board.

In line with directives of RBI and to comply with requirement under BASEL II accord, Bank has adopted Risk Based Internal Audit (RBIA) for inspection w.e.f. 1st April, 2007. The officials inspecting the branches have been given adequate training for conducting RBIA. During the year the Bank has carried out RBIA of 566 Branches by internally trained inspectors as well as by the experienced empanelled external auditors.

To further strengthen adherence to the systems and control, the Bank has geared up monitoring mechanism. Monitoring is done through concurrent audit at various branches by Inspection department at Corporate Office. The strategic approach with special emphasis on strict adherence to systems and procedures has enabled improvement in the inspection ratings of large number of branches. The effective steps taken are monitored on an ongoing basis for timely rectification of irregularities pointed out in the inspection reports to help / improve the operational efficiency and regulatory rating of the Bank.

To upgrade the knowledge / audit skills training sessions are conducted for internal inspectors and concurrent auditors. Further, quarterly review meetings are arranged with the concurrent auditors at Regional Office level.

With the onset of Core Banking System in the organization and all the branches being brought under its umbrella, Bank has introduced an off-site surveillance system for monitoring of business activities of the branches.

26. Vigilance

The Bank has an effective set of Vigilance at its Corporate Office headed by General Manager & Chief Vigilance Officer reporting to Chairman & Managing Director. General Manager & Chief Vigilance Officer is supported by a team of senior and experienced Officers. The role and function of Dept. are control, monitoring and supervision of Vigilance functions which are preventive and Punitive in nature. The function of the Department also includes reporting and monitoring and reporting of Frauds.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

शाखा स्तर पर निवारक सतर्कता समितियों का गठन किया गया है जो समस्याओं की पहचान करेंगी ताकि शाखा एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रणालियों एवं पद्धतियों को ठीक किया जा सके. शाखा प्रबंधकों एवं दूसरी लाइन के अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता एवं आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाने के विषयों पर जागरूक करने के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें निवारक सतर्कता, आंतरिक नियंत्रण को मजबूत बनाना, अनुपालन संस्कृति लाने, नैतिक वातावरण का सृजन आदि पर बैंक द्वारा सामना किये जा रहे विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई.

महा प्रबंधकों की धोखाधडी जोखिम प्रबंधन समिति कार्यरत है जो की गई धोखाधडियों का विचारात्मक मूल्यांकन करती है, प्रणाली एवं पद्धति में किये गये उल्लंघनों, यदि कोई हो, का परीक्षण करेगी एवं धोखाधडियों के संबंध में रोकथाम के उपायों के सुझाव देगी. बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों को घटित धोखाधडियों एवं लिये जानेवाले निवारण उपायों के बारे में सचेत भी किया जाता है. बैंक में बडी धोखाधडियों पर निगरानी रखने के लिए निदेशक मंडल स्तर की समिति गठित है.

बैंक में सतर्कता कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी निदेशक मंडल द्वारा की जाती है जो नियमित अंतरालों पर लंबित अनुशासनात्मक एवं धोखाधडी मामलों की समीक्षा करते हैं.

बैंक भारत सरकार, केंद्रीय जांच आयोग एवं भारतीय रिजर्व बैंक से सतर्कता कार्यों पर प्राप्त अनुदेशों / दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है.

अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले कर्मचारी की अच्छी नीयत एवं बुरी नीयत निर्णय के बीच अंतर किया जाता है.

27. राजभाषा कार्यान्वयन / आंतरिक प्रकाशन

बैंक ने आलोच्य वित्तीय वर्ष के दौरान राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए अपने सघन प्रयास जारी रखे. वर्ष के दौरान बैंक का ध्यान शब्द संसाधक, कोर बैंकिंग समाधान एवं ई - मेल के माध्यम से हिन्दी के कार्यान्वयन पर केंद्रित रहा.

पुरस्कार :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए आयोजित "गृह पत्रिका प्रतियोगिता" की द्विभाषिक श्रेणी में बैंक को अपनी गृह पत्रिका 'देना ज्योति' के लिए चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ. बैंक की गृह पत्रिका "देना ज्योति" को 'एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया' द्वारा अंग्रेजी के उत्तम आलेख की श्रेणी में "ब्रॉज ट्रॉफी" द्वारा पुरस्कृत किया गया. वर्ष 2009-10 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित बैंक की शाखाओं व कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा), पुणे की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में हमारे बैंक को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ठ कार्य के लिए हमारे वड़ोदरा क्षेत्रीय कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), वड़ोदरा से तृतीय पुरस्कार, हमारे चेन्नै क्षेत्र की एर्णाकुलम शाखा को न.रा.का.स., एर्णाकुलम से प्रथम पुरस्कार तथा नागपुर क्षेत्र की इतवारी शाखा को न.रा.का.स. नागपुर से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ.

प्रशिक्षण :

बैंक ने अपने कार्यालयों तथा शाखाओं में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा. वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा अधिकारियों के लिए सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा हिन्दी साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. प्रशिक्षण प्राप्त

Preventive Vigilance Committees has been formed at the Branches level to identify problems area so as to tone up systems and procedure at the Branch level and Regional Office level. To sensitize and improve the faculty of Vigilance awareness work shop on Preventive Vigilance and strengthening of Internal Control were held for the Branch Managers and Second line Officers of the Branches in which various pressing issues facing the Bank in the areas of preventive vigilance, strengthening of internal controls, bringing of compliance culture, creation of ethical climate etc. were discussed.

Fraud Risk Management Committee of General Managers is in place which critically evaluates the frauds occurred, examine the breaches made in the system and procedure if any and suggests risk mitigation techniques in respect of the frauds. Employees are also sensitized about the fraud taken place and the preventive measures to be taken at the training establishment of the Bank. The Bank has a Board Level Committee for Monitoring of large value frauds.

The vigilance function in the Bank is supervised and monitored by the Board of Directors who review the pending disciplinary and fraud cases at regular intervals.

Bank ensures strict implementation of instructions/guidelines on Vigilance functioning received from Government of India, Central Vigilance Commission and Reserve Bank of India.

A distinction is made between the bonafide and malafide decision of the employee before initiating disciplinary action.

27. Implementation of Official Language/ In-house publications

The Bank continued vigorous efforts for implementation of official language Hindi during the financial year under review. During the year Bank's focus was on implementation of Hindi Softwares through word processors, Core Banking solution and E-mail.

Awards:

During the year under review Bank was awarded IVth prize by Reserve Bank of India for it's house journal "Dena Jyoti" in bilingual category for the year 2009-10. Bank's house journal "Dena Jyoti" was also awarded "Bronze Trophy" by the "Association of Business communicators of India" for best article in English. Bank received IIIrd prize in the competition organized by Maharashtra State Level Bankers' Committee (Rajbhasha), Pune for excellent performance in implementation of official language Hindi in its offices and Branches situated in the Maharashtra State during 2009-10. Our Baroda Regional Office was awarded IIIrd Prize by the TOLIC(Banks) Vadodara for the year 2009-10. Our Earnakulam Branch in Chennai Region was awarded Ist prize and Itwari, Nagpur branch was awarded IIIrd prize by respective TOLICs for excellent work in implementation of Official Language.

Training :

The Bank continued to conduct special Training Programs to promote the use of Hindi in its offices and branches. During the year Bank has organized General Banking and Hindi Software Training Program for Official Language Officers, who in turn will

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

राजभाषा अधिकारी विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 96 हिन्दी कार्यशालाओं तथा हिन्दी साफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 855 अधिकारियों एवं 672 अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसके अलावा, कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने हेतु कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 121 डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

हिन्दी सॉफ्टवेयर :

तकनीकी परिवर्तनों की गति बनाए रखते हुए, बैंक ने विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों एवं शाखाओं में प्रयोग में लाए जा रहे सभी कंप्यूटरों में आकृति सॉफ्टवेयर तथा यूनिकोड के माध्यम से द्विभाषिक शब्द संसाधन सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा. बैंक ने सीबीएस शाखाओं में हिन्दी माध्यम की सुविधा के लिए उपयोग में लाये जा रहे 'स्क्रिप्ट मैजिक' सॉफ्टवेयर में कार्य की भी समीक्षा की, और जहां कहीं उसमें कमियां पायी गई उसके बारे में सॉफ्टवेयर विक्रेता को सूचित किया गया. सॉफ्टवेयर में संशोधन का कार्य अगले वर्ष भी जारी रहेगा. इन सुविधाओं का उपयोग बढ़ाने के लिए डी.आई.आई.टी. मुंबई और अन्य कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्रों में हिन्दी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये. बैंक द्वारा संस्थापित सभी ए.टी.एम. में द्विभाषिक प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

संसदीय समितियों का दौरा :

संसदीय राजभाषा समिति की प्रारूपण एवं साक्ष्य उप समिति ने दिनांक 13.09.2010 को बैंक की कोयंबतूर शाखा (चेन्नै क्षेत्र) तथा दिनांक 22-12-2010 को झांसी शाखा (लखनऊ क्षेत्र) में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में उक्त शाखाओं के निष्पादन की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान समिति ने उक्त शाखा में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के बारे में हमारे बैंक के कार्यपालकों के साथ विचार-विमर्श किया और उसमें हुई प्रगति के बारे में संतोष व्यक्त किया.

प्रचार में हिन्दी का प्रयोग :

आम जनता और ग्राहकों में अपनी विभिन्न योजनाओं का प्रचार करने के लिए, हमारी विभिन्न योजनाओं के पंपलेट एवं प्रचार सामग्री हिन्दी में तैयार करके मुद्रित करवाई गई.

तीनों भाषिक क्षेत्रों में बैंक शाखाएं / कार्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारी ग्राहक सेवा में सुधार के लिए इसे संप्रेषण का मुख्य माध्यम बनाने के लिए प्रयासरत हैं.

द्विभाषी गृह पत्रिका

कॉर्पोरेट संप्रेषण में राजभाषा हिन्दी की भूमिका को बढाने के लिए तथा हमारे स्टाफ सदस्यों को नवीनतम विषयों एवं विभिन्न क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देने के लिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी गृह पत्रिका "देना ज्योति" के सभी अंक विभिन्न बैंकिंग विषयों पर विशेषांक के रुप में द्विभाषी रुप में प्रकाशित किये. विशेषांक के विषय थे - वित्तीय समावेशन, राजभाषा, सतर्कता एवं आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन. पत्रिका में लेख, समाचार व गतिविधियां द्विभाषिक रुप में प्रकाशित की जाती हैं ताकि बैंक का प्रत्येक कर्मचारी इनसे लाभान्वित हो सके.

impart the training to officers and staff members working at various offices and branches.

During the year under review 96 Hindi Workshops and Hindi Software training programs were conducted in which 855 officers & 672 other employees were trained. In addition to these 121 Desk Training Programs were also conducted to impart practical training to the employees for doing the official work in Hindi.

Hindi Software:

Keeping pace with the technological changes, bank continued the implementation of bilingual word processing facilities on all computers in use at various administrative offices and branches through Akruti software and Unicode. Hindi Software training programs were conducted to promote the use of these facilities at DIIT Mumbai and other Staff Training Centres. All the ATMs installed by the Bank have been provided with bilingual access facilities.

Visit of Parliamentary Committee:

The Drafting and Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language has reviewed the performance in implementation of Official Language at the Bank's Coimbatore Branch (Chennai Region) on 13-9-2010 and Jhansi Branch (Lucknow Region) on 22-12-2010. During the Review Meetings the Committee discussed with the Executives of our Bank the implementation of Official language Hindi in the said branches and expressed satisfaction on the progress.

Use of Hindi in Publicity

In order to popularize our various schemes among public at large and customers, pamphlets and publicity material of our various schemes were prepared and printed in Hindi.

Bank Branches / offices in all the three linguistic regions are constantly making efforts for improving level of implementation of official Language Policy of Government of India and striving to make it as a prime medium of communication to improve our customer service.

Bilingual House Journal

In order to maximize the role of Official Language Hindi in corporate communication and educating our staff members about various activities and current subjects, during the year under review Bank published all issues of its quarterly house journal "Dena Jyoti" as Special Issue on various banking subjects in bilingual form. The subjects of special issues were Financial inclusion, Official Language, Vigilance and Asset quality management. Articles, news and events are published in bilingual to have its reach to every staff of the bank.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

28. अवसर एवं चुनौतियां

सामान्य वर्षा, खरीफ के अच्छे उत्पादन आदि के साथ 2011-12 के लिए अनुमानित लगभग 8.5% की सकल घरेलू उत्पाद की दर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है. अच्छे कृषि उत्पादन से उच्च मांग स्तर होने पर सभी सेक्टरों में उच्च स्तर की वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे. तथापि, तेल की कीमतों के प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति एक बाधा बनी हुई है जोकि एक चिंता का विषय बना हुआ है. अर्थव्यवस्था बढती हुई ब्याज दरों का सामना करेगी जिससे बैंकिंग उद्योग के मार्जिन कम हो जाएंगे.

इन अवसरों और चुनौतियों की पहचान करते हुए बैंक ने एक सुविचारित नीति तैयार की है जोकि कासा जमाओं, शुल्क आधारित आय में वृद्धि, छोटे स्तर के अग्रिमों पर ध्यान, निकट से निगरानी द्वारा आस्ति गुणवत्ता में सुधार, वसूलियों के द्वारा निधियों का बेहतर पुन:निवेश , जिसमें बट्टे डाले गये खातों में वसूली शामिल है, आदि पर ध्यान केंद्रित करती है. बैंक को विश्वास है कि इस रणनीति से वह चुनौतियों के प्रभाव को कम करते हुए उभरते हुए अवसरों का पूरा लाभ प्राप्त करेगा.

29. भावी संभावनाएं

यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति नियंत्रण के साथ आर्थिक वृद्धि के संतुलन पर ध्यान रखना जारी रखा है, 2011-12 केलिए पूर्व अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद में 8.5% से अधिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है. यह अनुमान सामान्य मानसून होने की संभावना तथा उसका खाद्य मूल्यों पर संभावित प्रभाव के आधार पर है. वित्तीय उद्योग को प्रति चक्रीय प्रावधान आवश्यकताओं सहित बेसेल III जैसे अधिक विनियमन परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा. तथापि, वित्तीय समावेशन से नये अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि इससे अब तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं देने के अवसर प्राप्त होंगे. समग्र रूप में 2011-12 के अनुमान बहुत आशाजनक और बहुत चुनौतीपूर्ण भी हैं.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(डी.एल.रावल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

28. Opportunities and Threats

GDP Growth of about 8.5% projected for 2011-12 coupled with expectation of normal monsoon, good kharif output, etc. augur well for the economy. Higher demand level out of good agriculture output will provide opportunities for higher growth levels in all sectors. However, the spectre of inflation still continues to be a threat with the still incomplete pass through effect of oil prices, being a cause for worry. The economy may continue to face northward moving interest rates that will squeeze the margins for banking industry.

Recognizing these opportunities and threats, the Bank has evolved a well thought out policy that focuses on CASA deposits, augmentation of Fee based Income, focus on small ticket advances, improvement in asset quality through close credit monitoring, better recycling of funds through recoveries, including recovery in write off accounts, etc. The Bank is confident that this strategy will enable it to take advantage of emerging opportunities while minimizing impact of threats.

29. Outlook

While monetary policy of RBI continues to focus on the balancing of inflation control with economic growth, the outlook for 2011-12 is an optimistic one with GDP growth projected at 8.5% plus. The optimism is fueled by prediction of normal monsoon and its likely effect on food prices. The financial industry will also have to brace itself to face more regulatory changes like Basel III norms including counter cyclical provisioning requirements. However, financial inclusion holds promise as this will open up hitherto unbanked segments to banking. Overall, the outlook for 2011-12 is very promising, yet at the same time, very challenging.

For and on behalf of Board of Directors

(D. L. Rawal)

Chairman & Managing Director

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

1. अभिशासन संहिता पर बैंक की नीति

बैंक इस बात में विश्वास रखता है कि किसी भी संस्था को सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि वह उच्चतम मानक के कार्पोरेट व्यवहार को अपनाए. यह बैंक को अपना कारोबार कुशलता से करने में और अपने निवेशकों के प्रति देयता को पूरा करने में सहयोग देता है और यह न्यासधारिता, पारदर्शिता, सशक्तिकरण, उत्तरदायित्व और नैतिकता पर बल देने के सिद्धांत से मार्गदर्शन लेता है. बैंक की कॉर्पोरेट अभिशासन नीति यह प्रयास करती है कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि वह कार्य कुशलता में सुधार लाए और अपने निवेशकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतर वृद्धि करें और अपने अन्य निवेशकों जैसे जमाकर्ताओं, ऋणदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों के हित की रक्षा करे.

बैंक का कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचा, प्रक्रिया तथा संसाधन निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है :

- शेयरधारकों के मूल्य बढाने के लिए लाभप्रद कार्यनिष्पादन बनाए रखना.
- ग्राहकों की सेवा में सुधार के लिए नवोन्मेष उपाय करना.
- विधि के अनुसार कार्य करें, उसे केवल सिद्धांत नहीं मानना.
- केवल कारोबार अपेक्षाओं के लिए सरल और पारदर्शक कॉर्पोरेट ढांचा रखना.

भेदिया व्यापार की रोकथाम

देना बैंक ने भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 1992 की अपेक्षाओं के अनुरूप ``भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए देना बैंक आचरण संहिता" नामक व्यापक आचरण संहिता निर्धारित की है. सभी निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कर्मचारी एवं बैंक के अन्य कर्मचारी, जिनकी बैंक के अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना तक पहुंच है, इस कूट से अभिशासित हैं, बैंक ने श्री एस.के.जैन को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो बैंक की प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए पद्धतियां निर्धारित करने एवं आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उक्त कूट का विधिवत् अनुपालन हुआ है.

आचार संहिता

निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों तथा महाप्रबंधकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित आदर्श आचार संहिता को अनुमोदन प्रदान किया है. कूट में अन्य बातों के साथ - साथ ईमानदारी एवं नैतिक वैयक्तिक आचरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता एवं विधि तथा विनियमों आदि के प्रति प्रतिबद्धता शामिल है. आचार संहिता बैंक की वेब साइट पर उपलब्ध करायी गयी है.

बैंक ने स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ निष्पादित सूचीबद्ध समझौतों के खंड 49 में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिये गये दिशानिदेशों का अनुपालन किया है, जिसके अपेक्षित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं :

2. निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के द्वारा अभिशासित होता है.

दिनांक 31-3-2011 को निदेशक मंडल में 8 निदेशक शामिल हैं, जिनमें दो पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1. Bank's Philosophy on Code of Governance

Bank believes that for any organization to succeed it is necessary that it adopts highest standard of corporate behavior. This assists the Bank in efficient conduct of its business and in meeting its obligation to its stakeholders and is guided by a strong emphasis on trusteeship, transparency, empowerment, accountability and integrity. Bank's corporate governance policy endeavors to ensure that the available resources are utilised in such a manner that it improves efficiency and sustains growth to meet aspirations of its shareholders and safeguard the interest of its other stakeholders such as depositors, creditors, customers, suppliers and employees.

Banks Corporate Governance structure, systems and processes are committed to ensure the following :

- Sustain profitable performance to enhance shareholders value.
- Innovate to improve the services to the customers.
- Satisfy the spirit of the Law and not just letter of the law.
- Have a simple and transparent corporate structure driven solely by business needs.

Prevention of Insider Trading

Dena Bank has instituted a comprehensive code of conduct for prevention of insider trading namely, "Dena Bank Code of Conduct for Prevention of Insider Trading" in accordance with the requirements of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992. All the Directors, Employees at senior management level and other Employees of the Bank who could have access to the unpublished price sensitive information of the Bank are governed by the code. Bank has appointed Shri S K Jain as compliance officer who is responsible for setting forth procedures and implementation of the code of conduct for trading in Bank's securities. During the year under review there has been due compliance with the said code.

Code of Conduct

The Board of Directors has approved a Model Code of Conduct circulated by the Indian Banks' Association for its Directors and General Managers. The code covers amongst other things the Company's commitment to honest and ethical personal conduct, fair competition, transparency and compliance of laws and Regulations etc. The code of conduct is posted on the website of the Bank.

Bank has complied with the guidelines on Corporate Governance stipulated in clause 49 of the Listing Agreements executed with the stock exchanges, the disclosure requirements of which are given below:

2. Board of Directors

The constitution of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

As of 31.03.2011, the composition of the Board consists of 8 Directors including two whole time Directors viz., the Chairman

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

तथा कार्यपालक निदेशक. तथा 6 गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. 6 गैर-कार्यपालक निदेशकों में से एक सरकारी निदेशक भारत सरकार का नामिती, एक भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि निदेशक, एक अधिकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधि निदेशक और तीन निदेशकों का केद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों द्वारा चुनाव किया जाता है. दिनांक 31.3.2011 को एक कामगार कर्मचारी निदेशक , एक सनदी लेखाकार निदेशक एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन निदेशकों के पद रिक्त हैं.

आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 14 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुई :

& Managing Director and the Executive Director appointed by Government of India and 6 non-executive Directors. Out of 6 non-executive Directors, one Official Director represents Government of India Nominee, one Director represents Reserve Bank of India, one Director represents Officer Employees of the Bank and three Shareholder Directors elected by the Shareholders other than the Central Government. The post of one Workmen Director, one Chartered Accountant Director and three Directors to be appointed by Government of India are lying vacant on the Board as of 31.03.2011.

During the year under review, 14 meetings of the Board of Directors were held on the following dates:

27.04.2010	18.05.2010	25.06.2010	16.07.2010	26.07.2010	16.08.2010
21.09.2010	15.10.2010	26.10.2010	16.11.2010	20.12.2010	27.01.2011
01.03.2011	30.03.2011				

2.2 निदेशकों के विवरण :

आलोच्य वर्ष के अंतर्गत निदेशक मंडल के निदेशकों के आवश्यक विवरण तथा मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध क, ख एवं ग में दिये गये हैं.

2.2 Particulars of Directors

The necessary particulars of Board of Directors and status of attendance in the Board meetings during the year under review are given in the Annexure A, B and C

3. निदेशकों की समितियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप और कार्पोरेट अभिशासन आदि के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने अपने निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

3. Committees of Directors

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India and the guidelines on Corporate Governance etc., the Bank has constituted various Committees of the Board of Directors, the details of which are given below:

3.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति

बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन समिति का गठन किया है. समिति के मुख्य कार्यो में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के विवेकाधीन अधिकारों से अधिक के साख प्रस्तावों की स्वीकृति, ऋण समझौते प्रस्ताव/ बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव, सूट/ अपील दायर करना, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय के अनुमोदन के प्रस्ताव और सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों , कंपनियों / कार्पोरेट के शेयरों / डिबेंचरों / बांडों में निवेश, हामीदारी सहित, परिसरों के अधिग्रहण तथा किराये पर लेने के प्रस्ताव, दान आदि तथा प्रबंधन समिति को निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य मामले शामिल हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' में दिया गया है.

3.1 Management Committee of the Board

The Board had constituted Management Committee as per provisions of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The main functions of the Committee include sanctioning of credit proposals, Loan Compromise / Write-off proposals, Filing of suits / appeals, proposals for approval of capital and revenue expenses, investments in Government and other approved securities / shares/ Bonds and debentures of companies / Corporates, including underwriting, proposals for acquisition and hiring of premises, donations etc. which are beyond the discretionary powers of the Chairman & Managing Director and any other matter referred to the Management Committee by the Board.

The composition of the members of the committee and details of attendance at its meetings during the year under review are given in Annexure B and C.

3.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार अक्तूबर, 1995 में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया. भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ सं 19/20/2007-बीओ-आई दिनांक 18फरवरी , 2008 द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मई 2008 में समिति का पुनर्गठन किया गया.

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में लेखा परीक्षा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन की समीक्षा करना, समवर्ती / अन्य निरीक्षणों / लेखा परीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षो की समीक्षा करना, लेखांकन मानकों तथा शेयर बाजार के सूचीबद्धता करार के खंड 49 के तहत विनिर्दिष्ट अन्य सभी मामलों का अनुपालन कराना शामिल है. उक्त समिति तिमाही / वार्षिक लेखों को निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु संस्तुत करने के पहले उस पर चर्चा एवं विचार करती है.

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में निदेशक मंडल के पाँच सदस्य सम्मिलित हैं.

3.2 Audit Committee of the Board

The Board had constituted Audit Committee of the Board of Directors in October 1995 in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India. The Committee was re-constituted in May 2008, as advised by Government of India vide communication No. F. No.19/20/2007-BO-I dated February 18, 2008.

The functions of Audit Committee include overseeing the audit functions, review of Bank's financial performance, review critical findings of concurrent/other inspections / audits, compliance with accounting standards and all other matters specified under Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The Committee discusses and considers the Quarterly / Annual Accounts before recommending the same to the Board for approval.

The Audit Committee of the Board of Directors comprises of five members of Board of Directors.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.3 निदेशकों की पारिश्रमिक समिति

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं. भारत सरकार द्वारा कार्य निष्पादन प्रोत्साहन आधारित योजना प्रारंभ की गई है और उद्देश्य के लिए भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक ने निदेशक मण्डल की ``पारिश्रमिक समिति" का गठन किया है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.4 शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति

बैंक ने कार्पोरेट अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुपालन के लिए शेयरधारकों / निवेशकों के मामलों जैसे - शेयर / बांडों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, लाभांश / ब्याज न मिलना आदि शिकायतों के निवारण हेतु शेयर धारक / निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.शेयरधारकों की शिकायतों के आंकडे निम्नप्रकार हैं:

श्री एस.के.जैन, महा प्रबंधक (लेखा एवं नि.सं.कें), स्टॉक एक्सेंज के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक को निवेशकों से 18 निवेदन / पूछताछ / शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी 18 निवेदनों / पूछताछ / शिकायतों का निवेशकों की संतुष्टि के अनुसार निपटान किया गया और 31.03.2011 को शेयरधारकों से कोई भी शिकायत / पत्र अनिर्णीत नहीं था.

3.5 समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति

बैंक की सभी जोखिम प्रबंधन गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए समेकित जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति गठित की गई है। इसके कार्यों में जोखिम संबंधी अवधारणाओं सहित सभी जोखिम संबंधी कार्यों पर निगरानी रखना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम के परिमाणन की कार्य-विधि तय करना, जोखिम स्थिति हेतु मान्य स्तर निर्धारित करना, जोखिम प्रबंधन पर प्रबंधन के निर्देश और जोखिम कम करने की तकनीक आदि समाविष्ट हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.6 बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु समिति

बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों की एक उप समिति का गठन किया गया है। बैंक में जब कभी ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो समिति बड़ी रकम वाली धोखाधड़ियों की समीक्षा करती है और ऐसी धोखाधड़ियां दुबारा न हों, उसके लिए निवारक उपाय किये जाते हैं.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.7 शेयर अंतरण समिति

आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति द्वारा संस्तुत ईक्विटी शेयरों / बॉण्डों के अंतरण अथवा प्रेषण के अनुमोदन एवं उन्हें अस्वीकृत करने, डुप्लीकेट प्रमाण

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.3. Remuneration Committee of Directors

Remuneration of whole time Directors of PSU Banks is decided by the Government of India. Performance incentive scheme is introduced by the Government of India and for that purpose as per Government of India directives; Bank has constituted “Remuneration Committee” of Board of Directors.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.4 Shareholders / Investors Grievance Committee

The Board had, in compliance of the SEBI guidelines on Corporate Governance and Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, constituted a Shareholders’ / Investors’ Grievance Committee for redressal of the grievance of shareholders / investors on matters like transfer of shares / bonds, non-receipt of annual report, non-receipt of dividends etc.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

Shri S. K. Jain, General Manager (Accounts & IRC) is the Compliance Officer of the Bank for Stock Exchanges.

During the year under review the Bank received 18 requests / enquiries / complaints from the investors and all 18 requests / enquiries / complaints had been resolved to the satisfaction of the investors & no complaint / correspondence from Shareholder was pending as of 31.03.2011.

3.5 Committee of Directors on Integrated Risk Management

The Committee of Directors on Integrated Risk Management is constituted to oversee all risk management activities of the Bank, including identifying underlying risks perceptions, prescribing risk assessment and quantification methodologies, fixing tolerance level for risk exposures, guiding the line management on risk management and mitigation techniques etc.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.6 Committee for monitoring Large Value Frauds

A sub-committee of the Board for monitoring Large Value Frauds is constituted to review the large value frauds, whenever such incidences take place in the Bank and the preventive measures taken to avoid recurrence.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.7 Share Transfer Committee

The Share Transfer Committee is constituted for the purpose of approval / rejection / transfer / transmission of Equity Shares /

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

पत्र जारी करने के उद्देश्य से शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया. समिति इसके साथ ही शेयरधारिता का स्वरुप, शीर्षस्थ धारक सूची तथा अंतरण रद्द किए जाने आदि का भी ध्यान रखती है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.8 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरण में, समिति बैंक में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राहकों की शिकायतों के निदान में होनेवाली प्रगति की भी समीक्षा करती है. वह ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बाहरी मामलों सहित नए उपायों पर भी विचार करती है.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.9 सूचना तकनीक समिति

विद्यमान सूचना तकनीक बुनियादी सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने , बैंक के सूचना तकनीक मिशन पर विचार करने, नीतिगत मामलों के संबंध में सूचना तकनीक विभाग को निदेश देने तथा सी.बी.एस. परियोजना आदि के कार्यान्वयन पर निगरानी को ध्यान में रखते हुए सूचना तकनीक के लिए मंडल के निदेशकों की समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी. मंडल् ने दिनांक 26 अगस्त 2005 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना तकनीक पर निदेशकों की समिति गठित की.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.10 अनुपालन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या. डीबीएस.सीओ.पीपी. बीसी.6/11.01.005/2006-07 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 द्वारा बैंकों में अनुपालन कार्य के लिए दिशानिर्देश दिये हैं. इन दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने अपनी अनुपालन नीति बनायी है जिसका अनुमोदन निदेशक मंडल ने दिनांक 27 दिसंबर, 2007 को आयोजित बैठक में किया है. नीति के प्रावधानों के अनुसार, अनुपालन पर निदेशकों की समिति का गठन किया गया. 29 जनवरी , 2009 को समिति का पुनर्गठन किया गया.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

3.11 नामांकन समिति.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संख्या. डीबीओडी. स.बीसी.संख्या. 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर , 2007 द्वारा वर्तमान निर्वाचित निदेशकों, जो निर्वाचन के लिए अपने नामांकन भरते हैं, की 'योग्यता एवं औचित्य' की स्थिति का निर्धारण करने हेतु जांच पडताल प्रक्रिया करने हेतु निदेशकों की नामांकन समिति (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशकों) गठित करने के बारे में सूचित किया है. इन दिशानिर्देशों के आधार पर, मंडल द्वारा दिसंबर 29, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में नामांकन समिति का गठन किया गया.

समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ख एवं ग में दिया गया है.

Bonds, issue of Duplicate Certificates, recommended by the In-house Share Transfer Scrutiny Committee. The Committee also takes note of shareholding pattern, top holders list and Transfer rejections etc.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.8 Customer Service Committee

Formed in line with RBI guidelines, the Committee reviews the customer services in the Bank as also the progress in attending to customer complaints and grievances. It also considers new measures for improvement in customer service, including external issues.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.9 Information Technology Committee.

With a view to facilitate optimum utilization of the existing IT infrastructure, envision the IT mission of the Bank, to direct IT department on policy matters and monitor the implementation of CBS project etc., a need was felt to constitute committee of Directors of the Board for IT. The Board at its meeting held on 26th August, 2005, constituted Committee of Directors on Information Technology.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.10 Compliance Committee.

Reserve Bank of India, vide their communication no. DBS.CO.PP. BC.6/11.01.005/2006-07 dated April 20, 2007 has laid down guidelines for Compliance function in Banks. Based on these guidelines, the Bank had formulated its Compliance Policy which was approved by Board at its meeting held on December 27, 2007. In accordance with the provisions of the Policy, a committee of Directors on Compliance was constituted. The committee was reconstituted on January 29, 2009.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

3.11 Nomination Committee.

The Reserve Bank of India, vide their communication DBOD.No.BC. NO.47/29.39.001/2007-08 dated November 1, 2007 has notified to constitute a Nomination Committee of Directors (all independent / non-executive directors) to undertake a process of due diligence to determine the “Fit and proper” status of existing elected Directors, who file their nominations for election. Based on these guidelines, the Bank had formulated its Nomination Committee was constituted by Board at its meeting held on December 29, 2007.

The composition of members of the committee and details of attendance at the meetings are given in Annexure B and C.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

4 कार्यपालकों की समितियाँ :

बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के सुचारु रूप से संचालन के लिए बैंक ने अनेक आंतरिक समितियों का भी गठन किया है. कुछ आंतरिक समितियाँ इस प्रकार हैं :-

4.1 निवेश संबंधी मामलों और मुद्रा बाजार परिचालन से संबंधित कार्यपालकों की आंतरिक समिति :

बैंक ने निवेश संबंधी मामलों और मुद्रा बाजार परिचालनों के संबंध में कार्यपालकों की आंतरिक समिति का गठन किया है. उक्त समिति निवेश एवं निधि प्रबंधन संबंधी सभी लेन-देन मामलों की समीक्षा करती है और आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करती है. समिति की बैठकें प्रतिदिन होती हैं.

समिति की अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक करते हैं. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की दैनिक आधार पर बैठकें आयोजित हुईं.

4.2 आस्ति देयता प्रबंधन समिति

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) का गठन किया है. कार्यपालक निदेशक और उनकी अनुपस्थिति में समिति में शामिल वरिष्ठतम महाप्रबंधक की अध्यक्षता में समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन, तरलता जोखिम प्रबंधन, आस्तियों एवं देयताओं की ब्याज दर संवेदनीयता पर निगरानी रखना एवं ब्याज दरों आदि का निर्धारण सम्मिलित है.

कार्यात्मक महाप्रबंधक एवं प्रधान कार्यालय के अन्य कार्यपालक समिति के अन्य सदस्य हैं. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक में ए.एल.एम. कार्यान्वयन में प्रगति संबंधी विचार-विमर्श एवं समीक्षा करने हेतु समिति की 22 बैठकें आयोजित की गई.

4.3 आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति

बैंक ने उन शेयरों के अंतरण का अनुमोदन करने के लिए बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति का गठन किया है, जो बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों द्वारा संसाधित किए जाते हैं. समिति समय-समय पर बेकागजीकरण की दिशा में हुई प्रगति की स्थिति और बैंक के शेयरों के मूल्यों में हुई घट-बढ़ की भी आवधिक रुप से समीक्षा करती है. महाप्रबंधक (लेखा) , सहायक महाप्रबंधक (निवेशक संपर्क केंद्र), सहायक महा प्रबंधक (मंडल सचिवालय) तथा प्रबंधक (निवेशक संपर्क केद्र) / कंपनी सचिव समिति के सदस्य थे. महाप्रबंधक (लेखा) उक्त समिति के अध्यक्ष रहे. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की 19 बैठकें संपन्न हुईं.

4.4 परिसर संबंधी मामलों पर कार्यपालकों की आंतरिक समिति

समिति के मुख्य कार्य बैंक के परिसरों जैसे पट्टाकृत / स्वामित्ववाले परिसरों का अधिग्रहण, पट्टा नवीकरण और पट्टाकृत परिसरों आदि को वापस लौटाने से संबंधित होते हैं.

महाप्रबंधक (खजाना), महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन), महा प्रबंधक (वित्तीय समावेशन और प्राथमिकता क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), महाप्रबंधक (लेखा) तथा महाप्रबंधक (संसाधन संग्रहण) समिति के सदस्य थे. आलोच्य वर्ष के दौरान समिति की 26 बैठकें हुईं.

5. निदेशकों के पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक को भारत सरकार के

4. Committees of Executives

For proper and efficient functioning of day-to-day functions of the Bank, the Bank has also formed various in-house Committees. Some of the in-house Committees are as under:

4.1 In-house Committee of Executives on Investments and Money Market Operations

The Bank had constituted an In-house Committee of Executives for Investment and Money Market Operations. The said Committee reviews all the deals / transactions and the matters relating to investments & funds management transactions and gives necessary guidelines. These meetings take place everyday.

The Committee is chaired by the Chairman & Managing Director and in his absence by the Executive Director. During the year under review, the Committee has been meeting daily.

4.2 Assets Liability Management Committee

The Bank had constituted Assets Liability Management Committee (ALCO) with Chairman and Managing Director as Chairman of the Committee and in his absence Executive Director. The functions of the Committee inter-alia include overseeing market risk management, Liquidity Risk Management, interest rate sensitivity of assets and liabilities and fixation of interest rates etc.

The functional General Managers and other executives from Head Office are other members of the Committee. During the year under review, the Committee met on 22 occasions to discuss and review ALM functions in the Bank.

4.3 In-House Share Transfer Scrutiny Committee

The Bank had constituted an In-House Share Transfer Scrutiny Committee of the executives of the Bank for approving / recommending shares transfer, which are processed by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank. The Committee also periodically reviews the progress of the demat position and movement in share prices of the Bank. General Manager (Accounts), Asst. General Manager (IRC), Assistant General Manager (Board Secretariat) and Manager (IRC)/ Company Secretary were the members of the Committee. General Manager (Accounts) was the Chairman of the Committee. During the year under review, the Committee met on 19 occasions.

4.4 Internal Committee of Executives on Premises

The main functions of the Committee are to review and recommend the proposals of acquisition of leased/ ownership premises, renewal of lease and surrender of leased premises etc.

General Manager (Treasury), General Manager (HRM & GAD), General Manager (FI, PS & RRB), General Manager (Accounts) and General Manager (RM) were the members of the Committee. During the year under review, the Committee met on 26 occasions.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director and the Executive Directors

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार संवेतन / पारिश्रमिक की अदायगी की गई तथा बैंक के निदेशक मंडल एवं अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए उन्हें किसी प्रकार के बैठक शुल्क की अदायगी नहीं की गई. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी निदेशक को छोड़कर अन्य सभी गैर कार्यपालक निदेशकों को बैंक के निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹5000/- और अन्य समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹2500/- का भुगतान बैठक शुल्क के रूप में अदा किया गया.

सभी गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठकों में उपस्थित रहने हेतु उल्लिखित बैठक शुल्क के अलावा सवारी, यात्रा, ठहरने आदि के वास्तविक व्यय की भी प्रतिपूर्ति की गयी. गैर कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित मामले, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित हैं.

वर्ष 2010-11 के लिए संबंधित पक्षों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची - 18 ``लेखा भाग के रूप में टिप्पणियां " में दिया गया है।

were paid salary / remuneration as per extant guidelines of the Government of India and are not paid sitting fees for attending the Board and other Committee meetings of the Bank. All other Non-Executive Directors except Government Director were paid sitting fees of ₹5,000/- for attending each Board Meeting and ₹2,500/- each for attending any other Committee meeting respectively as per guidelines of the Government of India.

All the Non-Executive Directors are also reimbursed the actual expenses incurred by them towards conveyance, traveling, halting etc., for attending the meetings in addition to sitting fees as mentioned above. All matters relating to remuneration of Non-Executive Directors were governed by the provisions contained in the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The details of remuneration paid to related parties for the year 2010-11 are given in Schedule- 18 “NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS” of the annual report for 2010-2011.

6. साधारण सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य सभाओं एवं पिछली तीन असाधारण सामान्य सभाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है. सभी बैठकें एक ही स्थान सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, जे.वी.पी.डी. योजना, विलेपार्ले (पश्चिम) मुंबई -400 056 में संपन्न हुई:

6. General Body Meetings

The details of last three Annual General Meetings and last three Extra Ordinary General Meetings are given below. The Venue of all meetings was Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai-400 056:

बैठक का ब्यौरा Details of the Meeting	तारीख और समय Date & Time
चौदहवीं वार्षिक सामान्य सभा * Fourteenth Annual General Meeting*	शुक्रवार, 16 जुलाई 2010 अपरान्ह 3.00 बजे Friday, 16th July, 2010 at 3.00 p.m.
तेरहवीं वार्षिक सामान्य सभा * Thirteenth Annual General Meeting*	शनिवार, 11 जुलाई 2009 अपरान्ह 3.00 बजे Saturday, 11th July, 2009 at 3.00 p.m.
बारहवीं वार्षिक सामान्य सभा Twelfth Annual General Meeting	शनिवार, 12 जुलाई 2008 अपरान्ह 3.00 बजे Saturday, 12th July, 2008 at 3.00 p.m.
असाधारण सामान्य सभा (भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, जारी करने तथा आबंटन के लिए) Extra Ordinary General Meeting (To create, offer, issue and allot Equity Shares on Preferential basis to Government of India)	सोमवार, 21 मार्च, 2011, पूर्वान्ह 11.00 बजे Monday, 21 March, 2011 at 11.00 a.m.
असाधारण सामान्य सभा (तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव) Extra Ordinary General Meeting(Election of Three Shareholder Directors	सोमवार, 9 मार्च 2009 पूर्वान्ह 11.00 बजे Monday, 9th March, 2009 at 11.00 a.m.
असाधारण सामान्य सभा(तीन शेयरधारक निदेशकों का चुनाव एवं डी.एस.ई. तथा ए.एस.ई. से शेयरों को गैर-सूचीकृत करना) Extra Ordinary General Meeting(Election of Three Shareholder Directors & Delisting of Shares from DSE & ASE)	गुरुवार, 16 मार्च 2006 पूर्वान्ह 11.00 बजे Thursday, 16th March, 2006 at 11.00 a.m.

पिछली वार्षिक सभा में श्री डी.एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, श्री ए. के. दत्त कार्यपालक निदेशक, श्री चंद्र किशोर भा.रि. बैंक के नामिती निदेशक, डा. कमलेश कुमार गोयल भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री. आय. एम. अल्मेडा, अधिकारी कर्मचारी निदेशक, डॉ. प्रीतम सिंह शेयर धारक निदेशक तथा श्री. रोहित खन्ना शेयर धारक निदेशक उपस्थित थे.

उपर्युक्त वार्षिक सामान्य बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किये गये थे.

डाक मतदान - पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी डाक मतदान का आयोजन नहीं किया.

The Last AGM was attended by Shri D. L. Rawal- Chairman & Managing Director, Shri A. K. Dutt- Executive Director, Shri Chandra Kishore – RBI Nominee Director, Dr. Kamlesh Kumar Goel - Government of India Nominee, Shri I. M. Almeida- Officer Employee Director, Dr. Pritam Singh – Shareholder Director and Shri Rohit Khanna– Shareholder Director.

No special resolutions were put through in the above said Annual General Meetings.

Postal Ballot – Bank has not conducted any postal ballot during the last financial year.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

7. प्रकटन :

7.1 भौतिक लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटन

31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष में बैंक और उसके निदेशकों के बीच किसी प्रकार के महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष के लेन-देन, आर्थिक लेन-देन या संबंध की कोई ऐसी घटना नहीं हुई, जिसका व्यापक रूप से बैंक के हितों के साथ टकराव संभावित हो.

7.2 बैंक द्वारा अनुपालन न किये जाने से संबंधित कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा शेयर बाजार / सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले में बैंक पर किसी प्रकार का जुर्माना / आक्षेप नहीं लगाया गया;

7.3 यथासंशोधित सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम 1992 के विनियम 12 (1) के अनुसरण में बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए आंतरिक कार्यविधि एवं आचरण संहिता का कार्यान्वयन किया है तथा बैंक की प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार को रोकने के लिए कार्पोरेट प्रकटन हेतु कार्यविधि भी निर्धारित की है.

7.4 देना बैंक द्वारा स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीबद्धता करारों के खंड 47 (ग) की अपेक्षानुसार, अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन तथा ईक्विटी शेयरों के आदान प्रदान के संबंध में प्रस्तुतीकरण के एक महीने के अंदर पेशेवर कंपनी सचिव से प्रत्येक छह महीने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा. इस प्रमाणपत्र को जारी होने के 30 दिन के अंदर बी.एस.ई. एवं एन.एस.ई. को अग्रेषित करना है.

7.5 सेबी के परिपत्र संख्या डीएण्डसीसी/एफआईटीटीसी/सीआईआर-16 दिनांक दिसंबर 31, 2002 के अनुसार, देना बैंक की कुल निर्गत / चुकता ईक्विटी पूंजी के साथ भौतिक रूप में तथा डिपाजिटरी के पास रखी गयी कुल ईक्विटी शेयर पूंजी का समायोजन करने के उद्देश्य से व्यावसायिक कंपनी सचिव की फर्म द्वारा शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का मिलान(पूर्व में सचिवीय लेखा परीक्षा के नाम से जाना जाता था) तिमाही आधार पर किया जाता है. इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र बी.एस.ई एवं एन.एस.ई को अग्रेषित किया गया है जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं.

7.6 बैंक द्वारा अनुपालन की गई गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं की शर्तें निम्नप्रकार हैं:

7. Disclosures:

7.1 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

There have been no significant related party transactions, pecuniary transactions or relationship between the Bank and its Directors for the year ended March 31, 2011 that may have a potential conflict with the interest of the Bank at large.

7.2 There were no cases of non-compliance by the Bank and no penalties / strictures were enforced on the bank by Stock Exchange/ SEBI or any other statutory authority on any matter related to the capital markets during the last three years.

7.3 Pursuant to Regulation 12(1) of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 as amended, the Bank has implemented a Code of Internal Procedure and conducts for prevention of insider trading and also laid down the procedure for Corporate Disclosures for prevention of insider trading in the securities of the Bank.

7.4 As required under clause 47 (c) of the listing agreements entered into by Dena Bank with stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgment. The certificate is forwarded to BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

7.5 In terms of SEBI's circular No. D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit (Previously called Secretarial Audit) is conducted on a quarterly basis by a firm of practicing company secretary, for the purpose of, inter-alia, reconciliation of total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued / paid up equity capital of Dena Bank. Certificate issued in this behalf are forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

7.6 The Clause of Non-mandatory requirements complied by the Bank is as follows:

क्रम संख्या Sl. No.	अपेक्षा Requirements	अनुपालन Compliance
1	कंपनी के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों का कुल कार्यकाल नौ वर्ष से अधिक नहीं होगा. कंपनी यह सुनिश्चित करे कि वह व्यक्ति, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, आवश्यक योग्यताएं एवं अनुभव रखता है जो कंपनी के लिए उपयोगी होगी तथा जो, कंपनी की दृष्टि में, एक स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से कंपनी को प्रभावी ढंग से योगदान देने में उसे सक्षम बनाती हैं. Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company. The company may ensure that the person who is being appointed as an independent director has the requisite qualifications and experience, which would be of use to the company and which, in the opinion of the company, would enable him to contribute effectively to the company in his capacity as an independent director.	बैंक के बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल नौ वर्षों से अधिक नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा योग्य एवं समुचित स्थिति का निर्धारण किया गया है, इस प्रकार बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशक योग्य एवं अनुभवी हैं. The tenure of Independent Directors on the Board of the Bank is not exceeding in the aggregate, a period of nine years. As per Reserve Bank of India Guidelines dated 1st November 2007, Fit and proper status was determined by the Nomination Committee of the Board of the Bank and thus all the independent directors on the Board are well qualified and experienced.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

2	बोर्ड कार्यपालक निदेशकों के लिए निर्दिष्ट पारिश्रमिक पेकेज पर कंपनी की पारिश्रमिक नीति निर्धारित करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन करे The board may set up a remuneration committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	यह लागू नहीं होता है, चूंकि कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं, तथापि, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि पर विचार करने के लिए पारिश्रमिक समिति कार्यरत है, Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However, a Remuneration Committee is in place to consider Performance Based Incentives in terms of guidelines received from Government of India.
3	कंपनी बिना शर्त वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हों Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	बैंक ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है. The Bank has complied with this requirement.
4	सतर्कता सूचक नीति *Whistle Blower Policy*	बैंक के बोर्ड ने सतर्कता सूचक नीति नामक एक नीति का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत एक प्रणाली शामिल की गयी है कि एक कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, यदि कोई हो, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधडी या आचरण या नीति के उल्लंघन के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारी / प्रबंधन वर्ग को कैसे रिपोर्ट कर सकता है. इस तंत्र में उस कर्मचारी के उत्पीडन के बचाव के पर्याप्य उपाय भी हैं , जो इस का उपयोग करता है,. इसे परिपत्र के माध्यम से बैंक में सभी को समुचित रूप से सूचित किया गया है. The Board of the Bank has approved a policy known as Whistle Blower Policy, under this also a mechanism has been incorporated as to how an employee can report to the CVO/ management about unethical behavior if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employee who avail of this mechanism. This has appropriately communicated within the Bank by circular.

8. वित्तीय परिणाम एवं संप्रेषण के साधन

बैंक अपने सदस्यों और जोखिम धारकों को उनके हितों से संबंधित घटनाओं से उन्हें अवगत रखने की आवश्यकता को महत्व देता है.

बैंक के तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम निर्धारित समय सीमा में उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए जाते हैं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं. इसके साथ ही तिमाही / अर्द्धवार्षिक / वार्षिक परिणाम सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप अंग्रेजी में फाइनेन्शियल एक्स्प्रेस, मराठी में लोकमत / नवशक्ति(क्षेत्रीय भाषा) तथा हिन्दी में नवभारत में प्रकाशित किए जाते हैं.. बैंक अपने वार्षिक परिणामों की कागजी प्रति शेयरधारकों को भी उपलब्ध कराता है. परिणाम के साथ-साथ शेयर धारिता का स्वरुप और शेयर मूल्य बैंक की वेबसाईट अर्थात् www.denabank.com. पर भी प्रदर्शित किए गये हैं. यह बैंक के बारे में कार्यालयीन प्रेस विज्ञप्ति एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी प्रदर्शित करता है।

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण वार्षिक रिपोर्ट का भाग है.

9. शेयरधारक के लिए सूचनाएँ

बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 1291 शाखाओं के नेटवर्क के साथ बैंक की उपस्थिति समस्त भारत में है.

8. Financial Results and Means of Communication:

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests.

The Quarterly / Half Yearly / Annual results of the Bank were submitted to the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, within the stipulated time frame. Further, the quarterly results / half-yearly / annual results were also published in Financial Express in English, Lokmat / Navshakti in Marathi (Regional Language) and Navbharat in Hindi as per the statutory requirement. The Bank also furnished the physical copy of the annual results to the Shareholders.The results as well as shareholding pattern and share prices were also displayed on the website of the Bank i.e. www.denabank.com. It also displayed official press releases and other important details about the Bank.

Management Discussion and Analysis forming part of the Annual Report.

9. Shareholder information

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence all over India with a network of 1291 branches.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

बैंक के ईक्विटी शेयर, मुंबई शेयर बाजार लिमिटेड (बीएसई), भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड (एनएसई), में सूचीबद्ध हैं.

इनके स्टॉक क्रिप कोड निम्नानुसार हैं :-

The Equity shares of the Bank are listed on Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE).

The stock scrip codes are as follows:

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	कोड Code	
	अल्फा Alpha	न्यूमेरिक Numeric
बी एस ई BSE	देना बैंक DENA BANK	532121
एन एस ई NSE	देना बैंक DENA BANK	-

अगले वर्ष 2011-12 के लिए दोनों स्टॉक एक्सेंजों को वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर वचन पत्र (टीयर I एवं टीयर II पूंजी) के रूप में अपरिवर्तनीय बाण्ड जारी किये हैं. उनसे संबंधित विवरण निम्नप्रकार हैं:

Annual Listing fee for next financial year 2011-12 has been paid to both the stock exchanges.

The Bank has issued Non-Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier-I and Tier-II Capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

निर्गम का विवरण Particulars of the Issue	मात्रा (रुपये करोड में) Size (₹ In Cr)	आबंटन की तिथि Date of Allotment	परिपक्वता की तिथि Date of Maturity	आईएसआईएन संख्या ISIN No.
6.20% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला VII) 6.20% Lower Tier-II Bonds (Series VII)	150	31.03.2004	30.04.2013	INE077A09021
7.30% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला VIII) 7.30% Lower Tier-II Bonds (Series VIII)	210	31.03.2005	30.04.2014	INE077A09039
9.25% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला IX) 9.25% Lower Tier-II Bonds (Series IX)	106	25.03.2008	24.05.2018	INE077A09062
11.20% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला X) 11.20% Lower Tier-II Bonds (Series X)	300	30.09.2008	30.04.2019	INE077A09070
9.50% निम्न टीयर-II बांड(शृंखला XI) 9.50% Lower Tier-II Bonds (Series XI)	200	29.01.2009	29.01.2019	INE077A09088
9.20% उच्च टीयर-II बांड(शृंखला I) 9.20% Upper Tier-II Bonds (Series I)	300	30.09.2006	30.09.2021	INE077A09047
10.05% बेमीयादी बांड(शृंखला I) 10.05% Perpetual Bonds (Series I)	125	31.12.2007	बेमीयादी Perpetual	INE077A09054
9.00% बेमीयादी बांड(शृंखला II) 9.00% Perpetual Bonds (Series II)	125	28.05.2009	बेमीयादी Perpetual	INE077A09096

ये सभी बांड नेशनल स्टॉक एक्सेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं एवं बैंक ने स्टॉक एक्सेंज को अगले वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

हमारे बैंक के बांडों की ऋण रेटिंग की स्थिति (31-03-2011 को):Credit Rating position of the Bonds of our Bank (As on 31.03.2011 को):

All these Bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for next financial year 2011-12 to the Stock Exchange.

Credit Rating position of the Bonds of our Bank (As on 31.03.2011):

बांडों के प्रकार Types of Bonds	एजेंसी Agency	रेटिंग Ratings
निम्न टीयर Lower Tier-II	क्रिसिल CRISIL	AA+/ Stable
	केयर CARE	CARE AA+
	फिच FITCH	A+ (Ind)
उच्च टीयर II एवं आईपीडीआई Upper Tier-II & IPDI	क्रिसिल CRISIL	AA/ Stable
	फिच FITCH	A (Ind)
आईपीडीआई IPDI	क्रिसिल CRISIL	AA/ Stable
	केयर CARE	CARE AA-

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

9.1 शेयरों का बेकागजीकरण

बैंक के शेयरों का व्यवसाय आवश्यक रूप से बेकागजीकृत स्वरूप में किया जाता है. जारीकर्ता बैंक के रूप में, बैंक ने शेयरों के बेकागजीकरण के लिए एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ एक करार किया है. सेबी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता भी बैंक के शेयरधारकों को अंतरण / बेकागजीकरण / पुनर्कागजीकरण की सुविधा दे रहे हैं.

दिनांक 31.03.2011 तक बैंक के 1,96,480 शेयरधारक थे जिनमें से बैंक के 36,354 शेयरधारक अपने शेयर कागजी रूप में धारण किए हुए थे और 1,60,126 शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमेट रूप में रखे हुए थे. कुल 33,33,89,074 शेयरों में से 19,33,85,874 शेयर (58.01%) भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हुए हैं, शेष 14,00,03,200 शेयर (41.99%) जनता / वित्तीय संस्थाओं / अनिवासी भारतीयों इत्यादि के पास हैं. दिनांक 31.03.2011 को, 33,33,89,074 शेयरों में से 32,37,91,637 (97.12%) शेयर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में एवं शेष 95,97,437 (2.88%) शेयर कागजी स्वरूप में विद्यमान हैं.

9.2 शेयर अंतरण पद्धति और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक ने मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट (आर.एण्ड टी.) के रूप में कार्य सौंपा है और शेयर / बॉण्ड अंतरण / प्रेषण, लाभांश / ब्याज भुगतान और निवेशक संबंधी अन्य सभी मामलों पर कार्रवाई हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा उनके कार्यालय में की जाती है. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट निवेशकों के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के बाद, उन्हें बैंक के कार्यपालकों की आंतरिक शेयर अंतरण संवीक्षा समिति के समक्ष रखता है और वह समिति बैंक के शेयरों के अंतरण / प्रेषण आदि का अनुमोदन करके उसकी पुष्टि के लिए शेयर अंतरण समिति को अपनी संस्तुति भेजती है.

शेयर धारक अपने अंतरण विलेख (केवल कागजी रुप में धारित होने के मामले में) और शिकायत सहित अन्य कोई प्रलेख बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं और इससे संबंधित पत्राचार भी, यदि कोई हो, उसे बैंक के निवेशक संपर्क केद्र को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं.

9.1 Dematerialisation of Shares

The shares of the Bank are traded compulsorily in dematerialised mode. The Bank, as an issuer, has entered into agreements with NSDL and CDSL for dematerialization of shares. In terms of SEBI guidelines, the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank is also extending the facility of transfer/ dematerialization / rematerialisation etc., to shareholders of the Bank.

As on 31.03.2011, the Bank had 1,96,480 shareholders out of which 36,354 shareholders of the Bank had been holding their shares in physical form and 1,60,126 shareholders hold shares in demat mode. Out of 33,33,89,074 shares, 19,33,85,874 shares (58.01%) are held by Government of India in electronic form and the remaining 14,00,03,200 shares (41.99%) are held by the Public/ FIIs/ NRIs/ Insurance Companies etc. As on 31.03.2011 out of 33,33,89,074 shares, 32,37,91,637 (97.12%) shares are in electronic mode and remaining 95,97,437 (2.88%) shares are in physical mode.

9.2 Share Transfer Systems and Redressal of Investor Grievances.

The Bank has engaged M/s. Sharepro Services (India) Private Limited as Registrar & Share Transfer Agent (R & T) of the Bank and the Share/ Bond transfers / transmission, Dividend / Interest payments and all other investors' related matters are attended to and processed by Registrar & Share Transfer Agent at their office. The R & T, after processing the requests of investors, put the same to the In-house Share Transfer Scrutiny Committee of the Executives of the Bank which approves and recommends the transfer / transmission etc. of shares of the Bank to the Share Transfer Committee for ratification.

Shareholders may lodge their transfer deeds (only in case of holding in physical form) and any other document, including complaints at the following address of Registrar & Share Transfer Agent of the Bank and also refer correspondence, if any, at the Bank's Investor Relations Centre at the address given below.

मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेज (इडिया) प्राइवेट लिमिटेड देना बैंक, सम्हिता काम्प्लेक्स, दुकान सं. 52 से 56, बिल्डिंग सं. - 13-ए-बी, साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, मुंबई - 400 072.	M/s. Sharepro Services (I) Pvt Ltd Unit: Dena Bank, Samhita Complex, Gala No.-52 to 56, Bldg. No. 13 A-B, Near Sakinaka Telephone Exchange, Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Mumbai - 400 072.	देना बैंक, प्रधान कार्यालय, निवेशक संपर्क केंद्र, 3रा तल, देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	Dena Bank, Head Office, Investor Relation Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051.
टेलीफोन Tel: 67720300/400/353/385 टेलीफैक्स Telefax: 28375646 ई-मेल E-Mail: sharepro@shareproservices.com.		टेलीफोन Tel: 26545318/19/20 टेली-फेक्स Tele-fax: 26545317 ई-मेल E-Mail: irc@denabank.co.in	

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कम्पनियों को सलाह दी है कि निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु वे विशिष्ट ई-मेल आई.डी. निश्चित करें. तदनुसार, बैंक ने शिकायतों के निवारण हेतु एक विशिष्ट ई-मेल आई.डी. investorgrievance@denabank.co.in निर्धारित की है. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की शिकायतों के मामले में इस सुविधा का उपयोग करें.

Securities and Exchange Board of India (SEBI) has advised the listed companies to designate an exclusive e-mail ID for Redressal of Investor Complaints. Accordingly, the Bank has provided a dedicated and exclusive e-mail id investorgrievance@denabank.co.in for the Grievance Redressal. Shareholders are requested to avail of this facility in case of any grievance.

9.3 वित्तीय कैलेण्डर(अस्थायी)

9.3 Financial Calendar:

वित्तीय वर्ष Financial Year	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च, 2011 तक 1st April, 2010 to 31st March, 2011
लेखों पर विचार करने एवं लाभांश, यदि कोई हो, की संस्तुति करने के लिए मंडल की बैठक Board Meeting for considering the Accounts and recommendation of dividend, if any	29/04/2011 (शुक्रवार Friday)
बही बंद होने की तारीखें Dates of Book Closures	09 जुलाई, 2011 से 18 जुलाई, 2011 तक 09th July, 2011 to 18th July, 2011
मुख्तारी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form	13 जुलाई 2011 13 July 2011
पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा की तारीख Date of Fifteenth Annual General Meeting	18 जुलाई 2011 18th July, 2011
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर लेखापरीक्षित परिणामों को अभिलेख में लेने हेतु निदेशक मंडल की बैठक Board Meeting for taking on record the Un-audited results for first 3 quarters	संबंधित तिमाही के अगले महीने का अंतिम सप्ताह Last week of the succeeding month of the relevant quarter
पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा का स्थल Venue of Fifteenth Annual General Meeting	सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स प्रशिक्षण महाविद्यालय, कूपर अस्पताल के पास, जेवीपीडी योजना, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई 400 056. Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, Near Cooper Hospital, J.V.P.D. Scheme, Vile Parle (West), Mumbai- 400 056

9.4 वर्ष 2010-11 के दौरान एन.एस.ई./बी.एस.ई. के माध्यम से खरीदे/बेचे गए शेयरों की कीमत और मात्रा

9.4 Shares Price and Volume of Shares traded on NSE & BSE during the year 2010-11:

	नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) National Stock Exchange (NSE)			मुंबई स्टाक एक्सचेंज (बी.एस.ई) Bombay Stock Exchange (BSE)		
अवधि Period	उच्च रु High ₹	निम्न रु Low ₹	खरीदे/बेचे गए शेयरों की मात्रा Total Volume of shares traded	उच्च रु High ₹	निम्न रु Low ₹	खरीदे/बेचे गए शेयरों की मात्रा Total Volume of shares traded
अप्रैल April 2010	89.85	76.90	51436911	89.60	77.20	12165571
मई May 2010	94.65	80.50	82690326	94.95	80.50	21457807
जून June 2010	96.40	85.50	62660306	96.40	85.65	16783443
जुलाई July 2010	102.00	91.00	56097216	102.00	91.00	16122918
अगस्त August 2010	112.45	98.10	65059520	112.40	98.20	13470701
सितंबर September 2010	116.60	103.20	44443653	116.50	102.85	7932058
अक्तूबर October 2010	144.35	107.30	102586384	144.30	107.25	23296892
नवंबर November 2010	151.00	112.50	55329073	151.00	113.00	14004591
दिसंबर December 2010	143.60	105.15	54082367	143.50	106.60	12114990
जनवरी January, 2011	118.55	96.15	40650742	118.50	96.30	10100469

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

फरवरी February, 2011	107.00	86.25	41620202	106.95	86.20	8803155
मार्च March, 2011	106.35	93.25	26953370	106.30	94.40	5959971
वर्ष के दौरान सर्वोच्च Highest during the year		रु ₹151.00		रु ₹151.00		
वर्ष के दौरान न्यूनतम Lowest during the year		रु ₹76.90		रु ₹77.20		

9.5 दिनांक 31 मार्च, 2011 को शेयरधारिता का स्वरूप

बैंक के ईक्विटी शेयर मुंबई शेयर बाजार एवं राष्ट्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं. बैंक ने इन शेयर बाजारों को 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया है. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की शेयरधारिता का स्वरूप निम्न प्रकार है :

9.5 Shareholding Pattern as on March 31, 2011:

The Equity shares of the Bank are listed on BSE and NSE. The Bank has paid the Annual Listing Fees to these Stock Exchanges for the year ended 31st March 2011. The shareholding pattern of the Bank as on March 31, 2011 is as follows:

क्र.सं. Sl. No.	श्रेणी Category	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held	शेयर धारिता का % % of Shareholding
1	भारत सरकार Government of India	193385874	58.01
2	बैंक एवं वित्तीय संस्थान Banks & Financial Institutions	248860	0.07
3	म्युचुअल फंड / भा.यू.ट्र Mutual Funds/ UTI	9612826	2.88
4	बीमा कंपनियां Insurance Companies	21231683	6.37
5	निगमित निकाय Bodies Corporate	12047744	3.61
6	अ.नि.भा.NRI/ ओ.सी.बी OCBs	1429025	0.43
7	निवासी व्यक्ति/ हिंदु अविभक्त परिवार / न्यास आदि Resident Individuals/ HUF/ Trust, etc.	49869409	14.96
8	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	45563653	13.67
	कुल TOTAL	333389074	100.00

9.6 (क) दिनांक 31-03-2011 को प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरण

(A) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Promoter and Promoter Group as on 31-03-2011

क्र.सं. Sl.No.	शेयरधारक का नाम Name of Share holder	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	कुल धारिता का % % of total holding
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	19,33,85,874	58.01
	कुल TOTAL	**19,33,85,874**	**58.01**

(ख) दिनांक 31.03.2011 को शेयरों की कुल संख्या के एक प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता और "जनता" की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की शेयरधारिता प्रदर्शित करने वाला विवरण

B) Statement showing shareholding of persons belonging to the category "Public" and holding more than 1% of the total number of shares as on 31-03-2011

क्र.सं.S/ No.	शेयर धारकों की श्रेणी Category of the Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares held	शेयरों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में शेयर Shares as percentage of total no. of shares
1	भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	21131916	6.34
2	अकाशिया पार्टनर्स. एलपी Acacia Partners, LP	8400000	2.52
3	ओप्पेन हेयमेर इंटरनेशनल स्मॉल कंपनी फंड Oppenheimer International Small Co. Fund	8000000	2.40
4	सन्लम एसेट मेनेजमेंट (आयरलेंड) लिमिटेड Sanlam Asset Management (Ireland) Ltd.	3473307	1.04
	कुल Total	**41005223**	**12.30**

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

9.7 दिनांक 31 मार्च, 2011 को शेयरधारिता का वितरण Distribution of Shareholding as on March 31, 2011

विवरण (शेयरों की संख्या) Description (No of Shares)	शेयरधारक Shareholders		शेयरधारिता Shareholding	
	संख्या Number	कुल का % % to total	संख्या Number	कुल का % % to total
Upto 500 तक	1,83,066	93.17	2,84,50,076	8.53
501-1000	8390	4.27	6774199	2.03
1001-2000	2769	1.41	4278303	1.28
2001-3000	735	0.37	1894759	0.57
3001-4000	385	0.20	1382707	0.42
4001-5000	267	0.14	1276289	0.38
5001-10000	426	0.22	3228672	0.97
Above 10000 से अधिक	442	0.22	286104069	85.82
कुल Total	**1,96,480**	**100.00**	**33,33,89,074**	**100.00**

9.8 एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी के उतार-चढ़ाव की तुलना में देना बैंक के शेयर का निष्पादन निम्नानुसार प्रदर्शित है.

Performance of Dena Bank Share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown here below

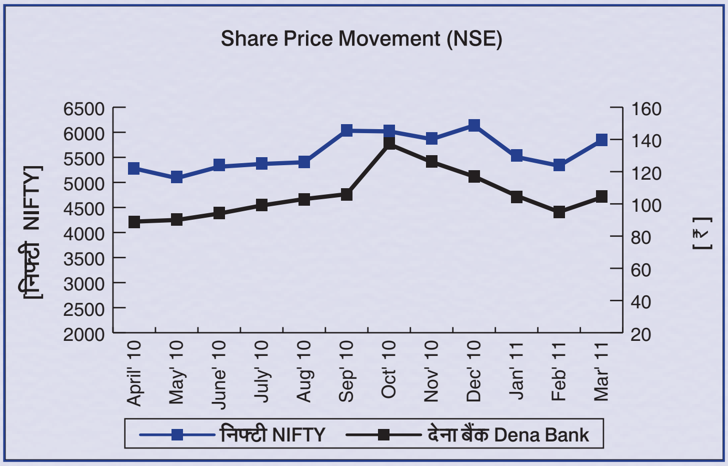

9.9. शेयर धारकों के लिए सूचना Shareholders information:

बैंक ने निम्नलिखित वर्षो के लिए लाभांश घोषित किया The Bank had declared Dividend for the following years:

क्र.म. Sl	वर्ष Year	लाभांश(%) Dividend (%)	क्र.म. Sl.No.	वर्ष Year	लाभांश (%) Dividend (%)
1	1996-1997	12%	8	2003-2004	शून्य Nil
2	1997-1998	15%	9	2004-2005	शून्य Nil
3	1998-1999	16%	10	2005-2006	शून्य Nil
4	1999-2000	6%	11	2006-2007	8%
5	2000-2001	Nil	12	2007-2008	10%
6	2001-2002	Nil	13	2008-2009	12%
7	2002-2003	Nil	14	2009-2010	20%

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक अक्तूबर 16, 2006 के द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण)अधिनियम 1970/1980 को पुन संशोधित किया है और दिनांक 16 अक्तूबर 2006 से बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 नामक नया कानून बना दिया है.

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10(बी) (2) एवं (3) के अनुसार, बैंक को उपर्युक्त

The Government of India vide its notification dated October 16, 2006 has further amended the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980, and enacted the new law called the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 w.e.f. 16th October, 2006.

As per section 10(B) (2) & (3) of the aforesaid Act, the Bank has

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व घोषित किसी भी लाभांश की अदत्त राशि, पूर्ण रुप में या आंशिक रुप में, अधिनियम के लागू होने अर्थात 16 अक्तूबर, 2006 से छह महीने के भीतर ``देना बैंक का अदत्त लाभांश खाता (वर्ष) नामक विशेष खाते में अंतरण करनी है. बैंक ने उपर्युक्त अपेक्षा का पालन कर लिया है और उसे अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कर दिया है.

तदनुसार, जिन शेयरधारकों को वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2006-2010 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है वे कृपया सहायता के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केद्र या मेसर्स शेयर प्रो. सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लि. से सम्पर्क कर सकते हैं. बैंक ने वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 तक के लिए कोई भी लांभाश घोषित नहीं किया है.

9.10. जहां पर ई.सी. एस. सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ निवेशकों को इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा के माध्यम से लाभांश वितरित करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के विवरणों का उपयोग करने हेतु सेबी ने इसे सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए अनिवार्य बना दिया है। ई.सी.एस. सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में बैंक भुगतान लिखत पर निवेशकों को लाभांश वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण, यदि उपलब्ध हो, मुद्रित करेगा.

9.11. ऐसे शेयर धारक जिनके शेयर कागजी रूप में हैं और जिन्होंने बैंक को अधिदेश विवरण/ अधिदेश विवरण में हुए परिवर्तन बैंक को सूचित नहीं किये हैं, वे उक्त विवरण बैंक को प्रस्तुत करें ताकि लाभांश वारंट के धोखाधड़ी पूर्वक नकदीकरण से बचा जा सके. बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से उपलब्ध कराया गया है.

9.12 कृपया यह ध्यान दें कि जिन शेयर धारकों के शेयर कागजी रूप में हैं वे अपने बैंक अधिदेश विवरण और पते में हुए परिवर्तन, यदि कोई हो तो, शेयरधारकों के अभिलेख को अद्यतन करने के लिए बैंक के निवेशक सम्पर्क केद्र या मेसर्स शेयर प्रो. सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को भेज सकते हैं. ऐसे शेयरधारक जिनकी शेयर धारिता डीमेट (इलेक्ट्रानिक) रूप में है वे बैंक खातों के विवरण, शेयरधारक आदि के पते को अनिवार्य रूप से अद्यतन बनाने के लिए अपने डिपाजिटरी सहभागी से सम्पर्क करें.

दावा नहीं किये गये बैंक के ईक्विटी शेयरों के संबंध में सूचीबद्धता करार के खण्ड 5 ए(II) के अंतर्गत अपेक्षितानुसार बैंक ने आवश्यक कदम उठाया है.

to transfer the whole or part of any dividend declared before the commencement of the above said Act, unpaid dividend to a special account called "Unpaid Dividend Account of Dena Bank (year)" within six months from the commencement of the Act. i.e. 16th October, 2006. Bank has complied with the above requirement and transferred the same to "Unpaid Dividend Account "

Accordingly, the shareholders who have not received the dividend for upto year 1999-2000 and year 2006-2010 may please contact Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Sharepro Services (India) Private Limited for assistance. Bank had not declared any dividend during the years 2000-2001 to 2005-06.

9.10 SEBI has made it mandatory for all listed companies to use the Bank account details furnished by the Depositories for distributing dividends through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors where ECS facility is available. In the absence of NECS facility the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instrument for distribution of dividends to the investors.

9.11 The shareholders having physical shares, who have not provided the Bank Mandate details/ change in Bank Mandate details may furnish the same to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Performa for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

9.12 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details & change in address, if any, to the Investor Relations Centre of the Bank or M/s. Sharepro Services (India) Private Limited, Mumbai for updating record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updating of the particulars of Bank account, address of shareholder etc.

Bank has initiated necessary steps as required under cluse 5A (II) of the Listing Agreement, with regard to Unclaimed Equity Shares of the Bank.

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक .कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रमाणन

निदेशक मंडल
देना बैंक
मुंबई

हम एतद्द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा एवं अपनी सर्वोतम जानकारी व विश्वास के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि -

i.. इन विवरणों में भौतिक रूप से कोई गलत विवरण नहीं है अथवा इनमें से कोई भौतिक तथ्य हटाए नहीं गए हैं अथवा इनमें ऐसा कोई विवरण नहीं हैं जो गुमराह करते हों;

ii. ये विवरण एक साथ बैंक के काम काज की एक सच्ची व स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं, साथ ही ये बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट किए गए प्रचलित लेखांकन मानकों, प्रयोज्य विधियों व विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं.

iii. हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के अनुसार वर्ष 2010-2011 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करनेवाला रहा हो, सिवाय उसके जिसकी रिपोर्ट निदेशक मंडल / भारतीय रिजर्व बैंक को कर दी गई है.

iv. हम आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने एवं उनको बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं. हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावात्मक्ता का मूल्यांकन किया है एवं हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के स्वरूप व परिचालन से संबंधित उन कमियों, जिनसे हम अवगत हैं, के बारे में लेखा परीक्षकों व लेखा परीक्षा समिति को बता दिया है तथा हमने इन कमियों को सुधारने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं.

v. हम पुनः प्रमाणित करते हैं कि :

1. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं;

2. इस वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं सिवाय उसके जिन्हें बैंक के वित्तीय परिणामों में प्रकट कर दिया गया है;

3. निदेशक मंडल / भारतीय रिजर्व बैंक को की गई रिपोर्ट को छोड़कर, प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में है, के ऐसे किसी महत्वपूर्ण छल-कपट के कोई उदाहरण नहीं रहे हैं जिससे हम अवगत नही हो गए हैं. जब कभी कोई धोखाधड़ी उजागर हुई है तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. भविष्य में इसके निवारण संबंधी आवश्यक उपाय भी निरंतर रूप से किए जा रहे हैं.

(एस.के.जैन)	(ए.के.दत्त)	(डी.एल.रावल)
महा प्रबंधक (लेखा)	कार्यपालक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 28.04.2011 स्थान: मुंबई

10. CERTIFICATION BY CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, EXECUTIVE DIRECTOR :

The Board of Directors
Dena Bank,
Mumbai

We hereby certify that for the financial year, ending 31st March, 2011 on the basis of the review of the financial statements and the cash flow statement and to the best of our knowledge and belief that :-

These statement do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations, as disclosed in the financial results of the Bank.

There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2010-11 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct, except as reported to Board / RBI.

We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls. We have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, those deficiencies, of which we are aware, in the design or operation of the internal control systems and that we have taken the required steps to rectify these deficiencies.

We further certify that :

1. there have been no significant changes in internal control system during the year;

2. there have been no significant changes in accounting policies during this year, except as disclosed in the financial results of the Bank.

3. there have been no instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system except as reported to Board / RBI. Whenever any frauds were detected necessary disciplinary action was taken against the concerned employee. Further necessary preventive measures are also being taken on ongoing basis.

(S. K. Jain)	(A. K. Dutt)	(D. L. Rawal)
General Manager (Accounts)	Executive Director	Chairman & Managing Director

Date: 28.04.2011 Place:Mumbai

कार्पोरेट अभिशासन CORPORATE GOVERNANCE

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
देना बैंक, प्रधान कार्यालय
देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, 'जी" ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051,

देना बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई), मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ किए गए सूचीबद्धता करार (समय - समय पर यथा आशोधित) के खंड 49 में यथा निर्धारित 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए देना बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की हमने जाँच की है.

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है. हमारी जाँच कार्रवाई, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई कार्यविधि और कार्यान्वयन करने तक सीमित थी. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर मंतव्य की अभिव्यक्ति है.

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार सामान्यत: बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार के उपर्युक्त उल्लिखित खंड 49 में यथा निर्धारित कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जब तक कि वे भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशो से असंगत नहीं है.

हम यह कहना चाहते हैं कि बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता द्वारा यथा प्रमाणित बैंक के निवेशक से संबंधित कोई भी शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है.

हम यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही उस कार्यक्षमता और प्रभावात्मकता का, जिससे प्रबंधन वर्ग ने बैंक का कामकाज किया है.

Auditors' Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
Dena Bank,
Head office, Dena Corporate Centre
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Dena Bank for the year ended March 31, 2011, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements (as modified from time to time) entered into with National Stock Exchange of India Limited (NSE) and Bombay Stock Exchange Limited (BSE).

The compliance of the conditions of corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation there of, in terms of aforesaid Clause 49. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Bank.

We certify that, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Clause 49 of the listing agreements, so far as they are not inconsistent with the guidelines issued by the Government of India/ Reserve Bank of India.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as certified by Registrar & Transfer Agents of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार	**कृते बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार
For M/s. Gokhale & Sathe Chartered Accountants	For B. K Khare & Co. Chartered Accountants	For Gandhi Minocha & Co. Chartered Accountants	For P K Chopra & Co. Chartered Accountants	For Avanish K Rastogi & Associates Chartered Accountants	For S. C. Bapna & Associates Chartered Accountants
केदार ए. मेहेन्दले Kedar Mehendale भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 116065)	**संतोष परब** Santosh Parab भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 047942)	**अजय कत्याल** Ajay Katyal भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 087915)	**के. एस. पोन्नुस्वामी** K.S. Ponnuswami भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 070276)	**यशपाल शर्मा** Yashpal Sharma भागीदार Partner (एम नं. M.No. 404939)	**एस. सी बापना** S. C. Bapna भागीदार Partner (एम नं. M.No. 071765)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 28 अप्रैल, 2011

Place: Mumbai, Date: 28th April, 2011

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2011)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age years	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
1	श्री डी.एल.रावल Shri D. L. Rawal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	59	बी.एससी (आनर्स) सी.ए.आई.आई.बी B.Sc. (Hons), CAIIB	01.01.2009 से to 31.10.2011	कृषि वित्तीयन निगम लिमिटेड Agricultural Finance Corporation Ltd.	शून्य Nil
2	श्री ए.के.दत्त Shri A.K.Dutt	कार्यपालक निदेशक Executive Director	56	एम.एससी, सीएआईआईबी,एमबीए,डीसीए M.Sc., CAIIB, MBA,DCA	01.03.2010 से to 31.01.2014	शून्य Nil	100
3	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	भारत सरकार के नामिती Govt. of India - nominee	51	एम.एससी, एल.एल.बी, पी.एच.डी M.Sc., LL.B., Ph.D.	10.06.2008 से अगले आदेश तक from 10.06.2008 until further orders	शून्य Nil	शून्य Nil
4	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore	भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती Reserve Bank of India -nominee	68	एम.ए , एम.ए(संस्कृत) एल.एल.बी, सी.ए.आई.आई.बी M.A.,M.A.(Sanskrit), LL.B., CAIIB	27.02.2007 से to 29.07.2010	शून्य Nil	शून्य Nil
5	श्री बी.पी.विजयेंद्र Shri B P Vijayendra	भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती Reserve Bank of India - Nominnee	54	एम.ए (अर्थ शास्त्र), सी.ए.आई.आई.बी M.A. (Economics), CAIIB	30.07.2010 से अगले आदेश तक from 30.07.2010until further orders	शून्य Nil	शून्य Nil
6	श्री इग्नेशियस एम अल्मेइडा Shri Ignatius M Almeida	अधिकारी कर्मचारी निदेशक Officer Employee Director	58	एम.कॉम M.Com	18.02.2010 से to 30.11.2012	शून्य Nil	शून्य Nil
7	डॉ कमलेश कुमार गोयल Dr. Kamlesh Kumar Goel	भारत सरकार द्वारा नियुक्त Appointed by Government of India	62	बी.कॉम, ,एल.एल.बी एफ.सी.ए, ए.सी.एस, पी.एच.डी B.Com., LL.B, FCA, ACS, Ph.D.	04.02.2009 से to 03.02.2011	मे. सिंगर इंडिया लिमिटेड (औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दिनांक 29.04.2010 से विशेष निदेशक के रुप में नियुक्त) M/S Singer India Ltd. (Appointed as Special Director by Board for Industrial & Financial Reconstruction w.e.f. 29.04.2010	200

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2011)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age (in years)	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/ सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
8	डॉ. प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	69	एम.काम, एम.बी.ए. (यू.एस.ए), पी.एचडी M.Com., M.B.A. (USA), Ph.D.	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. भारतीय रिजर्व बैंक का स्थानीय बोर्ड Local Board of Reserve Bank of India 2. यूटीआई ट्रस्टी कं.लिमिटेड UTI Trustees Co. Ltd. 3. हीरो होन्डा मोटर्स लिमिटेड Hero Honda Motors Ltd. 4. डिश टी.वी Dish TV 5. परसवनाथ डेवलपर्स लिमिटेड Parsvanath Developers Ltd. 6. इंटरनेशनल मेनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (महा निदेशक) International Management Institute (Director General 7. आई.आई.एम. कोझीकोड IIM Kozikode	500

निदेशकों के विवरण (31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान) PARTICULARS OF DIRECTORS (during the year ended 31st March, 2011)

अनुबंध क Annexure A

क्र. सं. Sr. No.	नाम Name	प्रकार Type	आयु वर्षों में Age (in years)	शैक्षणिक योग्यता Qualification	कार्यकाल Tenure	अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशक/ सदस्य/ एवं अध्यक्ष की हैसियत Directorship/Membership & Chairmanship in Committee of other companies	शेयरधारिता Shareholding
9	डॉ. सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	44	बी.कॉम, एफसीए, एफआईसीडब्ल्यूए, पी.एचडी B.Com., FCA, FICWA, Ph.D.	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. सुनील राम एन्टरप्राइसेस (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Enterprises (P) Ltd. 2. सुनील राम इंफोटेक इंडिया (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Infotech India (P) Ltd. 3. सुनील राम इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा) लिमिटेड Sunil Ram Infrastructure (P) Ltd. 4. विनायक कामनेट (प्रा) लिमिटेड Vinayak Comnet (P) Ltd. 5. सुविप्रा इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा) लिमिटेड Suvipraa Infrastructure (P) Ltd. 6. एन.के.जी इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड NKG Infrastructure Ltd.	500
10	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	शेयरधारक निदेशक Shareholder Director	52	बी.काम (आनर्स) एफसीए B.Com.(Hons), FCA	17.03.2009 से to 16.03.2012 तक	1. एस्टीम कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड Esteem Consultants Pvt. Ltd. 2. गुटी इंपेक्स प्रा.लि Guti Impex Pvt. Ltd. 3. सिल्वर एरो इंफोसिस प्रा लि. Silver Arrow Infosys Pvt. Ltd. 4. भिकाजी पावर प्रा.लि. Bhikaji Power Pvt. Ltd. 5. अरा हेल्थकेयर प्रा.लि. Ara Healthcare Pvt. Ltd. 6. भिकाजी स्टॉक एवं शेयर ब्रोकर्स प्रा.लि. 6. Bhikaji Stock & Share Brokers Pvt. Ltd. 7. फ्लोरा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रा.लि. Flora Software Systems Pvt. Ltd. 8. एटलांटिक सॉफ्टेक प्रा.लि Atlantic Softtech Pvt. Ltd. 9. ए.एम.बी सर्विसेस प्रा.लि. AMB Services India Pvt. Ltd.	1600

दिनांक 31.03.2011 को मंडल की समितियों के गठन की स्थिति COMPOSITION OF COMMITTEE OF THE BOARD as on 31.03.2011

अनुबंध ख Annexure B

समिति COMMITTEE	अध्यक्ष CHAIRMAN	सदस्य MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. RAWAL	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, श्री बी.पी.विजयेंद्र Shri B.P. Vijayendra, श्री आई.एम.अल्मेइडा Shri I. M. Almeida, डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
लेखा परीक्षा समिति Audit Committee	डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand, श्री बी.पी.विजयेंद्र Shri B.P. Vijayendra, श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	श्री बी.पी.विजयेंद्र Shri B.P. Vijayendra, डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh, डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta
शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति Shareholders / Investors Grievance Committee	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, श्री आई.एम.अल्मेइडा Shri I.M. Almeida
समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति Committee on Integrated Risk Management	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, श्री आई.एम.अल्मेइडा Shri I.M. Almeida, डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh
बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों की निगरानी समिति Committee Monitoring Large Value Frauds	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand, डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh, श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khana
शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri. A.K. Dutt, श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand, श्री आई.एम.अल्मेइडा Shri I.M. Almeida, डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh
सूचना प्रौद्योगिकी समिति Information Technology Committee	श्री डी. एल. रावल Shri D. L. Rawal	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna
अनुपालन समिति Compliance Committee	डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	श्री ए.के.दत्त Shri A.K. Dutt, डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand
नामांकन समिति Nomination Committee	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	श्री आई.एम.अल्मेइडा Shri I.M. Almeida

निदेशकों की उपस्थिति के विवरण DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

अनुबंध ग Annexure C

क्रम सं Sr. No.	नाम Name	मंडल बैठक Board Meeting	प्रबंधन समिति बैठक Management Committee Meeting	लेखा परीक्षा समिति बैठक Audit Committee Meeting	पारिश्रमिक समिति बैठक Remuneration Committee Meeting	एस.आई.जी.सी बैठक SIGC Meeting	समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति बैठक Integrated Risk Management Committee Meeting	बडे मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति की बैठक Committee Monitoring Large Value Frauds Meeting	शेयर अंतरण समिति बैठक Share Transfer Committee Meeting	ग्राहक सेवा समिति बैठक Customer Service Committee Meeting	सूचना तकनीक समिति बैठक Information Technology Committee Meeting	अनुपालन समिति बैठक Compliance Committee Meeting	नामांकन समिति बैठक Nomination Committee Meeting
		उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held
1	श्री डी.एल.रावल Shri D L Rawal	14/14	17/17	--	--	--	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	--	--
2	श्री ए.के.दत्त Shri A. K. Dutt	13/14	16/17	8/9	--	4/4	4/4	3/3	4/4	4/4	4/4	3/3	--
3	डॉ तरसेम चंद Dr. Tarsem Chand	8/14	--	5/9	1/1	--	1/1	2/3	--	1/4	--	2/3	1/1
3	श्री बी.पी.विजयेंद्र Shri B.P. Vijayendra	9/9	10/10	6/6	--	--	1/1	--	--	1/1	--	--	--
4	श्री आई एम अल्मेइडा Shri I. M. Almeida	14/14	10/10	--	--	1/1	4/4	--	--	4/4	--	--	1/1
6	डॉ प्रीतम सिंह Dr. Pritam Singh	11/14	5/8	1/1	1/1	--	2/3	1/1	--	3/4	3/4	--	--
7	डॉ सुनील गुप्ता Dr. Sunil Gupta	7/14	6/9	5/9	1/1	--	--	--	--	--	--	2/3	--
8	श्री रोहित खन्ना Shri Rohit Khanna	11/14	5/7	7/9	--	4/4	--	3/3	3/4	--	3/4	--	--

वर्ष 2010-2011 के दौरान उन निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2010-2011

क्रम सं Sl No.	नाम Name	मंडल बैठक Board Meeting	प्रबंधन समिति बैठक Management Committee Meeting	लेखा परीक्षा समिति बैठक Audit Committee Meeting	पारिश्रमिक समिति बैठक Remuneration Committee Meeting	एस.आई.जी.सी. बैठक SIGC Meeting	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक Risk Management Committee Meeting	बडे मूल्य वाली धोखाधडियों की निगरानी समिति की बैठक Committee Monitoring Large Value Frauds Meeting	शेयर अंतरण समिति बैठक Share Transfer Committee Meeting	ग्राहक सेवा समिति बैठक Customer Service Com-mittee Meeting	सूचना तकनीक समिति बैठक Information Technology Committee Meeting	अनुपालन समिति बैठक Compliance Committee Meeting	नामांकन समिति बैठक Nomination Committee Meeting
		उपस्थित /आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held	उपस्थित / आयोजित Attended / Held
1	श्री चंद्र किशोर Shri Chandra Kishore	4/5	5/6	2/3	1/1	--	1/1	--	--	1/1	--	--	1/1
2	डॉ कमलेश कुमार गोयल Dr. Kamlesh Kumar Goel	12/12	14/14	3/3	--	3/3	--	2/2	--	--	--	--	1/1
		बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting	बैठक की तारीख Dates of Meeting
		27.04.2010 18.05.2010 25.06.2010 16.07.2010 26.07.2010 16.08.2010 21.09.2010 15.10.2010 26.10.2010 16.11.2010 20.12.2010 27.01.2011 01.03.2011 30.03.2011	27.04.2010 18.05.2010 07.06.2010 25.06.2010 16.07.2010 26.07.2010 16.08.2010 04.09.2010 21.09.2010 15.10.2010 26.10.2010 16.11.2010 07.12.2010 20.12.2010 27.01.2011 24.02.2011 21.03.2011	10.04.2010 27.04.2010 26.07.2010 08.09.2010 15.10.2010 26.10.2010 15.11.2010 27.01.2011 18.03.2011	18.05.2010	18.05.2010 16.08.2010 15.11.2010 01.03.2011	18.05.2010 16.08.2010 16.11.2010 24.02.2011	18.05.2010 16.08.2010 21.03.2011	18.05.2010 16.08.2010 15.11.2010 24.02.2011	25.06.2010 21.09.2010 20.12.2010 21.03.2011	18.05.2010 21.09.2010 16.11.2010 21.03.2011	25.06.2010 15.11.2010 18.03.2011	18.05.2010

निदेशकों के विवरण DIRECTORS' PROFILE

1. **श्री डी.एल.रावल** ने देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार 1 जनवरी, 2009 को ग्रहण किया.

श्री रावल का कैरियर पंजाब नैशनल बैंक से आरंभ हुआ. रिटेल बैंकिंग तथा कृषि अग्रिमों के लिए नियम आधारित उधार पद्धति आरंभ करने में उनकी प्रमुख भूमिका रही. उन्होंने पंजाब नैशनल बैंक की अनेक सहायक कंपनियों में प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के रुप में नेतृत्व प्रदान किया.

श्री रावल ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारप्राप्त समूह की समिति के सदस्य, ₹ 2 लाख तक के ऋणों पर ब्याज दरों के अविनियमन के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य, शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्थापित शहरी गरीबों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए कार्यदल के सदस्य, भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित रिटेल, कृषि तथा लघु उद्योग अग्रिम समिति के सदस्य, भारतीय रिज़र्व बैंक, दिल्ली द्वारा गठित एस.एम.ई. पर अधिकारप्राप्त समिति के सदस्य तथा वर्ष 2008-09 के लिए कृषि कारोबार तथा वित्तीय समावेशन पर आई.बी.ए. की समिति के सदस्य के रुप में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं.

वे कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह पर आई.बी.ए. की उप समिति के संयोजक थे और भारतीय बैंक संघ ने उनके दृष्टिकोण - पत्र को स्वीकार कर लिया है.

वर्तमान में वे कृषि वित्त निगम लि. के निदेशक मंडल में निदेशक हैं और वित्तीय समावेशन पर समिति के सदस्य भी हैं.

श्री रावल विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक हैं और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं.

2. **श्री ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक के रुप में 1 मार्च, 2010 को नियुक्त किए गए. देना बैंक में सेवारंभ से पहले, श्री दत्त 1978 से इलाहाबाद बैंक में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे. इलाहाबाद बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री दत्त कार्मिक प्रशासन, कॉर्पोरेट कार्यालय, विभिन्न क्षेत्रीय तथा अंचल कार्यालयों तथा महाप्रबंधक, साख विभाग, प्रधान कार्यालय में पदस्थ रहे.

श्री दत्त ई.एम.सी. लिमिटेड में निदेशक तथा बैंकर्स क्लब, कोलकाता के मानद सचिव भी रहे.

श्री दत्त विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त (स्वर्ण पदक विजेता) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं. उन्होंने एम.बी.ए. डिग्री तथा कंप्यूटर अप्लिकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है. श्री दत्त ने केलोग स्कूल ऑफ मैनेजमैंट, नौर्टवेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. तथा केंब्रिज यूनिवर्सिटी, यू.के. के सम्मर स्कूल द्वारा आयोजित लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर कार्पोरेट एक्सीलेंस पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है.

3. **डॉ. तरसेम चंद** बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में निदेशक हैं. वे विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं. उनके पास पीएच.डी एवं एलएल.बी. डिग्रियां भी हैं.

डॉ.चंद ने योजना आयोग, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा दूर संचार विभाग में भी कार्य किया है. उनको भारत सरकार में कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण एवं परियोजना मूल्यांकन क्षेत्रों में लंबा अनुभव है.

4. **श्री बी.पी.विजयेंद्र** बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें लगभग तीस वर्ष का केंद्रीय बैंकिंग अनुभव है और वर्तमान में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक में मुख्य महा प्रबंधक हैं. वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकर्स के

1. **Mr. D. L. Rawal** took charge of Dena Bank as Chairman & Managing Director on 1st January, 2009.

Mr. Rawal's career began from Punjab National Bank. He was instrumental in introducing Rule-Based Lending System for Retail Banking and Agricultural Advances. He has also headed host of subsidiaries of Punjab National Bank in his capacity as Managing Director and Director.

Mr. Rawal has served as member in Committee of Empowered Group on Regional Rural Banks appointed by RBI, Committee appointed by IBA for deregulation of interest rates on loans upto ₹ 2 lakhs, Task Force to provide Micro-Credit to the Urban Poor set up in the Ministry of Urban Employment & Poverty Alleviation, Committee on Retail, Agriculture & SSI Advances constituted by IBA, Empowered Committee on SMEs constituted by RBI, Delhi and IBA Committee on Agro Business & Financial Inclusion for the year 2008-09.

He was Convener in IBA Sub-Committee on Flow of Credit to Agriculture Sector and his approach paper has been accepted by IBA.

Presently he is on the Board of Agricultural Finance Corporation Ltd. as Director and also a member of Committee on Financial Inclusion.

Mr. Rawal is a graduate in Science with Hons. and Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

2. **Mr. A. K. Dutt** was appointed as Executive Director on 1st March, 2010. Prior to joining the Bank, Mr. Dutt was working at Allahabad Bank since 1978 in various capacities. During his time with Allahabad Bank, Shri Dutt was posted in Personnel Administration, Corporate Office, various Regional and Zonal Offices and General Manager, Credit Dept., Head Office.

Mr. Dutt was a Director on EMC Ltd. and Hon. Secretary of Banker's Club, Kolkata.

Mr. Dutt is a Post graduate in Science (Gold Medalist) and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). He also holds MBA Degree and Diploma in Computer Applications. Mr. Dutt has attended Training on Leadership Development for Corporate Excellence organized by Kellog School of Management, Nortwestern University, USA and Summer School at Cambridge University, U.K.

3. **Dr. Tarsem Chand** represents Government of India on the Board of Directors of the Bank. He is presently Director, Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. He has Post Graduate degree in Science. He also holds a Ph.D and LL.B. degree.

Dr. Chand has worked with Planning Commission, Ministry of Food Processing Industries and Department of Telecommunications. He has a vast experience in Government of India in Personnel Management, Finance Control and Project Appraisal Areas.

4. **Shri B. P. Vijayendra** represents Reserve Bank of India on the Board of the Bank. He has nearly three decades of central banking experience and is presently Chief General Manager, Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India. He holds a Post Graduate Degree in Economics and is a Certified Associate of

निदेशकों के विवरण DIRECTORS' PROFILE

सर्टिफाइड असोसियेट (सी.ए.आई.आई.बी.) हैं. वे विभिन्न समितियों और कार्य समूहों , विशेष रूप से लीड बैंक योजना की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति से संबद्ध हैं. वे व्यापक रुप में यात्रा कर चुके हैं और अन्य देशों के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, केनडा और स्विट्जरलेंड की भी यात्रा कर चुके हैं. वे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर सहित विभिन्न बैंकों के निदेशक मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती थे.

5. **श्री आई एम. अलमेइडा** सरकार द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त हैं. वे वाणिज्यिक शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं. श्री अलमेइडा ने 1976 में बैंक में सेवारंभ की. वर्तमान में, वे अखिल भारतीय देना बैंक अधिकारी संघ, मुंबई यूनिट के महा सचिव और अखिल भारतीय देना बैंक अधिकारी महासंघ के भी महा सचिव हैं. वे अखिल भारतीय बैंक अधिकारी कनफेडरेशन के उप महा सचिव भी हैं और अखिल भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक अधिकारी महासंघ के संयुक्त महा सचिव हैं.

6. **पद्मश्री डॉ. प्रीतम सिंह** एक शेयरधारक निदेशक हैं. डॉ.सिंह वाणिज्यिक शास्त्र में स्नातकोत्तर, इंडियाना यूनिवर्सिटी , यू.एस.ए. से एम.बी.ए. और प्रबंधन में पीएच.डी. हैं.

डॉ.सिंह जानेमाने प्रबंधन गुरु हैं और वे आई.आई.एम., लखनऊ और एम.डी. आई., गुडगावं के पूर्व निदेशक हैं. वर्तमान में वे आई.एम.आई., दिल्ली के महा निदेशक हैं. उन्होंने देश के लगभग 70 संस्थानों के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में कार्पोरेट जगत में परिवर्तन प्रक्रिया को सक्रियता से शुरू किया और पूरा किया. वे उनकी हाल ही की पुस्तक 'In Search of Change Maestros' सहित 7 शैक्षणिक प्रतिष्ठित पुस्तकों एवं 50 से भी अधिक अनुसंधान पर्चों के लेखक हैं. देश ने उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को उस समय की मान्यता दी जब 2003 में उनको भारत के राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठात्मक "पद्मश्री" पुरस्कार से सम्मानित किया. उनको कई अन्य प्रतिष्ठात्मक प्रबंधन पुरस्कारों से नवाजा गया, उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं: एसकॉर्ट अवार्ड (1979 एवं 2002), फोर अवार्ड (1984), उत्कृष्ठ अभिप्रेरक आचार्य आई आई एम., बेंगलूर अवार्ड (1993), भारतीय प्रबंधन स्कूलों का उत्कृष्ठ निदेशक अवार्ड (1998), मिरबिस मॉस्को ग्लोबल थॉट लीडर अवार्ड 2005, प्रथम ए.आई.एम.ए. केवल नोहरिया अवार्ड - प्रबंधन शिक्षा में शैक्षणिक नेतृत्व.

वर्तमान में , वे भारतीय रिजर्व बैंक, डिश टीवी, पर्श्वनाथ, हीरो होंडा मोटर्स, आई.सी.आर.ए. आदि के निदेशक मंडलों में निदेशक हैं.

7. **डॉ. सुनील गुप्ता** एक शेयरधारक निदेशक हैं. वे वाणिज्य शास्त्र में स्नातक हैं और " आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली" विषय पर उन्होंने डॉक्टरेट किया है.

वे एक व्यावसायिक सनदी लेखाकार हैं और आई.सी.डब्ल्यू.ए., एफ.आई.सी. सी.आई., सी.आई.आई., ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम. और पीएच.डी चेंबर ऑफ कॉमर्स के फेलो सदस्य हैं.

वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक एवं वक्ता हैं. उनकी रचनाएं पुस्तकों एवं प्रमुख समाचार पत्रों / पत्रिकाओं में लेख के रूप में प्रकाशित हुई हैं. वे विभिन्न कंपनियों एवं सामाजिक संस्थानों के निदेशक मंडल में हैं.वे कई एकाधिकारवत् कंपनियों के निदेशक हैं.

8. **श्री रोहित खन्ना** एक शेयरधारक निदेशक हैं. श्री खन्ना दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ऑनर्स स्नातक हैं और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य हैं. रणनीतिक प्रबंधन, वित्तीय गठन के क्षेत्रों में वे विशेषज्ञ हैं और बैंकिंग, वित्त, विधि एवं कार्पोरेट मामलों में उनको विशेष निपुणता एवं अनुभव प्राप्त है.

वित्त एवं कारोबार, लेखापरीक्षा, परामर्शदाता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं विदेशी सहयोग के क्षेत्रों में उनको 24 वर्ष से अधिक का अनुभव है. वे कई एकाधिकारवत् कंपनियों के निदेशक हैं.

Indian Institute of Bankers (CAIIB). He has been associated with various Committees and Working Groups, notably the High Level Committee to Review Lead Bank Scheme. He is widely travelled, having visited United Kingdom, France, Canada and Switzerland among other countries. He was Reserve Bank of India Nominee on the Boards of several banks including State Bank of Indore.

5. **Shri I. M. Almeida** is appointed as Government nominated Officer Employee Director. He holds a Post graduate in Commerce. Shri Almeida joined the Bank in 1976. Currently, he is General Secretary of All India Dena Bank Officers Association, Mumbai Unit and also General Secretary of All India Dena Bank Officers Federation. He is also Deputy General Secretary of All India Bank Officers Confederation and Joint General Secretary of All India Nationalized Bank Officers Federation.

6. **Padmashri Dr. Pritam Singh** is a Shareholder Director. Dr. Singh has post graduate degree in Commerce, M.B.A. from Indiana University U.S.A. and a Ph.D. in Management.

Dr. Singh is a renown management guru and was a former Director of IIM Lucknow and MDI, Gurgaon. Presently he is Director General of IMI Delhi. He has actively initiated and enabled the transformation process in the corporate world as member of the Board of nearly 70 institutions of the country. He is author of seven academically reputed books including his latest book 'In Search of Change Maestros' and over 50 research papers. His distinguished services were acknowledged by the country when President of India conferred on him the prestigious "Padma Shri" in the year 2003. He has also been conferred with many other prestigious management awards notable among these are ESCORT Award (1979 & 2002), FORE Award (1984), Best Motivating Professor IIM Bangalore Award (1993), Best Director Award of Indian Management Schools (1998), Mirbis Moscow Global Thought Leader Award 2005, The First AIMA Kewal Nohria award- Academic Leadership in Management Education.

Presently he is a Director on the Boards of RBI, Dish TV, Parswanath, Hero Honda Motors, ICRA etc.

7. **Dr. Sunil Gupta** is a Shareholder Director. He is a Commerce graduate and has done doctorate on the topic "Study of Internal Audit System".

He is a Practicing Chartered Accountant and Fellow member of ICWA, FICCI, CII, ASSOCHAM and PHD Chamber of Commerce.

He is an active social worker, writer & orator. His works have been published in the shape of books as well as articles in leading News Papers/ Magazines. He is also on the boards of various companies and social organizations. He is a Director of several closely held Companies.

8. **Shri Rohit Khanna** is a Shareholder Director. He has a Graduate in Commerce with Hons. from Delhi University and is a Fellow member of Institute of Chartered Accountants of India. His expertise lies in the areas of strategy Management, Financial structuring and special skills and experience in Banking, Finance, Law and Corporate affairs.

He has more than 24 years of experience in areas of Finance and Business, Audit, Consultancy, Foreign Direct Investments and Foreign Collaborations. He is a Director of several closely held Companies.

घोषणा - पत्र

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता संबंधी करार की धारा 49(I)डी के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करने संबंधी करार के खंड 49 (I)(डी) के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है. उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है.

कृते देना बैंक

स्थान : मुंबई

डी.एल.रावल

दिनांक : 28.04.2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of the Listing agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March 2011 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of Conduct has been posted on the Bank's website.

For Dena Bank

Place : Mumbai

D. L. Rawal

Date : 28.04.2011

Chairman and Managing Director

बेसल - II प्रकटीकरण

Basel-II Disclosures

दिनांक 31 मार्च 2011 को - भारतीय रिजर्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे (बेसल II) के अनुसार स्तंभ 3 के अधीन प्रकटीकरण

Disclosures under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India as on 31st March 2011

1. कार्यान्वयन का विषय - क्षेत्र

क. प्रकटीकरण का ढांचा देना बैंक पर लागू होता है.

ख. बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

ग. बैंक का किसी बीमा कंपनी में निवेश नहीं है.

घ. बैंक की निम्नलिखित घरेलू कंपनियों में 20% या उससे अधिक शेयरधारिता है.

I. Scope of application :

a. The framework of disclosures applies to Dena Bank.

b. Bank has no Subsidiaries.

c. Bank does not have any investment in an insurance entity.

d. Bank is having 20% or more stake in the following domestic entities.

क्रम सं Sl. No.	कंपनी का नाम Name of Entity	स्वामित्व की सीमा Extent of Ownership
1	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक Durg Rajnandgaon Gramin Bank	35.00%
2	देना गुजरात ग्रामीण बैंक Dena Gujarat Gramin Bank	35.00%

2. पूंजी ढ़ांचा

क. बैंक की टीयर I पूंजी में चुकता इक्विटी पूंजी, नवोन्मेषी स्थायी ऋण लिखत (आई.पी.डी.आई.) तथा विभिन्न प्रकार की आरक्षितियां (पुन: मूल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर) शामिल हैं. टीयर II पूंजी में पुन: मूल्यांकन आरक्षित निधियां, सामान्य हानि आरक्षित एवं मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, उच्च टीयर II पूंजी और निम्न टीयर II पूंजी शामिल हैं. अप्रतिभूत भुगतान योग्य ऋणों की शर्तें निम्न प्रकार है:

II. Capital structure :

a) The Tier 1 capital of the Bank consists of paid up equity capital, Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) and various types of reserves (excluding Revaluation Reserves). Tier 2 capital consists of Revaluation Reserves, General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier 2 Capital and Lower Tier 2 capital. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

उच्च टीयर II पूंजी / **Upper Tier 2 Capital:**

श्रृंखला Series	ब्याज दर Interest Rate	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशी (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)
I	9.20%	30.09.2021	300.00

निम्न टीयर II पूंजी: / **Lower Tier 2 Capital:**

शृंखला Series	ब्याज दर Interest Rate	परिपक्वता की तारीख Date of Maturity	राशी (₹करोड़ में) Amount (₹ in Crore)
VII	6.20%	30.04.2013	150.00
VIII	7.30%	30.04.2014	210.00
IX	9.25%	24.05.2018	106.00
X	11.20%	30.04.2019	300.00
XI	9.50%	29.01.2019	200.00

ख. बैंक की टीयर I पूंजी निम्न प्रकार है: **(राशी करोड़ में)**

b. The Tier 1 capital of the bank is as under: **(₹ in Crore)**

कुल टीयर I पूंजी Total Tier I Capital	3605.57
उसमें से Out of which	
चुकता पूंजी Paid up capital	333.39
आई पी डी आई IPDI पुर्नमूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधियां Reserves Excluding the Revaluation reserve	250.00 3125.79
कुल कटौतियां Total Deductions	103.61

ग. बैंक की टीयर II पूंजी की कुल रकम ₹1343.84 करोड़ (टीयर II पूंजी से कटौती की निवल रकम) है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is ₹1343.84 Crore.

घ. उच्च टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए ऋण पूंजी लिखत हैं :

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II Capital are:

बेसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

	₹ करोड़ में ₹ in crore
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	300.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	शून्य Nil
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	300.00

ङ निम्न टीयर II पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखत हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier II capital.

	(₹ करोड़ में) (₹ in crore)
कुल बकाया राशि Total amount outstanding	966.00
वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाई गई Of which raised during the current year	0.00
पूंजी के रुप में गणना के लिए पात्र रकम Amount eligible to be reckoned as capital	792.00

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए दो ग्रामीण बैंकों में बैंक की शेयरधारिता के लिए ₹10.86 करोड़ टीयर II पूंजी से घटा दिये गये हैं.

f. For computation of Capital Adequacy, a deduction of ₹10.86 crore has been made from Tier II Capital towards banks stake in the 2 Gramin banks.

छ. कुल पात्र पूंजी में शामिल है:

g. The total eligible capital comprises of:

	(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
टीयर I Tier I	3605.57
टीयर II Tier II	1343.84
कुल Total	4949.41

iii. पूंजी पर्याप्तता :

क. ऋण जोखिम प्रबंधन

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन के कार्य ऋण जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार हैं. बैंक की ऋण नीति में ऋण जोखिम प्रबंधन के सिद्धान्तों के आधार पर क्षेत्रीय इकाइयों को परिचालनात्मक दिशा निदेश दिये गये हैं. बैंक ने ऋण रेटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन तथा जोखिम घटाने के बारे में भी नीतियां तैयार की हैं. इन नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक आंतरिक रुप में ₹10.00 लाख से अधिक के ऋणों के लिए व्यापक ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहा है. यह प्रणाली प्रति पक्ष में लिये जाने वाले जोखिम की सीमा का एकल बिन्दु सूचक का कार्य कर रही है और नियमित रुप में ऋणों पर निर्णय लेने में मदद करती है. रेटिंग प्रणाली ऋण जोखिम के प्रवेश एवं निकास दर्शाती है.

बैंक की एक सुदृढ़ ऋण निगरानी प्रणाली है जो बैंक के ऋणों में आरंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है. कॉर्पोरेट कार्यालय ₹ 50 लाख और उससे अधिक के सभी मानक ऋण खातों पर निगरानी रखता है, क्षेत्रीय कार्यालय ₹10 लाख और उससे अधिक ₹ 50 लाख तक के ऋण खातों पर निगरानी रखते हैं और शाखाएं शेष खातों पर निगरानी रखती हैं. इस प्रणाली के द्वारा बाधित खातों की पहचान करने तथा उन पर तुरंत सुधार के उपाय करने में सहायता मिलती है. एक बार किसी भी खाते के बाधित के रुप में पहचान किये जाने पर उस पर निगरानी की मात्रा बढ़ा दी जाती है.

III. Capital Adequacy :

A. Credit Risk management :

The credit risk management function of the Bank revolves around the processes defined by a Board approved policy on credit risk management. Loan policy of the Bank provides operational level guidelines to field units based on the principles of credit risk management. The Bank has also formulated policies on Credit Rating, Collaterals Management and Risk Mitigation. These policies are reviewed on annual basis.

The Bank has been using a comprehensive credit risk rating system for all exposures of over ₹ 10 lakhs internally that serves as a single point indicator of the extent of risk taken in counter-party and for taking credit decisions in a consistent manner. The rating system indicates 'entry' and 'exit' points for exposures.

The Bank has a well laid down credit monitoring system designed to capture early warning signals in its exposures. While Corporate Office directly monitors all standard exposures of ₹ 50 lakh and above, Regional Offices monitor exposures of ₹ 10 lakh and above up to ₹ 50 lakh and the rest of the accounts are monitored by the Branches. The system facilitates identification of stressed accounts early and to trigger prompt corrective action. Once an account is identified as stressed account, the level of monitoring is escalated.

बेसल - II प्रकटीकरण

Basel-II Disclosures

बैंक ऋण रेटिंग अंतरण प्रणाली की वार्षिक आधार पर नियमित रुप में समीक्षा करता है. बैंक एल जी डी (चूक पर हानि) तथा ई ए डी (चूक पर जोखिम) के अनुमान के लिए एक ढांचे का विकास कर रहा है और संचयन जोखिम की पहचान के लिए भी एक ढांचा तैयार कर रहा है.

निदेशक मंडल की समन्वित जोखिम प्रबंधन समिति (आई.आर.एम.सी.) ऋण जोखिम प्रबंधन के मामलों में आई आर एम सी / निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उच्च स्तरीय ऋण जोखिम प्रबंधन समिति(सी.आर.एम.सी.) के कार्य पर भी निगरानी रखती है.

बैंक ने ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न भाग के रुप में सुपरिभाषित ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली (ऋण समीक्षा तंत्र [एल आर एम]) तैयार की है.

स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कार्यपालक निदेशक और उससे उच्च प्राधिकारियों के अधिकारों के अंतर्गत आने वाले सभी ऋण प्रस्तावों को साख समिति के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, इस समिति में जोखिम प्रबंधन विभाग, ऋण परिचालन विभाग आदि के प्रतिनिधि होते हैं. इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय प्रबंधक और महाप्रबंधक के अधिकार के अंतर्गत आने वाले ₹ 30 लाख और अधिक के ऋण प्रस्तावों की संवीक्षा क्षे.का. साख समिति द्वारा की जाती है जिसमें ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र, वसूली, विधि तथा निरीक्षण विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं ताकि आस्तियों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके.

ख. बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम प्रबंधन

बाजार जोखिम एवं तरलता जोखिम का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति तथा निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार बैंक के समन्वित राजकोष द्वारा किया जाता है. इन नीतियों में बाजार जोखिम तथा तरलता जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और उसे कम करने के लिए प्रावधान दिये गये हैं. इन नीतियों में विभिन्न राजकोष उत्पादों में निहित जोखिमों के बारे में उल्लेख सहित बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों के क्षेत्र तथा विभिन्न नियामक एवं आंतरिक सीमायें दी गयी हैं. रेटिंग के परिवर्तन पर नियमित रुप में निगरानी रखी जाती है.

संरचना के रुप में राजकोष में फ्रंट ऑफिस, बैक आफिस और मिड आफिस शामिल हैं. मिड आफिस के कार्य जोखिम प्रबंधन तथा ए.एल.सी.ओ. के कार्य के साथ जोड़कर उसे स्वतंत्र रखा गया है ताकि जोखिम प्रबंधन प्रणाली में उसकी स्वतंत्रता एवं प्रभाविता सुनिश्चित की जा सके.

निदेशक मंडल, आई.आर.एम.सी. तथा ए.एल.सी.ओ. बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन, उसकी प्रक्रिया, नियामक द्वारा जारी जोखिम प्रबंधन दिशा निदेशों के कार्यान्वयन, वैश्विक रुप में अपनायी जाने वाली उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है और यह सुनिश्चित करती है कि आंतरिक मानदंड प्रक्रियाओं, व्यवहार / नीतियों और जोखिम प्रबंधन विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन किया जाता है. राजकोष की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की निवेश एवं मुद्रा बाजार परिचालनों की आंतरिक समिति द्वारा दैनिक आधार पर समीक्षा की जाती है.

बैंक के तरलता जोखिम का निर्धारण विभिन्न समय श्रेणियों में शेष परिपक्वता के आधार पर तथा विभिन्न तरलता अनुपातों के आधार पर परिपक्वता विसंगति के अंतराल विशलेषण के माध्यम से किया जाता है और उसका प्रबंधन उसके लिए निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर किया जाता है.

विभिन्न तरलता वातावरण के अंतर्गत आकस्मिक निधीयन योजना तैयार करने के लिए उच्च तकनीक जैसे दबाव जांच, अनुकरण / संवेदनता विश्लेषण आदि नियमित अंतराल पर किये जाते हैं.

The Bank is regularly carrying out credit rating migration analysis at annual intervals. The Bank is also developing framework for estimating LGD (Loss Given default) and EAD (Exposure At Default) and also the framework for identifying concentration risk.

The Integrated Risk Management Committee (IRMC) of the Board of Directors oversees the functioning of the high level Credit Risk Management Committee (CRMC), for implementing policies and other strategies approved by IRMC / Board in matters of credit risk management.

As an integral part of Risk Management System, the bank has put in place a well-defined Credit Audit System [Loan Review Mechanism (LRM)], in respect of all exposures of ₹ 5 crore and above.

All loan proposals falling under the powers of Executive Director & above are routed through a Credit Committee consisting of representatives from Risk Management Department, Credit Operations Department etc. for independent risk assessment before taking a final decision by sanctioning authority. Similarly, at R.O. level, all the loan proposals with exposure of ₹ 30 lakhs and above lakhs falling under the powers of the Regional Manager and General Managers are screened by a R.O Credit Committee consisting of officers from Credit, Priority Sector, Recovery, Legal and Inspection functions for ensuring better asset quality.

B. Market Risk & Liquidity Risk Management :

The Market Risk and Liquidity Risk are managed by Integrated Treasury of the Bank in line with the provisions of Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy. These policies provide for identification, measurement, monitoring and mitigation of Market Risk and Liquidity Risk. These policies provide for various regulatory and internal limits besides defining the risk appetite of the Bank including addressing the inherent risk in various treasury products. Migration of ratings is tracked regularly.

Structurally, the treasury comprises of Front Office, Back Office and Mid Office. The function of Mid Office is kept independent by attaching it with Risk Management function and ALCO so as to ensure its independence and effectiveness of Risk Management system.

The Board, IRMC & ALCO are responsible for the market risk management of the bank, procedures thereof, implementing risk management guidelines issued by regulator, best risk management practices followed globally and ensuring that internal parameters, procedures, practices / policies and risk management prudential limits are adhered to. Day-to-day activities of treasury are reviewed by In-house Committee on Investment and Money Market Operations on daily basis.

Liquidity risk of the Bank is assessed through gap analysis for maturity mismatch based on residual maturity in different time buckets as well as various liquidity ratios and management of the same is done within the prudential limits fixed thereon.

Advanced techniques such as Stress testing, simulation, sensitivity analysis etc. are conducted on regular intervals to draw the contingency funding plan under different liquidity scenarios.

बेसल - II प्रकटीकरण

ग. परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए विस्तृत परिचालन जोखिम ढ़ांचा (ओ. आर. एम) सहित सुपरिभाषित ओ.आर.एम. नीति तथा आवश्यक तंत्र तैयार किया है. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण परिचालन जोखिम समिति(ओ.आर.एम.सी.) द्वारा किया जाता है. बैंक उच्च पद्धतियों जैसे स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच तथा एडवान्स्ड मेजरमेंट अप्रोच (ए एम ए) में पहुंचने के लिए उचित मंच विकसित करने की प्रक्रिया में है.

बैंक ऋण के मूल्य में अप्रत्याशित हानियों, कारोबार आदि के जोखिम को पूरा करने के लिए पूंजी रखता है ताकि जमाकर्ताओं तथा सामान्य लेनदारों को ऐसी अनपेक्षित हानियों से बचाया जा सके. बैंक के पास सभी प्रकार के जोखिमों का व्यापक रुप से मूल्यांकन करने और उनको निर्धारित करने तथा उनके समक्ष उपयुक्त पूंजी का आबंटन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण कार्रवाई नीति (आई सी ए ए पी) है ताकि नियामक एवं आर्थिक पूंजी दोनों के लिए पूर्णत: समन्वित जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार किया जा सके.

नये पूंजी पर्याप्तता ढ़ांचे के अनुसार अनुपालन के लिए बैंक ने ऋण जोखिम के लिये स्टेन्डरडाइज्ड अप्रोच, परिचालन जोखिम के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच तथा सी. आर. ए. आर. की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु स्टेन्डरडाइज्ड एवं ड्यूरेशन अप्रोच को अपनाया है.

पूंजी की आवश्यकता नियामक अपेक्षा है, बैंक के क्रियाकलापों विशेषत: आर्थिक एवं बाजार स्थितियों से जोखिम उत्पन्न होते हैं. बैंक की पूंजी की आयोजना इसलिए की जाती है ताकि परिवर्तनशील आर्थिक स्थितियों तथा आर्थिक मंदी के समय में पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित की जा सके. इस प्रक्रिया में बैंक ;

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता तथा
- भविष्य में प्रक्षेपित आस्ति अधिग्रहण को प्राप्त करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पूरी की जा सके

बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता की समीक्षा तथा पूंजी आयोजना 3 - 5 वर्षों के लिए मध्यम स्तर की योजनाओं के आधार पर करता है और उसकी वार्षिक रुप में समीक्षा करता है. वार्षिक समीक्षा के आधार पर बैंक टीयर I या टीयर II की पूंजी बैंक के निदेशक मंडल की अनुमति से जुटाता है. बैंक की पूंजी पर्याप्तता की स्थिति की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है.

बैंक की जोखिम भारित आस्तियों (आर डब्ल्यू ए) एवं न्यूनतम पूंजी आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता दिनांक 31.03.2011 के अनुसार निम्न प्रकार है:

Basel-II Disclosures

C. Operational Risk Management :

Bank has put in place an elaborate Operational Risk Management Framework with a well-defined ORM Policy and necessary mechanism to capture required information. The Operational Risk Management function is overseen by the Operational Risk Management Committee (ORMC). Bank is also in the process of developing suitable platform for moving on to advanced approaches viz. the Standardised Approach and Advanced Measurement Approach (AMA)

Bank maintains capital to cushion the risk of unexpected losses in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against such unexpected losses. Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP Policy) to comprehensively evaluate and document all risks and substantiate appropriate capital allocation so as to evolve a fully integrated risk/capital model for both regulatory and economic capital.

For compliance with the New Capital Adequacy Framework, the Bank has adopted Standardised approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized and Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is a function of the regulatory requirements, the risks arising from bank's activities mainly due to economic and market conditions. Capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In this process, the Bank recognizes:

- Current capital requirement of the bank; and
- Capital requirements to sustain projected asset acquisition in near future.

The Bank reviews its capital requirements and capital strategy based on medium range plans for 3 – 5 years and reviewed annually. On the basis of the annual review, the bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with the approval of Board of Directors of the Bank. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis.

The Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital Requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2011 are as under:

(i)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्कता** Capital requirement for Credit risk	**(₹करोड़ में)** **(₹ in crore)**
	ऋण जोखिम के लिये जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Credit Risk	32180.52
	प्रतिभूतिकरण जोखिम Securitisation exposures	0.00
(ii)	**निम्न के संबंध में बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता** Capital requirement for Market risk in respect of:	
	ब्याज दर जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Interest Rate Risk	760.41
	विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Foreign Exchange risk (including gold)	50.00
	इक्विटी जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Equity Risk	258.15

	बाजार जोखिम के लिए कुल जोखिम भारित आस्तियां Total Risk Weight Assets for Market Risk	1068.56
	एफ.एफ.सी. के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for FFC	10.67
(iii)	**परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता Capital requirement for Operational Risk:**	
	बेसिक सूचक अप्रोच के अधीन परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित आस्तियां Risk Weight Assets for Operational Risk under Basic indicator approach	2328.59
(iv)	**कुल पूंजी एवं सी.आर.ए.आर. Total Capital & CRAR**	
	ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता Minimum Capital Requirement for Credit, Market & Operational Risk	3321.76
	कुल पात्र पूंजी की वास्तविक स्थिति Actual Position of Total Eligible capital	4949.41
	पात्र टीयर I पूंजी Eligible Tier I Capital	3605.57
	पात्र टीयर II पूंजी Eligible Tier II Capital	1343.84
	सी आर ए आर CRAR	13.41 %
	आर.डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर I पूंजी Tier I Capital to RWA	9.77 %
	आर डब्ल्यू ए के अनुपात में टीयर II पूंजी Tier II Capital to RWA	3.64 %

4. ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य प्रकटन

क. बैंक की ऋण आस्तियों के वर्गीकरण के लिए बैंक की नीति निम्न प्रकार है:

गैर निष्पादक आस्तियां (एन पी ए) : गैर निष्पादक आस्ति (एन पी ए) वह ऋण या अग्रिम है जिसमें :

1. किसी आवधिक ऋण के मामले में ब्याज और / या मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक बकाया रहती है,
2. किसी ओवरड्राफ्ट / नकद ऋण (ओ डी / सी सी) के मामले में खाता अनियमित बना रहता है,
3. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहता है,
4. अल्पावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसम तक अतिदेय रहता है,
5. दीर्घावधि फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है,

कोई भी ओ.डी. / सी.सी. खाता जिसमें बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से निरंतर अधिक रहती है उसे अनियमित खाता माना जाता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम है, लेकिन तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन की अवधि तक कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो या उस अवधि के लिए नामे डाली गई ब्याज की रकम के भुगतान के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त न हो तो वह खाते अनियमित माने जाते हैं.

किसी भी ऋण सुविधा में बैंक को देय कोई भी राशि अतिदेय हो जाती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित तिथि को न किया जाय. बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

IV. General disclosures in respect of Credit Risk :

a. The policy of the Bank for classifying bank's loan assets is as under: :

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

1. interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
2. the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
3. the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
4. the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
5. the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank. Non Performing Assets of the Bank are further classified into three categories as under:

उप मानक आस्तियां

उप मानक आस्ति उसे माना जाता है जो कि 12 महीने या उससे कम अवधि तक एन पी ए रहा हो. वसूली के सभी उपाय उप मानक खातों पर भी लागू होते हैं. यदि संपूर्ण बकाया राशि की नकद वसूली की जाती है तो उस खाते का मानक श्रेणी में तुरंत उन्नयन किया जा सकता है. इसी प्रकार यदि किसी खाते को तकनीकी कारणों से एन. पी.ए. के रुप में वर्गीकृत किया गया है तो तकनीकी कारण का समाधान होने पर खाते का उन्नयन किया जायेगा.

संदिग्ध आस्तियां

यदि कोई खाता 12 महीने की अवधि तक उप मानक श्रेणी में रहता है तो उसे संदिग्ध के रुप वर्गीकृत किया जाएगा. ऐसे खातों के संबंध में, जहां उपलब्ध प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि के 50 प्रतिशत से कम हो तो उन खातों को भी संदिग्ध के रुप में वर्गीकृत किया जायेगा. जिन उप मानक और संदिग्ध खातों का पुन: निर्धारण किया जाता है उनके ब्याज या मूलधन, जो भी पहले देय हो, के देय होने के बाद, प्रथम भुगतान की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के बाद मानक श्रेणी में उन्नयन किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उसका निष्पादन संतोषजनक रहा हो.

हानि आस्तियां

हानि आस्तियां वे आस्तियां है जिनमें बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण द्वारा हानि निर्धारित की गई हो. हानि आस्तियों के मामले में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया / बैंक को देय राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नही हो. चूंकि प्रतिभूति की सुरक्षा उपलब्ध नही होगी, पुनर्निधारण / पुनर्वास पर विचार हर संभव सावधानी से किया जाना चाहिए.

ख. कार्य योजनाएं एवं कार्यवाहियां

ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बैंक की निम्नानुसार सुपरिभाषित ऋण नीति, रिटेल उधार नीति, एस एम ई नीति, ऋण वसूली नीति और निवेश नीति हैं:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके ग्रुप और उद्योग के लिए ऋण सीमाएं
- ऋण प्रदान करने में उचित व्यवहार कोड
- बैंक के विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के विवेकाधिकार
- ऋण प्रदान करने में शामिल कार्यवाही हैं - स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज तैयार करना, निगरानी और वसूली.
- दर निर्धारित करना

ग. ऋण जोखिम सिद्धांत, संरचना एवं बैंक की प्रणालियां निम्न प्रकार हैं

ऋण जोखिम सिद्धांत

➢ आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का लाभदायी नियोजन.

➢ विद्यमान ग्राहकों की उपयुक्त ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण मूल्यांकन और निगरानी मानदंडों में सामान्य दृष्टिकोण अपनाना और शीघ्र ऋण निर्णय लेने के अलावा नये ग्राहक जोड़कर ग्राहक आधार बढ़ाना.

Sub-standard Assets:

A sub-standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets:

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. In case of accounts, where the realizable value of security available is less than 50% of the balance outstanding / dues, these accounts would also be classified as Doubtful. Substandard and Doubtful accounts, which are subjected to restructuring/ rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets:

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, should be considered with utmost care.

b. Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Retail Lending Policy, SME Policy, Loan Recovery Policy and Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors/ Industries of the economy, different types of borrowers , group and Industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

➢ Profitable deployment of resources in line with Asset Liability Management (ALM) requirements.

➢ To aim at a common approach in credit appraisal and monitoring standards to meet genuine credit needs of existing clients and to enlarge client base through client acquisition besides facilitating quick and prompt credit decisions

बेसल - II प्रकटीकरण

- ऋण संविभाग के निष्पादन की निगरानी के लिए मानक और समान ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रक्रिया मानक स्थापित करना और गैर निधि जोखिमों से आय में वृद्धि हेतु दिशा निदेश जारी करना.
- ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत करना तथा सामाजिक आर्थिक दायित्वों, लाभप्रदता, आस्ति क्षति के पूर्व अनुभव और रिटेल बैंकिंग पर बृहत ध्यान देकर ऋण के सेक्टर स्पष्ट रुप से निर्धारित करना.
- ऋण संकेद्रण के मामलों पर ध्यान देना और विवेकपूर्ण ऋण जोखिम मानदंड निर्धारित करना.
- आस्तियों की उपयुक्त वृद्धि के लिये सुविविधता वाला ऋण संविभाग बनाना.
- जोखिम पहचान, माप, निगरानी एवं निवारण के लिए मानदंडों के साथ ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना.
- ऋण समीक्षा तंत्र उपलब्ध कराना.
- जोखिम आधारित ऋण मूल्य निर्धारण नीति स्थापित करना.
- पूर्ण सूचना के साथ ऋण संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराना और ऋण मूल्यांकन और निगरानी के बारे में क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करवाना.
- सभी स्तरों पर विवेकाधिकारी प्राधिकारियों को पर्याप्त अधिकार देना.
- **बैंक की संरचना और प्रणाली**
- बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में विशिष्ट रुप से पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों की एक उप-समिति गठित की गई है.
- विभिन्न ऋण जोखिम योजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जिसके कार्यों में उधार नीति तैयार करना तथा उद्यमों में बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की नियमित रुप में निगरानी करना भी शामिल है.
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय संविदाओं, रेटिंग मानकों और बेंच मानकों के लिए मानकों की नीतियां तैयार करना.
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमा तक ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण का कार्य करते हैं.
- निदेशक मंडल / नियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों एवं विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन.
- जोखिम निर्धारण प्रणाली तैयार करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास करना, ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं का पता लगाना और कमियों को ठीक करना.
- संविभाग का मूल्यांकन, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर व्यापक अध्ययन करना, ऋण संविभाग पर उसके प्रभाव की जांच कराना आदि.
- निर्धारित मानदंडों और दिशा निदेशों के पूर्ण अनुपालन के फलस्वरुप ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार.

घ. जोखिम सूचना का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति और / या माप प्रणाली

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए संतुलित ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली तैयार की है. ऋण जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी उपाय यह है कि किसी विशेष आस्ति में संभावित जोखिम की पहचान की जाये. एक सुदृढ़ आस्ति की

Basel-II Disclosures

- To set up standard and uniform credit evaluation system and procedures to monitor portfolio performance and set up guideposts to augment income from non-fund exposures
- Strengthen the credit delivery system and to clearly lay down the preferred deployment area of credit, keeping in view the socio-economic obligations, profitability, past experience of asset impairment and with greater focus on retail banking.
- To address issues of credit concentration and to set up prudential credit exposure norms.
- To build and maintain a well diversified portfolio for an orderly asset growth
- To set up a Credit Risk Management System with parameters for risk identification, measurement, monitoring and mitigation
- To provide for Loan Review Mechanism
- To set up a risk based Loan Pricing Policy
- To provide for dissemination of information to enable informed credit decision making at all levels and to facilitate proper training of field staff on credit appraisal and monitoring
- To provide for adequate delegation of discretionary authority at all levels.
- Architecture and Systems of the Bank:
- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the Bank.
- Credit Risk Management Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality

बेसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

गुणवत्ता बनायी रखी जाये और उसके साथ ही आस्ति की कीमत निर्धारण में लोच रखी जाय ताकि बैंक की समग्र योजना और ऋण नीति के अनुसार जोखिम लाभ मापदंडों की अपेक्षाएं पूरी की जाये.

बैंक की सुदृढ़ रेटिंग प्रणाली आंतरिक रूप में विकसित की गई है और अपनी ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं के निर्धारण में बैंक की सहायता के लिए तैयार की गई है और इस प्रकार अपनी आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रणाली तैयार करने और उपाय आरंभ करने में सहायता करती है.

and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is developed in-house and is designed to assist the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allow the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

ङ ऋण जोखिम के परिमाणात्मक प्रकटन निम्न प्रकार हैं :

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

(₹करोड में)
(₹ In crore)

क्र.सं. S.No.		
(i)	कुल ऋण (प्रावधान का निवल) TOTAL CREDIT (NET OF PROVISION)	44828.04
(ii)	अग्रिमों का भौगोलिक वितरण GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF ADVANCES	
	➢ **विदेशी OVERSEAS**	0.00
	➢ **देशी DOMESTIC**	44828.04
(iii)	**घरेलू ऋणों का उद्योगवार वितरण. INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF DOMESTIC EXPOSURES**	निधि आधारित बकाया + निवेश Fund Based Outstanding + Investment
	खनन और उत्खनन (कोयला सहित) MINING & QUARRYING (INC COAL)	13.89
	लोहा एवं इस्पात IRON & STEEL	1852.49
	अन्य धातुएं एवं धातु उत्पाद. OTHER METALS & METAL PRODUCTS	115.61
	सभी इंजिनीयरिंग ALL ENGINEERING	919.92
	रूई वस्त्र उद्योग Cotton Textile	417.81
	जूट वस्त्र उद्योग JUTE TEXTILE	2.27
	अन्य वस्त्र उद्योग OTHER TEXTILE	779.06
	चीनी SUGAR	23.85
	चाय TEA	0.75
	खाद्य संसाधन FOOD PROCESSING	298.60
	खाद्य तेल (वनस्पति सहित) VEGETABLE OILS (INCLUDING VANASPATI)	171.93
	कागज एवं कागज उत्पाद PAPER & PAPER PRODUCTS	169.16
	रबड, प्लास्टिक एवं उत्पाद RUBBER, PLASTIC & PRODCTS	299.62
	रसायन, रंग सामग्री, पेंट एवं औषधीय जिसमें से CHEMICALS, DYES, PAINTS & PHARMACEUTICALS OF WHICH:	1135.27
	➢ **खाद FERTILIZERS**	68.99
	➢ **पेट्रो-रसायन PETRO - CHEMICALS**	392.73
	➢ **औषध एवं फार्मस्यूटिकल्स DRUGS & PHARMACEUTICALS**	365.90
	सीमेंट CEMENT	575.08
	लेदर एवं लेदर उत्पाद LEATHER & LEATHER PRODUCTS	175.43
	जेम एवं ज्वेल्लरी GEMS & JEWELLERY	621.43

बेसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

क्र.सं. S.No.		
	निर्माण CONSTRUCTION	106.02
	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद एवं परमाणु ईंधन PETROLEUM, COAL PRODUCTS AND NUCLEAR FUELS	19.10
	वाहन, वाहन पुर्जे एवं परिवहन उपकरण VEHICLES, VEHICLE PARTS & TRANSPORT EQUIPMENTS	264.72
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE	27.10
	बुनियादी सुविधाओं के लिए, जिनमें से INFRASTRUCTURE OF WHICH:	12485.01
	➢ विद्युत POWER	9134.87
	➢ दूर संचार TELECOMMUNICSTIONS	997.92
	➢ रोड एवं पोर्ट ROADS & PORTS	626.84

क्र.सं. S.No.		
	➢ अन्य बुनियादी सुविधाएं OTHER INFRASTRUCTURE	1725.38
	एन.बी.एफ.सी NBFC	3613.40
	व्यापार TRADING	1364.34

क्र.सं. S.No.		
	पेय एवं तम्बाकू BEWERAGE & TOBACCO	4.36
	लकडी एवं लकडी उत्पाद WOOD & WOOD PRODUCTS	67.52
	अन्य उद्योग OTHER INDUSTRIES	1509.25

विद्युत क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण ₹9134.87 करोड है जो कुल ऋण का 20.22% है तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को दिया गया ऋण ₹1725.38 करोड़ है जो कुल ऋण का 3.82% है.

Total credit exposure to Power sector is ₹ 9134.87 which constituted 20.22% of total credit and to 'other infrastructure' is ₹ 1725.38 crore which constituted 3.82% of total credit

च. गैर-निष्पादक अग्रिम एवं निवेश के संबंध में प्रकटन :

f. Disclosure in respect of Non-performing Advances and Investments:

(क) कुल एन.पी.ए:

a. Gross NPA

श्रेणी Category	₹ करोड़ में (₹ In Crore)
उप मानक Sub Standard	416.64
संदिग्ध - 1 Doubtful - 1	186.52
संदिग्ध - 2 Doubtful - 2	139.57
संदिग्ध - 3 Doubtful - 3	31.13
हानि Loss	68.38
कुल एन.पी.ए Total NPA	**842.24**

(ख) निवल एन.पी.ए की रकम ₹548.95 करोड़ है.

(b) The amount of net NPA is ₹548.95 Crore.

(ग) एन.पी.ए. अनुपात निम्न प्रकार है :

(c) The NPA ratios are as under:

बेसल - II प्रकटीकरण Basel-II Disclosures

- सकल अग्रिमों में सकल एन.पी.ए. Gross NPAs to Gross Advances - 1.86%
- निवल अग्रिमों में निवल एन.पी.ए. Net NPAs to Net Advances - 1.22%

(घ) कुल एन.पी.ए. में उतार चढाव निम्न प्रकार है :

(d) The movement of gross NPAs is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	641.99
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	758.69
(iii)	वर्ष के दौरान घटा Reduction during the year	558.44
(iv)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i + ii - iii)	842.24

(ङ) एन.पी.ए. के प्रावधान में उतार चढाव इस प्रकार है:

(e) The movement of provision for NPA is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	205.18
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	281.25
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते. Write-off made during the year	196.27
(iv)	वर्ष के दौरान वापस लिए गए अधिक प्रावधान Write-back of excess provisions made during the year	0.00
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	290.16

(च) गैर निष्पादक निवेशों की रकम ₹ 56.29 करोड़ है.

(g) The amount of non-performing investments is ₹56.29 crore.

(छ) गैर निष्पादक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की रकम ₹24.86 करोड़ है.

(h) The amount of provisions held for non-performing investments is ₹24.86 crore.

(ज) निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों में उतार चढाव इस प्रकार है :

(i) The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	₹ करोड़ में ₹ In Crore
(i)	वर्ष के आरंभ में अथ शेष Opening Balance at the beginning of the year	65.91
(ii)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	47.61
(iii)	वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खाते Write-off made during the year	0.00
(iv)	एच टी एम में अंतरित ए एफ एस / एच एफ टी के अंतर्गत निवेश का बही मूल्य घटाकर समायोजित मूल्यहास. Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	22.21
(v)	वर्ष के अंत में इति शेष Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii-iv)	91.31

5. ऋण जोखिम : स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अनुसार संविभाग का प्रकटन :

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच के अंतर्गत बैंक, घरेलू ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित ई.सी.आर.ए.. (विदेशी साख रेटिंग एजेंसियों) जैसे सी.ए.आर.ई, सी.आर. आई.एस.आई.एल, फिट्च इंडिया एवं आई.सी.आर.ए. की रेटिंग स्वीकार करता है. विदेशी ऋणों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बैंक स्टेडर्ड एण्ड पुअर, मूडी एवं फिट्स की रेटिंग स्वीकार करता है.

V. Credit risk: disclosures for portfolios subject to the standardised Approach:

Under Standardized Approach, the bank accepts rating of all RBI recognised ECRAs (External Credit Rating Agencies) namely CARE, CRISIL, Fitch India and ICRA for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody’s and Fitch as per RBI guidelines

बेसल - II प्रकटीकरण

Basel-II Disclosures

बैंक बडे कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ई.सी.ए.आई. से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा जहां कहीं वे रेटिंग उपलब्ध हैं उनका उपयोग जोखिम वाली आस्तियों की रेटिंग के लिए करता है.

स्टेंडर्डाइस्ड अप्रोच (रेटिंग वाली और बिना रेटिंग वाली) के अनुसार जोखिम कम करने के बाद जोखिम धारित आस्तियां निम्नलिखित प्रमुख तीन जोखिम श्रेणियों में निम्न अनुसार हैं :

The bank encourages large corporate borrowers to solicit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.

The risk weighted assets after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

(i) **निधि आधारित ऋण (रुपये करोड़ में)** (i) Fund based exposures:

(₹ in Crore)

	ऋण राशि Exposures	जोखिम वाली आस्तियां Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	28182.16	10664.39
100% की दर पर At 100%	15150.74	15090.22
100% से अधिक At more than 100%	1830.47	2561.99

(ii) गैर निधि आधारित ऋण जिसमें अनाहरित / अप्रयुक्त सीमाएं भी शामिल हैं : (₹ करोड़ में)

(ii) Non fund based exposures including undrawn/unutilized limits: (₹ in Crore)

	ऋण राशि Exposures	जोखिम वाली आस्तियां Risk weighted Assets
100% से कम At below 100%	6504.05	929.43
100% की दर पर At 100%	7017.22	2119.36
100% से अधिक At more than 100%	787.74	397.10

VI. ऋण जोखिम घटाना :

बैंक अपने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों (निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित) की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां (जिसे संपार्श्विक प्रतिभूति भी कहा जा सकता है) प्राप्त करता है. सामान्यत: निम्नप्रकार की प्रतिभूतियां (चाहे वह प्राथमिक प्रतिभूति हो या सपार्श्विक प्रतिभूति) ली जाती हैं :

1. चल आस्तियां जैसे स्टॉक, चल मशीनरी आदि.
2. अचल आस्तियां जैसे भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी.
3. बैंक की अपनी जमा राशियां.
4. एन.एस.सी, आई.वी.पी., के.वी.पी., सरकारी बांड, भारतीय रिजर्व बैंक के बांड, जीवन बीमा निगम की पॉलिसियां आदि.
5. गैर निधि आधारित सुविधाओं पर नकद मार्जिन.
6. स्वर्ण आभूषण.
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर.

बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंक के पास सुनिर्धारित पॉलिसी है.

ऋण जोखिम घटाने के लिए बैंक ने उपर्युक्त क्रम.सं.3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों का उपयोग किया है.

बैंक के ऋण जोखिम पर मुख्य प्रकार के गारंटर इस प्रकार हैं :

- व्यक्ति (व्यक्तिगत गारंटी)
- कॉर्पोरेट

VI. Credit Risk Mitigation :

Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as non-fund based) on its borrowers. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Movable assets like stocks, movable machinery etc
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid down policy on valuation of securities charged to the bank .

The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate

बेसल - II प्रकटीकरण

- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ई.सी.जी.सी.
- सी.जी.एफ.टी.एस

सी.आर.एम. संपार्श्विक प्रतिभूतियां अधिकांशत: बैंक की अपनी जमाओं पर तथा सरकारी प्रतिभूतियों, जीवन बीमा निगम पॉलिसी पर ऋणों के लिए उपलब्ध हैं. सी.आर.एम प्रतिभूतियां गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों एवं साख पत्रों के लिए भी ली जाती हैं.

बैंक के ऋणों के लिए सी.आर.एम के रूप में पात्र गारंटीकर्ता (बेसल II के अनुसार) मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार, ई.सी.जी.सी., सी.जी.एफ.टी. एस हैं.

दिनांक 31.03.2011 को बकाया ऋणों में से कटौती के लिए पात्र कुल अस्थिरता समायोजित ऋण जोखिम मिटिगंट ₹ 3281.02 करोड हैं.

VII. प्रतिभूतिकरण :

दिनांक 31 मार्च 2011 को बैंक के पास अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है.

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम.

बैंक, बाजार जोखिम को बाजार कीमत में हो रही प्रतिकूल गतिविधियों से होनेवाली संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित करता है. निम्नलिखित जोखिमों को बाजार जोखिम के रूप में निर्धारित किया गया है :

- ब्याज दर जोखिम
- मुद्रा जोखिम
- कीमत जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए, बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं जैसे कुल निपटान सीमाएं, हानि रोकने की सीमा तथा जोखिम मूल्य सीमाएं निर्धारित की हैं. जोखिम सीमाएं, खुले बाजार की स्थितियों के जोखिमों का नियंत्रण करता है. ऋण हानि रोकने की सीमा, हुई एवं होनेवाली हानियों को भी शामिल करता है. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हेतु बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच नामक उचित प्रणाली अपनायी है. इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम वाली आस्तियों में अंतरित किया जाता है. सी.आर.ए.आर. की गणना के लिए ऋण जोखिम के लिए कुल जोखिम वाली आस्तियों, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम पर विचार किया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2011 को बाजार जोखिम (स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच के अनुसार) पर पूंजी प्रभार निम्न प्रकार है :

Basel-II Disclosures

- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGFTS

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies. CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGFTS.

The total volatility adjusted Credit Risk Mitigants eligible for deduction from the outstanding exposures as on 31.03.2011 are ₹ 3281.02 crore.

VII. Securitisation:

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2011.

VIII. Market risk in trading book :

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are identified as Market risk:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board of Directors have laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits, control the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes into account realized and unrealized losses. Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

Capital charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March 2011 is as under:

क्रम सं. Sl. No.	जोखिम श्रेणी Risk Category	राशी (₹ करोड़ में) Amount (₹ In crore)
I	**ब्याज दर (ए+बी) Interest Rate (a+b)**	
a	**साधारण बाजार जोखिम General market risk**	**68.44**
(i)	निवल स्थिति Net Position	68.44
(ii)	हॉरिजोंटल अस्वीकृति Horizontal disallowance	0.00
(iii)	वेर्टिकल अस्वीकृति Vertical disallowance	0.00

(iv)	विकल्प Options	0.00
II	**ईक्विटी जोखिम Equity Risk**	**23.23**
a.	साधारण बाजार जोखिम General market risk	11.62
b.	विशिष्ट जोखिम Specific risk	11.62
III	**विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)** **Foreign Exchange Risk (including Gold)**	**4.50**
IV	**स्टेंडर्डाइस्ड ड्यूरेशन अप्रोच (I+II+III) के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार** **Total capital charge for market risks under Standardised duration approach (I + II+III)**	**96.17**

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताओं के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच अपनाया है. दिनांक 31 मार्च 2011 को परिचालन जोखिम के लिए जोखिम वाली आस्ति ₹2328.59 करोड़ थी.

X. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

ब्याज दर जोखिम की दो दृष्टिकोणों से माप एवं निगरानी की जाती है.

जोखिम पर आय (पारंपरिक अंतराल विश्लेषण) (अल्पावधि) :

इस अप्रोच के अंतर्गत बैंक की निवल ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के तुरंत प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

(i) विभिन्न वातावरणों में जोखिम में आय अर्जन का विश्लेषण निम्न प्रकार किया गया है :

1. आय कर्व जोखिम : आस्तियों तथा देयताओं के लिए नीचे की ओर 0.50% परिवर्तन माना जाता है. इस वातावरण में ब्याज दर में 50 आधार अंकों की गिरावट से अगले वर्ष के लिए निवल ब्याज आय पर ₹ 67.08 करोड़ का प्रतिकूल प्रभाव पडेगा.

2. दूसरे वातावरण में आधार जोखिम शामिल किया जाता है जिसमें दरें निवेश और जमाओं के लिए, अग्रिम संविभाग के लिए नहीं, 50 आधार अंक कम की जाती हैं. इस वातावरण में यदि ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की गिरावट आती है तो बैंक की निवल ब्याज आय पर ₹ 53.01 करोड का सकारात्मक प्रभाव होगा.

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अंतराल विश्लेषण) (दीर्घावधि)

क. ईक्विटी का आर्थिक मूल्य ज्ञात करने हेतु ईक्विटी की संशोधित अवधि प्राप्त करने के लिए आस्तियों तथा देयताओं की संशोधित अवधि की गणना की जाती है. ईक्विटी के आर्थिक मूल्य के असर के प्रभाव का विश्लेषण अवधि अंतराल पद्धति से घरेलू परिचालनों के लिए नियमित अंतरालों पर 100 आधार अंकों की दर पर कम करके किया जाता है.

ख. ब्याज दरों में 100 आधार अंक कम किए जाने के कारण बैंक की निवल संपत्ति पर कुल सकारात्मक असर घरेलू परिचालनों के लिए दिनांक 31.03.2011 को ₹ 371.53 करोड़ था.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बेसल II दिशानिदेशों का अनुपालन किया है जिसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, प्रकटन आवश्यकता शामिल हैं. कारोबार के दौरान बैंक ने शामिल जोखिम को निर्धारित करने, उसके प्रभाव को मापने, उसे कम करने की तकनीक अपनाने/ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपाय कम करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया तैयार की हैं. आगे, ऐसे जोखिमों की निगरानी और उनको कम करने का कार्य निरंतर आधार पर जारी रहेगा.

IX. Operational risk :

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Risk Weight Asset for the Operational Risk as at 31st March 2011 is at ₹ 2328.59 crore.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB) :

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis)(Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

i. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios as under :

1. Yield curve risk : A parallel downward shift of 0.50% is assumed for assets as well as liabilities. In this scenario, a fall in interest rates by 50 basis points will adversely impact NII for the next year by only ₹ 67.08 crore.

2. Basis risk is included in the second scenario where the rates are shocked down by 50 bps for investments and deposits and not for advances portfolio. In this scenario, if interest rates fall by 50 basis points, the Bank's NII will be impacted favourably by ₹ 53.01 crore.

ii Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term) :

a. Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 100 bps rate shock at regular intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

b. The net impact on Net Worth of the bank against 100 bps downward movement in interest rates is ₹ 371.53 Crore as on 31.03.2011 for domestic operations.

The Bank has thus complied with the Basel II guidelines issued by the Reserve Bank of India including maintenance of minimum capital requirements, disclosure requirements. In the course of its business, Bank has set in place systems & procedures to identify the risks involved, measure the impact thereof, adhere to mitigation techniques / take necessary steps to mitigate such risks. Further, monitoring of such risks and mitigation thereof is done on an on-going basis.

31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

(₹ 000 को छोड दिया है .₹ 000s Omitted)

	अनुसूची Schedule	31-03-2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹ .	31-03-2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹
पूंजी और देयताएं Capital And Liabilities			
पूंजी CAPITAL	1	3333891	2868232
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves And Surplus	2	33225353	23148657
जमाराशियां DEPOSITS	3	642096190	513442759
उधार BORROWINGS	4	16916597	15619155
अन्य देयताएं तथा प्रावधान Other Liabilities And Provisions	5	12812164	20786961
जोड़ TOTAL		**708384195**	**575865764**
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash And Balances With Reserve Bank Of India	6	47214119	43550318
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances With Banks And Money At Call & Short Notice	7	6873986	7594891
निवेश Investments	8	187689137	156942274
अग्रिम Advances	9	448280451	354624428
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	4037440	4072764
अन्य आस्तियां Other Assets	11	14289062	9081089
जोड TOTAL		**708384195**	**575865764**
आकस्मिक देयताएं **Contingent Liabilities**	12	148333991	131747082
संग्रहण के लिए बिल **Bills For Collection**		39624151	204817425
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies	17		
लेखा भाग के रुप में टिप्पणियां Notes forming Part of Accounts	18		
उपर्युक्त फॉर्म में उल्लिखित अनुसूचियां तुलन-पत्र की अभिन्न अंग हैं. Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet			

डी. एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **D.L. Rawal** Chairman & Mg. Director	**ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक **A.K. Dutt** Executive Director	**डॉ .तरसेम चंद** निदेशक **Dr. Tarsem Chand** Director	**बी.पी. विजयेंद्र** निदेशक **B.P. Vijayendra** Director	**डॉ. प्रीतम सिंह** निदेशक **Dr. Pritam Singh** Director	**डॉ. सुनील गुप्ता** निदेशक **Dr. Sunil Gupta** Director
रोहित खन्ना निदेशक **Rohit Khanna** Director	**आई एम अल्मेडा** निदेशक **I M Almeida** Director	**आर. एम. टिकू** मुख्य प्रबंधक **R. M.Tiku** Chief Manager	**जी.सी. गर्ग** उप महाप्रबंधक **G. C. Garg** Dy. Gen. Manager	**एस.के.जैन** महाप्रबंधक **S. K. Jain** General Manager	

हमारी संलग्न समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date attached

कृते मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार **For M/s. Gokhale & Sathe** Chartered Accountants	**कृते बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार **For B. K Khare & Co.** Chartered Accountants	**कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार **For Gandhi Minocha & Co.** Chartered Accountants	**कृते पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार **For P K Chopra & Co.** Chartered Accountants	**कृते अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार **For Avanish K Rastogi & Associates** Chartered Accountants	**कृते एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार **For S. C. Bapna & Associates** Chartered Accountants
केदार ए. मेहेन्दले **Kedar Mehendale** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 116065)	**संतोष परब** **Santosh Parab** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 047942)	**अजय कत्याल** **Ajay Katyal** भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 087915)	**के. एस. पोन्नुस्वामी** **K.S. Ponnuswami** भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 070276)	**यशपाल शर्मा** **Yashpal Sharma** भागीदार Partner (एम नं. M.No. 404939)	**एस. सी बापना** **S. C. Bapna** भागीदार Partner (एम नं. M.No. 071765)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 29 अप्रैल, 2011 Place: Mumbai, Date: 29th April, 2011

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED, 31st MARCH, 2011

(₹ 000 को छोड दिया है .₹ 000s Omitted)

	अनुसूची SCH	31-03-2011 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2011 ₹ .	31-03-2010 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31.03.2010 ₹ .
I आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest Earned	13	50335257	40103560
अन्य आय Other Income	14	5338409	5886338
जोड TOTAL		**55673666**	**45989898.00**
II व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	32701641	29103337
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	10734162	8480782
उपबंध एवं आकस्मिक देयताएं Provisions & Contingencies		6121565	3293248
जोड TOTAL		**49557368**	**40877367**
III लाभ / हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit For The Year		6116298	5112531
आगे लाया गया निवल लाभ / हानि Net Profit/Loss Brought Forward		0	0
जोड TOTAL		**6116298**	**5112531**
IV विनियोजनAPPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण Transfer To Statutory Reserve		1834890	1533759
विशेष आधारभूत आरक्षितियों में अंतरण Transfer To Special Infra Reserve		220000	150000
पूंजीगत आरक्षितियों में अंतरण Transfer To Capital Reserves		22781	164043
राजस्व आरक्षितियों में अंतरण Transfer To Revenue Reserve		3183353	2593591
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (Incl. Dividend Tax)		855274	671138
तुलनपत्र में आगे ले जाया गया अतिशेष Balance Carried Over To Balance Sheet		0	0
जोड TOTAL		**6116298**	**5112531**
प्रति शेयर अर्जन (₹) (मूल / कम किया हुआ) (Earnings Per Share (₹) (Basic/Diluted)		21.26	17.83
(प्रति शेयर का अंकित मूल्य ₹.10/-) (FV ₹10/- each share)	17		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant Accounting Policies			
लेखा भाग के रुप में Notes forming Part of Accounts	18		
उपर्युक्त फॉर्म में उल्लिखित अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे की अभिन्न अंग हैं.			
Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account			

डी. एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक	**डॉ .तरसेम चंद** निदेशक	**बी.पी. विजयेंद्र** निदेशक	**डॉ. प्रीतम सिंह** निदेशक	**डॉ. सुनील गुप्ता** निदेशक
D.L. Rawal Chairman & Mg. Director	**A.K. Dutt** Executive Director	**Dr. Tarsem Chand** Director	**B.P. Vijayendra** Director	**Dr. Pritam Singh** Director	**Dr. Sunil Gupta** Director
रोहित खन्ना निदेशक	**आई एम अल्मेडा** निदेशक	**आर. एम. टिकू** मुख्य प्रबंधक	**जी.सी. गर्ग** उप महाप्रबंधक	**एस.के.जैन** महाप्रबंधक	
Rohit Khanna Director	**I M Almeida** Director	**R. M.Tiku** Chief Manager	**G. C. Garg** Dy. Gen. Manager	**S. K. Jain** General Manager	

हमारी संलग्न समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date attached

कृते मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार	**कृते बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार
For M/s. Gokhale & Sathe Chartered Accountants	For B. K Khare & Co. Chartered Accountants	For Gandhi Minocha & Co. Chartered Accountants	For P K Chopra & Co. Chartered Accountants	For Avanish K Rastogi & Associates Chartered Accountants	For S. C. Bapna & Associates Chartered Accountants
केदार ए. मेहेन्दले	**संतोष परब**	**अजय कत्याल**	**के. एस. पोन्नुस्वामी**	**यशपाल शर्मा**	**एस. सी बापना**
Kedar Mehendale	Santosh Parab	Ajay Katyal	K.S. Ponnuswami	Yashpal Sharma	S. C. Bapna
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम.नं. M.No. 116065)	(एम. नं. M.No. 047942)	(एम.नं. M.No. 087915)	(एम. नं. M.No. 070276)	(एम नं. M.No. 404939)	(एम नं. M.No. 071765)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 29 अप्रैल, 2011 Place: Mumbai, Date: 29th April, 2011

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

₹ 000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹
	अनुसूची - 1 पूंजी SCHEDULE-1 CAPITAL		
I	प्राधिकृत Authorised		
	प्रत्येक ₹. 10/- के मूल्य वाले 300,00,00,000 शेयर 300, 00, 00,000 Shares Of. 10/- Each	30000000	30000000
	जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP	3333891	2868232
	प्रत्येक ₹. 10/- के मूल्य वाले 33,33,89,074 (28,68,23,200) इक्विटी शेयरों की कुल चुकता पूंजी 33,33,89,074 (28, 68, 23,200) Equity Shares Of ₹. 10/- Each Fully Paid Up		
	जिसमें से 19,33,85,874 (14,68,20,000) शेयर भारत सरकार के स्वामित्व में हैं Of which, 19,33,85,874 (14,68,20,000) shares are held by the Government of India		
	जोड़ TOTAL	**3333891**	**2868232**
	अनुसूची - 2 आरक्षितियां और अधिशेष SCHEDULE-2 RESERVES AND SURPLUS		
I	**I सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE**		
	अथशेष Opening Balance	7442119	5908360
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	1834890	1533759
	जोड TOTAL - I	9277009	7442119
II	**पूंजी आरक्षितियां CAPITAL RESERVE**		
	अथशेष Opening Balance	1105331	941288
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	22781	164043
	जोड TOTAL - II	1128112	1105331
III	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां REVALUATION RESERVE**		
	अथशेष Opening Balance	2086393	2215854
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction During The Year	-118969	-129461
	जोड TOTAL - III	**1967424**	**2086393**
IV	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**		
	अथशेष Opening Balance	2560064	2560064
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	4924341	0
	जोड TOTAL - IV	7484405	2560064
V	राजस्व आरक्षितियां Revenue Reserve		
	अथशेष Opening Balance	9354750	6761159
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	3193653	2593591
	जोड TOTAL - V	12548403	9354750
VI	**विशेष आधारभूत आरक्षितियां SPECIAL INFRA RESERVE**		
	अथशेष Opening Balance	600000	450000
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction During The Year	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	220000	150000
	जोड TOTAL - VI	820000	600000
	जोड TOTAL (I + II + III + IV + V +VI)	**33225353**	**23148657**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

₹.000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

			31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
		अनुसूची - 3 निक्षेप SCHEDULE-3 DEPOSITS		
A	I	**मांग निक्षेप Demand Deposits**		
		i बैंकों से From Banks	670530	1410687
		ii अन्य से From Others	54186650	45068298
	II	**बचत बैंक निक्षेप Savings Bank Deposits**	173246513	138130847
	III	**सावधि निक्षेप Term Deposits**		
	i	बैंकों से From Banks	21376546	15457688
		ii. अन्य से From Others	392615951	313375239
		जोड TOTAL	**642096190**	**513442759**
B	i.	भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits Of Branches In India	642096190	513442759
	ii.	भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits Of Branches Outside India	0	0
		जोड TOTAL	**642096190**	**513442759**
		अनुसूची - 4 उधार SCHEDULE-4 BORROWINGS		
	I	भारत में उधार Borrowings In India		
		i भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank Of India	1000000	0
		ii अन्य बैंक Other Banks	0	0
		iii. अन्य संस्थाएं और अभिकरण Other Institutions And Agencies	756597	10155
		iv. बांड Bonds		
	क)	a) नवोन्मेशी स्थायी ऋणलिखत(आईपीडीआई)		
		Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI)	2500000	2500000
	ख)	b) ऊपरी टीयर II बांड Upper Tier Ii Bonds	3000000	3000000
	ग)	c) स्थायी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)	0	
		Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	0	0
	घ)	d) प्रतिदेय गैर - संचयी अधिमान शेयर (आर.एन.सी.पी.एस)	0	0
		Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)		0
	ङ)	e) प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आर.सी.पी.एस)		
		Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)		
	च)	f) अप्रतिभूत गौण ऋण Subordinated Debts Unsecured @	9660000	9660000
	II	भारत के बाहर से उधार Borrowings Outside India	0	449000
		जोड TOTAL	**16916597**	**15619155**
		@जिसमें से टीयर II पूंजी का पात्र हिस्सा @ Out of which, eligible part of Tier II capital		
		अनुसूची - 5 अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE-5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	7920000	8640000
	I	संदेय बिल Bills Payable	3684041	2248133
	II	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	0	3825106
	III	देय ब्याज Interest Payable	2242341	2371535
	IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान Contingent Provisions Against Standard Assets	1666408	1555669
	V	अन्य (प्रावधान सहित) Others (Including Provisions)	5219374	10786518
		जोड TOTAL	**12812164**	**20786961**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

₹.000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष		
SCHEDULE 6: CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash In Hand (Including Foreign Currency Notes)	2413171	2306542
II भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Balances With Reserve Bank Of India		
i. चालू खाते में In Current Accounts	44800948	41243776
ii. अन्य खातों में (एलएएफ के तहत) In Other Accounts (Under LAF)	0	0
जोड TOTAL	**47214119**	**43550318**
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
SCHEDULE 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I भारत में In India		
i. बैंकों में अतिशेष Balances With Banks		
a. चालू खातों में In Current Accounts	541140	1255117
b. अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	907677	7626
ii. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money At Call And Short Notice		0
a. बैंकों के पास With Banks	2000000	0
b. अन्य संस्थाओं के पास With Other Institutions		0
जोड TOTAL - I	**3448817**	**1262743**
II भारत के बाहर Outside India		
i चालू खातों में In Current Accounts	68804	5434363
ii. अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	3356365	897785
iii. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money At Call And Short Notice	0	0
जोड TOTAL - II	**3425169**	**6332148**
जोड TOTAL (I + II)	**6873986**	**7594891**

₹ .000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची - 8 विनिधान				
SCHEDULE-8 INVESTMENTS				
I भारत में निम्न में विनिधान Investments In India In				
i सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities*		152521948		133070786
ii अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities		373780		441789
iii शेयर Shares		1450854		1463488
iv डिबेंचर और बंधपत्र Debentures And Bonds		5511068		5520461
v समनुषंगी और/अथवा सह उद्यम Subsidiaries And/Or Joint Ventures		217225		217225
vi अन्य Others				
a) उद्यम पूंजी Venture Capital	145375		70472	
b) म्यूचुअल फंड की यूनिटें Units Of Mutual Funds	139483		55000	

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

c) आरआइडीएफ जमाराशि RIDF Deposit	12140345		10182797	
d) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	0		388567	
e) एआरसी की प्रतिभूति पावती पत्र Security Receipts Of ARCS	175593		379399	
f) जमा प्रमाण पत्र Cert of Deposit	11104191		2639415	
g) एमएसएमई (जोखिम पूंजी) निधि MSME (Risk Capital) Fund	123675		123675	
h) एमएसएमई पुर्नवित्त MSME Refinance	2469200		1543600	
i) आर.एच.डी.एफ RHDF	1316400	27614262	845600	16228525
जोड TOTAL		**187689137**		**156942274**
II भारत के बाहर विनिधान Investments Outside India		0		0
जोड TOTAL (I + II)		**187689137**		**156942274**
सकल विनिधान Gross Investments		188602234		157601404
घटाएं: अवक्षयण के लिए प्रावधान Less: Provision For Depreciation		913097		659130
निवल विनिधान Net Investments		187689137		156942274
*भारित प्रतिभूतियों सहित *Includes Encumbered Securities		500000		140000

₹.000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची - 9 अग्रिम SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क. i. खरीदे और भुनाए गए बिल A. . Bills Purchased And Discounted	9554849	10049117
ii. नकद उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts And Loans Repayable On Demand	222124356	160172594
iii. सावधि ऋण Term Loans	216601245	184402717
जोड TOTAL	**448280450**	**354624428**
ख i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत B. Secured By Tangible Assets*	320393164	249281761
ii. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered By Bank/Govt. Guarantees	45363229	33237356
iii. अप्रतिभूत Unsecured	82524057	72105311
जोड TOTAL	**448280450**	**354624428**
*बही ऋणों पर दिए गए अग्रिमों सहित * Includes advances against book-debts		
ग. C. I. भारत में अग्रिम Advances In India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	151244750	116034593
ii. भारत सरकार से प्राप्य राशि(एडीडब्ल्यूडीआरएस - 2008)के अंतर्गत Amount Receivable From Goi (Under ADWDRS-2008)	251852	697360
iii सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	122142016	84444388
iv. बैंकों Banks	4001042	2004473
v. अन्य Others	170640790	151443614
जोड TOTAL	**448280450**	**354624428**
II. भारत के बाहर अग्रिम ADVANCES OUTSIDE INDIA	0	0
जोड TOTAL	**448280450**	**354624428**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

₹.000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां		
SCHEDULE-10 FIXED ASSETS		
A. मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS		
I. परिसर PREMISES		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्व वर्षों में कतिपय परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्य में वृद्धि सहित) At Cost As At 31st March of The Preceeding Year	4333235	4253567
Year (Includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)		
ii. वर्ष के दौरान पुर्नमूल्यांकन के कारण परिवर्धन Addition On Account Of Revaluation During The Year	0	0
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions During The Year	2048	79668
iv. वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions During The Year	0	0
v. अद्यतन अवक्षयण Depreciation To Date	-1555632	-1404523
vi. कार्य प्रगति पर Work In Progress	1497	2173
जोड TOTAL - I	**2781148**	**2930885**
II. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (Including Furniture And Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At Cost As On 31st March of The Preceding Year	3916876	3685415
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions During The Year	375464	375425
iii. वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions During The Year	-175422	-143962
iv. अद्यतन परिशोधन Depreciation To Date	-2923518	-2814350
जोड TOTAL - II	**1193400**	**1102528**
जोड TOTAL (I + II)	**3974548**	**4033413**
B. अमूर्त आस्तियां Intangible Assets		
I. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software		
i. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At Cost As At 31st March Of The Preceeding Year	375620	355733
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition During The Year	52153	19887
iii. वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction During The Curent Year	0	0
iv. अद्यतन परिशोधन Amortised To Date	-364881	-336269
जोड TOTAL	**62892**	**39351**
कुल जोड GRAND TOTAL (A+B)	**4037440**	**4072764**
अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां		
SCHEDULE-11 OTHER ASSETS		
i अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter - Office Adjustments (Net)	1455570	0
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest Accrued	4615262	3842981
III. अग्रिम रुप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (मेट पात्रता एवं शुद्ध प्रावधान सहित) Tax Paid In Advance/Tax Deducted At Source (Incl Of Mat Entitlement & Net Of Provision)	3415952	1894608
IV. आस्थगित कर आस्ति (शुद्ध) Deferred Tax Asset (Net)	766010	1766110
V. लेखन सामग्री और स्टाम्प Stationery And Stamps	31953	35799
दावों के निपटान स्वरुप प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां Non Banking Assets Acquired In Satisfaction Of Claims	98600	98600
VII. अन्य Others	3905715	1442991
जोड TOTAL	**14289062**	**9081089**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

₹ 000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE-12 CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	24890255	20929044
Claims Against The Bank Not Acknowledged as debts		
II. अंशत संदत्त शेयरों के कारण दायित्व	0	0
Liability On Account Of Partly Paid Shares		
III. बकाया अग्रिम विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व	71730409	65637517
Liability On Account Of Outstanding Forward Exchange Contracts		
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ		
Guarantees Given On Behalf Of Constituents		
a) भारत में In India	28619051	26737712
b) भारत से बाहर Outside India	0	0
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं	23094276	18442624
Acceptances, Endorsements And Other Obligations		
VI. अन्य ऐसी मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रुप से उत्तरदायी हैं	0	185
Other Items For Which The Bank Is Contingently Liable		
जोड TOTAL	**148333991**	**131747082**
संग्रहण के लिए बिल Bills For Collection	39624151	204817425

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 INTEREST EARNED		
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	38204298	30093315
Interest/Discount On Advances/Bills		
II विनिधानों पर आय	11927259	9598731
Income On Investments		
III भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	162747	202240
Interest On Balances With Reserve Bank Of India And Other Inter Bank Funds		
IV. अन्य Others	40953	209274
जोड TOTAL	**50335257**	**40103560**

अनुसूचियां SCHEDULES

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा से संबंधित अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

₹.000 को छोड दिया है ₹. '000s omitted

		31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2011 ₹.		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010 ₹.
अनुसूची - 14 अन्य आय SCHEDULE 14 OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, Exchange And Brokerage		1428482		1275458
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ Profit On Sale Of Investments	240199		1535140	
घटाइए : विनिधानों के विक्रय पर हानि Less: Loss On Sale Of Investments	0	240199	0	1535140
III. भूमि एवं भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ / (हानि) (शुद्ध) Profit /(Loss) On Sale Of Land, Buildings And Other Assets (Net)		(3831)		(5015)
IV. विदेशी विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध) Profit On Foreign Exchange Transactions (Net)		523550		332643
V. विदेशों/भारत में स्थित अनुषंगियों/कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रुप में अर्जित आय Income Earned By Way Of Dividends Etc. From Subsidiaries / Companies And /Or Joint Ventures Abroad/ In India		278178		183269
VI. विविध आय Miscellaneous Income		2871831		2564843
जोड TOTAL		**5338409**		**5886338**
अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 INTEREST EXPENDED				
I. निक्षेपों पर ब्याज Interest On Deposits		31173754		27611989
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest On Reserve Bank Of India/Inter Bank Borrowings		80294		5006
III. अन्य Others		1447593		1486342
जोड TOTAL		**32701641**		**29103337**
अनुसूची - 16 परिचालनगत व्यय SCHEDULE 16 OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए व्यवस्था Payments To And Provisions For Employees		6881958		5115855
II. किराया, कर और बिजली Rent, Taxes And Lighting		809150		730010
III मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing And Stationery		117902		105269
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement And Publicity		163526		108044
V. बैंक की सम्पति पर अवक्षयण Depreciation On Bank's Property		305512		276088
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors Fees, Allowances And Expenses		10433		13295
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा के लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors Fees And Expenses (Including Branch Auditors)		93934		82426
VIII. विधि प्रभार Law Charges		48771		51718
IX. डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones Etc		286245		241058
मरम्मत और अनुरक्षण REPAIRS AND MAINTENANCE		165609		180358
XI. बीमा INSURANCE		563750		480566
XII. अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE		1287372		1096095
जोड TOTAL		**10734162**		**8480782**

अनुसूचियां SCHEDULES

वर्ष 2010-2011 के लेखों के भाग के रूप में अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNT FOR 2010-2011

अनुसूची SCHEDULE - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

17.1 लेखांकन का आधार

ये लेखे, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की संकल्पना का अनुगमन करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर सामंजस्य रखते हुए तैयार किए गए हैं तथा जहां कहीं भी अन्यथा उल्लेख हो, उसे बनाए रखते हुए सांविधिक प्रावधानों एवं स्वीकृत मानक लेखांकन परंपराओं के अनुरूप हैं.

17.2 विनिधान

क. वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समस्त विनिधानों को तीन श्रेणियों में अर्थात i)परिपक्वता तक धारित ii)विक्रय हेतु उपलब्ध और iii) व्यापार हेतु धारित में वर्गीकृत किया गया है तथा लेखों में उन्हें छः श्रेणियों में मूल्यह्रास प्रावधान के बाद निवल मूल्य पर प्रकट किया गया है.

ख. मूल्य-निर्धारण

विनिधानों का मूल्य-निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित रुप में किया जाता है:

i आधार

`परिपक्वता तक धारित'

इस श्रेणी के अंतर्गत धारित विनिधानों को बहियों में उनकी अर्जन लागत पर आगे ले जाया गया है. यदि कोई प्रीमियम अर्जन पर अदा किया गया है तो वह सीधी रेखा पद्धति के प्रयोग से परिशोधित किया गया है.

`बिक्री के लिए उपलब्ध तथा `व्यापार के लिए धारित'

इन विनिधानों को बाजार के लिए पहचान करके अलग रखा जाता है. प्रत्येक छ श्रेणियों के लिए मूल्यह्रास/परिवर्धन को मिला लिया गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए निवल मूल्यह्रास यदि कोई हो, का प्रावधान किया गया है, किन्तु निवल अधिमूल्यन को छोड़ दिया गया है.

ii कार्यविधि

बैंक के सभी निवेशों का मूल्यांकन नियमित रुप में औसत लागत विधि से किया जाता है. निवेश के मामले में उचित प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य, बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार के लिए धारित श्रेणियों सहित को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज के बाजार भाव दरों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य-सूची के आधार पर लिया गया है.

जहाँ बाजार भाव उपलब्ध न हो और गैर सूचित प्रतिभूतियों के मामले में मूल्य का निर्धारण भारतीय प्राथमिक विक्रेता संघ द्वारा नियत आय-मुद्रा बाजार और भारतीय प्रयुत्पन्नी संघ के साथ संयुक्त रुप से घोषित मूल्य/परिपक्वता आय पर तथा एआरसी /एससी की म्युचूअल फंड की यूनिटों/एसआर के निवल आस्ति मूल्य एवं कंपनियों के शेयरों के निवल बही मूल्य के आधार पर किया जाता है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में शेयर पूंजी जमाराशियों सहित विनिधान और खजाना बिल, वाणिज्य पत्र, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बाँण्ड का मूल्यन चलित लागत पर किया गया है.

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1 BASIS OF ACCOUNTING

The accounts have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis, consistently, and are in conformity with the applicable statutory provisions for the time being in force including the RBI guidelines and generally accepted accounting principles, save as otherwise stated.

1.2 INVESTMENTS

a) CLASSIFICATION:

Investments have been categorized as per guidelines of Reserve Bank of India (i) Held to Maturity, (ii) Available for Sale (iii) Held for Trading and are disclosed in the accounts under six classifications at the value net of depreciation provision thereon.

b) VALUATION:

Investments are valued as per Reserve Bank of India guidelines in the following manner:

i. BASIS:

Held to Maturity'

Investments held under this category are carried in books at their acquisition cost. Premium, if any, paid on acquisition is amortized using straight line method.

'Available for Sale' and 'Held for Trading'

These Investments are marked to market scrip wise. Depreciation/ Appreciation for each of six classifications is aggregated; net depreciation, if any, for each classification is provided for, but net appreciation is ignored.

ii METHODOLOGY:

All investments of bank are valued consistently on Average Cost Method. Market value of quoted securities in case of Investments included in the `Available for Sale' and `Held for Trading' categories is taken based on market quotations of recognized stock exchange/s or price list of Reserve Bank of India.

The value in case of unquoted securities and securities where market quotes are not available, is determined based on Prices / Yield to Maturity declared by Primary Dealers Association of India jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India and Net Asset Value in case of units of Mutual Funds / SRs of ARCs / SCs and Net Book Value in case of Shares of Companies.

Treasury Bills, Commercial Papers, Rural Infrastructure Development Funds and Investments including Share Capital Deposits in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

अनुसूचियां SCHEDULES

ग. आय निर्धारण एवं विवेकपूर्ण मानदन्ड

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर सभी निवेशों के आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण एवं विनिधानों के प्रावधान के संबंध में तैयार किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है.

विनिधान लेनदेनों पर कमीशन, दलाली, खंडित अवधि के ब्याज आदि को लेने-देने के वर्ष में लाभ हानि लेखे में नामे / जमा किया गया है.

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के तहत विनिधानों में से विनिधानों की बिक्री से हुए लाभ को हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है, जबकि बिक्री पर हानि को लाभ एवं हानि खाते में समाहित किया जाता है.

17.3 अग्रिम

क) बैंक ने आस्ति वर्गीकरण आय निर्धारण और अग्रिम के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय - समय पर निर्धारित विवेकसम्मत मानदंडों का अनुसरण किया है तथा तदनुसार सभी अग्रिमों को मानक, उपमानक, संदिग्ध एवं अशोध्य आस्ति के रुप में वर्गीकृत किया जाता है.

ख) अग्रिम एन.पी.ए. खातों के लिए प्रावधान के साथ दर्शाए गए हैं. एन.पी.ए खातों के संबंध में पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में गिरावट के बदले में प्रावधान, विविध खाते में शेष(ब्याज पूंजीकरण - पुर्नगठित खाते) , प्राप्त डी.आई.सी.जी.सी दावे/ ई.सी.जी.सी दावे और समायोजन होने तक अनिर्णित रखे गए , आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया.

ग) मानक आस्तियों पर विवेकसम्मत प्रावधान और एन.पी.ए खातों की बिक्री में अतिरिक्त प्रावधान तुलन पत्र की अनुसूची सं. 5 में अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य में शामिल किए जाते हैं.

घ) एनपीए खातों में की गई वसूली सर्वप्रथम बकाया मूलधन में समायोजित की जाती है एवं अधिशेष राशि यदि कोई हो, तो उसे आय माना जाता है.

ङ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ए.आर.सी.)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एस.सी.) को बेची गई वित्तीय संपत्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन. बी.वी.) अर्थात बही मूल्य-प्रावधान से कम है तो उसे लाभ एवं हानि खाते में डेबिट किया गया है. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग आस्ति पु. कं./प्रति. कं. को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

च) बैंको/वित्तीय संस्थाओं/गै. बै. वि. कं. को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामलों में यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एन.बी.वी.) से कम है तो उसे लाभ हानि खाते में डेबिट किया गया है और यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो प्रावधान की अधिक राशि को प्रत्यावर्तित करने के बजाय उसका उपयोग बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों में होने वाली हानि की भरपाई हेतु किया जाएगा.

17.4 अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

क) परिसर (कुछेक परिसरों को छोड़कर जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर दर्शाया गया है) एवं स्थिर आस्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है.

ख) परिसर में कतिपय संपत्तियों से संबंधित भूमि की ऐसी लागत शामिल है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है.

ग) कम्प्यूटर हार्डवेयर जो 01.04.2000 से पहले खरीदे गये हैं, पर 25%प्रतिवर्ष की दर से डब्ल्यू. डी. वी. विधि से मूल्यह्रास लगाया जाता है जबकि कम्प्यूटर हार्डवेयर जिनको 01.04.2000 को या उसके बाद खरीदा गया है उन पर

INCOME RECOGNITION AND PRUDENTIAL NORMS:

Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification of all Investments, Income Recognition and Provisioning on such Investments.

Commission, brokerage, broken period interest on investment transactions are debited and /or credited to Profit and Loss Account in the year of transaction.

Profit on sale of investments under the category “Held to Maturity” is taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to “Capital Reserve Account” whereas loss on sale of Investments is recognized in the Profit & Loss Account.

17.1 ADVANCES

a) Bank follows the prudential norms formulated by Reserve Bank of India, from time to time, as to Asset Classification of Advances, Income Recognition and provisioning thereon. Accordingly all advances are being classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets.

b) Advances are net of Provision for Non Performing Assets. Provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts, balance in Sundries Account [interest capitalization – restructured accounts] in respect of NPA accounts, DICGC Claims/ ECGC claims received and held pending adjustment; part payment received and kept in Suspense Account.

c) Prudential provision on Standard Assets and excess provision on sale of NPA accounts are included in ‘Other Liabilities and Provisions–Others’ in Schedule 5 to the Balance Sheet.

d) Recoveries in Non Performing Advances are first appropriated towards principal outstanding and surplus, if any, is recognized as income.

e) In case of sale of financial assets to the Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC) at a price below the net book value (NBV), i.e. Book Value Less Provision held, the shortfall is debited to the profit and loss account and in case of sale at a value higher than the NBV, the excess provision is not being reversed but is kept for utilization to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to ARC/SC.

f) The shortfall, in case of financial assets sold to the Banks, FIs and/ or, NBFCs, where the sale is at a price below the net book value (NBV), is debited to the profit and loss account, but in the case where the sale value is higher than the NBV, the excess provision is not reversed but being retained to meet the shortfall/loss on account of sale of other non-performing financial asset.

17.4 FIXED ASSETS & DEPRECIATION

a) Premises (except certain premises which have been stated at revalued amount) and other fixed assets are stated at historical cost.

b) Premises also include cost of land in some of the properties where the same could not be segregated.

c) Depreciation is charged on Written Down Value (W.D.V.) method at the rates prescribed under the Income Tax Rules, 1962 except that the computer hardware purchased before 01.04.2000 are

अनुसूचियां SCHEDULES

मूल्यह्रास की सीधी रेखा विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है. शेष पर आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दर पर घटे हुए मूल्य (डब्ल्यू.डी.वी.) विधि से मूल्यहास लगाया जाता है.

घ) पट्टाधारित भूमि की लागत का परिशोधन, पट्टे की अवधि हेतु किया गया है.

ङ) पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर आरोपित किया गया अवक्षयण पुनर्मूल्यांकन आरक्षित लेखा पर प्रभारित किया गया है.

च) स्थिर आस्तियों में प्रगतिशील कार्य से संबंधित पूँजी शामिल है.

छ) कंप्यूटर सॉप्टवेयर खर्चों को अमूर्त आस्तियां माना गया है तथा उन्हे पांच वर्षो के बाद परिशोधित किया गया है, जिसे उन आस्तियों का समुचित आर्थिक जीवन माना जाता है.

17.5 गैर-बैंकिंग आस्तियां

गैर-बैंकिंग आस्तियों का उल्लेख लागत पर किया जाता है.

17.6 राजस्व निर्धारण

क) बैंक सामान्य तौर पर लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली अपना रहा है.

ख) साख पत्र / बैंक गारंटियों / सरकारी कारोबार/ तीसरे पक्ष के उत्पादों के वितरण पर कमीशन, लॉकर किराया, कर की वापसी पर ब्याज, लाभांश, म्यूचुअल फंडों की इकाइयों पर आय, किराया आय तथा विभिन्न जमा खातों पर सेवा प्रभार को वसूली के आधार पर लिया जाता है .

ग) गैर निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज/ छूट / निवेश का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा निदेशों के अनुसार वसूली की सीमा तक किया जाता है

घ) बट्टे खाते डाले गये अग्रिमों / विनिधानों में हुई वसूली को विविध आय के रुप में लेखांकित किया जा रहा है.

ङ) 22 अगस्त 2008 को और उसके बाद परिपक्व अदत्त / अदावी जमा राशियों के मामले में परिपक्वता अवधि के बाद के लिए ब्याज का हिसाब बचत बैंक दर पर किया जाता है.

च) शेयरों, बांडों आदि के निर्गम के व्यय को जिस वर्ष में व्यय किया गया उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है.

छ) उचंत प्राप्तियों में 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक पडे गैर दावाकृत जमा शेषों को विविध आय के रुप में माना जा रहा है. इसके पश्चात् के दावे, यदि पार्टी को कुछ अदा किए गए हैं तो उसे भुगतान वर्ष में व्यय के रुप में प्रभारित किया जाता है.

ज) वाद दायर खातों के मामलों में विधिक व्ययों को लाभ एवं हानि लेखे में डाला जाता है.

17.7 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना खर्च का निर्धारण

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना पर खर्च रकम को भुगतान वाले वर्ष में शामिल किया जाता है.

17.8 विदेशी विनिमय

क) बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं सहित सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन फेडाई द्वारा वर्षान्त में जारी दरों पर किया जाता है तथा इस प्रकार के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरुप होने वाले लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि लेखों में दर्शाया गया है।

depreciated @ 25% p.a. on W.D.V. method and those purchased on or after 01.04.2000 are depreciated @ 33.33% on Straight Line Method.

d) Cost of leasehold land is amortized over the period of lease.

e) Depreciation attributable to revalued portion is charged to the Revaluation Reserve Account.

f) Fixed Assets include Capital Work-in-Progress.

g) Computer software expenses are considered as intangible assets and are amortized over a period of five years, which is considered as useful economic life of such assets.

17.5 NON BANKING ASSETS

Non Banking Assets are stated at cost.

17.6 REVENUE RECOGNITION

a) The Bank generally follows mercantile system of accounting.

b) Commission on letters of credit/ bank guarantees/ Government Business / distribution of third party products, locker rent, interest on refund of taxes, dividend, income on units of mutual funds, rental income and service charges on various deposit accounts are recognized on realization basis.

c) Interest/discount on non-performing loans advances/investments is recognized to the extent realized as per the prudential guidelines of RBI.

d) Recoveries in written off advances / investments are being accounted for as 'Miscellaneous Income'.

e) Interest on term deposits matured on or after 22th August 2008 but remained unpaid has been provided /accounted for at saving bank rate.

f) Expenses on the issue of shares, bonds etc. are recognized in the year of incurrence.

g) Unclaimed credit balances lying in Suspense Receipts for more than five years are being considered as 'Miscellaneous Income'. Subsequent claims, if any paid to the parties are charged to expenses in the year of payment.

h) Legal expenses in case of suit filed accounts are charged to Profit and Loss account.

17.7 TREATMENT OF VRS EXPENDITURE

Expenditure on VRS is recognized in the year of payment.

17.8 FOREIGN EXCHANGE

a) All foreign currency assets and liabilities including outstanding forward exchange contracts in foreign currency are valued at the year-end on the rates issued by FEDAI and the resultant profit/loss arising out of such revaluation is accounted for in the Profit & Loss Account.

अनुसूचियां SCHEDULES

ख) गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, परांकनों और विदेशी मुद्रा की अन्य बाध्यताओं को भी तुलन पत्र में दर्शाने हेतु वर्षान्त में फेडाई द्वारा जारी दरों पर पुर्नमूल्यांकित किया गया है.

ग) आय एवं व्यय से संबंधित मदों को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर निर्धारित किया गया है.

17.9 कर्मचारी सुविधा

ग्रेच्युटी, पेशन एवं सेवानिवृत्ति होने पर देय अवकाश नकदीकरण ; तथा अन्य कर्मचारी सुविधाएं , आई सी ए आई द्वारा जारी ए.एस 15[आर] लेखा मानकों की अपेक्षा अनुसार बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि खाते को प्रभारित की जाती हैं. विद्यमान कर्मचारियों द्वारा द्वितीय पेंशन विकल्प दिए जाने तथा ग्रेच्यूटी सीमा ₹ 3.50 लाख से ₹10 लाख तक बढाए जाने के कारण हुई देयता, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी.सं.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09 फरवरी 2011 के अनुसार वित्त वर्ष 2010-11 से 5 वर्ष में परिशोधित की जाएगी.

17.10 आय पर कर

क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान लागू कर कानून , न्यायिक घोषणाओं/ विधिक मतों तथा पूर्व निर्धारणों के आधार पर गणना की गई राशि पर लागू कर की दर का उपयोग करते हुए किया गया है.

ख) आस्थगित कर, जिसमें उक्त अवधि के लिए कर योग्य एवं लेखांकन आय के बीच के समय अंतराल का कर प्रभाव शामिल है, की पहचान आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखांकन मानदंड 22 के साथ पठित आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित नीति प्रतिफल को ध्यान में रखकर की जाती है ।

अनुसूची - 18

लेखा भाग के रुप में टिप्पणियाँ

18.1 क) मार्च 2011 तक अंतर शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों का पता लगा लिया गया है और उनके समायोजन की परिणामी प्रक्रिया प्रगति पर है.

ख) कुछ शाखाओं में सहायक बहियों/रजिस्टरों के संतुलन एवं उनके प्रधान खाताबही से समाधान का कार्य प्रगति पर है. देय मांग ड्राप्टों, बिना सूचना भुगतान किए गए ड्राप्टों, उचंत खातों, भुगतान किए गए लाभांश/ब्याज अधिपत्रों, समाशोधन समायोजनों तथा सेवा शाखाओं और समायोजन में भाग लेने वाली शाखाओं के बीच समाधान सहित कुछेक लेखा शीर्षों में ऐसी बकाया प्रविष्टियां है जिनके समायोजन/समाधान की प्रक्रिया जारी है.

ग) भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य बैंकों के साथ शेष का समायोजन किया गया है. कुछेक मामलों में कुछ प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य बाकी है.

घ) ऊपर वर्णित (क,ख एवं ग में) का खातों पर पडनेवाले प्रभाव , समाधान/ संतुलन/समायोजन लंबित रहने तक पता लगाना संभव नहीं है.

18.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खातों में मानक आस्तियों पर निम्न अनुसार प्रावधान किए गए हैं ।

क) कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रत्यक्ष अग्रिमों पर बकाया ऋण का 0.25%.

ख) वाणिज्यिक स्थायी संपदा (सीआरई) क्षेत्र को बकाया ऋण का 1.00% .

ग) टीजर रेट की दर पर आवासीय ऋणों में बकाया ऋण का 2.00%

b) Guarantees, letters of credit, acceptances, endorsements and other obligations in foreign currency are also revalued at the year-end on the rates issued by FEDAI for the purpose of Balance Sheet exposure.

c) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

17.9 STAFF BENEFITS

Gratuity, Pension and Leave Encashment payable on retirement; and other employee benefits are charged to Profit & Loss Account as per actuarial valuation as required by AS 15 [R] issued by ICAI. The liability on account of exercise of second pension option by the existing employees, and enhancement in gratuity limit from ₹.3.50 lacs to ₹.10 lacs, will be amortized in five years starting from the FY 2010-11 in terms of RBI circular no: DBOD.No. BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated 09th February 2011.

17.10 TAXES ON INCOME

a) Current tax is provided using applicable tax rates on the amount worked out on the basis of applicable tax laws, judicial pronouncements / legal opinions and the past assessments.

b) Deferred tax, comprising of tax effect due to time difference between taxable and as per accounts income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of deferred tax assets read with Accounting Standard 22 issued by ICAI.

SCHEDULE – 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

18.1 a) Initial matching of entries in respect of Inter Branch transactions has been done up to March 2011 for the purpose of reconciliation, which is an ongoing process.

b) Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. Outstanding entries in some heads of account including demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend/ interest warrants, refund orders paid and clearing adjustments between service branches and participating branches in clearing are in the process of reconciliation/ adjustments.

c) Balances with Reserve Bank of India/ other banks have been reconciled except certain entries under process of reconciliation.

d) The consequential impact on the accounts of all as stated above [in a, b & c.] is not ascertainable pending reconciliation / balancing / adjustment.

18.2 Provision on standard assets has been given effect in the accounts according to revised RBI guidelines as under:

a) 0.25% of the outstanding in the direct advances to Agriculture and SME Sector

b) 1.00% of the outstanding in Commercial Real Estate (CRE) Sector

c) 2.00% of the outstanding in Housing Loans @ teaser rates.

अनुसूचियां SCHEDULES

घ) अन्य सभी अग्रिमों पर बकाया ऋण का 0.40% (अर्थात् ऊपर उल्लिखित क,ख एवं ग को छोडकर)

d) 0.40% of the outstanding in all other advances [i.e. except a, b & c above.]

18.3 मानक आस्तियों के अलावा अन्य सभी आस्तियों के लिए लेखों में प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आई.आर.ए.सी मानदंडों के अनुसार किया गया है.

18.3 Provision on all assets other than standard assets has also been given effect in the accounts in accordance with the IRAC norms issued by RBI.

18.4 शाखा प्रबंधकों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों के अनुसार 289 गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिमों के वर्गीकरण को प्रावधानों सहित सम्मिलित किया गया है।

18.4 The classification of advances and provisioning there-against in case of 289 Un-audited branches have been incorporated as certified by the branch mangers.

18.5 बैंक ने इस वर्ष के लाभ ₹.611.63 करोड़ (गत वर्ष ₹ 511.25 करोड़) में से 183.49 करोड़ (गत वर्ष ₹. 153.38 करोड़) की राशि को सांविधिक आरक्षितियों में, एचटीएम श्रेणी में रखे गये विनिधानो की बिक्री मे से ₹.2.28 करोड़ (गत वर्ष ₹.16.40 करोड़) को पूंजी आरक्षितियों में (सांविधिक आरक्षितियों में कर और अंतरण को घटाकर) अंतरित किया है.बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षितियों में ₹. 22 करोड (पिछले वर्ष ₹15 करोड) अंतरित किए हैं. बैंक ने चालू वर्ष हेतु प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित) ₹ 5.53 करोड़ (गत वर्ष ₹ 67.11 करोड़) के पश्चात ₹ 318.33 करोड़ (गत वर्ष ₹ 259.36 करोड़) को भी राजस्व आरक्षितियों में अंतरित किया है.

18.5 The Bank has transferred ₹. 183.49 crore (Previous year ₹ 153.38 crore) to Statutory Reserve out of profit of. 611.63 crore for the year (Previous year ₹. 511.25 crore) & ₹. 2.28 crore (Previous year₹. 16.40 crore) to Capital Reserve (Net of taxes and Transfer to Statutory Reserve) from the profit on sale of investments held under HTM Category. The Bank has transferred. 22.00 crore in Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of the Income Tax Act, 1961 (Previous Year ₹. 15 crore). The Bank has also transferred ₹. 318.33 crore to Revenue Reserve (Previous Year ₹. 259.36 crore) after proposed dividend (inclusive of dividend tax) of. ₹ 85.53 crore (Previous Year ₹. 67.11 crore).

18.6 ₹ 9.86 करोड़ (गत वर्ष ₹ 9.86 करोड)के दावों के प्रतिफल में अधिगृहीत गैर बैंकिंग आस्तियां (भूमि) पंजीकरण हेतु लम्बित हैं .

18.6 Non-banking asset (land) acquired in satisfaction of claim amounting to ₹. 9.86 crore (Previous Year ₹. 9.86 crore) is pending for registration.

18.7 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है:

18.7 Disclosures in terms of RBI guidelines are as under:

क. पूंजी a. Capital:

मदें Items	**दिनांक 31.03.2011 के अनुसार As on 31.03.2011**	**दिनांक 31.03.2010 के अनुसार As on 31.03.2010**
	बेसल - II Basel II	बेसल - II Basel II
i. सी आर ए आर (%) CRAR (%)	13.41	12.77
ii. सी आर ए आर - टीयर I पूंजी (%) CRAR- Tier I capital (%)	9.77	8.16
iii. सी आर ए आर - टीयर II पूंजी (%) CRAR- Tier II capital (%)	3.64	4.61
भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत. Percentage of the shareholding of the Government of India	58.01% @	51.19%
मदें Items	**F Y 2010-11**	**F Y 2009-10**
टीयर II पूंजी के रुप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (₹करोड में) Amount of subordinated debt raised as Tier II Capital (₹. in crore)	0.00	0.00
उच्च टीयर II बांड के रुप में जुटाई गई राशि (₹ करोड में) Amount of Upper Tier II Bonds raised (₹. In crore)	0.00	0.00
नवोन्मेशी स्थायी ऋण लिखत की राशि - टीयर I पूंजी के रुप में जुटाई गई राशि (रु. करोड में) Amount of Innovative Perpetual Debt Instruments - Tier I raised (₹. In crore)	0.00	125.00

@ बैंक ने दिनांक 25.03.2011 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹10/- के 4,65,65,874 ईक्वेटी शेयर, प्रति शेयर ₹.105.75 के प्रीमियम पर जारी किए हैं.

@Bank has issued 4,65,65,874 equaity shares of ₹. 10/- each at a premium of ₹. 105.75 to GOI on preferential basis on 25.03.2011

अनुसूचियां SCHEDULES

ख .विनिधान b. Investments:

'विनिधान संविभाग' धारिता की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है.

The category wise position of holding of SInvestment Portfolio is as under:

(₹ करोड में)(₹. in crores)

श्रेणियां Categories	31.03.2011	31.03.2010
विनिधान का सकल मूल्य Gross Value of Investment		
क. A. परिपक्वता तक धारित Held to Maturity	15698.75	13097.80
ख. B. बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale	2598.96	2662.34
ग. C. व्यापार के लिए धारित Held for Trading	562.51	0.00
कुल Total	**18860.22**	**15760.14**
घटाएं : मूल्यहास Less: Depreciation	91.31	65.91
विनिधान का निवल मूल्य Net value of Investment	**18768.91**	**15694.23**

बैंक ने भारत से बाहर कोई विनिधान नहीं किया है.Bank does not have any investment outside India.

विनिधान पर मूल्यन्हास हेतु प्रावधानों का घट -बढ Movement of Provision for Depreciation on Investments:

(₹ करोड में) (₹ in crores)

विवरण Particulars	2010-11	2009-10
अथ शेष Opening Balance	65.91	65.24
जोडें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provision made during the year	47.61	26.12
उप - योग Sub-Total	113.52	91.36
घटाएं : वर्ष के दौरान डाले गए बट्टे खातेLess: Write off during the year	0.00	0.00
घटाएं : एचटीएम में अंतरित एएफएस / एचएफटी श्रेणी के तहत विनिधान के अंकित मूल्य को कम कर के समायोजित मूल्यर्हास Less: Depreciation adjusted by reducing book value of Investment under AFS/ HFT category shifted to HTM	22.21	25.45
इति शेष Closing Balance	**91.31**	**65.91**

iii. रेपो / प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन REPO/Reverse REPO Transactions:

क. चल निधि - समायोजन सुविधा (एलएएफ) Liquidity Adjustment Facility (LAF)

(₹ करोडों में)(₹ in crores)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत शेष Daily average outstanding during the year	31.3.11 को बकाया शेष. Balance as on 31.03. 11
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां Securities sold under repos i. सरकारी प्रतिभूतियां Govt Securities ii कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00 0.00	1200.00 0.00	98.90 0.00	0.00 0.00
प्रत्यावर्तित रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां. Securities purchased under reverse repos i सरकारी प्रतिभूतियां Govt Securities ii कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतिया Corporate Debt Securities	0.00 0.00	1600.00 0.00	68.49 0.00	0.00 0.00

अनुसूचियां SCHEDULES

iv. **गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग** Non SLR Investment Portfolio:

क. **गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों की जारीकर्ता संरचना.**

a. Issuer Composition of Non SLR Investment:

(₹ करोडों में) (₹. in crores)

क्रम सं Sl. No.	जारी कर्ता Issuer	रकम Amount	निजी नियोजन का स्तर Extent of private placement	निवेश श्रेणी से कम वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of below investment grade securities	गैर रेटिंग वाली प्रतिभूतियों का स्तर Extent of unrated securities	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का स्तर Extent of unlisted securities
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs	181.50	175.28		0.00	6.10
2	वित्तीय संस्थाएं FIs	1651.27	1637.38		0.00	0.00
3	बैंक Banks	1237.77	125.54		0.00	8.00
4	निजी कॉर्पोरेट Private Corporate	420.92	375.49		90.90	90.90
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures	21.72	21.72		20.32	20.32
6	अन्य Others	42.13	42.13		4.13	18.02
7	**योग Total**	**3555.31**	**2377.54**		**115.35**	**143.34**
8	कम: मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान Less: Provision held towards depreciation	75.97	--		--	--
9	बहियों के अनुसार बकाया शेष Balance as per books	3479.34	--		--	--

ख. **गैर कार्य-निष्पादक गैर -एसएलआर विनिधान** Non-performing Non-SLR Investments:

(₹ करोडों में) (₹. in crores)

ब्यौरा Particulars	**राशि Amount**
अथशेष Opening balance	11.39
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल 2010 से परिवर्धन Additions during the year since 1st April, 2010	44.90
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौतियां Reductions during the above period	0.00
इति शेष Closing Balance	56.29
किया गया कुल प्रावधान Total provisions held	24.86

v. बैंक ने वर्ष के दौरान "परिपक्वता" तक "धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए ₹ 28.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.33.35 करोड़) का लेखांकन नीति 17.2 के अनुसार परिशोधन किया है. उक्त रकम को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है तथा संबंधित प्रतिभूतियों के मूल्य को उस सीमा तक कम कर दिया गया है.

vi. ए.एफ.एस वर्ग से एच.टी.एम वर्ग में निवेश के अंतरण के कारण बैंक ने ₹6.97 करोड का मूल्यहास का प्रभार नहीं लगाया.

vii भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों की श्रेणियों में फेरबदल किया है. प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में परिवर्तन के कारण ₹.22.21 करोड़ (पिछले वर्ष 25.45 करोड़) तक की राशि के ऐसे अंतरण परवर्ती अवक्षयण को इन प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य में कमी करते हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

v. The Bank has amortized ₹. 28.28 crore during the year (Previous year ₹. 33.35 crore) for securities classified under “Held to Maturity” category, in terms of accounting policy 17.2 and the amount has been charged to Profit and Loss Account by reducing value of the respective securities to that extent.

vi Bank has not charged depreciation amounting to ₹6.97 crore due to shifting of investment from AFS category to HTM category.

vii In accordance with the guidelines issued by RBI, the bank has shifted securities within the categories during the year. The consequential depreciation amounting to ₹. 22.21 crore (previous year ₹. 25.45 crore) on account of shifting securities from “Available for Sale” category to “Held to Maturity” category has been charged to Profit & Loss Account by reducing book value of these securities.

अनुसूचियां SCHEDULES

vii वर्ष के दौरान, बैंक ने प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की पद्धति को निरंतर लाभ पद्धति से सीधी रेखा पद्धति में परिवर्तन किया है. इस परिवर्तन के कारण, वित्त वर्ष 2010-11 के लिए परिशोधन की रकम ₹ 32.64 करोड से घटकर ₹28.28 करोड हो गई. इससे वित्त वर्ष 2010-11 के लिए लाभ में ₹ 4.36 करोड की वृद्धि हुई है.

viii बैंक ने उसके द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ₹ 21.72 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 21.72 करोड़) का निवेश किया है. जिसमें से ₹ 20.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 20.32 करोड़) का निवेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु शेयर पूंजी जमाराशियों के रुप में है . क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश में से एक के मूल्य में हुई कमी का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इस निवेश को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

During the year, Bank has changed method of amortisation of premium on securities from Constant Yield Method to Straight Line Method. Due to this change, the amount of amortisation for the financial year 2010-11 has reduced from ₹.32.64 cr. to ₹.28.28 cr. This has resulted in increase in the profit for the financial year 2010-11 by ₹.4.36 cr.

viii The Bank has investment of ₹21.72 crore (Previous year ₹21.72 crore) in two Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. This includes Investment of ₹ 20.32 crore (Previous Year ₹20.32 crore) by way of Share Capital deposits, towards recapitalisation of the RRBs. Diminution in value of Investment in one of the RRB has not been recognized as the said investment has been valued at cost in accordance with the RBI guidelines.

18.8 व्युत्पन्न Derivatives:

क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

बैंक ने वर्ष के दौरान वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप लेन देन नहीं किए हैं. अत: अलग से कोई विवरण नहीं दिए गए हैं.

The Bank has not undertaken Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap transanction during the year. Therefore no separate disclosure is given.

ख. विनिमय व्यापारित ब्याज पर व्युत्पन्न

b. Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

बैंक ने वर्ष के दौरान विनिमय व्यापारित ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन नहीं किए हैं. अत: अलग से कोई विवरण नहीं दिए गए हैं.

The Bank has not undertaken Exchange Traded Interest Rate Derivatives transanction during the year. Therefore no separate disclosure is given.

ग. व्युत्पन्न में जोखिम सीमा का प्रकटन

c. Disclosures on risk exposure in derivatives:

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने वर्ष के दौरान कोई एक दिवसीय स्वेप (ओ.आई.एस) लेनदेन नहीं किया.

Qualitative disclosure

Bank has not undertaken any overnight interest rate swap (OIS) transaction during the year.

ii परिमाणात्मक प्रकटन Quantitative Disclosure

(₹. करोड़ में) (₹ in crores)

क्रम सं. Sr. No	विवरण Particulars	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल रकम) Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य NIL	शून्य NIL
	क) a) वित्तीय हानि से बचाव के लिए For hedging		
	ख) b) व्यापार के लिए For trading		
(ii)	बाजार स्थिति का बही में अंकन [1] Marked to Market Positions [1]	शून्य NIL	शून्य NIL
	क). a) आस्ति Asset (+)		
	ख) b) देयता Liability (-)		
(iii)	ऋण जोखिम Credit Exposure [2]	शून्य NIL	शून्य NIL
(iv)	एक प्रतिशत के प्रभाव की संभावना ब्याज दर में परिवर्तन (100* पी.वी.01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	शून्य NIL	शून्य NIL
	क) a) वित्तीय हानि से बचाव व्युत्पन्न पर on hedging derivatives		
	ख) b) व्यापार व्युत्पन्न पर on trading derivatives		
(v)	वर्ष के दौरान 100* पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	शून्य NIL	शून्य NIL
	क) a) वित्तीय हानि से बचाव पर on hedging		
	ख) b) व्यापार पर on trading		

अनुसूचियां SCHEDULES

18.9 आस्ति गुणवत्ता Asset Quality:

क. गैर निष्पादक आस्तियां

a. Non Performing Assets:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण Particulars	2010-11	2009-10
i. निवल अग्रिमों की तुलना में निवल गैर निष्पादक आस्तियां (%) Net NPA to Net Advances (%)	1.22%	1.21%
ii. सकल गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Gross NPAs		
अथ शेष Opening Balance	641.99	620.77
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	758.69	629.93
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	558.44	608.71
इति शेष Closing Balance *	842.24	641.99
iii. निवल गैर निष्पादक आस्तियों में घट-बढ़ Movement of Net NPAs		
अथ शेष Opening Balance	427.53	313.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	359.55	300.26
वर्ष के दौरान कमी Reductions during the year	238.13	186.11
इति शेष Closing Balance	548.95	427.53
iv. गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान में घट-बढ़ Movement of Provision for NPAs		
अथ शेष Opening Balance	205.18	292.25
ज़ोड़े: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year	281.25	96.71
घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे डालना/पुनरांकन करना Less: Write off / write back of excess provisions during the year	196.27	183.78
इति शेष Closing balance #	290.16	205.18

इसमें एफ.आई.टी.एल (एन.पी.ए) के प्रावधान के लिए ₹ 5.65 करोड (पिछले वर्ष ₹ 4.12 करोड) भी शामिल हैं.

Includes ₹ 5.65 Cr (Previous Year ₹. 4.12 Cr.) towards provision of FITL (NPA).

ख. पुनर्गठित ऋण आस्तियों के विवरण

b. Details of Loan Assets subjected to Restructuring:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

		सीडीआर व्यवस्था CDR mechanism	एस एम ई ऋण का पुनर्गठन SME debt Restructuring	अन्य Others
मानक अग्रिमों का पुनर्गठन Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	9	513	3752
	बकाया राशि Amount outstanding	639.48	91.53	431.69
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	16.49	0.25	20.13
अवमानक अग्रिमों का पुनर्गठन Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	0	115	360
	बकाया राशि Amount outstanding	0	3.73	15.72
	हानि (मूल्य में कमी) Sacrifice [diminution in the fair value]	0	0.0034	0.03
संदिग्ध अग्रिमों का पुनर्गठन Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	4	147	262
	बकाया राशि Amount outstanding	1.13	11.65	18.21
	हानि (मूल्य में कमी) Sacrifice [diminution in the fair value]	0	0.0043	0.025
कुल TOTAL	उधारकर्ताओं की संख्या No. of borrowers	13	775	4374
	बकाया राशि Amount outstanding	640.61	106.91	465.62
	हानि (मूल्य में कमि) Sacrifice [diminution in the fair value]	16.49	0.26	20.18

अनुसूचियां SCHEDULES

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण
c) Details of Financial assets sold to Securitisation /Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

मदें Item	2010-11	2009-10
खातों की संख्या No. of accounts	6	1
एस.सी./आर.सी. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को घटाकर) Aggregate vallue (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	8.29
कुल प्रतिफल Aggregate consideration	28.70	20.35
पिछले वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	Nil	Nil
निवल बही मूल्य पर कुल लाभ Aggregate gain over net book value	28.70	12.06

घ. खरीदी /बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

d. Details of non-performing financial assets purchased/sold

खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण Particulars	2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

बेची गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण
Details of non-performing financial assets sold

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण Particulars	2010-11	2009-10
बेचे गए खातों की संख्या No. of accounts sold	शून्य Nil	शून्य Nil
कुल बकाया Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
प्राप्त कुल प्रतिफल Aggregate consideration received	शून्य Nil	शून्य Nil

ङ प्रावधान कवरेज अनुपात(पी.सी.आर)

तुलन पत्र की तारीख को प्रावधान कवरेज अनुपात 74.62 है जिसकी गणना भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. RBI2009-10/240 DBOD.No.BP. BC.64/21.4.048/2009-10 दिनांक 01.12.2009 के अनुसार की गई है. पीसीआर पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं डीबीओडी.सं.बीपी. बीसी.87/21.04.048/2010-11 अप्रैल 21 , 2011 के अनुसार बैंक को प्रति-चक्रीय व्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्रावधान में कोई रकम अलग करने की आवश्यकता नहीं है.

e. Provision Coverage Ratio (PCR)

As on Balance Sheet Provision Coverage Ratio is 74.62 calculated as per RBI circular no. RBI2009-10/240 DBOD.NO.BP.BC.64/21.4.2009-10 dated o1.12.2009. In terms of RBI circular no. DBOD.NO.BP.BC. 87/21.04 /2010-11 April 21, 2011 on PCR the Bank is not required to segregate any amount in to "counter cyclical provisioning buffer".

अनुसूचियां SCHEDULES

18.9 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets:

(`. करोड़ में) (`. in crores)

मदें Item	2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान Provision for Standard Assets made during the year	5.73	16.72
तुलन पत्र की तिथि को मानक आस्तियों के लिए प्रावधान की शेष Balance of Provision for Standard Assets as on the Balance Sheet Date	166.64	160.91

18.10 कारोबार का अनुपात Business Ratios:

विवरण Particulars		2010-11	2009-10
i.	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में ब्याज की आय Interest Income as a percentage to Working funds	8.21%	7.96%
ii.	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में गैर ब्याज आय Non-Interest Income as a percentage to Working funds	0.87%	1.17%
iii.	कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रुप में परिचालन गत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	2%	1.67%
iv.	आस्तियों पर प्रतिफल Return on Assets	1%	1.01%
v.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम)(रु. करोड़ में) Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in crore)	10.77	8.27
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाखों में) Profit per employee (Rupees in lacs)	6.15	4.86

18.11 आस्ति देयता प्रबंधन Asset Liability Management:

आस्ति एवं देयताओं की निश्चित मदों की परिपक्वता का स्वरुप

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

विवरण Particular	दिन Day 1	2से 7 दिन 2 to 7days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 Days	29 दिन से 3 माह तक 29 Days to 3 Months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 Months to 6 Months	6 माह से अधिक 12 माह तक Over 6 Months to 12 Months	1 वर्ष से अधिक3 वर्ष तक Over 1 Year to 3 Years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 Year to 5 Years	5 वर्ष से अधिक Over 5 Year	जोड़ Total
जमाराशि Deposits	71.40	656.51	1161.29	949.18	7862.11	5376.04	13398.39	32552.47	1332.42	849.81	64209.62
अग्रिम Advances	76.98	496.49	868.86	1262.97	3955.79	3194.85	5170.46	15768.11	2496.80	11536.74	44828.05
विनिधान Investments	14.08	567.37	227.46	197.13	613.36	151.69	104.04	1507.43	2168.80	13217.55	18768.91
उधार Borrowings	100.00	0	0	0	0	0	0	225.66	210.00	1156.00	1691.66
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	122.50	0.01	9.90	10.62	34.65	48.44	163.76	208.20	20.71	0.40	619.19
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	37.01	266.52	53.93	28.82	360.26	628.97	0.60	1.78	0	0.08	1377.97

अनुसूचियां SCHEDULES

18.12 अस्थिर क्षेत्रों को उधार

Lending to Sensitive sector:

क) भूसंपदा क्षेत्र को ऋण निवेश

Exposure to Real Estate Sector:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

श्रेणी Category	2010-11	2009-10
क. प्रत्यक्ष ऋण निवेश		
a. Direct Exposure		
i. आवासीय बंधक Residential Mortgages	1936.56	1784.06
- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत पात्रता प्राप्त के लिए वैयक्ति आवास ऋण Individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector		
- अन्य Others	1082.90	950.68
जोड़ Total	3019.46	2734.74
ii. वाणिज्यिक भूसंपदा [एफ बी+एन एफ बी] Commercial Real Estate [FB+NFB]	323.70	442.51
iii समर्थित बंधक में विनिधान प्रतिभूति (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत निवेश Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure		
क. आवासीय Residential	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक भूसंपदा Commercial real estate	0.00	0.00
ख. अप्रत्यक्ष ऋण निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य आवासीय वित्तीय कम्पनियों पर निवेश		
b. Indirect Exposure Exposure on National Housing Bank and other Housing Finance Companies	1821.81	1554.67
जमीन जायदाद क्षेत्र के कुल ऋण Total Exposure to Real Estate Sector	5164.97	4731.92

ख. पूंजी बाजार में निवेश

b. Exposure to Capital Market:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

		2010-11	2009-10
1	इक्विटी शेयरों/ परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में प्रत्यक्ष विनिधान जिसकी मूल निधि कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है. Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	94.63	73.85
2	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) बांडों और डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों में विनिधान के लिए व्यक्तियों को शेयरों पर या निर्बन्ध आधार पर अग्रिम. Advances against shares or on clean basis to individuals for investment in equity shares (including IPOs/ ESOPS), bonds and debentures, units of equity oriented mutual funds	0.00	0.00
3	अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है. Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	1.39	1.90

अनुसूचियां SCHEDULES

4	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अन्य किसी प्रयोजन के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं करती है. Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances;	0.00	0.00
5	शेयर दलालों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलालों तथा शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी की गई गारंटियां. Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	81.00	132.12
6	संसाधनों के प्राप्त होने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूतियों पर या अन्य निर्बन्ध आधार पर कंपनी को स्वीकृत ऋण. Loans sanctioned to corporate against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	64.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण. Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
8	शेयरों के प्राथमिक निर्गम या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख पारस्परिक निधियों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धता. Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
9	मार्जिन व्यापार के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण. Financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों) को दिए गए सभी ऋणों को इक्विटी के बराबर समझा जाएगा. और इसलिए पूंजी बाजार ऋण सीमाओं (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन के लिए गणना की जाएगी. All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	15.22	7.05
	जोडTotal	**256.24**	**214.92**

18.13 जोखिम श्रेणी वार देश वित्त

क. विदेशी मुद्रा लेन देनों के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशो के अनुसार, जहां प्रत्येक देश के लिए परिकलित निधि आधारित जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1%से अधिक हैं, बैंक को उनके लिए प्रावधान करना है. किसी भी देश में बैंक के निवल निधिक ऋण कुल आस्तियों के 1 % से अधिक नहीं है, कोई भी प्रावधान (पिछले वर्ष शून्य) नहीं किया गया है.

ख. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक ऋण दिया जाना.

वर्ष 2010 -11 के दौरान, बैंक ने उधारकर्ता (मे.छत्तीसगढ को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडेरेशन) को ₹ 575 करोड की ऋण सीमा स्वीकृत की है जहां दिनांक 31.03.2011 को बकाया ऋण , मार्च 2011 में ब्याज लगाने के कारण, ₹578.65 करोड था. उसके बाद दिनांक 06.04.2011 को ब्याज का भुगतान किया गया और खाता , एकल उधारकर्ता के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण साख सीमा के अंतर्गत था.

18.13 Risk Category wise country exposure:

In respect of Foreign Exchange transactions, where the Bank's net funded exposure computed as per the guidelines of the RBI with each country exceeded 1% of the total assets of the Bank, the Bank is required to make the provision. Since, Bank's net funded exposure in any country does not exceed 1% of total assets, no provision (Previous year Nil) is made.

Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2010-11, the Bank has sanctioned limit of ₹575 crores to one of the borrower (M/s Chhatisgarh Co operative Marketing Federation) where outstanding as on 31.03.2011 was ₹578.65 crores; due to interest application for March 2011. Interest has been subsequently paid on 06.04.2011 & account was within the prudential credit exposure limit in respect of single borrower.

18.14 अरक्षित ऋण Unsecured Loans

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

	विवरण Particulars	31-03-2011
1.	दिनांक 31.03.11 को कुल अरक्षित ऋण Total Unsecured Loans as of 31.03.11	8252.41
2 a	जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा प्राप्त Out of which secured by intangible securities	372.06
2 b	ऐसे संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य (जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार) Estimated Value of Such Collateral Securities (such as charge over the rights, licenses, authorization etc)	1307.30
3	अन्य अरक्षित ऋण Other Unsecured Loans (1 - 2a)	7880.35

18.15 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया

Reserve Bank of India did not subject the Bank to any penalty during the year.

18.16 वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में नामे डाले गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का विवरण

Details of Provisions and Contingencies debited to the Profit and Loss Account during the year:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

	ब्यौरा Particulars	2010-11	2009-10
(i)	गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Non Performing Assets	281.25	96.71
(ii)	आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	186.42	74.51
(iii)	आस्थागित कर देयताएं (निवल) Deferred Tax Liability (Net)	100.01	101.03
(iv)	अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax	0.13	0.00
(v)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान Provision for Standard Assets	11.07	13.99
(vi)	पुनर्गठित खातों पर एन.पी.वी. में अधित्याग के लिए प्रावधान Provision for Sacrifice in NPV on restructured accounts	(-)8.82	10.77
(vii)	ए.डी.डब्ल्यू.ए.आर.डी 2008 योजना के अंतर्गत प्रावधान Provision under ADWARD 2008 Scheme	(-) 4.07	(-)7.27
(viii)	विनिधानों पर अवक्षयन के लिए प्रावधान Provision for Depreciation on Investments	47.61	26.12
(ix)	आकस्मिक देयताएं Contingent liabilities	0.05	0.00
(x)	अन्य Others	(-)1.49	13.47
	जोड़ Total	**612.16**	**329.33**

अनुसूचियां SCHEDULES

18.17 आयकर के लिए प्रावधान :Provision for Income Tax:

क. वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से संबंधित आयकर के लिए किए गए विविध मूल्यांकनों/अपीलों/ संशोधन आदेशों/अतिरिक्त प्रावधानों के अनुसरण में, पिछले वर्षों के आय कर के लिए ₹ 48.58 करोड. (पिछले वर्ष वापस ली गई ₹ 10.75 क़रोड) का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और वह वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते को प्रभारित है.

ख. वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए गए प्रावधान की राशि

18.17 Provision for Income Tax:

During the year, pursuant to various assessments / appellate / rectification orders, additional provision for Income Tax pertaining to earlier years has been made amounting to ₹. 48.58 crore (previous year ₹ 10.75 crore written back) and charged to the Profit & Loss Account for the year.

a. Amount of provision made for Income-tax during the year;

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
वर्ष के आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income-tax for the year	137.84	74.28
जोडे/घटाएं : पिछले वर्षो हेतु प्रदत्त/ (वापस लिया गया) Add/Less: Provided for/(Written back) for earlier years	48.58	-10.75
कुल रकम Net Amount	**186.42**	**63.53**

18.18 परिसर में एक संपत्ति में 1/3 अंश (एस.पी.बी.टी कॉलेज मुंबई) भी शामिल है जोकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त स्वामित्व में है, विवरण निम्न प्रकार है.

18.18 Premises include 1/ 3rd share in a property [SPBT College Mumbai] jointly owned by the Bank with Central Bank of India, as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

बैंक के शेयर Banks share	31.03.2011	31.03.2010
लागत Cost	2.34	2.34
संचित मूल्यन्हास Accumulated Depreciation	0.96	0.86
घटाए गए मूल्य Written Down Value	1.38	1.48

बैंक की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2005-06 के दौरान किया गया था और पुनर्मूल्यांकित संपत्ति का घटा हुआ मूल्य दिनांक 31.03.2011 को ₹ 14.38 करोड (पिछले वर्ष में ₹ 14.63 करोड) है.

The property belonging to the Bank was revalued during the year 2005-06 and written down value of the revalued property as on 31.03.2011 is ₹.14.38 crore. (Previous Year ₹. 14.63 crore).

18.19 i) ग्राहकों की शिकायतें Customer complaints:

क) a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the beginning of the year	10
ख) b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या No. of complaints received during the year	1243
ग) c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या No. of complaints redressed during the year	1234
घ) d)	वर्ष के अन्त में लम्बित शिकायतों की संख्या No. of complaints pending at the end of the year	19

ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अवार्ड Awards passed by the Banking Ombudsmen :

क) a)	वर्ष के आरंभ में गैर कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0
ख) b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्डों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsmen during the year	3
ग) c)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्डों की संख्या No. of awards implemented during the year	3
घ) d)	वर्ष के अन्त में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्डो की संख्या No. of unimplemented awards at the end of the year	0

अनुसूचियां SCHEDULES

18.20 बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित अग्रिमों (अनुसूची-9 पेरा बी (ii) में दर्शाए गए हैं) में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ₹ 3696.67 करोड(पिछले वर्ष ₹.2686.16 करोड) शामिल हैं.

18.20 The advances covered by Bank/ Govt. Guarantee [shown in Schedule – 9 Para B (ii)] include ₹. 3696.67 crore [Previous Year ₹ 2686.16 crore] guaranteed by various State Governments.

18.21 गांधीधाम में भूमि के दो प्लॉट, जो काफी समय से बैंक के कब्जे में थे , उनको वर्तमान बाजार भाव पर (प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर) परिसर के मूल्य में शामिल किया गया है. परिसर में शामिल की गई निवल रकम ₹1.57 करोड को पूंजीगत आरक्षित (पुन: मूल्यांकन आरक्षित) में जमा किया गया है. यह कार्य दिनांक 1 अप्रैल 2009 से पहले ही किया गया. वर्तमान वर्ष 2010 - 11 के दौरान इस ब्लॉक में किसी भी अन्य आस्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया.

18.21 Two plots of land at Gandhidham, which are in the possession of the bank since long, have been included in the value of premises at their present market value (based on valuation reports obtained). The net amount added to the premises ₹. 1.57 crore has been credited to Capital Reserves (Revaluation Reserve). The same was done prior to April 1st, 2009. No assets in this block have been revalued during the current year 2010-11.

18.22 लेखांकन मानकों (ए.एस.) के अनुसार प्रकटन:

18.22 DISCLOSURE AS PER ACCOUNTING STANDARDS (AS):

क. एएस 5 के अनुसार प्रकटन

एस.एस 5 के अंतर्गत पूर्व अवधि में आय/व्यय से संबंधित प्रकटन के लिए कोई सामग्री नहीं थी.

a) Disclosure as per AS 5:

There were no material prior period income/expenditure items requiring disclosure under AS – 5.

ख. एएस 9 के अनुसार प्रकटन

बिदु सं.17.6.बी. में उल्लिखित के अनुसार लेखांकन नीति के अनुसार आय की कुछ मदें वसूली आधार पर शामिल की गई है.

b) Disclosure as per AS 9:

Certain items of income are recognised on realization basis as per Accounting Policy as stated at point no. 17.6.b.

ग. एएस 10 के अनुसार प्रकटन

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी अचल आस्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया.

c) Disclosure as per AS 10:

The Bank has not revalued any of its fixed assets during the year.

घ.. एएस 11 के अनुसार प्रकटन

वर्ष के लिए विनिमय अंतर से हुई निवल आय ₹52.35 करोड (पिछले वर्ष ₹.33.26 करोड) लाभ हानि लेखों में जमा की गई है.

d) Disclosure as per AS 11:

Net income on account of exchange differences credited in the Profit and Loss account for the year is ₹. 52.35 crore (previous year: ₹ 33.26 crore).

ङ) एएस 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटन - कर्मचारी लाभ:

इन्सटिट्यूट ऑफ चार्टड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार निम्नलिखित सूचनाएं प्रकट की गई हैं.

e) Disclosure as per AS 15 (revised) : Employee Benefits:

घ) लेखांकन मानक एएस 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटन -कर्मचारी लाभ

The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

(₹ करोड़ में) (₹ in crores

		ग्रेच्यूटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**मूल बीमांकिक अनुमान उपयोग में लाए गए हैं. Principal Actuarial Assumptions used**		
	पूर्व डिस्काउंट दर. Discount Rate Prev.	8.00%	8.00%
	पूर्व नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर. Rate of Return on Plan assets Prev.	8.00%	8.00%
	पूर्व वेतन वृद्धि Salary Escalation Prev.	4.00%	4.00%
	वर्तमान डिस्काउंट दर Discount Rate Current	8.50%	8.50%
	वर्तमान नियोजन आस्तियों पर प्रतिफल की दर. Rate of Return on Plan assets Current	8.50%	8.50%
	वर्तमान वेतन वृद्धि Salary escalation Current	4.00%	4.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका. Table showing change in Benefit Obligation:**		
	वर्ष के आरंभ में देयताएं. Liability at the beginning of the year	222.59	860.53
	ब्याज लागत Interest Cost	17.22	64.93
	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11.64	228.04
	पूर्व सेवा लागत Past Service Cost	79.96	0.00
	प्रदत्त लाभ Benefit paid	(40.12)	(193.22)
	बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर हानि. Actuarial (gain)/loss on obligation	(13.35)	707.35
	वर्ष के अंत में देयताएं Liability at the end of the year	277.94	1667.63

अनुसूचियां SCHEDULES

(iii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका. Table of Fair value of Plan Assets:**		
	वर्ष के आरंभ में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	222.59	802.26
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल. Expected return on Plan Assets	18.92	68.19
	अंशदान Contributions	30.00	151.14
	प्रदत्त लाभ. Benefit Paid	(40.12)	(193.22)
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	(2.27)	455.35
	वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य. Fair Value of Plan Assets at the end of the year	229.12	1283.72
	निर्धारित किया जानेवाला कुल बीमांकिक लाभ/(हानि). Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised	11.08	(252.00)
(iv)	**परिवर्ती देयता का निर्धारण Recognition of Transitional Liability I**		
	आरंभ में परिवर्ती देयता Transitional Liability at start	9.73	8.41
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional Liability recognized during the year	4.87	4.20
	अंत में परिवर्ती देयता Transitional Liability at end	4.86	4.21
(v)	**परिवर्ती देयता का निर्धारण II Recognition of Transitional Liability II**		
	वर्ष के दौरान की गई परिवर्ती देयता Transitional Liability made during the year	79.96	353.92
	वर्ष के दौरान निर्धारित परिवर्ती देयता Transitional Liability recognized during the year	15.99	70.78
	अंत में परिवर्ती देयता Transitional Liability at end	63.97	283.14

(vi)	**नियोजन आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets**		
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected return on Plan Assets	18.92	68.19
	नियोजन आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि) Actual gain/(loss) on Plan Assets	(2.27)	455.35
	नियोजन आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets	16.65	523.54
(vii)	**तुलन पत्र में शामिल रकम Amount recognized in the Balance Sheet:**		
	वर्ष के अंत में देयता Liability at the end of the year	277.94	1667.63
	वर्ष के अंत में नियोजन आस्तियों का उचित मूल्य. Fair value of Plan Assets at the end of the year	229.12	1283.72
	अंतर Difference	(48.82)	(383.91)
	अनिर्धारित लागत.Unrecognized Cost	2.00	0.00
	अनिर्धारित परिवर्ती देयता. Unrecognized Transition Liability	68.83	287.35
	तुलन पत्र में निर्धारित रकम Amount Recognized in the Balance Sheet	18.01	(96.56)
(vii)	**आय विवरण में निर्धारित व्यय Expenses recognized in the Income Statement:**		
	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	11.64	228.04
	ब्याज लागत Interest Cost	17.22	64.93
	नियोजन आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल Expected Return on Plan assets	(18.92)	(68.19)
	द्वितीय विकल्प पर परिवर्ती देयता का स्थगन Deferment of Transition Liability on second option	0.00	(353.92)
	परिवर्ती देयताओं का निर्धारण. Recognition of Transition Liability	20.86	74.98
	बीमांकिक लाभ या हानि. Actuarial (Gain) or Loss	(11.08)	252.00
	लाभ एवं हानि लेखे में शामिल व्यय. Expenses Recognized in P&L	19.72	197.84

(viii)	**अन्य विवरण Other Details:**		
	ग्रेच्यूटी प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर भुगतान की जाती है बशर्ते कि अधिकतम रकम ₹.10 ,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो. Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of 10,00,000 or as per bank's scheme		
	पेंशन प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर पर भुगतान की जाती है बशर्ते कि अधिकतम 50% हो. Pension is payable at the rate of 1/66 salary for each year of service subject to maximum of 50%		
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार होती है जोकि कर्मचारियों की पदोन्नति एवं मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए उद्योग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होती है. Salary escalation is considered as advised by the Bank, which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees		
	सदस्यों की संख्या. No. of Members	9858	9908
	वेतन प्रतिमाह. Salary per Month	31.88	31.88
	अगले वर्ष के लिए अंशदान Contribution for next year	0.00	0.00

अनुसूचियां SCHEDULES

(ix)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets:**		
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets		
	कॉर्पोरेट बांड Corporate bonds		
	विशेष जमा योजना. Special Deposits Scheme		
	राज्य सरकार State Govt.		
	संपत्ति Property		
	अन्य Other	229.12	1283.72
	बीमाकर्ता द्वारा संचालित निधियां Insurer Managed Funds		
	कुल Total	229.12	1283.72

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों (विद्यमान कर्मचारियों के मामले में द्वितीय पेंशन विकल्प तथा ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि; और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पूरी देयता के कारण पुराने और नए परिवर्ती देयता के 1/5वीं सहित) के विवरण निम्नानुसार हैं :

Details of Provisions (including 1/5the of transitional liability old and new viz on account of second pension option in case of existing employees and enhancement in gratuity limit, and full liability in case of retires) made for various long term employee benefits during the year are as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in crores)

क्रम सं. Sr. No.	अन्य दीर्घावधि लाभ Other long term benefits	राशि Amount
1	पेंशन Pension	197.85
2	अवकाश नकदीकरण.Leave encashment	17.41
3	ग्रेच्यूटी Gratuity	21.71
4	सिल्वर जूबिली Silver Jubilee	-0.51
5	पुनर्वास Resettlement	-0.08
6	अवकाश यात्रा रियायत Leave Travel Concession	-3.20
7	बीमारी अवकाश Sick Leave	3.77
	कुल TOTAL	**236.95**

i) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारी लाभों अर्थात् पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण और लेखांकन मानक एएस 15 (संशोधित) के अनुसार कर्मचारियों के अन्य लाभों के लिए प्रावधान किया गया है. इसके अतिरिक्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अधिसूचित कर्मचारी लाभों पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अनुपालन के लिए 31 मार्च 2007 को संक्रमणकालीन देयताओं के 1/5 होने के कारण ₹ 21.57 करोड (पिछले वर्ष-21.58 करोड) की राशि को वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. अमान्य संक्रमणकालीन देयताओं की राशि ₹ 21.58 करोड (पिछले वर्ष ₹ 43.15 करोड) है.

ii. वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना है, पेंशन का विकल्प पुन: दिया है. इस प्रक्रिया के फलस्वरुप (5448 कर्मचारियों के कारण), बैंक की ₹471.56 करोड की कुल देयता बनी है. और, वर्ष के दौरान, भुगतान के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में हुए संशोधन के अनुसरण में बैंक के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी रकम की सीमा में वृद्धि की गई थी. परिणामस्वरुप, बैंक की ग्रेच्युटी देयता में ₹79.96 करोड की वृद्धि हुई है.

लेखांकन मानक (ए.एस 15) की अपेक्षाओं के अनुसार, कर्मचारी हित के ₹ 551.52 करोड (अर्थात् पेंशन ₹471.56 करोड+ग्रेच्युटी ₹79.96 करोड) की पूरी रकम लाभ और हानि खाते में प्रभारित करने की आवश्कता है. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुन: देने तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि - अधिमान्य नियंत्रक व्यवहार दिनांक 09 फरवरी, 2011 पर परिपत्र सं डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया है. इस परिपत्र के प्रावधान के अनुसार, बैंक 5 वर्ष की अवधि में ₹ 433.88 करोड का परिशोधन करेगा. तदनुसार, ₹86.77 करोड (₹433.88 करोड का 1/5) लाभ और हानि खाते को प्रभारित किया जाएगा. उपरोक्त भारतीय रिजर्व

i) Provision has been made for Employees Benefits viz; Pension, Gratuity, Leave Encashment and other Employees benefits in accordance with AS-15 (revised) on the basis of actuarial valuation. In addition, a sum of ₹. 21.57 crore (Previous year 21.58 crore) has been charged to Profit and Loss account during the year, being 1/5th of transitional Liability as on 31st March 2007, in compliance with AS-15 (revised) on Employees Benefits notified by the ICAI. The amount of unrecognized transitional liability is ₹. 21.58 crore (Previous year ₹43.15 crores).

ii) "During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by (5448 employees), the bank has incurred a net liability of ₹471.56 crore. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result the gratuity liability of the Bank has increased by ₹79.96 crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS 15), employee benefits, the entire amount of ₹551.52 cr (i.e. Pension ₹471.56 cr + Gratuity ₹79.96 cr) is required to be charged to Profit & Loss Account. However RBI has issued a circular no DBOD.No. BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment dated 9th February, 2011. In accordance with this provision of said Circular, the Bank would amortize the amount of ₹433.88 cr over a period of 5 years.

अनुसूचियां SCHEDULES

बैंक के परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹347.11 करोड (पेंशन ₹283.14 करोड के साथ ग्रेच्युटी ₹63.97 करोड) की अनिर्धारित देय रकम को शेष 4 वर्ष की अवधि में समान रुप में प्रभारित किया जाएगा. उक्त अनिर्धारित देयता में अलग हुए/ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल नहीं है.

यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी नहीं हुआ होता तो, बैंक का लाभ ए.एस 15 की अपेक्षाओं के अनुसरण में ₹ 347.11 करोड कम होता.

च . लेखांकन मानक 17 के तहत खंड रिपोर्टिंग:

भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन मानक -17 पर, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड अर्थात् "राजकोष" "कार्पोरेट" / "संपूर्ण बैंकिंग", "रिटेल बैंकिंग" को शामिल करके कारोबार खण्ड और "अन्य बैंकिंग परिचालन" में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.

Accordingly, ₹86.77 cr (representing 1/5th of ₹433.88 cr) has been charged to P & L Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward i.e. ₹ 347.11 cr (Pension ₹ 283.14 cr plus Gratuity ₹ 63.97 cr) does not include any employee relating to separated/ retired employees.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 347.11 cr pursuant to application of the requirements of the AS 15."

Segment Reporting under Accounting Standard 17:

As per the Reserve Bank of India revised guidelines on Accounting Standard -17, the Bank's Operations are classified into Primary Segment, i.e., the business segment comprising of "Treasury", "Corporate / Wholesale Banking", "Retail Banking" and "Other Banking Operations", as follows:

(₹ करोड़ में) [₹ in crores]

कारोबार खण्ड Business Segment / विवरण Particulars	राजकोष Treasury		कॉर्पोरेट / संपूर्ण बैंकिंग Corporate/ wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year	वर्तमान वर्ष Current year	पिछले वर्ष Previous year
राजस्व Revenue	1313.65	1217.01	2765.16	2261.41	1337.43	999.34	151.13	121.23	5567.37	4598.99
परिणाम Result	(13.85)	5.55	798.53	683.94	466.14	272.98	127.86	105.63	1378.68	1068.10
गैर आंबटित व्यय Unallocated Expenses									480.09	381.31
परिचालनगत लाभ Operating Profit									898.59	686.79
आयकर Income Taxes									286.96	175.54
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss									0	0
निवल लाभ Net Profit									611.63	511.25
खण्ड आस्तियां Segment Assets	23369.57	19566.35	34790.18	27553.42	11325.39	9555.13	526.23	141.29	70011.37	56816.19
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Assets									827.05	770.39
कुल आस्तियां Total Assets									70838.42	57586.58
खण्ड देयताएं Segment Liabilities	23369.57	19566.35	32028.08	25105.46	10957.28	9210.34	715.11	867.70	67070.04	54749.85
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities									3768.38	2836.73
कुल देयताएं Total Liabilities									70838.42	57586.58

बैंक में कोई गौण (भौगोलिक) खण्ड नहीं है. The Bank does not have any secondary (geographical) segment.

टिप्पणी:

1) अन्तर खण्ड लागत के कारण खण्ड परिणाम समायोजन के बाद ही निकलते हैं, जिन्हे बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्तरण मूल्य व्यवस्था के आधार पर मान लिया गया है.

2) कल्पित अन्तर वर्ग आस्तियों, देयताओं और राजस्व को छोड़ दिया गया है.

3) राजकोष परिचालन में बैंक के संपूर्ण राजकोष विनिधान पोर्टफोलियो का समावेश है.

4) गैर आबंटित देयताओं में पूंजी एवं आरक्षतियां शामिल हैं.

छ. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 और भारतीय रिज़र्व बैंके के दिशानिर्देशों के अनुपालन में संबधित पार्टी के लेन-देनों से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए है.

Notes:

1. Segment Results are after adjustment on account of Inter Segment Cost, which has been considered on the basis of Transfer Price mechanism decided by the Bank.

2. Assumed Inter Segment Assets, Liabilities and Revenue have been ignored.

3. Treasury Operations consist of entire treasury investment portfolio of the Bank.

4. Unallocated liabilities include Capital and Reserves.

In compliance with Accounting Standard 18 issued by ICAI and RBI guidelines, details pertaining to Related Party Transactions are as under:

अनुसूचियां SCHEDULES

महत्वपूर्ण प्रबन्धन वर्ग Key Management Personnel

नाम Name	पदनाम Designation	मदें Item	अवधि Period	राशि (₹) Amount (in ₹.)	ऋण की राशि (₹ में) Loan Amount (in ₹.)
श्री डी.एल. रावल Sh. D.L.Rawal	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary Emolunents & Incentives	01.04.2010 से 31.03.11 तक 01.04.2010 to 31.03.11	2077612	शून्य Nil
श्री ए.के.दत्त Sh. A.K.Dutt	कार्यपालक निदेशक ED	संवेतन एवं परिलब्धियां Salary & Emoluments	01.04.10 से 31.03.10 तक 01.04.10 to 31.03.11	1244033	शून्य Nil

ज. प्रति शेयर अर्जन - लेखांकन मानक 20

g. Earning per Share - Accounting Standard 20:

प्रति शेयर अर्जन Earning Per Share	**31.3.2011**	**31.3.2010**
	21.26	17.83*
निर्देशांक रुप में (` करोड़ में) मान्य लाभ व हानि लेखे के अनुसार निवल लाभ Net Profit as per Profit & Loss Account Considered as numerator (` in crore)	611.63	511.25
मूल्य वर्ग के रुप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity share considered as denominator	28,77,16,244	28,68,23,200
शेयर का अंकित मूल्य (`.) Nominal value of share (`)	10/-	10/-

* इसमें कोई हासित संभाव्य शेयर नहीं है.

*There were no diluted potential equity shares

समेकित वित्तीय विवरणियां - लेखांकन मानक 21:

बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, अत: यह लेखांकन मानक लागू नहीं होते हैं.

Consolidated Financial Statements – Accounting Standard 21:

The Bank is not having any subsidiaries, therefore, this accounting Standard does not apply.

आय पर कर - लेखांकन मानक 22:

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए `'आय पर लेखांकन मानक 22' की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है.

31 मार्च 2011 को ₹ 76.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 176.61 करोड़) की रकम की आस्थागित कर आस्तियों के निवल शेष में निम्नलिखित समाविष्ट है

Taxes on Income : Accounting Standard 22:

The Bank has complied with requirements of “AS 22 on Accounting for Taxes on Income” issued by ICAI and accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognized.

The net balance of Deferred Tax Asset as on 31st March 2011 amounting to ₹.76.60 crore (Previous Year ₹ 176.61 crore) consists of the following:

(₹. करोड़ में) (₹. in crores)

	2010-11	**2009-10**
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets		
गैर निष्पादक आस्तियों / अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान Provision for NPAs / Bad Debts	96.38	69.74
अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	30.88	25.67
एच.टी.एम. प्रतिभूतियों से संबंधित परिशोधित प्रीमियम Amortized premium on HTM securities	41.24	44.59
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान. Provision for depreciation on investments	-90.35	-24.46
धारा 40 (ए) (आईए) के अंतर्गत अस्वीकार्य व्यय. Expenditure disallowable under section 40(a)(ia)	1.15	2.05
वेतन संशोधन प्रावधान Wage revision provision	0.00	47.59
परिपक्व वायदा विदेशी मुद्रा संविधान पर हानि / लाभ (-)Loss/ Profit (-) on unmatured Forward Forex contract	-4.71	4.83
परिपक्व सावधि जमा राशियों पर तदर्थ प्रावधान. Adhoc provision on matured Term Deposits	0.00	3.29
एडीडब्ल्यूडीआरएस के लिए प्रावधान Provision for ADWARDS	0.00	1.82
एफ.आई.टी.एल के लिए प्रावधान Provision for FITL	2.31	3.98

अनुसूचियां SCHEDULES

कुल आस्थगित कर आस्तियां Total Deferred Tax Assets	76.90	179.10
घटाएं: आस्थगित कर देयताएं Less: Deferred Tax Liabilities		
साफ्टवेयर सहित स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets including software	0.30	2.49
कुल आस्थगित कर दायित्व Total Deferred Tax Liabilities	0.30	2.49
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियों) में दर्शायी गयी आस्थगित कर आस्तियों का निवल शेष Net balance of DTA shown in the Schedule 11 (Other Assets)	76.60	176.61

समेकित वित्तीय विवरणियों में सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखांकन - लेखांकन मानक : 23

तुलन पत्र की तिथि को बैंक की कोई सहयोगी कंपनी नहीं है

बंद किए गए क्रियाकलाप - लेखांकन मानक 24: वर्ष के दौरान बैंक ने कोई क्रियाकलाप बंद नहीं किया.

लेखांकन मानक 28 : प्रबंधन की राय में उनकी कोई अपसामान्य आस्तियां नहीं हैं जिन पर लेखांकन मानक एएस 28 लागू है.

प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों पर लेखांकन मानक 29 के अनुसार प्रकटन

Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements : Accounting Standard : 23

As on the Balance Sheet Date there is no such associate of the Bank.

Discontinuing Activities - Accounting Standard 24: No activity has been discontinued in the Bank during the year.

Accounting Standard 28: In the opinion of the Management, there is no impairment to its assets, to which Accounting Standard- 28 is applicable.

Disclosure in terms of Accounting Standard 29 on provisions, contingent liabilities and contingent assets.

देयताओं के लिए प्रावधानों में घट-बढ
Movement of Provisions for Liabilities

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

विवरण Particulars	कानूनी मामले/आकस्मिकताएं Legal Cases / Contingencies
1 अप्रैल 2010 को शेष Balance as at 1st April 2010	21.38
वर्ष के दौरान प्रावधान Provided during the year	0.09
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि Amounts used during the year	-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित Reversed during the year	0.04
31 मार्च 2011 को शेष Balance as at 31st March 2011	21.43
बाह्यगमन / अनिश्चितताओं का काल Timing of Outflow / Uncertainties	अनिश्चित Not Ascertainable
अपेक्षित प्रतिपूर्ति Reimbursement Expected	अनिश्चित Not Ascertainable

ii) आकस्मिक देयताओं के संबंध में तुलनपत्र की अनुसूची-12 की मद संख्या (i) से (v) अपने स्वरुप के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं को दर्शाती हैं. ये राशियां की गई मूल संविदा अथवा दावों से संबंधित कागजातों के आधार पर प्राक्कलित की गई हैं. आकस्मिक देयताओं के कारण बहिर्गमन न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा मुकदमों के निपटारे के परिणाम, संविदाओं के निष्पादन, गारंटी मांगने, साख पत्रों के हस्तांतरण, दावों के निपटान आदि पर निर्भर करेगा. ऐसे मामलों में किसी भी प्रतिपूर्ति की संभावना का पता लगाना इस स्तर पर संभव नहीं है.

18.23 चल प्रावधान

बैंक के पास कोई चल प्रावधान नहीं है.

18.24 आरक्षितियों से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षितियों से कोई रकम आहरित नहीं की है.

Item Nos (I) to (V) of the Schedule 12 of the balance sheet on contingent liabilities, reflect the various types of contingent liabilities categorized according to their nature. These amounts are estimated on the basis of documents related to the basic contracts or claims made. Outflow on account of these contingent liabilities would depend upon the outcome of disposal of litigations by the respective judicial authorities, execution of contracts, invocation of guarantees, devolvement of LCs, settlement of claims etc.

Floating Provisions

Bank does not have any floating provisions.

18.24 Draw Down from Reserves

Bank has not drawn any amount from the Reserves during the year.

अनुसूचियां SCHEDULES

18.25 बैंक द्वारा विदेशी नियंत्रक को जारी चुकौती आश्वासनों (एल.ओ.सी) का प्रकटन

चूंकि बैंक की विदेश में कोई सहायक कंपनी / शाखा नहीं है , इसलिए बैंक ने विदेशी नियामक की शर्तों को पूरा करने के लिए कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.

18.26 बैंक को बैंक बीमा कारोबार से रुपए 9.21 करोड (पिछले वर्ष ₹ 8.33 करोड) शुल्क / कमीशन के रुप में प्राप्त हुए.

18.27 बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना (एफ.आई.पी) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 299 गांवों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. 299 गांवों के एफ.आई.पी. प्रस्ताव के समक्ष, बैंक ने वर्ष 2010 - 11 के दौरान 310 गांवों को शामिल किया है, जिसमें से 303 गांव, कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के द्वारा और 7 गांव शाखा/ सेटिलाईट कार्यालय खोलने के माध्यम से शामिल किए गए.

Disclosure of Letter of Comforts (LOCs) issued by bank to a foreign regulator

Since the Bank does not have any subsidiary/branch in overseas, Bank has not issued any Letter of Comfort [LOC] to meet the requirement of foreign regulator.

Bank has received ₹.9.21 crore (Previous year ₹ 8.33 crores) as fees/commission from bancassurance business.

Bank has set a target to cover 299 villages with population above 2000 during 2010-11 under Financial Inclusion Plan (FIP). Against the FIP projection of 299 villages, Bank has covered 310 villages during 2010-11, out of which 303 villages have been covered through the Business Correspondents (BCs) model and 7 villages have been covered by opening of Branch / Satellite Offices.

18.28 जमा राशियों का केंद्रीकरण Concentration of Deposits

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
बीस बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाएं Total Deposits of twenty largest depositors	10,091.72
बैंक की कुल जमाओं में बीस बडी जमाओं का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest deposits to total deposits of the Bank	15.71%

18.29 अग्रिमों का केंद्रीकरण Concentration of Advances

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
बीस बडे अग्रिमों के कुल अग्रिम Total Advances of twenty largest Advances	10079.86
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस बडे अग्रिमों के अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances of twenty largest Advances to total Advance of the Bank	16.95%

18.30 ऋण का केंद्रीकरण Concentration of Exposure

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
बीस बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण Total Exposure of twenty largest borrowers/ customers	10163.10
उधाकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक के कुल ऋणों में बीस बडे उधारर्ताओं / ग्राहकों के ऋणों का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	12.97%

18.31 एन.पी.ए का केद्रीकरण Concentration of NPA

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
शीर्ष चार एन.पी.ए खातों के कुल ऋण Total Exposure to top four NPA Accounts	198.28

18.32 क्षेत्रवार एन.पी.ए Sector wise NPA

विवरण Particulars	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एन.पी.ए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया कलाप Agriculture & Allied activities	2.27
उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बडे उद्यम Industry (Micro & Small, Medium & large)	2.72
सेवाएं Services	5.01
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	0.77

अनुसूचियां SCHEDULES

18.33 एन.पी.ए में घटबढ Movement of NPAs

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
सकल एन.पी.ए(01 अप्रैल 2010 के अनुसार अथशेष) Gross NPA (Opening Balance as on 01st April, 2010)	641.99
वर्ष के दौरान जोडे गए (नए एन.पी.ए) Additions (Fresh NPA) during the year	758.69
उप - योग Sub Total A	1400.68
घटाएं Less:	
(i) उन्नयन Upgradations	171.12
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोडकर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	191.05
(iii) बट्टे खाते लिखे गए Write Offs	196.27
उप - योग Sub Total B	558.44
सकल एन.पी.ए (31 मार्च 2011 को इतिशेष) Gross NPA (Closing Balance as on 31st March, 2011)	842.24

18.34 विदेशी आस्तियां एन.पी.ए एवं राजस्व Overseas Assets NPA & Revenue

(₹. करोड़ में) (₹. in Crore)

विवरण Particulars	रकम Amount
कुल आस्तियां Total Assets	शून्य Nil
कुल एन.पी.ए Total NPAs	शून्य Nil
कुल राजस्व Total Revenue	शून्य Nil

18.35 बैंक ने किसी एस.पी.वी का प्रायोजन नहीं किया है.

18.36 बैंक ने 3 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु एप्लिकेशन सेवा प्रदाता (ए.एस.पी) के रुप में मे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस की सेवाएं ली हैं. भारत भर में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत गांवों को शामिल करने के लिए बैंक से सलाह लेते हुए मे. टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस (टी.सी.एस) ने बैंक की वित्तीय समावेशन योजना के लिए मे. सोसाइटी फॉर एजुकेश्नल वेल्फेयर एण्ड इकनोमिक डेवेलपमेंट (एस.ई.ई.डी) को कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के रुप में नियुक्त किया है. बैंक ने प्रौद्योगिकी प्रदाता के रुप में मेसर्स ए लिटिल वर्ल्ड (मे.ए.एल.डब्ल्यू) की सेवाएं ली हैं तथा दादरा एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में पाइलेट योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स जीरो माइक्रो फाइनेन्स एण्ड सेविंग्स सर्पोट फाउंडेशन (मे. इजेङ.एम.एफ) की सेवाएं ली हैं.

18.37 पिछले वर्ष के आंकडों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उन्हें पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत / पुर्नव्यवस्थित किया गया है.

18.35 Bank has not sponsored any SPVs.

18.36 The Bank has engaged M/s Tata Consultancy Services (M/s TCS) as the Application Service Provider (ASP) for implementation of FI Plan for a period of 3 years. M/s Society for Educational Welfare & Economic Development (SEED) has been engaged by M/s Tata Consultancy Services (TCS), as Business Correspondents (BC) for Bank's Financial Inclusion Project, in consultation with the Bank for covering the FI villages all over India. The Bank has engaged M/s A Little World (M/s ALW) as Technology Service Provider and M/s Zero Microfinance & Savings Support Foundation (M/s ZMF) for the implementation of the Pilot Project in the UT of Dadra & Nagar Haveli.

18.37 Previous year's figures have been regrouped/reclassified/re-arranged, wherever necessary, to make them comparable with the current year's figures.

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

1. हमने देना बैंक के 31 मार्च, 2011 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त अवधि के लाभ-हानि लेखों का लेखा-परीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाएं तथा 21 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियां भी शामिल हैं, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 885 शाखाएं तथा 289 शाखाएँ जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है. गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के अग्रिम कुल अग्रिमों के 2.00%, जमाराशियों के 8.65 %, ब्याजगत आय के 1.62% और ब्याजगत व्यय के 7.46% होते हैं. हमने तुलन पत्र के साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है. हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है.

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है. इन मानदंडों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका कार्यान्वयन इस प्रकार करें कि उसे ऐसा युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि ये वित्तीय विवरण किसी सारयुक्त सूचना से रहित नही हैं. लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर धनराशियों और वित्तीय विवरणों के प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण शामिल होता है. लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गये महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र रुप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतन का मूल्यांकन भी शामिल होता है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे इस मत का युक्तियुक्त आधार उपलब्ध कराती है.

3. तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमश फॉर्म "क" और "ख" में तैयार किए गए हैं.

4. ऊपर पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा अपेक्षित और उसमें यथा प्रकटन की सीमाओं की अपेक्षा के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा की टिप्पणियों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 18.1 में किए गए उल्लेख के अनुसार :-

क) अन्तर शाखा लेखों की प्रविष्टियों का प्रारंभिक मिलान 31 मार्च 2011 तक कर लिया गया है और उनके समायोजन की प्रक्रिया जारी है.

ख) अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों के संतुलन तथा उनके प्रधान बही से समाधान का कार्य कुछेक शाखाओं में जारी है.

ग) भुगतान के लिए देय मांग ड्राप्टों, बिना सूचना अदा किए गए ड्राप्टों, उचंत खातों, लाभांश ब्याज वारंटों, अदा किये गए वापसी आदेशों, समाशोधन समायोजन, सेवा शाखा एवं समाशोधन में भाग लेने वाली शाखाओं के बीच समाधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य बैंकों की जमाराशियों के खातों में बकाया प्रविष्टियां हैं, जिनका समाधान/समायोजन कार्य जारी है.

उपर्युक्त तथा अन्य प्रकटनों/अनुपातों पर भी इनके प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है.

5. अपने विचार को बदले बिना, हम वित्तीय विवरणियों के नोट सं.18.22(ई) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प फिर से दिए जाने और ग्रेच्युटी सीमाओं

1. We have audited the attached Balance Sheet of Dena Bank as at 31st March, 2011 and the Profit and Loss Account annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 20 branches and 21 Regional Offices audited by us, 885 branches audited by other auditors and 289 branches which were not subject to audit. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The unaudited branches account for 2.00% of advances, 8.65 % of deposits, 1.62 % of interest income and 7.46 % of interest expenses. We have also audited the cash flow statement annexed to the balance sheet for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express our opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms “A” and “B” respectively, of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 1 & 2 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that: as referred to in Note No.18.1 of Schedule 18 of Notes to Accounts: -

(a) Initial matching of entries in Inter-Branch Accounts has been done up to 31st March 2011 and the process of reconciliation is in progress,

(b) Balancing of subsidiary ledgers/registers and reconciliation with general ledgers is in progress at some branches,

(c) There are outstanding entries in the accounts of demand drafts payable, drafts paid ex-advice, suspense accounts, dividend / interest warrants, refund orders paid, clearing adjustments, reconciliation between the service branches and participating branches in respect of clearing, balances with Reserve Bank of India and other banks which are in the process of reconciliation / balancing / adjustments.

Impact of the above, as also on the other disclosures / ratios is not ascertained.

5. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note number 18.22 (e) to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 347.11 cr pursuant to exemption granted by the

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट REPORT OF THE AUDITORS TO THE PRESIDENT OF INDIA

में बढौतरी - दिनांक 09 फरवरी 2011 के विवेकपूर्ण विनियामक विवेचन पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डी.बी.ओ.डी सं. बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 द्वारा लेखांकन मानक (ए.एस 15) के प्रावधानों , कर्मचारी लाभ को लागू करने से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दी गई छूट को ध्यान में रखते हुए ₹ 347.11 करोड की बैंक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयताओं के स्थगन के बारे में उल्लेख किया गया है .

6. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

(i) लेखा टिप्पणियों एवं उसमें उल्लिखित अनुसूचियों के साथ पठित उपरोक्त 4 में दी गई हमारी टिप्पणियों की शर्त पर तथा हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के आधार पर तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एवं बैंक की बहियों में यथा प्रदर्शित

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र अपने आवश्यक ब्यौरों के साथ पूर्ण और सही हैं तथा इसे ऐसे उचित रुप से तैयार किया गया है कि उससे 31 मार्च 2011 को बैंक के कार्यकलापों का सही और स्पष्ट चित्र उपस्थित हो सके.

(ख) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ हानि लेखा 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ के वास्तविक अतिशेष को दर्शाता है.

(ग) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष की नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति दर्शाता है.

(ii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमने सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है.

(iii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं.

Reserve Bank of India to the Public Sector Banks from the application of Provisions of Accounting Standards (AS) 15, Employee Benefits vide its Circular No. DBOD.No. BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment dated 9th February, 2011.

6. We further report that:

(i) Subject to our comments in paragraphs 4 above, read with the Notes to Accounts and Schedules mentioned therein, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank:

(ii) The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and it is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2011.

(iii) The Profit and Loss Account read with the Significant Accounting Policies and the Notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March 2011.

(iv) The Cash Flow Statement gives the true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2011.

(ii) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

(iii) The transactions of the bank, which have come to our notice, have been within the powers of the bank.

डी. एल. रावल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **D.L. Rawal** Chairman & Mg. Director	**ए.के.दत्त** कार्यपालक निदेशक **A.K. Dutt** Executive Director	**डॉ .तरसेम चंद** निदेशक **Dr. Tarsem Chand** Director	**बी.पी. विजयेंद्र** निदेशक **B.P. Vijayendra** Director	**डॉ. प्रीतम सिंह** निदेशक **Dr. Pritam Singh** Director	**डॉ. सुनील गुप्ता** निदेशक **Dr. Sunil Gupta** Director
रोहित खन्ना निदेशक **Rohit Khanna** Director	**आई एम अल्मेडा** निदेशक **I M Almeida** Director	**आर. एम. टिकू** मुख्य प्रबंधक **R. M.Tiku** Chief Manager	**जी.सी. गर्ग** उप महाप्रबंधक **G. C. Garg** Dy. Gen. Manager	**एस.के.जैन** महाप्रबंधक **S. K. Jain** General Manager	

हमारी संलग्न समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार As per our separate report of even date attached

कृते मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार For M/s. Gokhale & Sathe Chartered Accountants **केदार ए. मेहेन्दले** Kedar Mehendale भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 116065)	**कृते बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार For B. K Khare & Co. Chartered Accountants **संतोष परब** Santosh Parab भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 047942)	**कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार For Gandhi Minocha & Co. Chartered Accountants **अजय कत्याल** Ajay Katyal भागीदार Partner (एम.नं. M.No. 087915)	**कृते पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार For P K Chopra & Co. Chartered Accountants **के. एस. पोन्नुस्वामी** K.S. Ponnuswami भागीदार Partner (एम. नं. M.No. 070276)	**कृते अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार For Avanish K Rastogi & Associates Chartered Accountants **यशपाल शर्मा** Yashpal Sharma भागीदार Partner (एम नं. M.No. 404939)	**कृते एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार For S. C. Bapna & Associates Chartered Accountants **एस. सी बापना** S. C. Bapna भागीदार Partner (एम नं. M.No. 071765)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 29 अप्रैल, 2011 Place: Mumbai, Date: 29th April, 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(000 को छोड़ दिया है '000s omitted)

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010	
	₹	₹	₹	₹
भाग - I परिचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Part - I Cash flow from operating activities				
कर के पश्चात् निवल लाभ Net profit after tax		6116298		5112531
ज़ोड़ें / (घटाएं) - गैर-नकदी मदें और अन्यत्र विचारित मदें				
Add / (Less) - Non-cash items and items considered seperately				
(1) स्थिर आस्थियों पर अवक्षयण Depreciation on fixed assets	305512		276088	
(2) स्थिर आस्तियों की बिक्री से लाभ (+) / हानि (-) Profit (-) / Loss (+) on sale of fixed assets	(3831)		5015	
(3) विनिधानों पर अदा किये गये प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium paid on Investments	282813		333526	
(4) साफ्टवेयर व्ययों का परिशोधन Amortisation of software expenses	28611		24875	
(5) दीर्घावधि ऋणों पर अदा ब्याज Interest paid on long-term loans	1447206		1486396	
(6) प्रावधान और आकस्मिकताएं Provision & Contingencies	3251853		1537826	
(7) आयकर एवं डी.टी.एल. के लिए प्रावधान Provision for Income Tax & DTL	2864300		1752900	
(8) संपत्ति कर प्रावधान Provision for Wealth tax	4108		2500	
(9) अनुषंगी लाभ कर हेतु प्रावधान Provision for Fringe Benefit Tax	1304		22	
(10) अवकाश नकदीकरण बीमांकित मूल्यन Leave Encashment Actuarial valuation	174200		97300	
(11) बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान Provision for Sick Leave	37800		38300	
(12) सिल्वर जुबिली माइल स्टोन अवार्ड के लिए प्रावधान Provision For Silver Jubilee Milestone Award	(5100)		(200)	
(13) अवकाश किराया रियायत के लिए प्रावधान Provision for LFC	(32000)		21000	
(14) पुनर्वास सेवा के लिए प्रावधान Provision for Resettlement Service	800		2800	
(15) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान Provision for Wage Revision	0		700000	
		8355976		6268318
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ Operating profit before Working capital changes		14472274		11380849
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के लिए समायोजन:				
Adjustments for working capital changes :				
(1) विनिधानों में (वृद्धि)/कमी(Increase)/Decrease in Investments	(31505785)		(32806190)	
(2) अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Advances	(96380368)		(66919720)	
(3) अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase)/Decrease in Other Assets	(4674872)		(567384)	
(4) जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Deposits	128653431		82936618	
(5) उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)(वित्तीय क्रिया कलापों के सिवाय) Increase/(Decrease) in Borrowings (Excluding Financing Activities)	1297442		(62118)	
(6) अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities	(8386848)		1492786	
		(10997000)		(15926008)
परिचालन जनित नकदी Cash Generated from operations		3475274		(4545159)
आयकर वापसी/(भुगतान किया गया प्रत्यक्ष कर) Income tax refund / (Direct tax Paid)		(3382432)		(1785050)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash flow from operating activities		92842		(6330209)

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(000 को छोड़ दिया है '000s omitted)

	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011		31.03.2010 की स्थिति के अनुसार As at 31.03.2010	
	₹	₹	₹	₹
भाग II - विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Part II - Cash flow from investing activities				
सहायक और/ या संयुक्त उद्यमों में निवेश Investments in Subsidiaries and/or Joint ventures	0		0	
अचल संपत्तियों का क्रय (अमूर्त संपत्ति भी शामिल) Purchase of fixed assets (Incl. intangible)	(429665)		(474980)	
अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of fixed assets	7387		19624	
निर्माण के तहत भवन Building under construction	676		(1295)	
विनिधान गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी Net Cash used in Investment activities		**(421602)**		**(456651)**
परिचालन और विनिधान गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash flow from operating and Investing activities		**(328760)**		**(6786860)**
भाग III - वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Part III - Cash flow from financing activities				
ली गई ईक्विटी Equity raised	465659		0	
शेयर प्रीमियम Share Premium	4924341		0	
लिया गया आईपीडीआई/ गौण ऋण IPDI/ Sub ordinated debts raised	0		1250000	
भुगतान किया गया लाभांश Dividend Paid	(671138)		(402683)	
दीर्घावधि ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज Interest paid on long-term loan	(1447206)		(1486396)	
वित्तीय गतिविधियों में विनियोजित निवल नकदी Net Cash used in Financing activities		**3271656**		**(639079)**
नकदी और नकदी सममूल्य में निवल वृद्धि/कमी Net increase/decrease in cash and cash equivalents		**2942896**		**(7425939)**
नकदी और नकद सममूल्य (अथ शेष) Cash and Cash equivalents (Opening)	**51145209**		**58571148**	
नकदी और नकदी सममूल्य (इति शेष) Cash and Cash equivalents (Closing)	54088105		51145209	
नकदी एवं नकदी सममूल्य के अथ शेष एवं इति शेष में अंतर Difference in opening and closing cash and cash equivalents		**2942896**		**(7425939)**

(डी.एल.रावल)	(ए.के. दत्त)	(एस.के. जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	महा प्रबंधक
(D.L. Rawal)	**(A. K. Dutt)**	**(S.K. Jain)**
Chairman & Managing Director	Executive Director	General Manager

लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र AUDITOR'S CERTIFICATE

हमने देना बैंक, मुम्बई के 31.03. 2011 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की जाँच की है. बैंक द्वारा तैयार किया गया यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीबद्धता करार (खंड-32) की अपेक्षाओं के अनुरुप तैयार किया गया है तथा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट में समाविष्ट बैंक के तदनुरुपी लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र पर आधारित है और उसके अनुरुप है.

We have examined the above Cash Flow Statement of Dena Bank for the year ended 31.03.2011. The statement has been prepared by the B ank in accordance with requirements of the Listing Agreements (Clause 32) with Stock Exchanges & is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss account and Balance Sheet of the Bank covered by our Audit Report of even date to the President of India.

कृते मे. गोखले एण्ड साठे सनदी लेखाकार	**कृते बी. के. खरे एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते गांधी मिनोचा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते पी. के. चोपडा एण्ड कं.** सनदी लेखाकार	**कृते अवनीश के. रस्तोगी एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार	**कृते एस. सी. बापना एण्ड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार
For M/s. Gokhale & Sathe	For B. K Khare & Co.	For Gandhi Minocha & Co.	For P K Chopra & Co.	For Avanish K Rastogi & Associates	For S. C. Bapna & Associates
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
केदार ए. मेहेन्दले	**संतोष परब**	**अजय कत्याल**	**के. एस. पोन्नुस्वामी**	**यशपाल शर्मा**	**एस. सी बापना**
Kedar Mehendale	Santosh Parab	Ajay Katyal	K.S. Ponnuswami	Yashpal Sharma	S. C. Bapna
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
(एम.नं. M.No. 116065)	(एम. नं. M.No. 047942)	(एम.नं. M.No. 087915)	(एम. नं. M.No. 070276)	(एम नं. M.No. 404939)	(एम नं. M.No. 071765)

स्थान: मुंबई, दिनांक: 29 अप्रैल, 2011 Place: Mumbai, Date: 29th April, 2011

निवेशक संपर्क केद्र, देना कार्पोरेट सेंटर
सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051

दिनांक : मई 25, 2011

प्रिय शेयरधारक,

विषयः कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने यह स्पष्ट करते हुए " कार्पोरेट अभिशासन में पर्यावरण सुरक्षा के लिए उपाय " किए हैं (परिपत्र संख्या 17/2001 दिनांक 21 4 2011 तथा परिपत्र संख्या 18/2011 दिनांक 29.4.2011) कि यदि कंपनी अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस / दस्तावेज भेजती है तो यह माना जाएगा कि उसने कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अनुपालन किया है.

बैंक इस उपाय का समर्थन करता है और तदनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से वह बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वार्षिक सामान्य सभा आयोजित करने की सूचना शामिल रहती है, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियां, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि तथा अन्य सूचनाएं एवं दस्तावेज शेयरधारकों को उनके संबंधित डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत एवं बैंक को उपलब्ध कराये गये ई मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने का प्रस्ताव रखता है.

यदि शेयरधारक उपर्युक्त दस्तावेज भौतिक / कागजी रूप में प्राप्त करना चाहता है, तो आपसे निवेदन है कि denabank@shareproservices.com को एक ई मेल भेजें और बैंक इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा. कृपया नोट करें कि आपसे मांग प्राप्त होने पर, शेयरधारक के रूप में आप उक्त सभी दस्तावेज निशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार हैं. तथापि, शेयरधारकों द्वारा डाउनलोड करने के लिए उक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.denabank.com पर भी उपलब्ध होंगे.

जिन शेयरधारकों के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने ई मेल आई डी अपने डिपाजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं करवाया है और वे वार्षिक रिपोर्ट ई - मेल द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के पास अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा लें.

यदि शेयरधारकों के शेयर कागजी रूप में हैं और वे वार्षिक रिपोर्ट ई- मेल से प्राप्त करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित फार्मेट भरकर हस्ताक्षर करके हमारे रजिस्ट्रार को भेजे.

हमें विश्वास है कि आप सरकार द्वारा उठाये गये इस उपाय का समर्थन करेंगे और हमारे पर्यावरण की रक्षा में हम आपके सहयोग की कामना करते हैं.

धन्यवाद

कृते देना बैंक

एस.के.जैन
महा प्रबंधक (लेखा / नि.सं.कें.)

बैंक के पास ई मेल आई डी का पंजीकरण

(कागजी रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों के लिए)

शेयरप्रो सर्विसेज़ (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
यूनिटः देना बैंक
13 ए बी, संहिता वेरहाउसिंग कांप्लेक्स
दूसरी मंजिल, साकीनाका टेलीफोन एक्सेंज के पास
अंधेरी-कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी (पू), मुंबई - 400 072

प्रिय महोदय

मुझे / हमें इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से दस्तावेज भेजने हेतु नीचे दिया गया मेरा / हमारा ई मेल आई डी बैंक में पंजीकृत करें. यदि ई मेल आई डी में कोई परिवर्तन हो तो मैं / हम आपको तुरंत सूचित करेंगे.

ई मेल आई डी : ____________________

फोलियो संख्या . ________________________

शेयरधार के हस्ताक्षर

* यदि शेयर संयुक्त नाम में रखे गये हैं तो उक्त पर्ची पर पहले शेयर धारक का हस्ताक्षर पर्याप्त है.

Investor Relation Centre, Dena Corporate Centre,
C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Date: May 25, 2011

Dear Shareholder,

Sub: Green Initiative in Corporate Governance

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" (Circular No.17/2011 dated 21.04.2011 and Circular No.18/2011 dated 29.04.2011) clarifying that a Company would have complied with the provisions of the Companies Act 1956 if, service of notices / documents on its shareholders is made through electronic mode.

The Bank supports this initiative and accordingly, from the financial year 2011-12, it proposes to send documents such as, Annual Report of the Bank which will include Notice convening the Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report, etc. and other notices and documents, henceforth to the shareholders in electronic form at the E-mail addresses registered by them with their respective depositories and made available to the Bank by them.

In case the shareholder prefers to receive the above mentioned documents in physical / paper form, you are requested to send an email to denabank@shareproservices.com and Bank shall do the needful. Please note that as a shareholder, you will be entitled to receive all these documents free of cost, upon receipt of a requisition from you. However, these documents will also be available on the Bank's website www.denabank.com for download by the shareholders.

The shareholders holding shares in electronic form but have not yet registered their E-mail id with their depository participants and desire to receive the Annual Report by E-mail are requested to register their E-mail id with their respective depository participants.

In case of shareholders holding shares in physical form and desire to receive the Annual Report by E-mail, shall fill up and signed the format given below and forward it to our Registrar.

We are sure you will support this initiative taken by the Government and look forward to your co-operation in the protection of our environment.

Thanking you,

For Dena Bank

S. K. Jain
General Manager
(Accounts / IRC)

Registration of E-mail id with the Bank

(For shareholders holding shares in physical form)

Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.
Unit: Dena Bank
13 A B, Samhita Warehousing Complex,
2nd Floor, Near Sakinaka Telephone Exchange,
Andheri-Kurla Road, Sakinaka, Andheri (E), Mumbai -400 072

Dear Sir,

Please register my / our Email id with the bank as mentioned herein below for serving documents through Electronic mode to me / us. If there is a change in the Email id, I / We will promptly communicate the same to you.

Email id : ____________________________________

Folio No. __________________________

Signature(s) of the Shareholder*_________________________

*If shares are held jointly first shareholder's sign on the aforesaid slip is essential.

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय : देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.

रजि. फोलियो नं --

(यदि बेकागजीकृत नहीं है)

डीपी आईडी नं. --

ग्राहक आई डी नं. --

(यदि बेकागजीकृत है)

फार्म बी

मुख्तारी(प्रॉक्सी) फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा व हस्ताक्षर किया जाना है)

मैं / हम --राज्य के -- जिले में स्थित -- का / के निवासी देना बैंक का / के शेयरधारक / शेयरधारकों के रूप में एतद्द्वारा --जिले में स्थित-- का / के निवासी श्री/श्रीमती -- को अथवा उसकी अनुपस्थिति में -- राज्य के -- जिले में स्थित -- का /के निवासी श्री / श्रीमती -- को **देना बैंक** की सोमवार, 18 जुलाई, 2011 को अपराह्ना 3.00 बजे सभागृह, सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में आयोजित होने वाली शेयरधारकों की पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा और उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित सभा में मेरे / हमारे लिए तथा मेरी / हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना मुख्तारी नियुक्त करता हूं / करते हैं.

इस पर --------------------- 2011 के --------------------- दिन हस्ताक्षर किए.

कृपया
रुपया 1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

____

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

____

मुख्तारी के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ______________________________

पता ______________________________

____

____

मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुति करने हेतु अनुदेश :

1. मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब,
   (क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में वह उसके द्वारा या उसके / उसकी अटर्नी द्वारा लिखित रुप में विधिवत् हस्ताक्षरित किया हो,
   (ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्यता रजिस्टर में प्रथम नामित द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत उसके / उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो,
   (ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रुप में विधिवत् प्राधिकृत अर्टनी द्वारा हस्ताक्षरित हो.
2. ऐसे मुख्तारी लिखत, जिनपर शेयरधारकों के हस्ताक्षरों की छाप है, तभी वैध होंगे जब वे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्यूरेंस के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी सरकारी राजपत्रित अधिकारी या देना बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो.
3. मुख्तारी के साथ
   (क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए हों,
   (ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की एक प्रति पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 13 जुलाई, 2011 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले कंपनी सचिव, निवेशक संपर्क केंद्र, देना बैंक, प्रधान कार्यालय, देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में जमा की जानी चाहिए.
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा देना बैंक अथवा उसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामों की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए.
5. कोई भी मुख्तारी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित न हो.
6. बैठक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी.
7. दो अनुदान - ग्राहियों के पक्ष में वैकल्पिक रुप से प्रदत्त मुख्तारी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं होगा.
8. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रुप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो.
9. देना बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा.

देना बैंक
DENA BANK

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

Regd. Folio No. ______________________
(If not dematerialised)
D.P. ID No. ______________________
Client ID No. ______________________
(If dematerialised)

FORM B

PROXY FORM

(to be filled in and signed by the Shareholder)

I/We ______________________ resident/s of ______________________ in the district of ______________ in the state of______________ being a shareholder/shareholder(s) of DENA BANK, Mumbai hereby appoint Shri/Smt.______________________ resident of ______________ in the district of ______________________ ____________ in the state of ______________or failing him /her, Shri/Smt. ______________________ ____________ resident of ______________________ in the district of ______________ in the state of ______________ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of **DENA BANK** to be held on Monday, 18th July, 2011 at 3.00 P.M. at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers' Training College, J.V.P.D. Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056, and at any adjournment thereof.

Please Affix
Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signed this ________ day of ____________ 2011.

____
Signature of first named/sole shareholder

NAME (IN BLOCK LETTERS) ______________________

ADDRESS ______________________
____
____

____
Signature of the Proxy

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   (a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her attorney duly authorised in writing,
   (b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register or his/her attorney duly authorised in writing,
   (c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Dena Bank.
3. The Proxy together with
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with the Company Secretary, Dena Bank, Investor Relations Centre, Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Not later than FOUR DAYS before the date of the Fifteenth Annual General Meeting i.e. on or before the close of office hours on 13th July, 2011.
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Dena Bank or its Share Transfer Agents, the registration number of the power of attorney and the date of registration may be mentioned.
5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
6. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder, who has executed an instrument of proxy, shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Dena Bank.

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा 2011 के लिए उपस्थिति पर्ची

ATTENDANCE SLIP FOR FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING 2011

(सभा स्थल पर प्रस्तुत की जानी है)

(to be surrendered at the venue of the meeting)

मैं प्रमाणित करता हूं / करती हूं कि मैं देना बैंक का पंजीकृत शेयरधारक (धारकों) के लिए पंजीकृत शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि हूं.

I certify that I am a registered shareholder/ proxy/ representative for the registered shareholder(s) of DENA BANK.

मैं एतद्द्वारा, सोमवार 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे सर सोराबजी पोचखानावाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जे.वी.पी.डी. स्कीम, कूपर अस्पताल के पास, विलेपार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400 056 में देना बैंक के शेयरधारकों की पंद्रहवीं सामान्य सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूं.

I hereby record my presence at the Fifteenth Annual General Meeting of the shareholders of Dena Bank at Auditorium, Sir Sorabji Pochkhanawala Bankers Training College, J.V.P.D Scheme, Near Cooper Hospital, Vile Parle (West), Mumbai - 400 056 on Monday, 18th July, 2011 at 3.00 P.M.

शेयरधारक का नाम और पता
Name and Address of the Shareholder

रजि. फोलियो नं . ____________________
(यदि बेकागजीकृत न हो)
Regd. Folio No.
(if not dematerilised)

डीपी आईडी नं. ____________________
DP I D No.

ग्राहक आई डी नं.
(यदि बेकागजीकृत हो) ____________________
Client I D No.
(if dematerilised)

सभा में उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative attending the meeting

यदि शेयरधारक हैं तो कृपया यहां हस्ताक्षर करें	यदि प्रॉक्सी/प्रतिनिधि हैं तो कृपया यहां हस्ताक्षर करें
If, Shareholder, please sign here	If Proxy/ Representative, please sign here

---

देना बैंक
DENA BANK

प्रधान कार्यालय: देना कॉर्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

Head Office: Dena Corporate Centre, C-10, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051

पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य सभा 2011 के लिए प्रवेश पत्र

ENTRY PASS FOR FIFTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING 2011

(सभा में पूरे वक्त साथ रखा जाए)/(to be retained throughout the meeting)

शेयरधारक का नाम और पता
Name and Address of the Shareholder

रजि. फोलियो नं . ____________________
(यदि बेकागजीकृत न हो)
Regd. Folio No.
(if not dematerilised)

डीपी आईडी नं. ____________________
DP I D No.

ग्राहक आई डी नं.
(यदि बेकागजीकृत हो) ____________________
Client I D No.
(if dematerilised)

शेयरधारकों / प्रॉक्सी अथवा शेयरधारक / कों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि सभागृह में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र के साथ बैंक में पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षरों के अनुरुप उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची विधिवत हस्ताक्षर करें. हालांकि, सभागृह में प्रवेश सत्यापन / जांच, जो भी आवश्यक हो, की शर्त पर करने दिया जाएगा, किन्तु किसी भी हालत में सभागृह में प्रवेश के लिए कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

Shareholders/proxy or representative of shareholder(s) are requested to produce the above attendance slip duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass for admission to the meeting hall. The admission will however be subject to verification/checks as may be deemed necessary, under no circumstances any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting hall.

डिपॉजिटरी सेवाएं:

प्रिय शेयरधारक,

आपका बैंक अपने ग्राहकों को 23.12.1997 से डिपॉजिटरी सेवाओं की पूरी शृंखला प्रदान करते हुए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटीरी लिमिटेड (एन एस डी एल) के डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) में पंजीकृत है.

पूंजी बाजार शाखा, मुंबई डीपी शाखा है जो एनएसडीएल से इलेक्ट्रनिकी रूप से जुडा हुआ है. बैंक ने अपने ग्राहकों को डिपॉजिटीरी सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रमुख पहल के भाग के रूप में विभिन्न केंद्रों पर निम्नलिखित निर्धारित 90 शाखाओं में डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान की है:

		मुंबई			
1) भाट बाजार	8) शेयर बाजार	15) खोडादाद सर्किल	22) जोगेश्वरी (पूर्व)	29) ट्राम्बे	36) भायंदर (पश्चिम)
2) गुलालवाडी	9) वरली	16) अंधेरी (पश्चिम)	23) जुहू विले पार्ले	30) विले पार्ले (पूर्व)	37) कल्यान
3) नागदेवी स्ट्रीट	10) गणेश मार्केट , लालबाग	17) बांद्रा	24) कांदीवली (पश्चिम)	31) विले पार्ले (पश्चिम)	38) पालघर
4) परेल	11) सन मिल कम्पाउंड	18) बोरीवली (पश्चिम)	25) मनीष नगर - अंधेरी (प.)	32) बोरीवली (पश्चिम) -योगीनगर	39) पनवेल
5) पेडर रोड	12)न्यू मरीन लाइन्स	19) बोरीवली (पूर्व)	26) मुलुंड (पश्चिम)	33) चारकोप	40) विरार (पश्चिम)
6) सचिवालय कॉर्नर	13) प्रभादेवी	20) दहीसर (पूर्व)	27) मुलुंड (पूर्व)	34) ठाणे	41) वाशी - नवी मुंबई
7) सेंडहर्स्ट ब्रिड्ज	14) पूंजी बाजार शाखा, मुंबई	21) घाटकोपर (पूर्व)	28) सांताक्रूझ (पश्चिम)	35) मेइन रोड उल्हासनगर	42) भायंदर (पूर्व)
			अहमदाबाद		43) खारघर
1) आश्रम रोड, अहमदाबाद	2) नेहरु नगर (अम्बावाडी)	3) एलिस ब्रिज	4) नवरंगपुरा		
		सूरत			
1) नवसारी	2) नानपुरा	3) रामनगर	4) विशाल नगर सूरत		
		दिल्ली			
1) कनाट सर्कस	2) करोल बाग	3) नेहरु प्लेस	4) राजेंद्र प्लेस	5) स्कोप कॉम्प्लेक्स	
		जयपुर			
1) एम जी वी खन्ना मार्ग	2) अम्बावाडी	3)हल्दियों - का - रस्ता			
		चैन्नै			
1) अल्वारपेट	2) हेमिल्टन ब्रिज	3) माउंट रोड			
		कोलकाता			
1) ब्राबोर्न रोड - कोलकाता	2) मानिकतल्ला - कोलकाता	3) पार्क स्ट्रीट - कोलकाता	4) पटना		
		भावनगर			
1) खारगेट भावनगर	2) सुरेंद्रनगर	3) अमरेली	4) तख्तेश्वर - भावनगर		
भुज 1) गांधीधाम					
		गांधीनगर			
1) सेक्टर 22	2) मोडासा	3) सेक्टर 16			
		मेहसाणा			
1) डीसा	2) पालनपुर	3) हाइवे रोड - मेहसाणा			
		पुणे			
1) भवानी पेठ - पुणे	2) डेक्कन जिमखाना - पुणे				
		राजकोट			
1) जगनाथ प्लॉट - राजकोट	2) एन.मोदी रोड - पोरबंदर	3) नेहरु गेट, मोरबी	4) रेस कोर्स रोड - राजकोट		
		वडोदरा			
1) दुमराल बाजार - नडियाद	2) अलकापुरी	3) स्टेशन रोड - भारुछ	4) वी.आई.पी. रोड वडोदरा		

शेयरधारक, जो डिपॉजिटरी प्रणाली में प्रवेश लेकर इलेक्ट्रानिक फॉर्म में अपनी शेयरधारिता रखना चाहते हैं, बैंक की उपर्युक्त किसी भी निर्धारित शाखा में खाता खोल सकते हैं.

बैंक अपनी निर्धारित शाखाओं के माध्यम से डिपॉजिटरी सेवाओं की पूरी शृंखला प्रदान करता है जिसमें सीधा आईडीईएएस (इंटरनेट आधारित डीमेट खाता विवरणी) शामिल है जो ऐसे खाताधारकों के लिए एक सुविधा है जो बैंक में अपना खाता खोलते हैं और खाता खोलने के फॉर्म में अपना ई मेल पता का उल्लेख करते हैं. एनएसडीएल, खाताधारक को उसके द्वारा दिये गये ई मेल पते पर प्रत्यक्ष आईडीईएएस हेतु लिंक के साथ ई मेल भेजेगा. इससे खाता धारक को इंटरनेट के माध्यम से अपने अद्यतन जमा शेष एवं उनके डिपॉजिटरी खातों में पिछले 5 दिन में हुए लेनदेन जानने की सुविधा मिलेगी.

शेयरधारकों से निवेदन है कि वे यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या एसएसडीएल/पॉलिसी/2006/0007 दिनांक 3 मार्च 2006 द्वारा सभी वर्गों के डीमेट खाताधारकों के लिए जिनमें नाबालिग, न्यास, विदेशी निगमित निकाय, बैंकों, कार्पोरेट, विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीय शामिल हैं, के लिए 1 अप्रैल 2006 से पीएएन (PAN) अनिवार्य किया है. किसी भी शेयरधारक जो निर्धारित शाखाओं के माध्यम से बैंक में डीमेट खाता खोलना चाहता है, के पास खाता खोलने हेतु पीएएन होना चाहिए.

शेयरधारकों जो और सूचना / स्पष्टीकरण जानने के लिए इच्छुक हैं, शाखा प्रबंधक, देना बैंक, पूंजी बाजार शाखा, 17-बी, हार्निमन सर्कल, फोर्ट. मुंबई 400023 से दूरभाष संख्या 022-22661206, टेलीफेक्स: 022-22694426 पर या किसी निर्धारित शाखा के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.

DEPOSITORY SERVICES

Dear Shareholder,

Depository Services

Your Bank is registered with Securities & Exchange Board of India (SEBI) as a Depository Participant (DP) of National Securities Depository Limited (NSDL) offering full range of depository services since 23/12/1997 to its customers.

Capital Market Branch, Mumbai.is the DP Branch which is electronically connected to NSDL. As a part of major initiative to provide the Depository services to its customers, Bank has extended the Depository services at the following 90 identified Branches at various centers :

MUMBAI

1) Bhat Bazar	8) Share Bazar	15) Khodadad Circle	22) Jogeshwari (East)	29) Trombay	36) Bhayandar (West)
2) Gulalwadi	9) Worli	16) Andheri (W)	23) Juhu Vile Parle	30) Vile Parle (East)	37) Kalyan
3) Nagdevi Street	10) Ganesh Market, Lalbaug	17) Bandra	24) Kandivli (West)	31) Vile Parle (West)	38) Palghar
4) Parel	11) Sun Mill Compound	18) Borivli (West)	25) Manish Nagar - Andheri(W)	32) Borivli (West) -Yoginagar	39) Panvel
5) Pedder Road	12) New Marine Lines	19) Borivli (E)	26) Mulund (West)	33) Charkop	40) Virar (West)
6) Sachivalaya Corner	13) Prabhadevi	20) Dahisar (E)	27) Mulund (East)	34) Thane	41) Vashi - New Bombay
7) Sandhurst Bridge	14) Capital Market Br Mumbai	21) Ghatkopar (E)	28) Santacruz (West)	35) Main Road Ulhasnagar	42) Bhayandar (East)
					43) Kharghar

AHMEDABAD				
1) Ashram Road, Ahmedabad	2) Nehru Nagar (Ambawadi)	3) Ellis Bridge	4) Navrangpura	
SURAT				
1) Navsari	2) Nanpura	3) Ramnagar	4) Vishal Nagar Surat	
DELHI				
1) Connaught Circus	2) Karol Baug	3) Nehru Place	4) Rajendra Place	5) Scope Complex
JAIPUR				
1) Mj V Khanna Marg	2) Ambawadi	3) Haldio-Ka-Rasta		
CHENNAI				
1) Alwarpet,	2) Hamilton Bridge	3) Mount Road		
KOLKATA				
1) Brabourne Road - Kolkata	2) Maniktalla - Kolkata	3) Park Street - Kolkata	4) Patna	
BHAVANAGAR				
1) Khargate Bhavnagar	2) Surendranagar	3) Amreli	4) Takhteshwar_bhavnagar	
BHUJ				
1) Gandhidham	Gandhinagar			
GANDHINAGAR				
1) Sector 22	2) Modasa	3) Sector 16		
MEHSANA				
1) Deesa	2) Palanpur	3) Highway Road - Mehsana	4) Unjha	
PUNE				
1) Bhavani Peth - Pune	2) Deccan Gymkhana - Pune	3) Pune - Camp	4) Swargate - Pune	5) Shivaji Housing Sty.-Pune
RAJKOT				
1) Jagnath Plot - Rajkot	2) N. Mody Road - Porbandar	3) Nehru Gate, Morbi	4) Race Course Road - Rajkot	
VADODARA				
1) Dumral Bazar - Nadiad	2) Alkapuri	3) Station Road - Bharuch	4) Vip Road Vadodara	

Shareholders who wish to maintain their shareholding in the electronic form by joining the depository system, may open an account with the Bank at any of the above identified Branches

Bank through the identified Branches is offering the full range of depository services including Direct IDeAS (Internet based demat account statement) a facility available to the account holders who open the account with the Bank and mention their Email Address in the account opening form. NSDL will send an Email to the account holder on the email address provided with a link for registration under Direct IDeAS. This facilitates the account holder to know through Internet the latest balances and transaction that have taken place in last 5 days in their depository accounts.

The Shareholders are requested to note that the SEBI vide its circular No.NSDL/POLICY/2006/0007 dated 3rd March, 2006 has made PAN a mandatory requirement w.e.f. 1st April, 2006 for all categories of demat account holders including minor,Trust, Foreign Corporate Body, Banks, Corporate, FIIs and NRIs. Any Shareholder who wish to open Demat account with the Bank through the identified Branches should have PAN number for opening the Account.

Shareholders interested in any further information /clarification, may contact the Branch Manager, Dena Bank, Capital Market Branch, 17-B, Horniman Circle, Fort, Mumbai- 400 023. Tel: 022- 22661206 Telefax: 022- 22694426 or Branch Manager of any of the identified Branches.

स्मरणीय पल

MEMORABLE MOMENTS

श्री डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारिका में दिनांक 28.10.10 को देना बैंक की नई शाखा का उद्‌घाटन करते हुए. उनके साथ दृष्टव्य हैं श्री पबुआ मानेक, एम.एल.ए, जामनगर और संत महंत.

Shri D.L. Rawal, CMD, Dena Bank, inaugurating Dena Bank's New Branch at Dwarka on 28.10.10. Also seen alongside is Shri Pabua Manek, MLA, Jamnagar & Saint Mahant.

देना बैंक ने दिनांक 08.03.11 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 12 महिला कबड्डी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के आधार पर शामिल किया है. चित्र में श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा श्री. ए.के. दत्त, कार्यपालक निदेशक, देना बैंक, सुश्री रजनी दांडेकर, केम्लिन लिमिटेड की विपणन सलाहकार (सम्मानित अतिथि) तथा श्री एम. के. जैन, महाप्रबंधक, देना बैंक, कबड्डी खिलाड़ियों के साथ दृष्टव्य हैं.

As a part of International Women's Day celebration on 08.03.11, Dena Bank inducted 12 women Kabaddi players on scholarship basis. Seen in the picture, Shri. D.L. Rawal, CMD and Shri A. K. Dutt, E.D. Dena Bank, Ms Rajani Dandekar, Marketing Advisor Camlin Ltd. (Guest of Honour), Shri M.K. Jain, GM, Dena Bank alongwith Kabaddi Players.

सुश्री ममता प्रभु, प्रबंधक, देना बैंक को नई दिल्ली में आयोजित 19 वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट निष्पादन एवं रजत पदक जीतने के लिए श्री. डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा 19.10.10 को सम्मानित किया गया. साथ में दृष्टव्य श्री. ए.के. दत्त, कार्यपालक निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालक गण.

Ms. Mamata Prabhu, Manager, Dena Bank, was felicitated at the hands of Shri D.L. Rawal, CMD on 19.10.10, for her outstanding performance and winning Silver Medal at the 19th Common Wealth Games held at New Delhi. Seen alongside Shri A.K. Dutt, ED and other Senior Executives of the Bank.

वित्तीय सहायता

FINANCIAL ASSISTANCE

देना बैंक ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रियायती दर पर ऋण देने के लिए नई दिल्ली में दिनांक 26.02.2011 को डी.आर.आई. कैम्प का आयोजन किया. श्री संदीप घोष, क्षेत्रीय निदेशक, भा.रि. बैंक लाभार्थियों को ऋण देते हुए. उनके साथ हैं श्री ए.सी. कत्याल, उप महाप्रबंधक, देना बैंक.

Dena Bank organised a DRI Camp in New Delhi on 26.02.2011 for giving loans to people living below the poverty line at concessional rate of interest. Shri Sandip Ghosh, Regional Director, RBI giving away the loans to the beneficiaries. Also seen alongside is Shri A.C. Katial, DGM, Dena Bank.

देना बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री एस.पी. कोहली महिला दिवस के अवसर पर स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को ऋण वितरित करते हुए.

Shri S.P. Kohli, Chairman, Durg Rajanandgaon Grameen Bank, RRB sponsored by Dena Bank, distributing the loans to women beneficiaries of Self Help Group on the occasion of Women's Day.

भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत श्री ए.के.दत्त, कार्यपालक निदेशक, देना बैंक, दत्ली गांव, नाशिक के ग्रामीणों को ''स्वाभिमान'' कार्ड का वितरण करते हुए.

Under the Financial Inclusion program of Government of India, Shri A.K. Dutt, Executive Director, Dena Bank, distributing the "SWABHIMAN" Cards to Villagers from Datli Village, Nashik.

देना बैंक कच्छ जिले के पगाडिया मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करनेवाला पहला बैंक है. मछुआरों के लिए विशेष रुप से तैयार की गई विशिष्ट योजना के अंतर्गत बैंक उन्हें बाईसाइकल, फिशनेट और वजन तोलने की मशीन प्रदान करता है. चित्र में लाभार्थियों के साथ दृष्टव्य हैं देना बैंक के अधिकारीगण.

Dena Bank is the First Bank to extend Financial Support to the Pagadia Fishermen in Kutch district. Under a special finance Scheme designed for the fishermen, Bank provides them a Bicycle, Fishnet and a Weighing Machine. Seen in the picture are the beneficiaries alongwith the officers of Dena Bank.

श्री अर्जुन भाई, जुलाहा, श्री डी.एल. रावल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, देना बैंक को हाथ से बुनी ऊनी शाल दिखा रहे हैं जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था. इस यूनिट का वित्तीयन देना बैंक की माधापुर शाखा द्वारा किया जा रहा है. साथ में दृष्टव्य हैं श्री सुशील कुमार, सहायक महाप्रबंधक, देना बैंक.

Shri Arjun Bhai the weaver showing a handwoven woolen shawl to Shri D.L. Rawal, CMD, Dena Bank, for which he had received the National Award. The unit is financed by Dena Bank's Madhapar Branch. Also seen Shri Sushil Kumar, AGM, Dena Bank.

अब
जहाँ भी हों आप, हम रहेंगें साथ
DENA BANK
देना बैंक पेश करता है मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग
अब आप सिर्फ कुछ बटन दबा कर बैंकिंग सेवाओं का आनंद ले सकते हैं।
फोन बैंकिंग
बैलेंस पूछताछ
मिनि विवरण (अंतिम 5 लेनदेन)
ई मेल द्वारा खाता विवरण (पिछले 3 महीनों में किसी भी अवधि का)
फैक्स के द्वारा खाता विवरण (अंतिम 9 लेनदेन)
चेक की स्थिति (पेड/अनपेड)
डेबिट कार्ड लेनदेन पूछताछ
निधि अंतरण (स्वयं के खाते से बैंक के अंदर)
निधि अंतरण (बैंक के अंदर अन्य पक्ष के खाते से)
मोबाइल बैंकिंग
बैलेंस पूछताछ
मिनि विवरण (अंतिम 10 लेनदेन)
निधि अंतरण (स्वयं के खाते से बैंक के अंदर)
निधि अंतरण (बैंक के अंदर अन्य पक्ष के खाते से)
देना है तो भरोसा है!
देना बैंक
DENA BANK
(भारत सरकार का उपक्रम)
विश्वस्त पारिवारिक बैंक
www.denabank.com

वितरण ना होने पर कृपया निम्नलिखित को वापस करें:

If undelivered please return to:

देना बैंक
DENA BANK

देना कार्पोरेट सेंटर, सी-10, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051
Dena Corporate Centre, C-10, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai- 400051

REPRO

www.denabank.com